SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश
2025 की प्रतिवेदन सं. 37
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश
2025 की प्रतिवेदन सं. 37
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय-सूची

विवरण	पैरा	पृष्ठ
प्राक्कथन		*iii*
विहंगावलोकन		*v - viii*
अध्याय-I : प्रस्तावना		
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रकार	1.2	1
लेखापरीक्षा का समग्र क्षेत्र	1.3	2
विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों का बजट एवं व्यय	1.4	3
लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.5	4
लंबित एटीएन की स्थिति	1.6	6
अध्याय – II : विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश (व्यय क्षेत्र)		
केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर		
द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता (आईएसडीए) का अधिक भुगतान	2.1	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी		
'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना तथा कार्यकरण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.2	9

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, ड्राई डॉक, पोर्ट ब्लेयर		
₹ 58.31 लाख के परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण	2.3	39
केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़		
'सुखना झील का प्रबंधन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.4	41
केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव (डीडी)		
सरकारी अस्पताल दमन		
परिहार्य व्यय	2.5	69
अध्याय – III : विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश (राजस्व क्षेत्र)		
केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़		
'उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, यूटी, चण्डीगढ़ के संबंध में मूल्य वर्धित कर (वैट) में विरासती मुद्दे' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)	3.1	73
केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव (डीडी)		
'केन्द्र शासित प्रदेश डीएनएच और डीडी में सड़क परिवहन विभाग का कार्यचालन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	3.2	97
परिशिष्ट	**131**	
अनुलग्नक	**133 - 242**	

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में सामान्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र तथा राजस्व सेवा क्षेत्र के अंतर्गत विधायिका रहित पांच केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित वे उदाहरण उल्लिखित हैं जो 2023-24 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे और साथ ही वे भी हैं जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परंतु उनको पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था। 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी यथावश्यक शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पांच विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों में वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में इन पांच केन्द्र शासित प्रदेशों का सकल व्यय ₹21028.78 करोड़ था।

इस प्रतिवेदन में पांच विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित आठ उदाहरणात्मक मामले[1] शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

व्यय क्षेत्र

केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर

द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता का अधिक भुगतान

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर ने केवल मूल वेतन के बजाय मूल वेतन एवं गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) के योग पर प्रतिशतता के रूप में द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप ₹69.04 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

[1] एक मामले को अध्याय I में पैरा 1.5 के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस)

'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना तथा कार्यकरण (एएनआईआईएमएस)' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस) की स्थापना (दिसंबर 2013) में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस) (एक मेडिकल कालेज) की स्थापना एवं परिचालन की परियोजना के पर्यवेक्षण के लिए की गई थी। तथापि, यह परियोजना एएनआईएमईआरएस द्वारा वित्तीय योजना में उल्लेखनीय कमियों से घिरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 29 नियोजित मुख्य अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों में से केवल आठ को ही पूरा किया गया था (अक्तूबर 2024)। विभागों में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों में महत्वपूर्ण कमियां (लगभग 40 प्रतिशत) मौजूद थीं। ऑपरेशन थिएटर (ओटी) तथा गहन देखभाल इकाईयों (आईसीयू) जैसी प्रमुख सुविधाओं के अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त होने का परिणाम सर्जरी के लिए लंबी प्रतीक्षा समय में हुआ। एएनआईआईएमएस को अभी भी प्रत्यायन निकायों (एनएबीएच, एनएबीएल) से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणिकरण प्राप्त नहीं हुआ था। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट तथा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में कमियां थीं। इस प्रकार, केन्द्र शासित प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य इसके प्रारंभ के एक दशक के पश्चात भी अप्राप्त रहा।

(पैराग्राफ सं. 2.2)

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, ड्राई डॉक, पोर्ट ब्लेयर

₹58.31 लाख के परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण

संविदा अनुबंध की सामान्य शर्तों के गलत अनुप्रयोग से परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ प्रशासन

'सुखना झील का प्रबंधन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

सुखना झील को चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा जून 2020 में एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। हालांकि, झील का क्षेत्र हरियाणा तथा पंजाब राज्यों के क्षेत्र के अधीन भी आता है। पर्याप्त खतरे वाली आर्द्रभूमि की पहचान के प्रबंधन तथा विभिन्न पणधारकों के बीच सामान्य समझ को सुनिश्चित किए जाने के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एक एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) तैयार की जानी थी, जिसे सितंबर 2024 तक तैयार नहीं किया गया था। अंतरिम रूप से, विभिन्न विभागों द्वारा असंबद्ध एवं एक-एक करके गाद निकालने, निराई-गुड़ाई तथा निकर्षण के कार्य किए जा रहे थे जबकि झील की गहराई 1956 तथा 2024 के बीच 67 *प्रतिशत* तक कम हो गई थी। दिसंबर 2024 तक, पंजाब सरकार द्वारा सुखना वन्यजीव अभयारण्य को अभी भी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप में घोषित किया जाना शेष था। परिणामस्वरूप, पंजाब राज्य में आ रहे सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के क्षेत्र में ईएसजेड के दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधियों के निषेध एवं विनियमन को कार्यान्वित नहीं किया गया।

(पैराग्राफ सं. 2.4)

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

सरकारी अस्पताल दमन

परिहार्य व्यय

सरकारी अस्पताल, दमन ने बिलिंग मांग के अनुबंधित बिजली मांग से अधिक होने के कारण जुर्माना प्रभारों पर ₹95.24 लाख का परिहार्य भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 2.5)

राजस्व क्षेत्र

केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़

'उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, के संबंध में मूल्य वर्धित कर (वैट) में विरासती मुद्दे' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 (जुलाई 2017 में जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले) तक के वैट के विरासती मुद्दों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने बकाया राशि के लंबित होने और बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण न होने, अपना रिटर्न फाइल न करने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई न होने, अपील के मामले लंबे समय तक लंबित रहने, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं गहन संवीक्षा की कमी तथा अस्वीकार्य लाभ की अनुमति जैसे कई प्रणालीगत और अनुपालन से संबंधित मुद्दे प्रकट किए, जिससे राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

'केन्द्र शासित प्रदेश डीएनएच और डीडी में सड़क परिवहन विभाग का कार्यचालन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के गैर-अनुपालन और प्रवर्तन में अंतर के दृष्टांत प्रकट किए। कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्टांत पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी), परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्रों का गैर-नवीनीकरण, निर्माण उपकरण वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण, मोटर वाहन (एमवी) कर की गैर-वसूली, प्राधिकृत नेशनल परमिट और बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के चल रहे वाहन आदि थे।

(पैराग्राफ सं. 3.2)

अध्याय-I प्रस्तावना

1.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को संघ एवं राज्यों, सरकारी कंपनियों एवं निगमों, निकायों एवं प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में अधिदेश भारत के संविधान तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। सीएजी संविधान द्वारा निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे संघ एवं राज्यों के लेखे की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13 (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के अंतर्गत, संघ, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों और अन्य लेन-देनों की लेखापरीक्षा करना सीएजी का कर्तव्य है। संविधान तथा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सीएजी के अधिदेश में निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा करना भी सम्मिलित है। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को यथाप्रकरण संसद के या राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी मुख्य रुप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करता है - वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा।

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि किसी इकाई की वित्तीय विवरणी और सूचनाएँ ठीक से तैयार की गई है, सभी प्रकार से पूर्ण है तथा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटन के साथ प्रस्तुत की गई है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित लेनदेन की जाँच करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि भारत के संविधान के प्रावधानों, विधियों, नियमों, विनियमों, और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा साथ ही अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेकशीलता एवं प्रभावकारिता का निर्धारण करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा का संबंध सरकार द्वारा लोक निधियों की प्राप्ति और अनुप्रयोग में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा से है। निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्लेषण अनुपालन विषयों से अलग एवं परे है तथा इकाई द्वारा की गई गतिविधि के वास्तविक लाभ पर नई सूचना, विश्लेषण या अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) विनियम 2020 के आधार पर की जाती है। ये मानक और विनियम वे मानदंड निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षकों से अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। इनके अंतर्गत लेखापरीक्षकों को न केवल अनुपालन में चूक के विशिष्ट प्रकरणों की रिपोर्टिंग करनी होती है, बल्कि लेखापरीक्षित संस्थाओं की वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं में विद्यमान कमियों को भी उजागर करना होता है।

सीएजी द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मानकों में यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिक अवधारणा लेन-देन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि वे कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं तैयार करने में समर्थ बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो तथा वे श्रेष्ठतर शासन में योगदान दें।

1.3 लेखापरीक्षा का समग्र क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र में विधायिका रहित पांच[2] केन्द्र शासित प्रदेशों *अर्थात्* अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली

[2] तीन केन्द्र शासित प्रदेश अर्थात् दिल्ली, जम्मू व कश्मीर तथा पुडुचेरी के पास अपनी विधान सभाएं हैं।

एवं दमन और दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी विभाग/कार्यालय/संस्थान सम्मिलित हैं।

1.4 विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों का बजट एवं व्यय

विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में बजट प्रावधान गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यद्यपि केन्द्र शासित प्रदेशों का सामान्य प्रशासन गृह मंत्रालय का उत्तरदायित्व है, तथापि केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I और II में उल्लिखित विषयों पर निधि को प्रबंधित करते हैं, जहाँ तक इन केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इस प्रकार, अनुदान की विस्तृत मांग (डीडीजी) में संघ सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों से संबंधित गतिविधियों पर इन केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यय से संबंधित प्रावधान भी सम्मिलित हैं।

2023-24 में विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों से संस्वीकृत प्रावधान और व्यय का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका सं. 1.1: वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय आवंटन, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	संवीकृत प्रावधान		कुल व्यय		बचत(-)/आधिक्य(+)			
					राजस्व		पूंजीगत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,548.86	551.51	5,486.94	440.61	-61.92	1.12	-110.90	20.11
चण्डीगढ़	6,015.42	762.12	5,976.31	662.96	-39.11	0.65	-99.16	13.01
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,595.54	948.28	1,591.94	935.21	-3.60	0.23	-13.07	1.38
लद्दाख	2,818.42	3,149.99	2,248.57	2,107.13	-569.85	20.22	-1,042.86	33.11
लक्षद्वीप	1,343.43	285.52	1,325.85	253.26	-17.58	1.31	-32.26	11.30
कुल	**17,321.67**	**5,697.42**	**16,629.61**	**4,399.17**	**-692.06**	**4.00**	**-1,298.25**	**22.79**

स्रोत: संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) 2023-24

1.5 लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, महत्वपूर्णता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अतिरिक्त जोखिम आकलन के आधार पर किया जाता है। जोखिम आकलन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन, गबन, दुर्विनियोग, धोखाधड़ी आदि के पूर्व दृष्टांतों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष भी सम्मिलित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निपटान किया जाता है तथा, आवश्यकतानुसार, अनुपालना के लिए कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग से उत्तर प्राप्त करने के बाद महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु संसाधित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय II और III में व्यय क्षेत्र और राजस्व क्षेत्र से संबंधित विधायिका रहित क्रमशः पांच केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

अध्याय II और III में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर कुल ₹44.07 लाख की वसूली भी की गई है, जैसा कि **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विभाग/मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली गई राशि
1.	अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं. एसओ 2899 दिनांक 26.09.1996 के साथ पठित के अनुसार ऐसे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों से निर्माण लागत के एक *प्रतिशत* के दर से उपकर एकत्रित किया जाएगा। यह पाया गया कि उप मुख्य अभियंता, अंडमान, लक्षद्वीप, बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू), ड्राई डॉक, *पोर्ट ब्लेयर* के कार्यालय ने तीन ठेकेदारों[3] से ₹44.07 लाख की उपकर राशि एकत्रित नहीं की थी। एएलएचडब्ल्यू ने बताया (अप्रैल 2024 एवं जून 2025) कि ठेकेदारों से उपकर की पूरी राशि (₹44.07 लाख) की वसूली की गई है।	0.44
कुल			**0.44**

लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देशित किया था कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया इनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेज दें। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों का लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ड्राफ्ट पैराग्राफ अग्रेषित किए जाते हैं तथा उनसे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

[3] मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, मेसर्स आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड और मेसर्स पी सूर्या राव।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने आठ पैराग्राफों में से सात पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे थे (अगस्त 2025 तक)। एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में संबंधित अभिकरणों ने सुधारात्मक उपाय किए हैं जिसे प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.6 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद में दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपने 105वें प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा, 1995-96) में लोक लेखा समिति ने अनुशंसा की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) 31 मार्च, 1996 से लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तत्पश्चात्, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से समन्वयन एवं लेखापरीक्षा द्वारा एटीएन के संग्रहण तथा उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया था।

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति ने, अपनी दूसरी रिपोर्ट (12वीं लोक सभा-1998-99) में अनुशंसा की है कि संसद में प्रस्तुत सीएजी के सभी प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों को संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के भीतर समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

31 अगस्त 2025 तक, विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी आठ एटीएन पत्राचाराधीन थे **(परिशिष्ट-I)**।

अध्याय - II : विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश (व्यय क्षेत्र)

इस अध्याय में तीन लेखापरीक्षा पैराग्राफ एवं दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर

2.1 द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता (आईएसडीए) का अधिक भुगतान

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर ने केवल मूल वेतन के बजाय मूल वेतन एवं गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) के योग पर प्रतिशतता के रूप में आईएसडीए की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप ₹69.04 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता (आईएसडीए) का भुगतान किया जाता है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) 2008[4] के अनुसार, आईएसडीए मूल वेतन एवं गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) जहां भी लागू हो, पर देय था।

2017 में 7वें सीपीसी के लागू होने पर, एमओएफ के ओएम[5], 2017 के पैराग्राफ 3(ii) में एनपीए की दरों में वृद्धि के लिए यह प्रावधान है कि "*एनपीए को महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों की गणना के लिए वेतन के रूप में माना जाता रहेगा, सिवाय*

[4] ओएम नं. 12(3)/2008-ई-II(बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

[5] ओएम नं. 12-2/2016-ईIII.ए दिनांक 07 जुलाई 2017

उन भत्तों के जिनके संबंध में लागू आदेशों में अन्यथा प्रावधान है, जिसमें सेवानिवृत्ति हितलाभों की गणना भी शामिल है।"

7वें सीपीसी के अंतर्गत, एमओएफ के दिनांक 18 जुलाई 2017 के ओएम[6] के अनुसार, आईएसडीए तैनाती के स्थान के आधार पर 'मूल वेतन' का 10 *प्रतिशत*, 16 *प्रतिशत* या 20 *प्रतिशत* की दर पर देय था। यहाँ, 'मूल वेतन' शब्द को *'पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल पर मिलने वाले वेतन' के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे कोई अन्य प्रकार के वेतन शामिल नहीं है।'*

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर ने आईएसडीए का भुगतान मूल वेतन एवं एनपीए की प्रतिशतता के रूप में किया था। जबकि, उपरोक्त बताए गए प्रावधानों के अनुसार, आईएसडीए का भुगतान केवल मूल वेतन की प्रतिशतता के रूप में किया जाना था। इस गलत गणना के परिणामस्वरूप जुलाई 2017 और अक्तूबर 2023 के बीच ₹34.60 लाख तक आईएसडीए का अधिक भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-2.1)**।

इसी प्रकार, चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, गोविंद बल्लभ (जीबी) पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय ने जुलाई 2017 और दिसंबर 2023 के बीच आईएसडीए के लिए ₹34.44 लाख का अधिक भुगतान किया था **(अनुलग्नक-2.2)**।

इस प्रकार, मूल वेतन एवं एनपीए पर आईएसडीए की गलत गणना करने से ₹69.04 लाख[7] का अधिक भुगतान हुआ और इससे सरकारी राजकोष को हानि हुई, जिसकी वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

डीएचएस ने बताया (दिसंबर 2024) कि उन्होंने नवंबर 2023 के वेतन से लागू एनपीए पर गणना किए गए आईएसडीए का भुगतान पहले ही रोक दिया है और अंडमान और निकोबार प्रशासन/व्यय विभाग, एमओएफ से आईएसडीए पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद वसूली प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी ओर, जीबी पंत

---

[6] ओएम नं. 12/1/2017-ई-II(बी) दिनांक 18 जुलाई 2017

[7] (₹34.60 लाख+₹34.44 लाख)

अस्पताल ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि आंशिक वसूली की गई है। इस बीच, वसूली रोक दी गई है क्योंकि डीएचएस ने यह मामला अंडमान और निकोबार प्रशासन/मंत्रालय स्तर पर उठाया है।

यह मामला गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया (जनवरी 2025); उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मंत्रालय आईएसडीए के ऐसे अनियमित भुगतान की व्यापक समीक्षा करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी

2.2 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना तथा कार्यकरण' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस) की स्थापना (दिसंबर 2013) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस) (एक मेडिकल कॉलेज) की स्थापना एवं परिचालन की परियोजना के पर्यवेक्षण के लिए की गई थी। तथापि, यह परियोजना एएनआईएमईआरएस द्वारा वित्तीय योजना में उल्लेखनीय कमियों से घिरी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 29 नियोजित मुख्य अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों में से केवल आठ को ही पूरा किया गया था (अक्तूबर 2024)। विभागों में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों में उल्लेखनीय कमियां (लगभग 40 *प्रतिशत*) मौजूद थीं। ऑपरेशन थिएटर (ओटी) तथा गहन देखभाल इकाईयों (आईसीयू) जैसी प्रमुख सुविधाओं के अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त होने का परिणाम सर्जरी के लिए लंबी प्रतीक्षा समय में हुआ। अपर्याप्त निगरानी के कारण एएनआईआईएमएस को शिक्षण अस्पताल (जीबी पंत जिला अस्पताल) के प्रशासनिक नियंत्रण का हस्तांतरण नहीं हुआ, पदों के सृजन तथा नियुक्तियों में विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2018-2024 के दौरान 23 से 34 *प्रतिशत* के बीच पद रिक्त थे तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा कॉलेज के स्थायी मान्यता में बाधा आयी। एएनआईआईएमएस को अभी भी प्रत्यायन निकायों (एनएबीएच, एनएबीएल) से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणिकरण प्राप्त नहीं

हुआ था। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट तथा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में कमियां थीं। इस प्रकार, केन्द्र शासित प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य इसके प्रारंभ के एक दशक के पश्चात भी अप्राप्त रहा।

2.2.1 प्रस्तावना

डॉक्टरों की कमी को कम करने तथा डॉक्टर- जनसंख्या अनुपात में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) (मंत्रालय) ने मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़ी 100 एमबीबीएस सीटों के साथ नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना[8] (सीएसएस) प्रमोचित की। इस योजना के अंतर्गत, अंडमान और निकोबार प्रशासन (एएनए) ने जीबी पंत अस्पताल (जीबीपीएच), पोर्ट ब्लेयर के साथ एक मेडिकल कॉलेज नामत: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस) की स्थापना हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की (अगस्त 2013)। इस योजना का कुल बजट ₹1.89 करोड़ था, जिसे भारत सरकार (जीओआई) तथा एएनए के बीच 75:25 के अनुपात में विभाजित किया जाना था (बाद में 60:40 तक संशोधित)।

एएनए ने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा संचालन से संबंधित सभी पहलूओं के प्रबंधन *अर्थात्* अवसंरचना का सृजन, संकाय की नियुक्ति, उपकरण की खरीद, मेडिकल कॉलेज का संचालन *आदि* हेतु मुख्य सचिव (एएनए) की अध्यक्षता में दिसंबर 2013 में 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस[9]) का गठन किया।

---

[8] मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ जुड़े नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना।

[9] सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत। एएनए की सोसाइटी (एएनआईएमईआरएस) में मुख्य रूप से तीन प्राधिकरण शामिल हैं *अर्थात्* (i) शासी निकाय (जीबी)- अध्यक्ष-उप राज्यपाल, उपाध्यक्ष-मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव-निदेशक (एएनआईआईएमएस) (ii) कार्यकारी परिषद (ईसी)- अध्यक्ष मुख्य सचिव (iii) वित्त समिति(एफसी)- अध्यक्ष प्रधान सचिव (वित्त)

एएनआईआईएमएस के एमबीबीएस पाठ्यक्रम[10] का प्रथम बैच 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से शुरु हुआ। जबकि जीबी पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर ने संस्थान के लिए शिक्षण अस्पताल के रूप में कार्य किया फिर भी शैक्षणिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य पुरानी आरबीडी[11] बिल्डिंग स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय उपभवन, पुरानी आयुष बिल्डिंग एवं इसके उपभवन में अस्थायी प्रबंधनों से किए गए थे। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, हद्दो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चोलदारी को संस्थान के लिए क्रमशः 'शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (यूएचटीसी) तथा 'ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (आरएचटीसी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2.2.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एएनआईआईएमएस की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या:

क) गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं अपेक्षित अवसंरचना का सृजन किया गया था तथा उपकरण के साथ साथ मानव संसाधन उपलब्ध थे;

ख) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के संबंधित मानदंडों का अनुपालन किया गया था, तथा

ग) वित्तीय प्रबंधन, निगरानी तंत्र तथा समन्वय पर्याप्त तथा प्रभावी थे।

2.2.2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

एएनआईआईएमएस की स्थापना तथा परिचालन का निम्न से प्राप्त मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था:

क) मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियम, 1999

---

10 पुडुचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध।

11 जन्म एवं मृत्यु पंजीयक

ख) भारतीय चिकित्सा परिषद[12] द्वारा जारी मेडिकल कॉलेज के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं विनियम, 1999 (वार्षिक 100 दाखिलों के लिए)

ग) केन्द्रीय लोक निर्माण नियम पुस्तिका तथा सीपीडब्ल्यूडी की मानक संचालन प्रक्रियाएं

घ) भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2012 तथा 2022

ङ) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) प्रबंधन नियमावली 2016

च) एमओएचएण्डएफडब्ल्यू द्वारा जारी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा दिशानिर्देश

छ) राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) तथा राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)

ज) भारत सरकार, एएण्डएन प्रशासन तथा एनएमसी द्वारा जारी नियम/आदेश/अनुदेश

झ) एएनआईएमईआरएस के संस्थान के बहिर्नियम (एमओए)/नियम एवं विनियम/उप-नियम, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तथा विभिन्न समितियों की बैठक के कार्यवृत्त

2.2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

एसएससीए का प्रारंभ सचिव (स्वास्थ्य), एएनए के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (09 जुलाई 2024) के साथ हुआ जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई थी। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा एएनआईएमईआरएस, एएनआईआईएमएस, इसके शिक्षण अस्पताल तथा अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग (एपीडब्ल्यूडी) के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से जुलाई-अक्तूबर 2024 में की गई थी। मसौदा प्रतिवेदन एएनआईआईएमएस (अप्रैल 2025) तथा सचिव (गृह मंत्रालय- एमएचए) (मई, 2025) को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियां तथा उत्तर प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु 24 जून 2005 को एएनआईआईएमएस के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। एएनआईआईएमएस से समय-समय पर प्राप्त

12 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

उत्तरों सहित 26 जून 2025 को प्राप्त उत्तर को भी प्रतिवेदन में उचित प्रकार से शामिल किया गया है। मंत्रालय का उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.3 अवसंरचना की अपर्याप्तता

2.2.3.1 त्रुटिपूर्ण वित्तीय योजना के कारण अवसंरचना में कमी

न्यूनतम मानक आवश्यकता (एमएसआर) विनियम, 1999 के अनुसार 100 एमबीबीएस छात्रों वाले एक मेडिकल कॉलेज में निर्धारित[13] भौतिक अवसंरचना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेज स्थापना विनियम, 1999 के अनुसार अनुमति पत्र (एलओपी) प्रदान करने के चार वर्षों के भीतर ऐसी अवसंरचना को पूरा किया जाना अनिवार्य था।

स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, एएनए ने एएनआईआईएमएस हेतु सृजित की जाने वाली विभिन्न अवसंरचना[14] की अभिकल्पना करते हुए डीपीआर तैयार किया तथा अगस्त 2014 में एमओएचएण्डएफडब्ल्यू को इसे अग्रेषित किया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंत्रालय की सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था (दिसंबर 2014) तथा एएनए को सूचित किया गया था (फरवरी 2015)। इसके अतिरिक्त, जून 2015 में एमओएचएण्डएफडब्ल्यू द्वारा एलओपी जारी किया गया था तथा अवसंरचना निर्माण कार्य को जून 2019 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादन हेतु निर्धारित/अभिकल्पित 29 मुख्य सिविल निर्माण कार्यों **(अनुलग्नक-2.3)** में से केवल आठ निर्माण कार्य पूर्ण हुए थे, तीन प्रगति पर थे तथा 18 को अक्तूबर 2024 तक प्रारंभ किया जाना शेष

---

13 प्रशासनिक ब्लॉक, सेंट्रल पुस्तकालय, व्याख्यान थियेटर, सभागार एवं परीक्षा हाल, केन्द्रीय फोटोग्राफिक अनुभाग, केन्द्रीय कार्यशाला, पशु गृह, चिकित्सा शिक्षा इकाई, केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला सहित प्रयोगशालाएं *आदि*।

14 आधारिक विज्ञान ब्लॉक, पुस्कालय ब्लॉक, व्याख्यान ब्लॉक एवं पीजी ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, सभागार, भोजनालय सहित होस्टल, सामुदायिक भवन एवं क्लब हाउस, स्पोर्ट्स हाउस, स्टेडियम, आवास *आदि*।

था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 10 निर्माण कार्यों[15] के अनुमानों में पहले ही संशोधन किया गया था तथा अन्य निर्माण कार्यों के अनुमानों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।

विलंब के कारणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय योजना की कमी थी क्योंकि एएनआईएमईआरएस ने सभी 29 मुख्य निर्माण कार्यों हेतु पर्याप्त निधियां सुनिश्चित नहीं की थी। अवसंरचना निर्माण कार्यों हेतु ₹342.14 करोड़ के डीपीआर अनुमान के प्रति मंत्रालय ने केवल ₹189.00 करोड़ अनुमोदित किए (दिसंबर 2014) जिसमें से ₹165.40 करोड़ (₹113.40 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा+₹52 करोड़ यूटी का हिस्सा) जारी किया गया था तथा ₹23.60 करोड़ का शेष यूटी का हिस्सा एएनए द्वारा सितंबर 2024 तक जारी किया जाना शेष था। एएनआईएमईआरएस के पास नियोजित मुख्य निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹189 करोड़ से अधिक शेष निधियों के प्रावधान हेतु कोई वित्तपोषण योजना नहीं थी। एएनआईएमईआरएस ने उपलब्ध निधियों के आधार पर संस्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें टुकडों में संस्वीकृत किया (सितंबर 2020)। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2021 में वित्त समिति (एफसी) ने निधियों की कमी का हवाला देते हुए ₹164.21 करोड़ मूल्य के प्रस्तावित अवसरंचना निर्माण कार्यों को स्थगित कर दिया। यह केवल जनवरी 2024 में ही था कि एएनआईएमईआरएस ने देरी से ही सही ₹229.26 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन किया तथा उपलब्ध निधियों का उपयोग करने के पश्चात 3-4 वर्षों में चरणों में भारत सरकार से अपेक्षित निधियों की मांग करने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, एएनए या जीओआई (एमएचए) से अतिरिक्त संसाधनों की मांग किए बिना टुकड़ों में निर्माण कार्यों को संस्वीकृत करने का एएनआईएमईआरएस का दृष्टिकोण विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि सभी अवसंरचना निर्माण कार्यों को जून 2019

---

[15] (i) साइट का विकास, (ii) दो पूर्वनिर्मित व्याख्यान हाल (iii) क्वार्टर (टाईप III, IV, V प्रत्येक के 12 तथा टाईप VI के छः) (iv) प्रशासनिक ब्लॉक तथा पुस्तकालय ब्लॉक (v) प्रवेश द्वार (vi) टाईप VI क्वार्टर (12) (vii) टाईप V क्वार्टर (12) (viii) टाईप IV क्वार्टर (24) (ix) अतिथि गृह (x) निदेशक आवास।

तक पूर्ण किया जाना था। एक व्यापक वित्तपोषण योजना का अभाव विलंबों, समय सीमाओं के गैर- अनुपालन तथा पुराने अनुमानों का कारण बना।

एएनआईआईएमएस ने अपने उत्तर (जून 2025) में निर्माण कार्यों के समापन में विलंब के लिए भारी वर्षा, लॉजिस्टिक बाधाओं, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अनुमोदन में विलंब, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारंभ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा कोविड-19 को कारण बताया।

एएनआईआईएमएस के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि अनुमोदित बजट परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अवसंरचना निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपर्याप्त था तथा एएनआईएमईआरएस को समय पर अतिरिक्त निधियों का आकलन तथा मांग करनी चाहिए थी। तथापि, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था तथा परियोजना ₹165.40 करोड़ की सीमित निधियों के साथ शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, एएनआईआईएमएस द्वारा उल्लेखित कारण सामान्य प्रवृत्ति के थे तथा लंबित निर्माण कार्यों को शुरू न करने को उचित नहीं ठहराते थे।

2.2.3.2 विज्ञान ब्लॉक के निर्माण में अत्यधिक विलंब

एएनआईआईएमएस में अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों हेतु डीपीआर में एक आधारिक विज्ञान ब्लॉक शामिल था जिसे चार ब्लॉकों में बांटा गया था: क (प्री-क्लिनिकल[16]), ख एवं ग (पैरा-क्लिनिकल[17]) तथा घ (व्याख्यान/परीक्षा हाल)। निष्पादन अभिकरण होने के कारण एपीडब्ल्यूडी ने प्रारंभ में क एवं घ ब्लॉक तथा ख एवं ग ब्लॉक हेतु क्रमशः ₹49.48 करोड़ तथा ₹41.67 करोड़ के अलग अनुमान प्रस्तुत किए (अगस्त 2017 तथा जनवरी 2018)। वित्त समिति (एफसी) (जून, 2018) ने एपीडब्ल्यूडी से सभी चारों ब्लॉकों हेतु एक समेकित अनुमान की मांग की। तथापि, फरवरी 2020 में, एएनआईआईएमएस ने बिना किसी प्रलेखित औचित्य के प्रत्येक

16 प्री-क्लिनिकल का अर्थ स्वास्थ्य एवं रोग को समझने हेतु अपेक्षित मौलिक आधारिक विज्ञान से है तथा इसमें आमतौर पर ऐनाटॉमी, साईक्लॉजी एवं जैव-रसायन शामिल है।

17 पैरा-क्लिनिकल का अर्थ चिकित्सा के उन भागों विशेषकर प्रयोगशाला विज्ञान से है जो सीधे रोगी की देखभाल में शामिल नहीं है।

ब्लॉक हेतु अलग अनुमान प्रस्तुत करने के लिए एपीडब्ल्यूडी को पुनः अनुरोध किया। एपीडब्ल्यूडी ने चारों ब्लॉकों के अनुमानों को ₹115.16 करोड़ तक संशोधित किया (फरवरी 2020)। एफसी ने निधि की कमी का हवाला देते हुए परियोजना को स्थगित कर दिया (फरवरी 2021)। अगस्त 2022 में एफसी ने संशोधित लागत सूचकांक का उपयोग करके प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों के लिए नए अनुमान प्राप्त करने का निर्णय लिया। जनवरी 2023 में एपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार संशोधित अनुमानों के अनुसार, इन ब्लॉकों के निर्माण की लागत बढ़कर ₹154.69 करोड़ हो गई। विज्ञान ब्लॉक क के अनुमानों में परिवर्तन **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: विज्ञान ब्लॉक क के अनुमानों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

ब्लॉक	मूलतः अनुमानित लागत (अगस्त 2017, जनवरी 2018)	संशोधित अनुमानित लागत (फरवरी 2020)	अनुमोदित लागत (जून 2024)	अनुमानित लागत में वृद्धि
क (प्री-क्लिनिकल)	30.79	39.01	48.62	58%

इसी बीच, बढ़ी हुई लागत को देखते हुए कार्यकारी परिषद (ईसी) ने केवल ब्लॉक-क का निर्माण करने का निर्णय लिया (जनवरी 2023)। यद्यपि ब्लॉक-क के अनुमान को जुलाई 2023 में ₹57.14 करोड़ तक आगे संशोधित किया गया था फिर भी एएनआईएमईआरएस ने जून 2024 में केवल ₹48.62 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (एएण्डईएस) प्रदान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि विज्ञान ब्लॉक का निर्माण प्रारंभ से (2015) ही एक प्राथमिक कार्य रहा था, फिर भी एएनआईएमईआरएस ने केवल एक ब्लॉक को संस्वीकृत करने में नौ वर्ष लिए जबकि शेष ब्लॉकों (ख, ग तथा घ) को सितंबर 2024 तक अभी भी संस्वीकृत किया जाना शेष था। कार्य के प्रारंभ में विलंब के मुख्य कारण एएनआईएमईआरएस तथा एएनआईआईएमएस के बीच खराब समन्वय, एएनआईएमईआरएस द्वारा निर्णाय लेने में कमी, अनुमानों के अनुमोदन में विलंब तथा एएनए से अपेक्षित निधियों को प्राप्त नहीं करना था।

एएनआईआईएमएस ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (जून 2025) कि विज्ञान ब्लॉक के निर्माण में विलंब हुआ था क्योंकि मामला मई 2017 से दिसंबर 2024 तक विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्शाधीन रहा तथा निविदाएं अंततः दिसंबर 2024 में ही आमंत्रित की गई थीं।

उत्तर यह दर्शाता है कि यद्यपि विज्ञान ब्लॉक एक प्राथमिकता वाली परियोजना थी जिसके सामयिक समापन को सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की आवाश्यकता थी, फिर भी एएनआईएमईआरएस के निरुत्साहपूर्ण दृष्टिकोण के कारण ब्लॉक-क के लिए अधिक समय लगा तथा लागत ₹30.79 करोड़ से बढ़कर ₹48.62 करोड़ हो गई साथ ही शेष तीन ब्लॉकों को भी अनुमोदित किया जाना शेष है (जून 2025) और छात्र भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाओं से वंचित रहे।

2.2.3.3 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में विलंब

एएनआईएमईआरएस ने अगस्त 2016 में 42 आवासीय क्वार्टरों (12 टाईप-III, 12 टाईप-IV, 12 टाईप-V तथा 6 टाईप-VI) के निर्माण हेतु ₹17.27 करोड़ का एएएण्डईएस प्रदान किया। एपीडब्ल्यूडी ने जनवरी 2017 में निर्धारित प्रारंभ तथा जून 2018 तक समापन के साथ ₹13.58 करोड़ की निविदा लागत पर मेसर्स रवि रियलकान्स प्राईवेट लिमिटेड को निर्माण कार्य प्रदान किया (दिसंबर 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 12 टाईप-III तथा 12 टाईप-IV क्वार्टर ही पूर्ण किए गए थे तथा क्रमशः अक्तूबर 2020 तथा सितंबर 2021 में सौंपे गए थे। शेष क्वार्टर (टाईप-V एवं VI) सितंबर 2024 तक पूर्ण नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य की धीमी प्रगति साईट की सुपुर्दगी में विलंब (45 से 128 दिन), ठेकेदार द्वारा श्रमशक्ति/सामग्री का अपर्याप्त परिनियोजन, वर्षा, कोविड-19 तथा भुगतानों में विलंब के कारण थी। इसके अतिरिक्त, एएनआईएमईआरएस द्वारा निधियाँ जारी करने में विलंब के कारण एपीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को ₹1.29 करोड़ के भुगतानों[18] को

---

18 ₹42.48 लाख का 19वां आरए बिल (सिविल) दिनांक शून्य तथा ₹17.57 लाख का 20वां आरए-बिल (विद्युत) दिनांक 16 जुलाई 2021 तथा 31 अगस्त 2021 का ₹2.58 लाख का दूसरा जीएसटी भुगतान एवं 07 सितंबर 2022 का ₹65.88 लाख के वृद्धि दावे, सभी नवंबर 2022 में अदा किए गए।

02-16 महीनों तक का विलंब किया (नवंबर 2022) जिसके कारण ठेकेदार द्वारा 18 महिनों तक कार्य को बंद भी कर दिया गया। इसी प्रकार, ₹46.82 लाख का भुगतान (22वीं आरएबी, जनवरी 2024) ₹19.40 करोड़ की संशोधित लागत की प्रतीक्षित संस्वीकृति के कारण छः महीनों से अधिक समय के लिए लंबित[19] था जिसमें ₹33 लाख[20] की अतिरिक्त जीएसटी देयता भी शामिल थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निधियों[21] की उपलब्धता के बावजूद एएनआईएमईआरएस ने मार्च 2021 से नवंबर 2022 के दौरान एपीडब्ल्यूडी को अपेक्षित निधियां जारी नहीं की थी जिससे निष्पादन में काफी विलंब हुआ।

सचिव (पीडब्ल्यूडी) ने एपीडब्ल्यूडी को धीमी प्रगति के कारण या तो परियोजना के समापन को सुनिश्चित करने या फिर संविदा को रोकने का निर्देश दिया (दिसंबर 2020)। तथापि, एपीडब्ल्यूडी ने कार्य को नहीं रोका तथा बिना किसी औचित्य का उल्लेख किए जून 2024 तक की अवधि के दौरान विस्तार[22] प्रदान करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप, 12 टाईप-V तथा छः टाईप-VI क्वार्टर सात वर्षों से अधिक समय के विलंब के पश्चात भी अपूर्ण रहे (जुलाई 2024 तक भौतिक प्रगति 94.4 *प्रतिशत*)।

इस प्रकार, एएनआईआईएमएस द्वारा निधियां जारी करने में विलंब के साथ-साथ सचिव के निर्देश के बावजूद ठेकेदार के विरुद्ध एपीडब्ल्यूडी की निष्क्रियता के कारण कार्य समाप्त नहीं हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप जीएसटी के प्रति ₹33 लाख की अतिरिक्त देयता हुई।

एपीडब्ल्यूडी तथा एएनआईआईएमएस ने तथ्यों को स्वीकार किया। एएनआईआईएमएस ने यह भी बताया कि क्वार्टरों की अनुपलब्धता उच्च संकाय

---

[19] 22वें आरए-बिल के प्रति अग्रिम के रूप में जुलाई 2024 में केवल ₹3.20 लाख अदा किए गए थे।

[20] निर्माण कार्यों पर जीएसटी 18 जुलाई 2022 से 12 *प्रतिशत* से 18 *प्रतिशत* तक बढ़ा।

[21] एएनआईएमईआरएस के पास 2021-22 के दौरान ₹87.5 करोड़ तथा 2022-23 के दौरान ₹71 करोड़ की निधि शेष थी।

[22] सितंबर 2019, दिसंबर 2019, मार्च 2020, मई 2020 अक्तूबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022, अगस्त 2022, मार्च 2023, मार्च 2024, एवं जून 2024।

क्षरण तथा राजकोष पर आवर्ती मकान किराया भत्ता (एचआरए) के भार का कारण बनी है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएनआईएमईआरएस समय पर निर्माण कार्य के समापन के लिए अपेक्षित निधियां प्राप्त करने हेतु एक नीतिगत योजना के साथ वास्तविक लागत अनुमान तैयार करने के लिए सभी चालू तथा नियोजित अवसंरचना निर्माण कार्यों की एक व्यापक समीक्षा करे।

2.2.4 उपकरण की अपर्याप्तता

2.2.4.1 एएनआईआईएमएस के विभिन्न विभागों में निर्धारित उपकरण की अपर्याप्त खरीद

एमएसआर विनियम 1999 मेडिकल कॉलेज तथा शिक्षण अस्पताल के 23 विभागों में 1175 प्रकार के उपकरण की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। एएनए तथा भारत सरकार के बीच एमओयू (अगस्त 2014) के अनुसार, एएनआईएमईआरएस को एक निश्चित समय सीमा के साथ एक खरीद समिति का गठन करना था। समिति का गठन 2019-2020[23] में किया गया था तथा सितंबर 2024 तक खरीदे गए उपकरणों का विवरण **अनुलग्नक-2.4** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

क) 23 विभागों में निर्धारित 1175 प्रकार के उपकरणों के सापेक्ष में कुल 699 प्रकार के उपकरण (जीबीपीएच में पहले से मौजूद उपकरण सहित) उपलब्ध थे जिसके परिणामस्वरूप 476 (लगभग 40 *प्रतिशत*) प्रकार के उपकरण की कमी हुई।

ख) 23 विभागों में से, 18 विभागों में उपकरण की संख्या में कमी 10 से 100 *प्रतिशत* के बीच थी **(अनुलग्नक-2.5)** जबकि शेष पांच विभागों[24] में ऐसी कोई उल्लेखनीय कमी नहीं थी।

[23] सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 08 जनवरी 2020।

[24] त्वचाविज्ञान, मनोचिकित्सा, टीबी एवं चेस्ट रोग, चिकित्सा शिक्षा इकाई एवं औषध विज्ञान।

ग) कुल 4144 उपलब्ध उपकरणों में से 14 विभागों के अधीन 347 उपकरण गैर-कार्यात्मक थे जिनमें से 342 उपकरण छः महीनों से 10 वर्षों तक की अवधि के लिए गैर-कार्यशील स्थिति में पड़े थे **(अनुलग्नक-2.6)**[25]।

घ) डीपीआर में उपकरणों की खरीद हेतु ₹25 करोड़ (मेडिकल कॉलेज हेतु ₹4.81 करोड़, शिक्षण अस्पताल हेतु ₹20.15 करोड़) की अभिकल्पना की गई थी। तथापि, मार्च 2024 तक केवल ₹12.71 करोड़ (मेडिकल कॉलेज हेतु ₹6.75 करोड़ एवं शिक्षण अस्पताल हेतु ₹5.96 करोड़) का व्यय किया गया था।

कैंसर के निदान हेतु अनिवार्य ऑटोमेटेड इम्यूनो- हिस्टो केमेस्ट्री (आईएचसी) तथा क्रायोस्टेट उपकरण 2015 से अनुपलब्ध थे जिससे रोगियों को स्वयं से महाद्वीप में कहीं और से जांच कराने को मजबूर होना पड़ा। मई 2023 या अप्रैल 2024 में इनकी मांग की गई थी परंतु जून 2025 तक इनकी खरीद नहीं की जा सकी।

एएनआईआईएमएस ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2024) कि स्टाफ की कमी, निधियों की अनुपलब्धता, कोविड-19 तथा निरीक्षण अस्पताल की अपूर्ण सुपूर्दगी के कारण उपकरण की खरीद नहीं हुई। एएनआईआईएमएस ने आगे बताया कि शिक्षण अस्पताल की पूर्ण रूप से सुपुर्दगी हो जाने के पश्चात ही भौतिक सत्यापन के बाद निर्धारित उपकरण की खरीद तथा गैर-कार्यात्मक उपकरण की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन निधि की उपलब्धता के अधीन चरणों में किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए कि विलंब तथा उपकरण की खरीद न करना न केवल *उक्त* विनियामक प्रावधानों के गैर-अनुपालन का कारण बना बल्कि चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

2.2.4.2 जीबी पंत अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर (ओटी) सुविधाओं में कमी

जीबी पंत अस्पताल (जीबीपीएच) एएनआई में एकमात्र तृतीयक रेफरल अस्पताल तथा एएनआईआईएमएस के लिए शिक्षण अस्पताल है। एनएमसी मानदंडों के

[25] अनुलग्नक-2.4 में दी गई सूची उदाहरणात्मक है न कि संपूर्ण सूची है।

अनुसार, 100 वार्षिक एमबीबीएस दाखिले वाले एक शिक्षण अस्पताल में प्रभावी ऑपरेशन थिएटर (ओटी) संचालन हेतु अनिवार्य 13 अतिरिक्त सुविधाओं सहित 10 ओटी अपेक्षित थे। इसे डीपीआर में भी शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीबीपीएच केवल पांच ओटी के साथ कार्य कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित मानकों *की तुलना में* उल्लेखनीय कमी हुई। इसके अतिरिक्त, जीबीपीएच के मौजूदा ओटी परिसर में अतिरिक्त सुविधाएं कम है जैसा **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ओटी परिसर में कमियाँ

क्र. सं.	डीपीआर के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं	कमरो/बेड की निर्धारित सं.	उपलब्ध कमरों/बेड की सं.
1.	रोगियों हेतु प्रतीक्षा कक्ष	01	शून्य
2.	प्री-एनेस्थेटिक/तैयारी कक्ष	04 बेड	02 बेड
3.	छात्रों हेतु अवलोकन गैलरी	01	शून्य
4.	छात्रों का वाशिंग अप एवं ड्रैसिंग रूम	01	शून्य

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 ओटी के लिए विभिन्न उपकरण निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मुख्य मदें, ब्लड वार्मर[26] तथा ट्रेकियोस्टोमी[27] सेट सभी पांच ओटी में नहीं थे तथा एक ओटी में आर्थ्रोस्कोप[28] नहीं था। इसके अतिरिक्त, छः उपकरण या साधन विशिष्ट ओटी को समर्पित नहीं थे बल्कि उनमें साझा किए गए थे **(तालिका 2.3)**।

---

26 हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए रक्त-आधान से पूर्व ब्लड वार्मर रक्त तथा आईवी द्रव को शरीर के तापमान को गर्म करता है।

27 ट्रेकियोस्टोमी सेट एक उपकरण है जिसका प्रयोग गर्दन में छेद बनाने तथा सांस लेने एवं वायुमार्ग से स्त्राव को साफ करने हेतु *अर्थात्* मेकेनिकल वेंटिलेशन के लिए एक ट्यूब डालने के लिए किया जाता है।

28 आर्थ्रोस्कोप लाईट एवं कैमरा वाला एक फाईबर-ऑपटिक उपकरण है जिसका उपयोग एक छोटे चीरे के जरिए जोड़ो के अंदर की तकलीफ को देखने तथा उपचार करने हेतु किया जाता है।

तालिका 2.3: ओटी उपकरण की कमी

क्र. सं.	आईपीएचएस के अनुसार निर्धारित उपकरण/साधन	अभ्युक्तियाँ
1.	डेफिब्रीलेटर (एईडी प्लस मैनुअल विद ईसीजी)	सभी चुनिन्दा ओटी के लिए सामान्य
2.	फ्लैश ऑटोक्लेव (लगभग 20 लीटर/चक्र की चैम्बर क्षमता)	ऑटोक्लेव सीएसएसडी विभाग में है
3.	ईसीजी मशीन 6 चैनल	वर्कस्टेशन में उपलब्ध
4.	ईसीजी 3 चैनल	वर्कस्टेशन में उपलब्ध
5.	सीटीजी मॉनीटर	लेबर वार्ड में उपलब्ध
6.	एनडी येग लेजर	ओपीडी में उपलब्ध

ओटी की संख्या, अतिरिक्त सुविधाओं तथा उपकरण की कमी ने न केवल मानदंडों का उल्लंघन किया बल्कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में भी विलंब हुआ क्योंकि रोगियों को सर्जरी के लिए सात दिनों से एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता था।

एएनआईआईएमएस ने कमियों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (जून 2025) कि तीन मॉड्यूलर ओटी की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर थी। इसके लिए सिविल निर्माण कार्य पहले ही संस्वीकृत कर दिए गए है परंतु निधियों की प्रतीक्षा के कारण उन्हें अभी भी शुरू किया जाना शेष था।

2.2.4.3 आईसीयू में निर्धारित उपकरण/मदों की कमी

आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार जिला अस्पतालों में बड़े सर्जिकल तथा चिकित्सा आपातकाल के लिए गहन देखभाल प्रदान करने हेतु निर्धारित उपकरणों तथा सहायक उपकरण से सुसज्जित विशेष गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने आईसीयू में अपेक्षित उपकरण तथा साधनों *अर्थात* 220 निर्धारित मदों तथा उपकरणों में से 57 की उल्लेखनीय कमी पाई, जैसा **तालिका 2.4** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.4: आईसीयू उपकरण की कमी

क्रम सं.	आईसीयू का नाम	निर्धारित मदों एवं उपकरण की सं.	उपलब्ध मदों एवं उपकरण की सं.	मदों एवं उपकरणों में कमी*
1.	सामान्य (चिकित्सा) आईसीयू	24	17	7
2.	नवजात गहन देखभाल इकाई (एनआईसीयू)	40	28	12
3.	बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई (पीआईसीयू)	41	28	13
4.	आपातकाल-24x7/दुर्घटना ओपीडी	43	35	8
5.	प्रसूति एवं स्त्री रोग (ओबीजीवाईएन) आईसीयू/सर्जिकल आईसीयू (एसआईसीयू)	31	22	9
6.	विशेष नवजात देखभाल इकाई+मातृत्व नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू+एमएनसीयू)	41	33	8
कुल		**220**	**163**	**57**

* त्रुटिपूर्ण मदों/उपकरण की विस्तृत सूची ***अनुलग्नक-2.7*** में दी गई है।

आवश्यक आईसीयू उपकरण की अनुपलब्धता ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तथ्यों की पुष्टि करते हुए एएनआईआईएमएस ने आगे बताया (अक्तूबर 2024) कि 20 मदें खरीद के अधीन थीं तथा नौ अन्य विभागों के साथ साझा की गई थीं परंतु शेष 28 मदों/उपकरणों हेतु कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एएनआईएमईआरएस एक व्यापक उपकरण लेखापरीक्षा करे तथा ओटी, उपकरण तथा इसकी अतिरिक्त सुविधाओं हेतु एक नीतिगत खरीद योजना विकसित करे। गैर-कार्यात्मक मदों की मरम्मत या प्रतिस्थापन हेतु शीघ्र उपाय किए जाएं।

2.2.5 चिकित्सा शिक्षा तथा मानव संसाधन

2.2.5.1 शिक्षण अस्पताल पर प्रशासनिक नियंत्रण द्विविधिता

एनएमसी मानदंडों के अनुसार, केन्द्र सरकार को आवेदन करते समय मेडिकल कॉलेज के पास कम से कम 300 बेड तथा सभी अनिवार्य अवसरंचना वाला एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक शिक्षण अस्पताल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी तकनीकी, पैराचिकित्सा, नर्सिंग तथा सहायक स्टाफ का यदि मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण किया जाता है तो वे कॉलेज के डीन/निदेशक के प्रशासनिक निंयत्रण[29] में होंगे जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षणिक, नैदानिक तथा वित्तीय पहलुओं सहित प्रशासन में कोई द्विविधिता नहीं है।

चूंकि जीबीपीएच को एएनआईआईएमएस के लिए एक शिक्षण अस्पताल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था इसलिए लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2017 से कार्यात्मक संयोजन के बावजूद जीबीपीएच स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (डीएचएस), एएनए के प्रशासनिक नियंत्रण में रहा। इस मामले को एनएमसी द्वारा 2017 से 2019 के बीच एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु एलओपी के नवीनीकरण के दौरान उजागर किया गया था। यद्यपि एएनआईएमईआरएस के सामान्य निकाय (जीबी) ने जीबीपीएच के प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण का हस्तांतरण एएनआईआईएमएस को करने का निर्णय लिया (जनवरी, 2020) फिर भी एएनए ने 50-बेड वाले जीबीपीएच को एएनआईआईएमएस को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित करने के लिए केवल जून 2023 में जाकर ही आदेश जारी किया वो भी बिना किसी समय सीमा के।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शिक्षण अस्पताल दोहरे नियंत्रण में रहा (अक्तूबर 2024) क्योंकि जीबीपीएच में तैनात डीएचएस स्टाफ के सभी वित्तीय, प्रशासनिक तथा सेवा मामलों के प्रबंधन सहित दवाओं, उपकरण, रासायनिक किटों, वाहनों के खरीद, निगरानी *आदि* पर व्यय डीएचएस द्वारा किया जा रहा था। परिसंपत्तियों का भी एएनआईआईएमएस को हस्तांतरण नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रारंभ से 10 वर्षों के पश्चात भी एएनए ने एनएमसी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए

[29] प्रशासनिक नियंत्रण- शैक्षणिक, नैदानिक के साथ-साथ वित्तीय पहलू शामिल होंगे।

एएनआईआईएमएस को पूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैदानिक नियंत्रण का हस्तांतरण नहीं किया था।

एएनआईआईएमएस ने तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2025) कि एएनआईआईएमएस द्वारा सभी पदों को भरने तथा एएनआईआईएमएस को पर्याप्त निधि का आवंटन करने के पश्चात ही औपचारिक सुपूर्दगी की जाएगी।

2.2.5.2 पदों का सृजन न करने के कारण नियमित संकाय तथा कर्मचारियों की नियुक्ति न होना

डीपीआर ने अंतिम नवीनीकरण निरीक्षण से पूर्व पूर्ण संख्या में स्टाफ को रखने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एनएमसी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक स्टाफ, संकाय, रेजिडेंटस तथा अन्य स्टाफ में वृद्धिशील वृद्धि को अनुबद्ध किया। इसके अतिरिक्त स्थायी संबद्धता के लिए प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 80 *प्रतिशत* शिक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एएनआईएमईआरएस की कार्यकारी परिषद ने नवंबर 2014 में 107 शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों के सृजन को अनुमोदित किया। नवंबर 2014 तथा अगस्त 2018 के बीच और कोई पद अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके पश्चात 430 अतिरिक्त पदों (एएनआईआईएमएस हेतु 425 तथा एएनआईएमईआरएस हेतु पांच) के सृजन का एक प्रस्ताव (सितंबर 2018) ईसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे एएनए के वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा जांच किए जाने के पश्चात नवंबर 2019 में अनुमोदित किया गया था। इन 537 पदों (नवंबर 2014 में 107 अनुमोदित तथा नवंबर 2019 में 430) को अतंत: एएनआईएमईआरएस के जीबी द्वारा जनवरी 2020 में हुई अपनी पहली बैठक में मंजूर किया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2024 में हुई दूसरी बैठक में जीबी ने एनएमसी मानदंडों तथा डीपीआर के अनुपालन में 173 अतिरिक्त पदों के सृजन को अनुमोदित किया जिससे अनुमोदित कुल पद 710 (537+173) हो गए।

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के ओएम दिनांक 05 जनवरी 2024[30] के अनुरूप, जून 2024 में सभी 710 पदों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन की मांग की जो जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पदों के सृजन पर विचार करने हेतु 2015 से 2020 के बीच एएनआईएमईआरएस की कोई जीबी बैठक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, जीबी ने गलती से यह निष्कर्ष निकाला (जनवरी 2020) कि एक सोसाइटी होने के नाते एएनआईएमईआरएस के लिए एमओएफ का अनुमोदन[31] अपेक्षित नहीं था। बाद में, जीबी ने अनुमोदन हेतु एमओएफ को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2024)। यह पद सृजन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने तथा मंत्रालय को अग्रेषित करने में 10 वर्षों के अनुचित विलंब का कारण बना। परिणामस्वरूप आज तक (जून 2025) कोई पद सृजित नहीं किया गया है तथा नियमित संकाय की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। एएनआईआईएमएस में दोनों शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की संविदात्मक आधार पर नियुक्ति की गई है। कॉलेज को नियमित संकाय की भर्ती न करने के कारण एनएमसी द्वारा स्थायी मान्यता भी प्रदान नहीं की गई है।

एएनआईआईएमएस ने जून 2025 में तथ्यों को स्वीकार किया।

2.2.5.3 संकाय तथा रेजिडेंटस की कमी

एमएसआर 1999 के अनुसार मेडिकल कॉलेज तथा इसके शिक्षण अस्पताल में संकाय[32] तथा रेजिडेंटस[33] की संख्या स्नातकपूर्व प्रवेश क्षमता पर निर्भर करती है। एनएमसी विनियमों में प्रावधान है कि जब कॉलेज तीसरे तथा चौथे नवीनीकरण (चौथे एवं पाचवें बैच का दाखिला) के चरण में हो तो एमबीबीएस की डिग्री प्रदान

---

[30] व्यय विभाग, एमओएफ ओएम सं. एफ सं. 7(1)/ई-सीओओओआरडी-I/2017 दिनांक 05 जनवरी 2024।

[31] व्यय विभाग, एमओएफ ओएम सं. एफ सं. 7(1)/ई.सीओओओआरडी-I/2017 दिनांक 12 अप्रैल 2017।

[32] प्रोफेसर, सबंद्ध प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अनुशिक्षक।

[33] रेजिडेंटस में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ रेजिडेंटस शामिल हैं।

करने हेतु संस्थान की मान्यता तक यदि किसी निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि संकाय तथा रेजिडेंट की कमी 20 *प्रतिशत* से अधिक है तो उस शैक्षणिक वर्ष के लिए उस संस्थान के नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2018-24 की अवधि के दौरान एनएमसी मानदंडों के अधीन 100 छात्रों हेतु संकाय तथा रेजिडेंट आवश्यकता तथा संबंधित संवर्ग में वास्तविक पदस्थ संख्या का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: संकाय तथा रेजिडेंटस की पदधारण स्थिति

शैक्षणिक वर्ष	एलओपी/ नवीनीकरण	सवंर्ग	एनएमसी के अनुसार अपेक्षित	पदस्थ संख्या	(-) कमी/ (+)आधिक्य	कमी की प्रतिशतता
2018-19	तीसरा नवीनीकरण (चौथा बैच)	संकाय	97	70	-27	28
		रेजिडेंटस	54	35	-19	35
2019-20	चौथा नवीनीकरण (पांचवां बैच)	संकाय	108*+2 पीएमआर**	75	-35	32
		रेजिडेंटस	62 +3 पीएमआर	39	-26	40
2020-21	पांचवां नवीनीकरण	संकाय	110	77	-33	30
		रेजिडेंटस	65	43	-22	34
2021-22	छठा नवीनीकरण	संकाय	110	85	-25	23
		रेजिडेंटस	65	56	-9	14
2022-23	सातवां नवीनीकरण	संकाय	110	74	-36	33
		रेजिडेंटस	65	55	-10	15
2023-24	आठवां नवीनीकरण	संकाय	110	73#	-37	34
		रेजिडेंटस	65	68#	+3	-

** इसमें 20 प्रोफेसर, 27 संबद्ध प्रोफेसर, 40 सहायक प्रोफेसर तथा 23 अनुशिक्षक शामिल हैं।*

***पीएमआर (भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास)*

 # डीएचएस के वेतन पर 5 संकाय तथा 1 रेजिडेंट डॉक्टर

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीसरे नवीनीकरण (चौथे बैच) के बाद से 2018-24 के दौरान संकाय की कमी 23 से 34 *प्रतिशत* के बीच थी तथा पांचवे नवीनीकरण (2018-21) तक रेजिडेंटस की कमी 34 से 40 *प्रतिशत* तक थी। इन उल्लेखनीय कमियों ने स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने के

साथ-साथ एनएमसी द्वारा एएनआईआईएमएस की मान्यता को भी खतरे में डाल दिया।

एएनआईआईएमएस ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2024) कि सोसाइटी द्वारा गुणवत्तापूर्ण श्रमशक्ति को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने हेतु किए गए सभी उपायों के बावजूद कमी बनी रही। 710 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पहले ही अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है। एएनआईआईएमएस ने आगे बताया (जून 2025) कि पदों के नियमतीकरण में विलंब से संकाय सदस्यों की भारी कमी हुई जिससे चिकित्सा शिक्षा गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2.2.5.4 एएनआईएमईआरएस द्वारा निगरानी की कमी

एएनआईएमईआरएस के नियम तथा विनियमों में चार शासी प्राधिकरणों: (i) सामान्य निकाय (जीबी), (ii) कार्यकारी परिषद (ईसी), (iii) शैक्षणिक परिषद (एसी) तथा (iv) वित्त समिति (एफसी) की स्थापना का प्रावधान है। जीबी, सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में, नीतियों तथा वार्षिक रिपोर्टों को अनुमोदित करता है जबकि ईसी समग्र सोसाइटी कार्यों की निगरानी करता है। एसी शैक्षणिक मामलों का प्रबंधन देखती है तथा एफसी वित्तीय मामले संभालती है। प्रत्येक निकाय के लिए वार्षिक बैठकों की न्यूनतम संख्या अनिवार्य है परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014 से 2024 के बीच सभी चारों प्राधिकरणों के संबंध में बैठकों की आवृत्ति में 33 से 80 *प्रतिशत* तक की कमी थी **(अनुलग्नक-2.8)**। एएनआईआईएमएस ने बैठकों की संख्या के संबंध में तथ्य की पुष्टि की तथा बताया (जून 2025) कि 2024 में शैक्षणिक परिषद, कार्यकारी परिषद की तीन-तीन बैठक तथा जीबी की एक बैठक आयोजित की गई थी।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सोसाइटी के गठन (2013) से दस वर्षों में जीबी ने केवल दो बार बैठक की (2020 तथा 2024) जो निगरानी की कमी को दर्शाता है। नव स्थापित मेडिकल कॉलेज होने के नाते तथा चालू कई पूंजीगत निर्माण कार्यों को देखते हुए इस कमजोर निगरानी के कारण सिविल निर्माण कार्यों में विलंब तथा अपर्याप्त वित्तपोषण (पैरा 2.2.3.1 में टिप्पणी की गई है), उपकरण

में कमी (पैरा 2.2.4 में टिप्पणी की गई है), शिक्षण अस्पताल में द्विविधिता प्रशासन का समाधान न होने (पैरा 2.2.5.1), पदों का सृजन न होने (पैरा 2.2.5.2) *आदि* में हुआ जिसने मेडिकल कॉलेज की उपयुक्त स्थापना में बाधा डाली तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि :

नियमित संकाय के एनएमसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एएनआईएमईआरएस तथा एएनए मंत्रालय के साथ पदों के सृजन को उत्साही रूप से आगे बढ़ाने के बाद समयबद्ध भर्ती पहल चलाए।

एएनआईएमईआरएस तथा एएनए जीबी पंत अस्पताल की एएनआईआईएमएस को पूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैदानिक सुपूर्दगी को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार तथा निष्पादित करे।

एएनआईएमईआरएस यह सुनिश्चित करे कि इसके सभी प्राधिकरण विशेषकर सामान्य निकाय सामयिक नीति निर्णय तथा नियमित निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु अपने नियमों तथा विनियमों में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार बैठक करे।

2.2.6 विनियामक अनुपालन में कमियां

2.2.6.1 चिकित्सा अभिलेखों का गैर-कम्प्यूटरीकरण

एनएमसी मानदंड में मेडिकल कॉलेज में शीघ्र डेटा पुनर्प्राप्ति हेतु चिकित्सा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करना अधिदेशित है। जीबीपीएच में ई-अस्पताल सूचना प्रणाली (ई-एचआईएस) को कार्यान्वित करने हेतु एएनआईआईएमएस ने नवंबर 2015 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) पोर्ट ब्लेयर को आशय पत्र जारी किया। एनआईसी ने एक दो-चरण वाली एक एकीकृत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) का प्रस्ताव दिया (जनवरी 2016)। पांच मॉड्यूल[34] को शामिल करने वाले प्रथम चरण को ₹38.8 लाख की लागत पर पूरा किया गया था तथा

[34] बाह्यरोगी पंजीकरण, ओपीडी री-विजिटिंग, इन पेशेंट पंजीकरण, डिस्चार्ज मॉड्यूल तथा दुर्घटना/आपातकालिन पंजीकरण।

फरवरी 2017 से चालू किया गया था। दूसरे चरण जिसमें दस मॉड्यूल[35] तथा एलएएन एवं फाईबर ऑप्टिक केबलिंग जैसी संबंधित अवसंरचना शामिल थी, को ₹28.20 लाख की लागत पर दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था। तथापि, दूसरे चरण के किसी भी मॉड्यूल को कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा जून 2025 तक सभी अभिलेखों का रखरखाव मैनुअल प्रकार से किया जा रहा था।

एएनआईआईएमएस ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2025) कि दूसरे चरण के माड्यूलों को प्रोग्रामर, कम्प्यूटरों, प्रिंटरों *आदि* की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया था। चूंकि ई-अस्पताल का मॉड्यूल तथा एचआईएमएस का चरण पुराना हो जाएगा इसलिए एएनआईआईएमएस क्लाउड-बेस्ड-नेक्सट-जेन-ई अस्पताल को कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भर्ती की गई है तथा नेटवर्क इंजीनियर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ई-अस्पताल के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि एएनआईआईएमएस में चिकित्सा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना अभी भी शेष है।

2.2.6.2 शिक्षण अस्पताल में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (बीएमडब्ल्यू) में कमी

वार्षिक 100 दाखिले हेतु मेडिकल कॉलेज के एमएसआर विनियम 1999 में यह निर्धारित है कि अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य विनियामक प्राधिकरणों *आदि* के अनुरूप सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 बीएमडब्ल्यू के उत्पादन एवं निपटान हेतु राज्य/यूटी प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से प्राधिकार प्राप्त करने, एक अपशिष्ट उपचार सयंत्र (ईटीपी) स्थापित करने, पीसीसी को प्रदूषण निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा एक समर्पित वेबसाईट लिंक पर अद्यतित बीएमडब्ल्यू डेटा का रखरखाव करने को निर्धारित करती है। एएनआईआईएमएस का शिक्षण अस्पताल अंडमान और निकोबार पीसीसी (एएनपीसीसी) से वैध प्राधिकरण के बिना अपनी स्वंय की सुविधा के माध्यम से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान कर रहा है। मार्च 2022 में,

[35] फार्मेसी, स्टोर, वार्ड प्रबंधन, बिलिंग, प्रयोगशाला सूचना प्रणाली, ओटी प्रबंधन, ब्लड बैंक प्रबंधन, रेडियोलॉजी सूचना प्रणाली, क्लिनिक, इलैक्ट्रॉनिक चिकित्सा अभिलेख।

एएनपीसीसी ने बीएमडब्ल्यू प्रबंधन में ईटीपी लगाने, निर्दाहक की संचालन स्थिति तथा त्रैमासिक उत्सर्जन निगरानी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण जैसी कुछ कमियों पर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की थी। अप्रैल 2024 में एएनपीसीसी ने दिसंबर 2024 तक वैध सशर्त प्राधिकरण प्रदान किया तथा पुन: ईटीपी तथा सीवेज उपचार सयंत्र (एसटीपी) की स्थापना की स्थिति की मांग की। उसने एनएबीएल प्रत्यायित अभिकरणों से प्रमाणित त्रैमासिक प्रदूषण निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जिसके अभाव में संचालन हेतु प्रदान की गई सहमति निरस्त कर दी जाएगी।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क) अक्तूबर 2024 तक ईटीपी तथा एसटीपी स्थापित नहीं किए गए थे। इसने बीएमडब्ल्यू प्रबंधन नियमावली का उल्लंघन किया जिससे जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का आम सीवर प्रणाली में सीधे छोड़े जाने तथा जन स्वास्थ्य को संकट में डालने का जोखिम है।

ख) मार्च 2024 को छोड़कर किसी माह में प्रदूषण की निगरानी नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप एएनपीसीसी को अपेक्षित त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई।

ग) एएनआईआईएमएस ने बीएमडब्ल्यू प्रबंधन डेटा को प्रदर्शित करने हेतु कोई अलग पृष्ठ/वेब लिंक भी नहीं बनाया था।

एएनआईआईएमएस ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2025) कि एक 100 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी) ईटीपी का निर्माण वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण कर लिया जाएगा जिसके बाद 300 केएलडी एसटीपी शुरू किया जाएगा। वर्तमान में जलनिकास में छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल के पूर्व-उपचार हेतु हाइपोक्लोराइट घोल का प्रयोग किया जाता है। विसंक्रमण प्रक्रिया के अनुपालन तथा प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने हेतु एक मासिक निगरानी तंत्र शुरू किया गया है। त्रैमासिक प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्टों के लिए प्रत्येक 3-4 महीने में जाँच करने हेतु एक पत्र जारी किया गया था।

2.2.6.3 अग्नि सुरक्षा प्रणाली में कमियां

फरवरी 2024 में, अग्निशमन सेवा मुख्यालय, एएनआई ने एएनआईआईएमएस के शिक्षण अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अग्नि सुरक्षा उपकरण में कमियों जैसे कि फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम का काम न करना तथा ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम की कमी की सूचना दी। बाद में, मार्च 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल पर अग्नि सुरक्षा योजना एवं प्रबंधन के मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जिसमें फायर डिटेक्शन एवं शमन प्रणालियों, आपातकालिन प्रतिक्रिया तथा निकास योजना शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपकरण तथा किसी निकासी योजना की अनुपलब्धता से शिक्षण अस्पताल में आग लगने की स्थिति में जान जाने, संपत्ति को नुकसान, महत्वपूर्ण सेवाओं में बाधा तथा निकास चुनौतियों का खतरा है।

एएनआईआईएमएस ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2025) कि ऑटोमेटिक स्प्रिंकल तथा डिटेक्शन/अलार्म सिस्टम की खरीद प्रक्रिया में है तथा अग्निशमन सेवाओं के समन्वय से अग्नि निकास योजना विचाराधीन है।

2.2.6.4 एनएबीएच/एनएबीएल से गैर-प्रत्यायन/प्रमाणन

आईपीएचएस मानदंडों में प्रावधान है कि लोक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को गुणवत्ता आश्वासन संस्थानों से गुणवत्ता आश्वासन हेतु प्रमाणीकरण/प्रत्यायन प्राप्त करना चाहिए। राष्ट्रीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) स्वास्थ्य देखभाल संगठनों तथा चिकित्सा जांच प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्ड हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एएनआईआईएमएस ने संचालन के आठ वर्षों के पश्चात भी अपने शिक्षण अस्पताल (जीबीपीएच) तथा प्रयोगशालाओं हेतु एनएबीएच या एनएबीएल प्रत्यायन/प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं किया था। एएनआईआईएमएस ने जून 2025 तक एनएबीएच या एनएबीएल प्रत्यायन हेतु आवेदन भी नहीं किया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए एएनआईआईएमएस ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2024) कि एनएबीएच प्रत्यायन हेतु जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा तथा एनएबीएल प्रत्यायन के संबंध में कुछ प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं। उसने आगे बाताया (जून 2025) कि एनएबीएच/एनएबीएल हेतु पूर्वापेक्षा विचाराधीन है तथा इसके लिए पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि :

एएनआईआईएमएस ई-अस्पताल प्रणाली को कार्यान्वित करने, ईटीपी/एसटीपी की स्थापना तथा अग्नि सुरक्षा उपकरण के जल्द खरीद हेतु एक व्यापक, समयबद्ध कार्य योजना स्थापित करे।

एएनआईआईएमएस एक निर्धारित समयसीमा के भीतर एनएबीएच, एनएबीएल से प्रमाणीकरण/प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु अस्पताल तथा अपनी प्रयोगशालाओं में आवेदन प्रक्रिया के प्रबंधन तथा अनिवार्य गुणवत्ता सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए एक समर्पित टीम की नियुक्ति करे।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की ₹9.22 करोड़ की निधि का विचलन

भारत सरकार के संस्वीकृति पत्रों के पैरा 3(i) के साथ पठित एएनआईएमईआरएस सहायता अनुदान नियमावली 2014 के नियम 7(x) में अनुबंध है कि अनुदानों का केवल संस्वीकृत प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जाना चाहिए न कि विचलन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2023-24 के दौरान एएनआईएमईआरएस ने ₹9.22 करोड़[36] की सीएसएस निधियों का जीबी पंत अस्पताल, आयुष बिल्डिंग के दिन प्रतिदिन की मरम्मत एवं रखरखाव, अस्थायी संकाय के आवास स्थान, एयर कंडिशनरों, डीजी सेटों, विद्युत उपकरणों, दैनिक वेतन वाले मजदूरों को मजदूरी देने

---

[36] ₹4.40 करोड़ (डब्ल्यूएसडी) + ₹4.82 करोड़ (ओएसडी (टी) एएनआईएमईआरएस) = ₹9.22 करोड़।

आदि के प्रति विचलन किया। अनुदान हेतु विस्तृत मांग (डीडीजी) के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यूटी प्रशासन जीबीपीएच को नियमित निधियां प्रदान करता है। इसलिए मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर व्यय को यूटी निधियों से पूरा किया जाना था।

एएनआईआईएमएस ने बताया (जून 2025) कि निधियां, संहिता औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निष्पादन अभिकरणों को जारी की गई थी तथा अभिकरण मेडिकल कॉलेज/जीबीपीएच के निर्माण/रखरखाव पर कार्य कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीएसएस निधियां केवल नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर पूंजीगत व्यय के लिए थी। मौजूदा अस्पताल की मरम्मत तथा रखरखाव हेतु निधियों का विचलन संस्वीकृत शर्तों का उल्लंघन था।

2.2.7.2 निधियां जारी होने में विलंब के कारण समय तथा लागत में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप ₹98.91 लाख की परिहार्य देयता

अप्रैल 2017 में, ₹18.70 करोड़ का एएएण्डईएस 'मेडिकल कॉलेज प्रशासनिक तथा पुस्तकालय ब्लॉक के निर्माण', हेतु प्रदान किया गया था जिसे एएनआईएमईआरएस के जमा कार्य के रूप में निष्पादित किया जाना था।

मार्च 2019 में, एपीडब्ल्यूडी ₹18.59 करोड़ की निविदा लागत पर मेसर्स ओ.पी. कांडोई एण्ड कम्पनी (प्राई.) लिमिटेड को कार्य सौंपा गया। कार्य मार्च 2019 में प्रारंभ होना था तथा मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना था। संविदा अनुबंध की सामान्य संविदा शर्तें (जीसीसी) की शर्त 7 में प्रावधान था कि यदि मध्यवर्ती बिलों का भुगतान प्रस्तुतीकरण (जब नियमानुसार पाया जाता है तो) के 45 दिनों से अधिक विलंबित होता है तो 7.5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर सामान्य ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, ठेकेदार को अदा किया जाएगा। ठेकेदार ने मार्च 2021 तथा मार्च 2022 के बीच ₹3.93 करोड़[37] के लिए सातवें से 11वें आरए बिल प्रस्तुत किए

[37] सातवां आरएबी (भाग भुगतान)- ₹1,21,32,691+आठवां आरएबी- ₹1,31,54,036+नौवां आरएबी ₹45,74,771+10वां आरएबी-₹17,46,067+11वां आरएबी- ₹76,50,128= ₹3,92,57,693।

परंतु निधियों की अनुपलब्धता के कारण इन्हें निर्धारित 45 दिनों के भीतर अदा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क) यद्यपि कार्यकारी अभियंता ने मार्च 2021 से नवंबर 2022 के बीच निधियां जारी करने हेतु बार-बार अनुरोध किया था फिर भी सोसाइटी ने अप्रैल 2021 से अपने खाते में ₹87.50 करोड़ व्यर्थ पड़े होने के बावजूद भी निधियाँ जारी नहीं की। निधियां नवंबर 2022 में जाकर ही जारी की गईं थीं तथा भुगतान नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच किए गए थे।

ख) ठेकेदार को भुगतान न होने के कारण कार्य सितंबर 2021 से मार्च 2024 तक बंद रहा। ठेकेदार ने मार्च 2024 में ही कार्य फिर से शुरू किया तथा अक्तूबर 2024 में इसे पूर्ण किया।

ग) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ठेकेदार ने एपीडब्ल्यूडी द्वारा भुगतान जारी करने, तथा दावों का निपटान करने में विलंब पर विवाद के लिए मध्यस्थता (अक्तूबर, 2022) का सहारा लिया। मध्यस्थ ने एएनआईएमईआरएस से सहयोग की कमी के कारण एपीडब्ल्यूडी को संविदा के उल्लंघन हेतु उत्तरदायी ठहराया (दिसंबर 2024)। ठेकेदार के पक्ष में विलंबित भुगतानों के ब्याज के रूप में ₹42.08 लाख तथा क्षतियों के रूप में ₹37.20 लाख सहित ₹98.20 लाख का निर्णय दिया। एएनआईएमईआरएस द्वारा निधियां जारी करने में विलंब ठेकेदार को विलंबित भुगतान का कारण बना जिसके परिणामस्वरूप ₹98.20 लाख की परिहार्य देयता हुई।

घ) प्रारंभ में कार्य हेतु ₹18.70 करोड़ का एएएण्डईएस जारी किया गया था जिसे मार्च 2024 में ₹27.28 करोड़ तक संशोधित किया गया था। इस प्रकार विलंब के कारण कार्य की अनुमोदित लागत में ₹8.58 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

एएनआईआईएमएस ने बताया (जून 2025) कि निधियां जारी करने के प्रस्ताव को आवश्यकता की प्राप्ति तथा कार्यकारी अभिकरण द्वारा पिछले अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण पर तुरंत संसाधित किया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निधियां जारी की गई थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एपीडब्ल्यूडी से बार-बार अनुरोध के बावजूद भी एएनआईएमईआरएस द्वारा निधियां जारी नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ ने यह भी सूचित किया कि एपीडब्ल्यूडी को एएनआईएमईआरएस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला था जो संविदा के उल्लंघन हेतु उत्तरदायी है।

2.2.7.3 ₹23.89 लाख के जीएसटी की अस्वीकार्य प्रतिपूर्ति

18 जुलाई 2022 से, 47वीं जीएसटी परिषद अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी निर्माण कार्य पर जीएसटी को 12 *प्रतिशत* से 18 *प्रतिशत* तक बढ़ा दिया गया था। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अंतर्गत पुराने या नए जीएसटी की प्रयोज्यता तीन अवसरों *अर्थात्* आपूर्ति समापन तिथि, चालान तिथि तथा भुगतान प्राप्ति पर निर्भर करती है। यदि इनमें से दो घटनाएं दर में परिवर्तन से पहले हुई हैं तो पुरानी 12 *प्रतिशत* की दर लागू होती है अन्यथा 18 *प्रतिशत* की नई दर लागू होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

क) मेसर्स ओ.पी. कांडोई एण्ड कम्पनी (प्राई.) लिमिटेड ने 'मेडिकल कॉलेज, दूधलाइन के प्रशासनिक एवं पुस्तकालय ब्लॉक का निर्माण कार्य' हेतु मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कुल ₹3.93 करोड़ के पांच चालू खाता बिल प्रस्तुत किए। निधियां अंतत: एएनआईएमईआरएस द्वारा नवंबर 2022 में जारी की गई थीं तथा ठेकेदार को भुगतान नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच किए गए थे।

ख) मेसर्स शिप्रा कंस्ट्रक्शन, पोर्ट ब्लेयर ने मेडिकल कॉलेज, दूधलाइन के प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु अगस्त 2021 तथा जून 2022 में कुल ₹53.37 लाख[38] के दो चालू खाता बिल प्रस्तुत किए। भुगतान विलंबित थे तथा एएनआईएमईआरएस द्वारा निधि देरी से जारी करने के कारण नवंबर तथा दिसंबर 2022 में भुगतान किया गया था।

उपरोक्त मामलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि यद्यपि भुगतान 18 जुलाई 2022 के पश्चात प्राप्त किए गए थे फिर भी चरण समापन तथा

38 पहला आरए बिल-₹15,25,295+दूसरा आरए बिल-₹38,11,815= ₹53,37,110।

चालान प्रस्तुतीकरण तिथियां दर परिवर्तन की तिथि *अर्थात* 18 जुलाई 2022 से पहले मार्च 2021 तथा जून 2022 के बीच थी जैसा **तालिका 2.6** में उल्लिखित है।

तालिका 2.6: जीएसटी की अस्वीकार्य प्रतिपूर्ति

क्र.सं.	आरएबी की क्रम संख्या	आपूर्ति समापन की तिथि	चालान जारी करने की तिथि	ठेकेदार को भुगतान किए जाने की तिथि
क. मेसर्स ओ.पी. कांडोई कम्पनी (प्राई.) लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर				
1.	सातवां आरएबी (सिविल)	22.03.2021	22.03.2021	17.11.2022
2.	आठवां आरएबी (सिविल)	02.08.2021	02.08.2021	17.11.2022
3.	नौवां आरएबी (सिविल)	24.09.2021	24.09.2021	23.12.2022
4.	10वां आरएबी (सिविल)	07.03.2022	07.03.2022	01.02.2023
5.	11वां आरएबी (विद्युत)	24.09.2021	24.09.2021	06.03.2023
ख. मेसर्स शिप्रा कंस्ट्रक्शन, पोर्ट ब्लेयर				
1.	पहला आरएबी	17.08.2021	17.08.2021	18.11.2022
2.	दूसरा आरएबी	30.06.2022	30.06.2022	06.12.2022

चूंकि दो घटनाएं (आपूर्ति समापन तथा चालान प्रस्तुतीकरण तिथियां) दर परिवर्तन से पहले के हैं इसलिए 12 *प्रतिशत* की पुरानी दर लागू होनी चाहिए थी जिससे ठेकेदार इन आरए बिलों पर जीएसटी में 6 *प्रतिशत* वृद्धि हेतु अयोग्य हो जाता। इसके बावजूद, दोनों ठेकेदारों ने अगस्त 2023 तथा अक्तूबर 2022 में जीएसटी अंतर के रूप में ₹23.89 लाख (क्रमश: 21.03 लाख+₹2.86 लाख) का दावा किया जिसकी प्रतिपूर्ति की गई थी।

एपीडब्ल्यूडी ने बताया (सितंबर 2024) कि ठेकेदार ने 18 *प्रतिशत* पर जीएसटी अदा करने का दावा किया तथा तद्नुसार चालान प्रस्तुत किया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 14 के अनुसार उन मामलों में 18 *प्रतिशत* पर जीएसटी का भुगतान स्वीकार्य नहीं है जहाँ दो घटनाएं *अर्थात्* आपूर्ति समापन तिथि तथा चालान प्रस्तुतीकरण की तिथि कर की दर में परिवर्तन की तिथि से पहले के हैं, तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन के पश्चात किए गए थे। एएनआईआईएमएस ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्तूबर 2024)।

2.2.8 निष्कर्ष

यूटी, एएनआई में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सहायता के साथ जून 2015 में स्थापित एएनआईआईएमएस अपने प्रारंभ के एक दशक पश्चात भी एक पूर्ण रूप से तैयार मेडिकल कॉलेज के रूप में कार्य करने तथा अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका है।

लेखापरीक्षा ने एएनआईएमईआरएस द्वारा प्रभावी निगरानी तथा योजना में कमी पाई। सर्वोच्च प्राधिकरण होने के नाते सामान्य निकाय ने दस वर्षों में केवल दो बार बैठक की जिसके कारण निर्णय लेने में बहुत अधिक विलंब हुआ। इस शासन अंतराल का परिणाम प्रारंभ से त्रूटिपूर्ण वित्तीय योजना में हुआ जहां ₹342.14 करोड़ की अनुमानित आवश्यकता वाली एक परियोजना को केवल ₹189 करोड़ के साथ प्रारंभ किया गया तथा शेष निधियों को प्राप्त करने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी जिससे मुख्य अवसरंचना का निर्माण कार्य रुक गया। निष्पादन अभिकरणों को समय पर निधियां जारी करने में असमर्थता परियोजना के रुकने, लागत अधिक होने, मध्यस्थता एवं अस्वीकार्य जीएसटी भुगतान सहित परिहार्य देयताओं का कारण बनी। अक्तूबर 2024 तक, 29 मुख्य निर्माण कार्यों में से जून 2019 की समय सीमा के परे केवल 8 निर्माण कार्य ही पूर्ण हुए थे।

प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास को भी स्थायी पदों के सृजन में विलंब से हानि हुई जिससे नियमित संकाय की नियुक्ति नहीं होने के साथ–साथ संकाय की कमी तथा शिक्षण अस्पताल पर दोहरा प्रशासनिक नियंत्रण हुआ जो एनएमसी द्वारा कॉलेज की मान्यता को खतरे में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, उपकरण तथा विनियामक अनुपालन में कमियों से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता तथा सुरक्षा से समझौता हुआ। अस्पताल को अपेक्षित ऑपरेशन थियेटरों से आधे, आईसीयू में अपर्याप्त उपकरण तथा अनिवार्य उपकरण में लगभग 40 *प्रतिशत* कमी के साथ संचालित किया गया। अग्नि सुरक्षा तथा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के गैर-अनुपालन, चिकित्सा अभिलेखों के गैर कम्प्यूटरीकरण तथा एनएबीएच/एनएबीएल

प्रत्यायन के अभाव ने स्थिति को और अधिक बिगाड़ा। अतः, इन कमियों के कारण मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाया।

मामला गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था (मई 2025), उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, ड्राई डॉक, पोर्ट ब्लेयर

2.3 ₹58.31 लाख के परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण

संविदा अनुबंध की सामान्य शर्तों के गलत अनुप्रयोग से परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण हुआ।

उप मुख्य अभियंता I (डिप्टी सीई-I) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू), ड्राई डॉक, पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय ने पोर्ट ब्लेयर के जंगलीघाट में 'मौजूदा मछली लैंडिंग जेट्टी को 75 मीटर तक विस्तारित करने' का कार्य एक ठेकेदार को ₹7.54 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर दिया था। अनुबंध में कार्य शुरू होने के 15 महीने के भीतर संविदा पूरा करने का प्रावधान था और देरी होने पर, ठेकेदार संविदा अनुबंध की सामान्य संविदा शर्तें (जीसीसी) धारा 3, भाग I, उप-खंड 3.50 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसमापन क्षतिपूर्ति (एलडी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जीसीसी के उप-खंड 3.50.1 के अनुसार, "संविदा के पूरा होने में देरी के मामले में, परिसमापन क्षतिपूर्ति (एलडी) का उद्ग्रहण संविदा मूल्य के 0.5 *प्रतिशत* प्रति सप्ताह या उसके कुछ भाग पर लगाया जा सकता है, जो संविदा कीमत का अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक हो सकता है"। इसके अतिरिक्त, खंड 3.50.1(v) के अनुसार, 'यदि कार्य के कुछ भाग/हिस्से को चालू किया जा सकता है और एएलएचडब्ल्यू/पीएमबी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उस हिस्से का परिचालन करता है तो एलडी की दर कार्य के अधूरे मूल्य तक सीमित होगी, अधिकतम एलडी पूरे संविदा मूल्य पर होगी।'

यह कार्य 16 मार्च 2017 को शुरू हुआ था और इसे 15 जून 2018 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, यह अंततः 26 नवंबर 2020 को पूरा हुआ। ठेकेदार को एलडी लगाए बिना 09 अक्तूबर 2018 तक 116 दिनों का समय-विस्तार (ईओटी) और

एलडी के साथ 10 अक्तूबर 2018 से 30 नवंबर 2020 तक 782 दिनों का ईओटी दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एएलएचडब्ल्यू ने अनुबंध के खंड 3.50.1(v) के अनुसार, कार्य के गैर-निष्पादित मूल्य पर अधिकतम एलडी की गणना की थी। हालांकि, एलडी की अधिकतम राशि को पूरे संविदा मूल्य के 10 *प्रतिशत अर्थात्* ₹ 7.54 करोड़ तक सीमित करते हुए, इसने गलत तरीके से देय एलडी की अधिकतम राशि को कार्य के गैर-निष्पादित मूल्य के 10 *प्रतिशत अर्थात्* ₹ 1.71 करोड़ तक सीमित कर दिया था।

इसके परिणामस्वरूप ₹58,30,845/- तक परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि **तालिका 2.7** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.7: परिसमापन क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण

विवरण	राशि	
111 सप्ताह के लिए कार्य के गैर-निष्पादित मूल्य के 0.5% की दर पर एलडी *अर्थात्* 0.5% x ₹1,71,39,596 x 111	₹ 95,12,476	(ए)
कार्य के गैर-निष्पादित मूल्य के 10% की दर पर एलडी *अर्थात्* ₹1,71,39,596 का 10%	₹ 17,13,960	(बी)
जीसीसी के खंड 3.50.1(v) के अंतर्गत पूरे संविदा मूल्य का 10% *अर्थात्* ₹7,54,48,050 का 10%	₹ 75,44,805	(सी)
डिप्टी सी.ई.-I के कार्यालय द्वारा प्रभारित किया गया एलडी [(ए) और (बी) में से कम]	₹ 17,13,960	(डी)
प्रभारित किया गया एलडी [(ए) और (सी) में से कम]	₹ 75,44,805	(ई)
एलडी का कम उद्ग्रहण [(डी) और (ई) का अंतर]	**₹ 58,30,845**	

विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि अभिकरण से ₹58.31 लाख की एलडी की शेष राशि यथाशीघ्र जमा करने का अनुरोध किया गया है और एक अनुस्मारक भी जारी किया गया है।

मामला जनवरी 2025 में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को अग्रेषित किया गया; उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़

2.4 'सुखना झील का प्रबंधन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

सुखना झील को चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा जून 2020 में एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। हालांकि झील का क्षेत्र हरियाणा तथा पंजाब राज्यों के क्षेत्र के अधीन भी आता है। पर्याप्त खतरे वाली आर्द्रभूमि की पहचान के प्रबंधन तथा विभिन्न पणधारकों के बीच सामान्य समझ को सुनिश्चित किए जाने के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एक एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) तैयार की जानी थी, जिसे सितंबर 2024 तक तैयार नहीं किया गया था। अंतरिम रूप से, विभिन्न विभागों द्वारा असबंद्ध एवं एक-एक करके गाद निकालने, निराई-गुड़ाई तथा निकर्षण के कार्य किए जा रहे थे जबकि झील की गहराई 1956 तथा 2024 के बीच 67 *प्रतिशत* तक कम हो गई थी। जून 2020 के एनजीटी के आदेश के अनुपालन में झील के लिए कोई पुनरुद्धार योजना तैयार नहीं की गई थी तथा एक निर्धारित मानक पर जल गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु सुखना के लिए पानी के 'निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग' को भी घोषित नहीं किया गया था।

दिसंबर 2024 तक, पंजाब सरकार द्वारा सुखना वन्यजीव अभयारण्य को अभी भी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप में घोषित किया जाना शेष था। परिणामस्वरूप, पंजाब राज्य में आ रहे सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के क्षेत्र में ईएसजेड के दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधियों के निषेध एवं विनियमन को कार्यान्वित नहीं किया गया। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के अभाव में पंजाब के दो आस-पास के गाँवों से सारे सीवेज का पानी चण्डीगढ़ वन क्षेत्र में बह रहा था, जो सुखना झील के लिए जलग्रहण क्षेत्र है।

आईएमपी के अभाव में, यूटी प्रशासन आर्द्रभूमि के प्रबंधन हेतु भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका तथा सुखना झील के प्रबंधन पर पूर्ण व्यय चण्डीगढ़ प्रशासन के बजट से किया गया था। चूंकि, चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम (सीआईटीसीओ), जिसे सुखना झील के आसपास गतिविधियों के वाणिज्यिक उपयोग का कार्य सौंपा गया था, तथा चण्डीगढ़ प्रशासन के बीच कोई राजस्व सहभाजन अनुबंध नहीं था इसलिए

सीआईटीसीओ की वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व का भी झील के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता था। सीआईटीसीओ ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के भाग के रूप में सुखना झील के रखरखाव पर कोई व्यय नहीं किया।

सीआईटीसीओ ने चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुमोदन के बिना प्राधिकृत पट्टा अनुबंध से परे खुले स्थान को किराए पर दिया था। इसने किराए पर दी गई दुकान/कियोस्क सबलेट के पट्टा अनुबंध को पंजीकृत नहीं किया था जो न केवल भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में था, जिससे यूटी चण्डीगढ़ को हानि हुई बल्कि विवाद की स्थिति में अनुबंधों को न्यायालय में लागू न करने योग्य बना दिया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- ***झील के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तथा पुनरुद्धार योजना तैयार की जाए ताकि झील के पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में चिंताओं का सभी पणधारकों को शामिल करके एक वैज्ञानिक एवं प्रणालीगत तरीके से समाधान किया जा सके तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके/बाद में उपयोग की जा सके।***
- ***यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण तथा इसके अधीन गठित समितियों को कार्य योजना को विकसित करने तथा उसकी निगरानी करने, सुखना झील के समग्र प्रबंधन हेतु सभी पणधारकों की साझेदारी को सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से बैठक करनी चाहिए।***
- ***यह सुनिश्चित करने हेतु कि झील की परिकल्पित गहराई को पुनः बहाल कर दिया गया है तथा बाढ़ के खतरे को कम कर दिया गया है, नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सुखना झील से गाद निकालने/निकर्षण कार्य के लिए अनुसूची बनाई जाए और इसकी निगरानी की जाए ताकि कार्यकलापों की आवधिकता को सुनिश्चित किया जा सके।***
- ***ईएसजेड की घोषणा तथा एसटीपी के निर्माण से संबंधित मामलों को प्राथमिकता आधार पर पंजाब सरकार के समक्ष उच्च स्तरों पर उठाया जाए।***
- ***सुखना झील में पानी के 'निर्दिष्ट सर्वोतम उपयोग' की घोषणा की जाए तथा***

> ***जल गुणवत्ता का निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग हेतु मानदंड के अनुसार निगरानी तथा अनुरक्षण किया जाए।***
>
> - ***भारतीय स्टाम्प अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों का आवंटित बूथों के पट्टों के प्रबंधन के औपचारिकीकरण में अनुपालन किया जाए तथा सीआईटीसीओ द्वारा स्थान/कियोस्क के अनाधिकृत संचालन की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए।***

2.4.1 प्रस्तावना

शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित सुखना झील चण्डीगढ़ मास्टर प्लान के भाग के रूप में निर्मित एक मानव निर्मित झील है। यह सुखना खाड, शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली एक मौसमी जलधारा पर बांध बनाकर बनाई गई एक तीन कि.मी. की बरसाती झील है तथा दो मुख्य जलधाराएँ, कांसल एवं सकेत्री झील में गिरती हैं। झील उत्तर की तरफ से कैम्बवाला गाँव, पूर्व में वन रोपण एवं कृषीय क्षेत्रों तथा पश्चिम में बोट क्लब से घिरी है। बाँध दक्षिण की ओर है।

सुंदर परिवेश तथा जल क्रीड़ा गतिविधियों एवं बोटिंग के साथ यह झील मनोरंजन, फिटनेस, तंदरुस्ती तथा पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गई है। यह एशियाई रोईंग चैम्पियनशिप का आयोजन स्थल था तथा इसमें एशिया में रोईग एवं नौकायान प्रतियोगिता के लिए सबसे लम्बा चैनल है। यह झील सर्दियों के महीनों में बड़ी सख्या में पक्षियों जैसे साइबेरियन बत्तख, सारस तथा क्रेन के लिए अभयारण्य का काम भी करती है। झील को चण्डीगढ प्रशासन के वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा जून 2020 में आर्द्रभूमि के रुप में अधिसूचित किया गया था। चण्डीगढ़ के प्रशासक यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।

चित्र 1: सुखना झील आर्द्रभूमि का हवाई दृश्य

2.4.1.1 संगठनात्मक ढांचा

यूटी चण्डीगढ़ की सीमा के भीतर आने वाली सुखना झील के प्रबंधन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व चण्डीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों तथा संगठनों द्वारा साझा किया जाता है। निम्नलिखित विभागों को सुखना झील का प्रबंधन एवं रखरखाव सौंपा गया है:

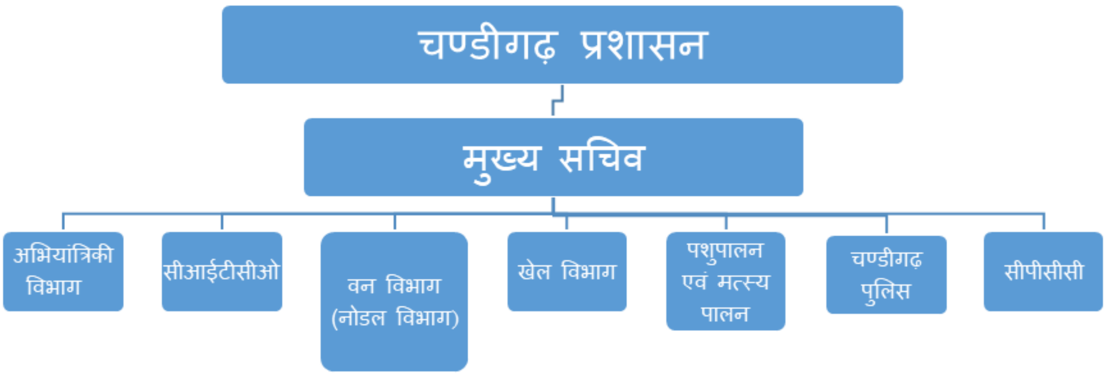

1. **वन एवं वन्य जीव विभाग** नोडल विभाग है तथा कुल जलग्रह क्षेत्र का प्रबंधन, रखरखाव, देखभाल एवं व्याख्यान केन्द्र का रखरखाव करता है।
2. **अभियांत्रिकी विभाग** सड़कों, आरसीसी ट्रेक, सिंथेटिक ट्रेक, पिचिंग, निराई-गुड़ाई, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणाली संचालन, भूदृश्य, चैक पोस्ट, झील खेल

परिसर, बाहरी रेलिंग, तूफानी-जल रेखा तथा पौधों के लिए तृतीयक उपचारित जल के प्रावधान का रखरखाव करता है।

3. **चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम (सीआईटीसीओ)** सुखना झील में नौका चलाने की सुविधाओं, खेल उपकरण/झूलों, अपनी दुकानों पर खाद्य-पदार्थ बेचने तथा सुखना झील पर अन्य दुकानों को किराए पर देने के लिए उत्तरदायी है।

4. **पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग** को झील के पानी की नियमित जाँच तथा आम जनता को मछली पकड़ने का लाईसेंस जारी करने का कार्य सौंपा गया है।

5. **चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी)** सुखना झील में जल प्रदूषण के प्रबंधन, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है।

6. **खेल विभाग** झील खेल परिसर के प्रबंधन तथा सुखना झील में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु उत्तरदायी है।

7. **चण्डीगढ़ पुलिस** सुखना झील में तथा इसके आस-पास बचाव तथा सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है।

2.4.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, मानदंड तथा दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि:

- पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन
- प्रभावी वित्तीय तथा अवसंरचनात्मक प्रबंधन
- निगरानी तंत्र की मौजूदगी तथा प्रभावशीलता

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा के प्रारंभ में 19 सितंबर 2024 को प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा निर्गम सम्मेलन 18 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था।

दस्तावेजों की समीक्षा तथा विश्लेषण हेतु पांच विभागों[39] की लेखापरीक्षा की गई थी। इसके साथ स्वच्छता के जमीनी स्तर, मनोरंजन सुविधाओं की स्थिति तथा चालू अनुरक्षण गतिविधियों के आकलन हेतु वन विभाग तथा सीआईटीसीओ के अधिकारियों के साथ कार्यस्थल निरीक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा मानदंड आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली 2017, राष्ट्रीय जलीय परिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के दिशानिर्देश, जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सांकेतिक दिशानिर्देश, जल (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.2 पर्यावरणीय विनियमों की योजना एवं अनुपालन

पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन में गतिविधियों की योजना तथा निष्पादन का उत्तरदायित्व यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण के समग्र मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अधीन वन एवं वन्य जीव विभाग तथा अभियांत्रिकी विभाग का है। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रतिवेदन के इस भाग में प्रस्तुत किए गए हैं।

2.4.2.1 सुखना झील आर्द्रभूमि के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) तैयार नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु कोई व्यापक एकीकृत दृष्टिकोण नहीं था तथा केन्द्रीय सहायता की मांग भी नहीं की जा सकी

पर्यावरण**,** वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी)**,** ने 2019 में एक केन्द्र प्रायोजित योजना नामतः जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) कार्यान्वित की। एनपीसीए दिशानिर्देश (अप्रैल 2019**)** अधिक खतरे वाली आर्द्रभूमि की पहचान करके प्रबंधन तथा विभिन्न पणधारकों के

---

[39] वन विभाग, अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सीआईटीसीओ तथा खेल विभाग।

बीच प्रबंधन के लिए सामान्य समझ को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) तैयार करने का प्रावधान करता है।

अप्रैल 2019 के दिशानिर्देशों का अनुलग्नक VI प्रावधान करता है कि आईएमपी का उद्देश्य है:

(i) आर्द्रभूमि प्रबंधन के उद्देश्यों की पहचान करना,

(ii) उन घटकों की पहचान करना जो आर्द्रभूमि को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं,

(iii) आर्द्रभूमि में रूचि रखने वाले विभिन्न पणधारकों के बीच विवादों को सुलझाना,

(iv) निगरानी आवश्यकताओं तथा अनुसंधान जरूरतों को परिभाषित करना,

(v) आर्द्रभूमि का प्रबंधन करने हेतु वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने में सहायता करना,

(vi) विभिन्न आर्द्रभूमि प्रबंधकों, संगठनों तथा पणधारकों के बीच संचार को समर्थ बनाना तथा

(vii) मौजूदा कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

एनपीसीए दिशानिर्देशों का पैरा 3.5 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार/यूटी प्रशासन आद्रभूमि के एकीकृत प्रबंधन हेतु एनपीसीए के अंतर्गत वितीय सहायता की मांग कर सकता है। वित्तपोषण आईएमपी के आधार पर किया जाएगा। एमओईएफ एण्ड सीसी केन्द्र सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार अपने द्वारा राज्य/यूटी को वित्तपोषित गतिविधियों की लागत वहन करेगा। वह गतिविधियां जिनके पास वित्तपोषण का कोई वैकल्पिक स्त्रोत नहीं है तथा मुख्य एवं गौण गतिविधियों की सूची के अंतर्गत आते हैं, उन पर एनपीसीए के अंतर्गत वित्तीय सहायता पर विचार किया जा सकता है। समग्र रूप से, मुख्य गतिविधियों को अधिक महत्त्व दिया जाएगा तथा बजट का 75 *प्रतिशत* आवंटित किया जाएगा। गौण गतिविधियाँ समग्र बजट का अधिकतम 25 *प्रतिशत* प्राप्त करेंगी।

आईएमपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहु-चरणीय प्रबंधन योजना प्रक्रिया की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया में प्रमुख आर्द्रभूमि विशेषताओं की स्थिति एवं प्रकृति का मूल्यांकन करने हेतु, यह मूल्यांकित करने के लिए कि मौजूदा

सांस्थानिक प्रबंधन आर्द्रभूमि के लिए खतरों का निपटान करने में पर्याप्त एवं प्रभावी है, मौजूदा डेटा संयोजन एवं संश्लेषण, मापनीय निष्पादन संकेतकों की स्थापना तथा उन संकेतकों की निगरानी शामिल है।

वन विभाग (नोडल विभाग) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि वन विभाग ने सुखना आर्द्रभूमि हेतु आईएमपी तैयार करने के लिए 15 फरवरी 2021 को विश्वव्यापी प्रकृति निधि-भारत (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के साथ एक अनुबंध किया जो 18 महीनों (अगस्त 2022 तक) की अवधि के लिए वैध था। हालांकि आईएमपी तैयार करने का कार्य अभी भी प्रगति में था (सितंबर 2024)।

एक व्यापक एवं एकीकृत कार्य योजना के अभाव में, सुखना झील तथा उसके आस पास संरक्षण गतिविधियाँ इष्टतम एवं महत्वपूर्ण प्रभाव के बिना अपर्याप्त तथा छुट-पुट थीं जैसाकि पैरा 2.4.2.3, 2.4.2.4 तथा 2.4.2.5 में चर्चा की गई है। चूंकि पणधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा ने हरियाणा तथा पंजाब सरकार का अलग-अलग दृष्टिकोण पाया जिसने झील के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया (पैरा 2.4.2.7 देखें)। इस प्रकार, चण्डीगढ़ प्रशासन विभिन्न समस्याओं जैसे कि झील की गहराई में कमी, सुखना झील के बाहर तथा इसके पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से संबंधित निराई-गुड़ाई तथा जल प्रदूषण का एक नियोजित तथा एकीकृत ढंग से निपटान करने में असमर्थ था। लेखापरीक्षा अवधि (2021-24) के दौरान, चण्डीगढ़ प्रशासन (अभियांत्रिकी एवं वन विभाग) द्वारा ₹44.35 करोड़ की राशि का आर्द्रभूमि के प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों पर व्यय किया गया था। आईएमपी तैयार करने तथा गतिविधियों (मुख्य एवं गौण) पर व्यय निर्धारित करने से चण्डीगढ़ प्रशासन एनपीसीए के अंतर्गत एमओईएफ एण्ड सीसी से वित्तीय सहायता मांगने में सक्षम हो जाता।

इंगित किए जाने पर, वन विभाग ने स्वीकार किया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में आईएमपी मसौदा रूप में है तथा विभाग पणधारकों को शामिल करने तथा अनुपालन में सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि आईएमपी तैयार न करने से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले मामलों का निपटान करने हेतु

सभी पणधारकों सहित एक एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी हुई बल्कि केन्द्रीय सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने से भी चण्डीगढ़ प्रशासन वंचित रह गया।

2.4.2.2 सुखना झील के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार न करना

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 'एहतियाती' सिद्धांत तथा 'सतत विकास' सिद्धांत को लागू करने हेतु अपने निर्णय[40] (जून 2020) के माध्यम से सभी राज्यों/यूटी को तीन महीने के भीतर एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार करके सभी जल निकायों के पुनरुद्धार के मौजूदा ढ़ांचे की समीक्षा करने तथा सीपीसीबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सभी राज्यों/यूटी के मुख्य सचिवों को अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले कार्यों में से एक के रूप में जल निकायों के पुनरुद्धार को भी शामिल करना था। *उक्त* निर्देशों के अनुपालन में, यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने आयोजित अपनी तीसरी बैठक (जून 2021) में निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी विभाग को सुखना झील, चण्डीगढ़ के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभियांत्रिकी विभाग ने जून 2020 में एनजीटी के आदेश से चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद भी सुखना झील के लिए एक उपयुक्त पुनरुद्धार योजना विकसित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी। आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई थी।

अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार सभी पुनरुद्धार निर्माण कार्य किए जा रहे थे।

विभाग के उत्तर ने सुनिश्चित किया कि झील के संरक्षण हेतु व्यापक एवं प्रणालीगत योजना की कमी थी।

एकीकृत प्रबंधन योजना तथा साथ ही पुनरुद्धार योजना तैयार न करना यूटी प्रशासक का चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण का अध्यक्ष होने तथा एनजीटी द्वारा यूटी

---

40 सं. 26/2019 ओ.ए.स.-325/2015- निर्णय के पैरा 13 में।

के मुख्य सचिव को सीधे उत्तरदायी ठहराए जाने के बावजूद भी यूटी प्रशासन द्वारा सुखना झील तथा इसके आस-पास के पारिस्थितिकी तंत्र के प्रणालीगत संरक्षण को दिए जाने वाली तत्कालिकता तथा कम प्राथमिकता का सूचक है। आईएमपी के अभाव के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के प्रबंधन हेतु भारत सरकार से सहायता की माँग करने में यूटी अपात्र रहा तथा इसे पूर्ण व्यय को वहन करना पड़ा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि झील के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तथा पुनरुद्धार योजना तैयार की जाए ताकि झील के पारिस्थितिकी तंत्र के सबंध में चिंताओ का सभी पणधारकों को शामिल करके एक वैज्ञानिक तथा प्रणालीगत ढंग से निपटान किया जा सके तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके/बाद में उपयोग की जा सके।

2.4.2.3 झील की गाद-निकालने तथा निराई-गुड़ाई में अनियमितताएं

(i) नियमित रूप से गाद-निकालने में कमी से झील की गहराई में 67 *प्रतिशत* की कमी आई

सीपीसीबी ने पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने, पुनरुद्धार करने तथा पुनर्वास के लिए 'जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु सांकेतिक दिशानिर्देश 2019' प्रदान किया। दिशानिर्देशों ने क्षेत्रों में अभूतपूर्व बाढ़ के कारणों में से एक के रूप में उत्तरोत्तर गाद वृद्धि के कारण कुण्ड में प्राकृतिक जलाशयों की जल धारण क्षमता में कमी की पहचान की।

उपरोक्त दिशानिर्देशों का **पैरा 4.1** प्रावधान करता है कि जल निकाय के पुनरुद्धार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त उपायों को सुनिश्चित करने हेतु एकत्रित ऐतिहासिक जानकारी, डेस्क समीक्षा, किए गए टोही सर्वेक्षण, विस्तृत अंतर विश्लेषण के आधार पर कार्य योजना तैयार की जानी है। **पैरा 4.1 डी** जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु गाद निकालने का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि तालाबों या झीलों में पोषक तत्वों से भरपूर संचित स्लेज को समय-समय पर हटाना भूजल पुनर्भरण क्षमता में वृद्धि, दूषित तलछट को हटाने के साथ-साथ झीलों या तालाबों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने में सहायता करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभियांत्रिकी विभाग ने सुखना झील की आवधिक रूप से गाद निकालने/निकर्षण हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी। विभाग द्वारा 2012 (13 वर्ष पूर्व) में अंतिम बार सुखना झील की गाद निकाली गई थी। आवधिक रूप से गाद निकालने में कमी के कारण झील की गहराई 12.19 मीटर (1956 में) से 56 *प्रतिशत* घटकर 5.33 मीटर (2024 में) हो गई है तथा सुखना झील की औसतन गहराई 9.6 मीटर (1956 में) से 67 *प्रतिशत* घटकर 3.2 मीटर (2024 में) हो गई थी।

इस प्रकार, अभियांत्रिकी विभाग की ओर से सुखना झील की गाद-निकालने/निकर्षण में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप झील की औसतन गहराई में 67 *प्रतिशत* तक की भारी कमी आई थी। इसके अतिरिक्त, झील में पानी की भंडारण क्षमता में कमी से झील के आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी है।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2024) विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सुखना झील से गाद निकालने/निकर्षण के लिए अनुसूची बनाई जाए तथा यह सुनिश्चित करने हेतु की गतिविधियाँ योजना किए गए कैलेंडर के अनुसार आवधिक रूप से की गई है, निगरानी की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि झील की निर्धारित गहराई को पुनःस्थापित कर दिया गया है तथा बाढ़ के खतरे को कम कर दिया गया है।

(ii) वन विभाग द्वारा सुखना झील में अपर्याप्त निराई-गुड़ाई

सीपीसीबी (जून 2019) द्वारा जारी जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु सांकेतिक दिशानिर्देशों का पैरा 4.1 (ई) सघन तथा सघन प्रकार से ढ़के जलीय पौधों के 80 *प्रतिशत* हिस्से के आवधिक निकर्षण का प्रावधान करता है। पैरा 3.3.4 (जून 2019) बताता है कि तालाबों तथा झीलों में उग रहे जलीय पौधे मछली एवं वन्य जीवन के लिए लाभकारी हैं क्योंकि वे मछलियों तथा जल-पक्षियों (प्रवासी पक्षी) को भोजन, घुली हुई ऑक्सीजन तथा अण्डे देने एवं घोंसला बनाने का आवास प्रदान करते हैं। तथापि, शैवाल तथा अन्य पौधों की घनी वृद्धि (झील के सतही क्षेत्र का 20 *प्रतिशत* से अधिक) के कारण (i) मछलियाँ मर सकती हैं; (ii) मछली के

स्वाद की समस्याएं (iii) तालाब के पानी की गंध की समस्या (iv) पेय जल के स्वाद की समस्या तथा (V) मछली की वृद्धि रुक जाना हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने 17 जून 2021 को हुई अपनी तीसरी बैठक में निर्णय लिया कि प्राकृतिक वास सुधार के लिए वन विभाग प्रस्तावित पक्षियों के वास क्षेत्र से खर-पतवार हटवाने की व्यवस्था करेगा तथा अभियांत्रिकी विभाग सुखना झील के शेष क्षेत्र की निराई-गुड़ाई करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि अभियांत्रिकी विभाग झील के आंवटित भाग में वार्षिक रूप से निराई-गुड़ाई कर रहा था, फिर भी प्रस्तावित पक्षियों के वास क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से वन विभाग द्वारा कोई निराई-गुड़ाई नहीं की गई थी। पक्षी वास क्षेत्र में निराई-गुड़ाई का अभाव आर्द्रभूमि की समग्र जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम उत्पन्न करता है।

इसे इंगित किए जाने पर, वन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया परंतु इसके लिए कोई कारण नहीं बताया।

(iii) निराई-गुड़ाई के लिए मशीनी साधनों के बजाए शारिरिक श्रम के उपयोग के कारण ₹6.81 लाख का परिहार्य व्यय: अभियांत्रिकी विभाग

'सुखना झील की निराई-गुड़ाई' के कार्य को प्रारंभ में अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जलीय खर-पतवार कटाई मशीन के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया था। पूरे झील की निराई-गुड़ाई हेतु ई-निविदा अप्रैल 2021 में जारी की गई थी तथा प्राप्त न्यूनतम बोली ₹12.40 लाख की थी। बाद में कार्य को एक ठेकेदार के माध्यम से ₹10.78 लाख की लागत पर मैनुअल श्रम के जरिए करने का निर्णय (मई 2021) लिया गया था तथा 16 जून 2021 को कार्य आवंटित किया गया था। मैनुअल निराई-गुड़ाई 12 जुलाई 2001 तक जारी रही तथा 1,10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में से 69,516 वर्ग मीटर क्षेत्र (लगभग 63 *प्रतिशत*) की निराई-गुड़ाई पूरी की गई जिसके प्रति ठेकेदार को ₹6.81 लाख की राशि जारी की गई थी।

बाद में, पूरे झील के लिए पहले जारी ई-निविदा (अप्रैल 2021) के आधार पर कार्य को मशीन से कराए जाने का निर्णय लिया गया था (18 जून 2021)। निर्णय में

परिवर्तन का कारण यह बताया गया था कि मैनुअल श्रम का उपयोग करके निराई-गुडाई करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी जिसमें कई महीने (छः महीने) लगते जबकि मशीन से निराई-गुड़ाई में केवल एक महीना लगेगा। मशीन से निराई-गुड़ाई के कार्य को अप्रैल 2021 में जारी निविदाओं के प्रति 8 जुलाई 2021 को दूसरे ठेकेदार को सौंपा गया था। मैनुअल श्रम द्वारा पहले से किए गए कार्य को मशीन द्वारा निराई-गुड़ाई हेतु ठेकेदार को सौंपे गए कार्य के क्षेत्र से हटाया नहीं गया था। कार्य को ₹12.40 लाख की लागत पर 13 अगस्त 2021 को पूर्ण किया गया था।

इस प्रकार, पहले अवसर पर ही कार्य को मशीन से कराए जाने के निर्णय की कमी के परिणामस्वरूप मैनुअल निराई-गुड़ाई कार्य के लिए ₹6.81 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि निराई-गुड़ाई का मैनुअल कार्य बांध के साथ उथले क्षेत्र में किया गया था। हालांकि, मशीन से निराई-गुड़ाई का कार्य वन के आस-पास के अलग-क्षेत्र तथा जलग्रह क्षेत्र में किया गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि मशीनी निराई-गुड़ाई हेतु आवंटित ई-निविदा में किसी अलग निर्धारित क्षेत्र का उल्लेख नहीं था। मशीनी निराई-गुड़ाई हेतु जारी आवंटित पत्र के अनुसार कार्य सुखना झील की निराई-गुड़ाई के लिए 30 दिनों के लिए 8 घण्टे प्रतिदिन पर आवंटित किया गया था। कार्य का दोहराव था क्योंकि मैनुअल प्रकार से निराई-गुड़ाई किए गए क्षेत्र को मशीन के माध्यम से सौंपे गए कार्य के क्षेत्र से हटाया नहीं गया था। मशीन से कार्य कराए जाने के लिए पहले ही निविदाएं जारी किए जाने के बावजूद मैनुअल निराई-गुड़ाई की अनुमति देने का निर्णय उचित नहीं था।

2.4.2.4 सुखना झील में पानी के 'निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग' की घोषणा न करना: वन विभाग

सीपीसीबी की 'जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु सांकेतिक दिशानिर्देश' 2019 का पैरा 3 प्रावधान करता है कि पुनरुद्धार चरण (जल निकायों के लिए) में 'निर्दिष्ट

सर्वोतम उपयोग'[41] (डीबीयू) की घोषणा करना तथा निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग की प्रत्येक श्रेणी के मानदंड को पूरा करना शामिल है जैसा एनपीसीए दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-v में बताया गया है। इसके अतिरिक्त पैरा 3.1 के अनुसार राज्य सरकार या यूटी प्रशासन का विभाग, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तालाब, झील, नदी या धारा आती है, को कार्यनीतियाँ तैयार करने तथा ऐसे जल निकाय के पुनरुद्धार, यदि आवश्यक हो, के लिए अपेक्षित उपचार के स्तर को तय करने के लिए अपने डीबीयू की घोषणा करना अपेक्षित है। निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग वाले जल निकायों की सूची को राज्य/यूटी प्रशासन द्वारा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ-साथ एमओईएफ एण्ड सीसी के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा सुखना झील के लिए किसी डीबीयू की घोषणा नहीं की गई थी। यद्यपि सीपीसीसी मासिक तथा त्रैमासिक जल गुणवत्ता जांच करता है फिर भी डीबीयू के अभाव ने सीपीसीसी द्वारा की गई सभी जल गुणवत्ता जांच को सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशिष्ट 'सर्वोत्तम उपयोग' को पूरा करने के लिए जल की गुणवत्ता को प्राप्त करने/बनाए रखने के लिए झील के पुनरूद्धार को आदर्श रूप से कार्यान्वयन को अप्रभावी बना दिया था।

यह भी पाया गया कि जुलाई 2022 के महीने में मछलियों की मृत्यु का एक मामला सामने आया था। विशेषज्ञों द्वारा इसका कारण झील के पानी में घुली ऑक्सीजन (डीओ) का कम होना तथा गाद को बताया गया। वन विभाग को झील से डीओ स्तरों के अतिरिक्त जैव-रसायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी) स्तरों को मापने, नियमित अंतराल पर काई को हटाने तथा बड़ी मछलियों को हटाने की सलाह दी गई थी। बड़ी मछलियों को पकड़ने के अलावा विभाग ने अन्य कोई सुधारात्मक उपाय जैसे कि गाद तथा काई को निकालना, नहीं किया था।

41 डीबीयू शब्द किसी जल निकाय हेतु अपेक्षित उच्चतम गुणवत्ता या शुद्धता मानक को संदर्भित करता है। डीबीयू प्राकृतिक जल निकायों या उनके भागों का विभिन्न उपयोगों के लिए विशिष्ट मानक मानदंडों के अनुसार पुनरुद्धार करने तथा/या बनाए रखने पर लक्षित है।

यह मामला दर्शाता है कि 'निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग' के अभाव तथा उससे संबंधित जल गुणवत्ता मानदंड के परिणामी अभाव में सीपीसीसी द्वारा की गई सभी जांच का उपयोग एक मानक के अनुसार झील के पानी की निगरानी एवं रखरखाव करने या ऐसी किसी घटना के कारणों का विश्लेषण करने हेतु नहीं किया जा सका जो पारिस्थितिकी स्थितियों में संभावित गिरावट या जोखिम को दर्शाता है।

इसे इंगित किए जाने पर, वन विभाग (नोडल विभाग) ने कोई उत्तर नहीं दिया जबकि सीपीसीसी ने बताया (अक्तूबर 2024) कि वह सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार जल की गुणवत्ता जाँच कर रहा था।

बिना किसी मानक मानदंड बनाए की गई सभी जाँच मात्र एक औपचारिकता है और यह किसी उद्देश्य को पूरा नही करती हैं।

2.4.2.5 एनपीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवासी पक्षियों के आधारभूत डेटा का गैर-अनुरक्षण: वन विभाग

एमओईएफ एण्ड सीसी द्वारा जारी एनपीसीए दिशानिर्देश आर्द्रभूमि निगरानी हेतु मानदंड प्रदान करते हैं जिसमें मुख्य रूप से आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रजातियों के समूहों (जैसे कि जल पक्षी, स्तनधारी *आदि*) की आबादी की मध्य-शीतकालीन गणना तथा मुख्य प्रजातियों द्वारा उपयोग किए गए प्राकृतिक वास का भौतिक सर्वेक्षण, प्राकृतिक वास के रूप में आर्द्रभूमि का उपयोग कर रही प्रवासी प्रजातियों की संख्या तथा आक्रामक मैक्रोफाइट[42] के अंतर्गत निवास स्थान और क्षेत्र शामिल है। इन कार्यों को वर्ष में एक बार किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सुखना झील को जून 2020 में आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वन विभाग को एनपीसीए के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, उसी वर्ष के मध्य-शीतकालीन के दौरान प्रवासी पक्षियों का एक आधारभूत डेटा तैयार करना था। यह डेटा उनके आबादी आकार के परिवर्तन के कारणों, उनकी प्रजातियों तथा स्थान, जहाँ से उन्होंने पलायन किया है, का निर्धारण

---

42 इनवेसिव मैक्रोफाइट पानी के बाहर के पौधे हैं जो तेजी से फैलते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

करने के लिए आवश्यक था। तथापि, वन विभाग ने दो वर्षों से अधिक के विलंब के पश्चात मई 2023 में जाकर ही 50 प्रजातियों के 919 पक्षियों की कुल गणना वाले आठ स्थानों पर केन्द्र गणना[43] के लिए डेटा शीट पर प्रवासी पक्षियों का आधारभूत डेटा तैयार किया। इसके अतिरिक्त, गणना ग्रीष्मकाल के दौरान की गई थी (मई 2023) जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं थी जिसमें गणना मध्य-शीतकालीन में की जानी थी। डेटा शीट में इनवेसिव मैक्रोफाईट के अंतर्गत क्षेत्र पर डेटा भी नहीं था।

वन विभाग ने मई 2023 के पश्चात निर्धारित वार्षिक पक्षी गणना नहीं की थी। प्रवासी पक्षियों पर अनुवर्ती डेटा सेट की अनुपलब्धता के कारण आबादी आकार में परिवर्तनों, उनकी प्रजातियों तथा स्थान जहाँ से उन्होनें पलायन किया है, का पता लगाने तथा ऐसे किसी परिवर्तनों के कारणों का निपटान करने का कोई तरीका नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2024) वन विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा यह बताया (मई 2025) कि आधारभूत डेटा एनपीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

पर्याप्त डेटा सेट की कमी के कारण आर्द्रभूमि की निगरानी अपर्याप्त रही।

2.4.2.6 आर्द्रभूमि की निगरानी का अपर्याप्त निर्देशन

जैसा कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से देखा जा सकता है कि सुखना आर्द्रभूमि के संरक्षण का दृष्टिकोण *तदर्थ* था तथा उसमें व्यापक, अनुकूल दृष्किोण की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता यूटी प्रशासक द्वारा की जाती है तथा विभिन्न विभागों के सचिव इसके सदस्य होने के नाते, (i) कार्यनीतियाँ परिभाषित करने (ii) आईएमपी की समीक्षा करने, (iii) मौजूदा योजनाओं के साथ आईएमपी के अभिसरण हेतु तंत्र की पहचान करने तथा

---

[43] नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के विशिष्ट क्षेत्र में पक्षी गणना-2012 के अनुसार केन्द्र-गणना निगरानी पक्षी आबादी की निगरानी का एक आम तरीका है। इसकी विशेषता है कि विशिष्ट, बार-बार अवलोकन अवधि के दौरान निश्चित स्थान पर पाए गए सभी पक्षियों की गणना की जाती है।

(iv) पणधारकों तथा स्थानीय समुदायों में जागरुकता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। इस प्राधिकरण को एक वर्ष में तीन बार बैठक करना अनिवार्य था। तथापि 2020-24 की अवधि के दौरान अनिवार्य नौ बैठकों के प्रति केवल एक बैठक की गई थी। आर्द्रभूमि प्राधिकरण की संदर्भित तकनीकी मामलों पर उसको सलाह देने के लिए अगस्त 2018 में गठित एक तकनीकी समिति ने प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करने के अधिदेश के प्रति 2021-24 की अवधि के दौरान एक बार भी बैठक नहीं की थी।

इस प्रकार, शीर्ष स्तर पर निर्देशन तथा निगरानी की कमी थी जिसके कारण आर्द्रभूमि का अनुरक्षण तथा रखरखाव कई अभिकरणों द्वारा अव्यवस्थित प्रकार से तथा टुकड़ों में किया जा रहा था। यह आर्द्रभूमि के एकीकृत प्रबंधन हेतु एनपीसीए के अंतर्गत केंद्रीय सहायता हेतु आवेदन करने में प्रशासन के असमर्थ होने का कारण भी बना।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सुखना झील के समग्र प्रबंधन हेतु सभी पणधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने एवं निगरानी करने के लिए आर्द्रभूमि प्राधिकरण तथा इसके अधीन गठित समितियों को नियमित रुप से बैठक करनी चाहिए।

2.4.2.7 पंजाब राज्य सरकार के साथ अनिर्णीत मामले जो सुखना झील के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं

(i) 2031 के लिए चण्डीगढ़ के मास्टर प्लान (अप्रैल 2015 में अधिसूचित) ने प्रावधान किया कि सुखना वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए पंजाब तथा हरियाणा सरकारों के सहयोग से इसके आस पास के क्षेत्र को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। एमओईएफ एण्ड सीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इस क्षेत्र में केवल पारिस्थितिकी रूप से अनुकूल भूमि उपयोगों तथा गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

वन विभाग का कार्यालय, यूटी, चण्डीगढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जबकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा[44] राज्य में सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित किया था, फिर भी पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य के सुखना वन्य जीव अभिसरण के आस पास के क्षेत्र को दिसंबर 2024 तक ईएसजेड के रूप में घोषित नहीं किया था।

पंजाब सरकार द्वारा ईएसजेड की घोषणा न करने के कारण उन गतिविधियों जिनकी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी, के निषेध एवं विनियमन को पंजाब राज्य में आ रहे सुखना वन्य जीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर (जनवरी 2025) वन एवं वन्यजीव विभाग, पंजाब ने बताया (फरवरी 2025) कि ईएसजेड की घोषणा से संबंधित मामला पंजाब सरकार के विचाराधीन था।

मामला अध्ययन

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मेसर्स टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी ने ग्राम कंसल (पंजाब) में टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हेतु आवेदन किया था (फरवरी 2011)। वन एवं वन्यजीव विभाग चण्डीगढ़ द्वारा इस आधार पर एनओसी के लिए मना कर दिया गया था (अप्रैल 2011) कि परियोजना सुखना झील के जलग्रह-क्षेत्र में आती है तथा इससे सुखना वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति एवं जीव पर प्रतिकूल/नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि वन विभाग चण्डीगढ़ द्वारा जलग्रह क्षेत्र में परियोजना हेतु एनओसी को अस्वीकार करने के बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पंजाब ने प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की। बाद में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय (05 नवम्बर 2019) लिया था कि टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना को सुखना झील के जलग्रह क्षेत्र में बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

---

[44] हरियाणा राज्य में सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को अधिसूचना दिनाँक 11 नवंबर 2024 के माध्यम से सुखना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

वन विभाग, चण्डीगढ़ का कार्य सुखना वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति एवं जीव पर प्रतिकूल प्रभाव से इसे बचाने के हित में था परंतु चूंकि पंजाब सरकार द्वारा सुखना झील के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया था इसलिए भविष्य में किसी ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना सुखना आर्द्रभूमि तथा अभयारण्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा इसे ईएसजेड घोषित करके इसका सर्वोत्तम समाधान हो सकता है।

(ii) चण्डीगढ़ प्रशासन ने सुखना झील को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 के अंतर्गत आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया (जून 2020)। इस अधिसूचना की अनुसूची-II सुखना आर्द्रभूमि तथा यूटी चण्डीगढ़ की सीमा के भीतर आ रहे इसके प्रभाव क्षेत्र में वर्जित गतिविधियों का प्रावधान किया गया। यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण तथा एमओईएफ एण्ड सीसी इस अधिसूचना के प्रावधानों के प्रवर्तन की निगरानी करेंगे।

जलग्रह क्षेत्र/प्रभावित क्षेत्र में अनुपचारित व्यर्थ पानी (जो अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों को पूरा नहीं करता था) छोड़ना एक वर्जित गतिविधि थी। इसके अतिरिक्त, यूटी चण्डीगढ़ आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तीसरी बैठक (जून 2021) में यह निर्णय लिया गया था कि वन विभाग सुखना झील से सटे पंजाब के नयागांव तथा कंसल गाँव के सीवेज के निपटान को रोकने के लिए पंजाब सरकार के साथ मामले को उठाएगा, विशेषकर तब जब हरियाणा सरकार में इसके निकटवर्ती गांव साकेत्री में (एसटीपी) चालू कर दिया गया हो।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई एसटीपी नहीं था तथा सीवेज का सारा पानी चण्डीगढ़ वन क्षेत्र, जो सुखना झील का जलग्रह क्षेत्र था, में बहना जारी था।

नोडल विभाग अर्थात वन विभाग, यूटी चण्डीगढ़ ने बताया (सितंबर 2024) कि पंजाब सरकार को मामले का समाधान करने के लिए बार-बार अनुरोधों के बावजूद भी कोई कार्रवाई/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर को इस तथ्य को ध्यान से रखकर देखा जाए कि पंजाब के सटे गांव से अनुपचारित सीवेज को सुखना झील में छोड़ा जाना जारी है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि ईएसजेड की घोषणा तथा एसटीपी के निर्माण से संबंधित मामलों को प्राथमिकता आधार पर पंजाब सरकार के साथ उच्च स्तरों पर उठाया जाए।

2.4.3 सुखना झील में वित्तीय प्रबंधन तथा वाणिज्यिक गतिविधियाँ

झील के रखरखाव पर अधिकांश व्यय चण्डीगढ़ प्रशासन के बजट, मुख्यतः वन एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया था। सीआईटीसीओ सुखना झील में तथा उसके आस पास वाणिज्यिक गतिविधियाँ करने के लिए उत्तरदायी था फिर भी इसने झील के रखरखाव पर कोई व्यय नहीं किया था तथा इसके द्वारा किया गया व्यय इसके द्वारा किराए पर दिए गए वाणिज्यिक स्थानों के रखरखाव तक सीमित था। सुखना झील के संबंध में राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.8** में प्रस्तुत किया गया हैः

तालिका 2.8: वर्षवार राजस्व तथा व्यय

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)		
	सरकारी विभाग				
1.	अभियांत्रिकी विभाग, चण्डीगढ़	2021-22 2022-23 2023-24	112.18 204.96 297.18	0.06 0.04 0.95	सरकारी भवनों के समग्र अनुरक्षण शीर्ष (गैर-योजनागत शीर्ष 2059 अनुरक्षण एवं मरम्मत) से किया गया व्यय
		कुल	**614.32**	**1.05**	
2.	वन विभाग, चण्डीगढ़	2021-22 2022-23 2023-24	1000.00 1586.00 1235.00	-	
		कुल	**3821.00**	**-**	
3.	पशुपालन एवं मत्स्य पालन, चण्डीगढ़	2021-22 2022-23 2023-24	-	01.85 34.93 01.71	सुखना झील में मत्स्य पालन अधिकार से राजस्व
		कुल	**-**	**38.49**	

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	अभ्युक्तियाँ
	अन्य संस्थान				
4.	सीआईटीसीओ (पर्यटन)*	2021-22 2022-23 2023-24	72.26 248.99 249.56	1062.58 1574.12 1654.10	निगम की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया व्यय
		कुल	**570.81**	**4290.80**	
5.	झील खेल परिसर*	2021-22 2022-23 2023-24	152.92 186.31 161.64	169.65 210.38 130.40	झील खेल परिसर द्वारा राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया व्यय
		कुल	**500.87**	**510.43**	
		कुल योग	**5507.00**	**4840.77**	

** झील खेल परिसर तथा सीआईटीसीओ अपनी स्वयं की आय से व्यय कर रहे हैं।*

तालिका से यह स्पष्ट है कि चण्डीगढ़ प्रशासन के वन एवं अभियांत्रिकी विभाग ने 2021-2024 की अवधि के दौरान, सुखना आर्द्रभूमि के रखरखाव के लिए ₹0.4 करोड़ के राजस्व प्राप्ति के प्रति लगभग ₹44.35 करोड़ का कुल व्यय किया। इसकी तुलना में, सीआईटीसीओ ने ₹42.91 करोड़ का राजस्व अर्जित किया तथा झील के संरक्षण/पुनरुद्धार पर कोई राशि व्यय नहीं की थी। अर्जित राजस्व का लगभग 13 *प्रतिशत* ₹5.71 करोड़ का व्यय सीआईटीसीओ द्वारा आवंटित स्थान/दुकानों के संचालन एवं रखरखाव पर किया गया था।

यह भी पाया गया था कि झील के रखरखाव के लिए कोई अलग बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा झील के रखरखाव पर व्यय अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शीर्ष 'लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत किया जाता था।

लेखापरीक्षा में सुखना झील के आसपास गतिविधियों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के संबंध में चण्डीगढ़ प्रशासन की ओर से कई कमियाँ पाई गईं। चण्डीगढ़ प्रशासन तथा सीआईटीसीओ के बीच किसी राजस्व सहभाजन अनुबंध की कमी के कारण सीआईटीसीओ द्वारा अर्जित राजस्व तथा रखरखाव पर किए गए व्यय में मेल नहीं था। सीआईटीसीओ ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के अंतर्गत भी झील के रखरखाव के प्रति योगदान नहीं दिया था। सीआईटीसीओ ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम (पैरा 2.4.3.2) के अनुसार उपयुक्त पंजीकरण के

बिना दुकानों/कियोस्क को किराए पर दिया था जिसके कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण राजस्व की हानि हुई तथा चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुमोदन (पैरा 2.4.3.1) के बिना प्राधिकृत पट्टा अनुबंध के परे खुले स्थान पर दुकानें/कियोस्क किराए पर दिए।

2.4.3.1 सीआईटीसीओ द्वारा चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुमोदन के बिना जॉय राईड के लिए सात कियोस्क/कांउटर/खुले स्थान का निर्माण तथा किराए पर देना

चण्डीगढ़ प्रशासन ने ₹1 प्रति वर्ष की नाममात्र दर पर 99 वर्षों की अवधि के लिए सीआईटीसीओ को सुखना झील पर लेक कैफेटेरिया तथा कैफेटेरिया के निकट आठ बूथों के नियंत्रण का हस्तांतरण किया (अप्रैल एवं मई 1991)।

लेक क्लब, यूटी चण्डीगढ़ की परिसंपत्तियों[45] तथा देयताओं[46] सहित, इसके सार्वजनिक भाग का प्रशासनिक नियंत्रण सीआईटीसीओ के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम के अधीन शामिल पर्यटन गतिविधियों का एक भाग होने के नाते सीआईटीसीओ को हस्तातंरित किया गया था (अप्रैल 1993) जो सीआईटीसीओ को पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को विकसित करने, पट्टे पर देने, बंधक रखने तथा ऐसा कोई व्यापार या व्यवसाय, जो इसकी कीमत को बढ़ाए या इसे लाभदायक बनाए, करने की अनुमति देता है।

(चित्र 2: स्थान के अनाधिकृत कब्जे एवं स्टाल/कांउटर/एम्यूजमेंट पार्क चलाने को दर्शाने वाली फोटो)

पट्टा अनुबंध में खुले स्थान या अतिरिक्त कियोस्क के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टा अनुबंध के प्राधिकार से हटकर

45 उपकरण जैसे कि 37 नाव तथा जेटी।

46 स्टाफ जैसे कि क्लर्क, मोटर बोट ड्राईवर, बढ़ई, लाइफगार्ड के वेतन एवं भत्ते।

सीआईटीसीओ द्वारा चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुमोदन के बिना निजी विक्रेता को तीन वर्षों की अवधि के लिए नौ अतिरिक्त काउंटर/कियोस्क, मनोरंजन गतिविधियों तथा एक एटीएम संचालित करने हेतु खुले स्थान को किराए पर दिया गया था। सीआईटीसीओ ने 2021-2024 की अवधि के दौरान इन गतिविधियों से लाइसेंस शुल्क के आधार पर ₹487.37 लाख का राजस्व अर्जित किया **(अनुलग्नक-2.9)**। तथापि, सीआईटीसीओ द्वारा अर्जित किसी भी राजस्व का चण्डीगढ़ प्रशासन तथा सीआईटीसीओ के बीच किसी राजस्व विभाजन अनुबंध के अभाव के कारण झील के रखरखाव पर उपयोग नहीं किया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर, सीआईटीसीओ ने बताया (नवंबर 2024) कि इसको सुखना झील पर आठ बूथों तथा कैफेटेरिया का हस्तांतरण इस शर्त पर किया गया था कि कथित संपत्ति के रखरखाव पर व्यय निगम द्वारा किया जाना था। इस प्रकार, सीआईटीसीओ इस संपत्ति के मामलों *अर्थात* बूथों का आवंटन *आदि* संभाल रहा था तथा कथित संपत्ति के रखरखाव पर व्यय भी कर रहा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि हस्तांतरण आदेश में निजी अभिकरणों को खुले स्थान को किराए पर देने का कोई खंड नहीं था तथा कियोस्क के निर्माण और उनको निजी दलों को किराए पर देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से नियमितीकरण की आवश्यकता है।

2.4.3.2 पट्टा विलेख के गैर-निष्पादन तथा पट्टा अनुबंध के गैर-पंजीकरण के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के कारण ₹7.87 लाख के राजस्व की हानि हुई

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(i)(डी) के अंतर्गत अचल संपत्ति के वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के पट्टे या वार्षिक किराया आरक्षित करने को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है। दस्तावेज विषय के मूल्य/किराए की राशि के एक *प्रतिशत* पर अचल संपत्ति के पट्टे के पंजीकरण की दर को चण्डीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना (मई 2006) के माध्यम से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1994 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 35(ए) (ii) में वहाँ आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि या मूल्य के

लिए पट्टा विलेख पर दो *प्रतिशत* के स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान है जहाँ पट्टा एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए होना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीआईटीसीओ ने आठ बूथों/दुकानों तथा 6 खुले कियोस्क/खुले स्थानों को तीन/चार वर्षों की अवधि के लिए निजी विक्रेताओं को इन बूथों/दुकानें/खुले स्थानों को चलाने के लिए किराए पर दिया था। इन निजी विक्रेताओं के साथ किराया अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों में लाईसेंसधारी के लिए पट्टा विलेख के रूप में दस्तावेज/अनुबंधों को उप-पंजीयक, चण्डीगढ़ के पास पंजीकृत कराने की कोई शर्त शामिल नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप चण्डीगढ़ प्रशासन को पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क के कारण कुल ₹7.87 लाख[47] **(अनुलग्नक-2.10)** के राजस्व की हानि हुई। राजकोष को राजस्व की हानि के अतिरिक्त, भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लाईसेंसधारी द्वारा पट्टा विलेख का गैर-निष्पादन मुकदमेबाजी का संभावित खतरा हो सकता था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों का आवंटित बूथों के पट्टे की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए अनुपालन किया जाए तथा सीआईटीसीओ द्वारा स्थान/कियोस्क के अप्राधिकृत संचालन की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए।

2.4.3.3 ₹53.88 लाख के पट्टा किराया की गैर-वसूली

सीआईटीसीओ ने सुखना लेकव्यू, चण्डीगढ़ के परिसर में व्यवसाय करने के लिए तीन से चार वर्षों के आधार पर निजी विक्रेताओं' को लाईसेंस प्रदान किए थे। संविदा शर्त के अनुसार, लाईसेंसधारी को सहमत मासिक लाईसेंस शुल्क और जीएसटी के प्रति सीआईटीसीओ को प्रत्येक माह की 7 तिथि तक किराया अदा करना होगा। यदि मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई चूक होती है तो देय

47 (₹6.63 लाख स्टाम्प शुल्क के रूप में + ₹1.24 लाख पंजीकरण शुल्क के रूप में)।

तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 18 *प्रतिशत* की दर पर ब्याज लगाया जाएगा।

सीआईटीसीओ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 10 लाईसेंसधारियों ने मई 2021, जून 2021 तथा जनवरी 2022 के महीनों के लिए कुल ₹36.42 लाख का मासिक लाईसेंस शुल्क तथा कुल ₹17.46 लाख का दण्डात्मक ब्याज जमा नहीं किया था **(अनुलग्नक-2.11)**। सीआईटीसीओ ने लंबित लाइसेंस शुल्क को वसूल करने हेतु न तो कोई कार्रवाई की थी और न ही कोविड को देखते हुए लाईसेंस शुल्क को माफ करने का कोई निर्णय लिया था जैसा कि विक्रेताओं द्वारा अनुरोध किया गया था।

इंगित किए जाने पर, सीआईटीसीओ ने बताया (नवंबर 2024) कि उक्त मामला विचाराधीन थी तथा सीआईटीसीओ प्राधिकारियों द्वारा अभी भी इस संबंध में निर्णय किया जाना था। इस प्रकार, जनवरी 2022 से सीआईटीसीओ द्वारा निर्णय के अभाव का परिणाम लाईसेंसधारियों से ₹53.88 लाख की गैर-वसूली में हुआ था।

उपरोक्त पैराओं से यह स्पष्ट है कि विक्रेताओं के साथ किए गए पट्टा अनुबंधों को भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप न केवल स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क के कारण राजस्व की हानि हुई बल्कि इन विक्रेताओं द्वारा किराए के भुगतान में भी चूक हुई तथा अनुबंध भी वैध प्रवर्तनीय कानूनी दस्तावेज नहीं थे।

2.4.3.4 खेल विभाग द्वारा लेक खेल परिसर के ₹56.06 लाख के सदस्यता शुल्क की गैर-वसूली

सुखना झील पर लेक खेल परिसर में स्थायी सदस्यों को उपयोगकर्ता-एकमुश्त शुल्क (ओटीएफ) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चण्डीगढ़ खेल परिषद (सीएससी) द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2006) प्रावधानों के अनुसार ओटीएफ श्रेणी के सदस्य मासिक अंशदान अदा करने से छूट प्राप्त हैं परंतु उन्हें ₹200 प्रतिमाह (जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाना है) की दर पर श्रेणी रखरखाव शुल्क (सीएमएफ) अदा करना अपेक्षित है। यदि बकाया सीएमएफ राशि का कोई भी

बकाया इसके देय होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर अदत्त रहता है तो उपभोगता की सदस्यता को स्वतः समाप्त माना जाएगा।

लेक खेल परिसर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि कुल 968 सक्रिय ओटीएफ श्रेणी के सदस्यों में से 391 सदस्य छः माह से अधिक की अवधि के लिए कुल ₹55.58 लाख की अपनी सीएमएफ जमा नहीं कर रहे थे, जिनकी उपयोगकर्ता श्रेणी की स्वतः समाप्ति अपेक्षित है तथा 79 सदस्यों को 1 से 5 महीनों के बीच की अवधि *अर्थात्* छः माह से कम के लिए कुल ₹0.48 लाख की सीएमएफ राशि अदा करने में चूककर्ता पाया गया था। तथापि, सीएससी द्वारा सभी 470 चूककर्ता सदस्यों से ₹56.06 लाख की बकाया राशि की वसूली या इन उपयोगकर्ता की सदस्यता को समाप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। भुगतान न करने वाले सदस्यों को लेक खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग करने से रोकने के लिए सीएससी उपयुक्त अभिलेख का अनुरक्षण भी नहीं कर रहा था।

इंगित किए जाने पर चण्डीगढ़ खेल परिसर ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्तूबर 2024) तथा यह बताया कि वे सभी चूककर्ता सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करेंगे।

उत्तर में चूककर्ता सदस्यों से ₹56.06 लाख के लंबित शुल्क की वसूली हेतु प्रस्तावित कार्रवाई पर कुछ नहीं बताया गया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि आजीवन सदस्यता की समीक्षा की जाए तथा चूककर्ताओं से लंबित शुल्क की वसूली हेतु प्रयास किए जाएं।

2.4.4 झील साइट पर बचाव एवं सुरक्षा

2.4.4.1 नाव संचालन में बचाव एवं सुरक्षा उपाय

सुखना झील में नाव[48] संचालन का उत्तरदायित्व सीआईटीसीओ का है तथा वह पणधारकों में से एक है। लेखापरीक्षा ने सुखना झील में नाव संचालन करने में

[48] 123 गैर-यांत्रिक नाव (दो या चार सीटों वाली गैर-यांत्रिक पैडल वाली नाव), चार शिकारा तथा तीन यांत्रिक नाव।

सीआईटीसीओ तथा नोडल कार्यालय द्वारा अपनाए जाने वाले बचाव एवं सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित कमियाँ पाईं।

(i) नौका सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2017[49] का पैरा 5.3 प्रावधान करता है कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के रूप में प्रत्येक पणधारक[50]/प्रतिष्ठान के उत्तरदायित्व पहले से ही निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर नाव हादसे के दौरान बचाव योजना के विकास के दौरान विचार किए जाने की आवश्यकता है जैसे कि (i) विभाग विशिष्ट स्वनिर्धारित कार्य योजना बनाना, (ii) बचाव अभियानों में सभी पणधारकों की तैयारी की योजना बनाना, (iii) स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वित प्रयासों/संयुक्त साझेदारी सहित आपातकाल/बचाव एवं राहत उपकरण/संसाधनों की सूची तैयार करना, (iv) किसी भी आकस्मिक/आपातकालीन/ संकट संकेत के मामले में जान बचाने के लिए पैरा/सशस्त्र सैन्य बलों सहित पुलिस।

(ii) पैरा 3.4.1 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक नाव में ले जाने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अनुमोदित जीवन रक्षक उपकरण होने चाहिए। आगे यह भी प्रावधान करता है कि लाइफ जैकेट (शिशु/बच्चे/वयस्क) को उनके वजन या ऊंचाई या वजन एवं ऊंचाई दोनों से चिन्हित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शिशु या बच्चे की लाइफ जैकेट को आकार सीमा तथा 'शिशु' या 'बच्चे' के चिन्ह से चिन्हित किया जाएगा।

(iii) पैरा 5.2.3 यह प्रावधान करता है कि सभी पणधारकों की नियमित मॉक ड्रिल तथा सर्वोतम अभ्यास होने चाहिए। उससे विभागों को प्रशिक्षण को बेहतर बनाने, कर्मियों को जानने, भविष्य के लिए सीख लेने, खोज एवं बचाव कार्यों से निपटने के लिए विभिन्न अभिकरणों तथा पणधारकों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

---

49 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार द्वारा जारी।

50 राज्य सरकारें, नाव मालिक/संचालक, प्रशिक्षण प्रदाता, नाव उद्योग संघ आदि जैसा नौका सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2017 के पैरा 1.4 में परिभाषित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीआईटीसीओ ने एक प्रचालक के रूप में निम्नानुसार अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था:

- कोई नाव पलटने के मामले में एसओपी हेतु कोई बचाव/संचालन योजना विकसित नहीं की गई थी। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुखना झील के पास कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था।
- लाइफ जैकेट (शिशु/बच्चे/वयस्क) उनके भार या ऊंचाई तथा आकार सीमा जिसमें 'शिशु' या 'बच्चे' का चिन्ह हो, से चिन्हित नहीं किया गया था।
- खोज/बचाव तैयारी के परीक्षण तथा ऐसी आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया में कमियों की पहचान करने के लिए कोई मॉक ड्रिल नहीं की गई थी।

प्रचालक *अर्थात्* सीआईटीसीओ ने इन प्रणालियों को स्थापित नहीं किया था तथा नोडल विभाग (वन विभाग) ने भी इसकी निगरानी नहीं की थी।

इसे इंगित किए जाने पर, सीआईटीसीओ/नोडल विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि एसओपी तथा बचाव योजना से संबंधित मामले को मार्च एवं अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ उठाया गया था। उन्होंने आगे बताया कि लक्जरी नाव के लाइसेंसधारी को निर्देश जारी कर दिए गए थे कि क्रूज के संचालन के दौरान लाइफ जैकेट अनिवार्य थीं तथा लाइफ जैकेट के बिना किसी भी यात्री को नाव मे चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वन विभाग ने स्वीकार किया (दिसबंर 2024) कि 2021-24 के दौरान आपदा प्रबंधन के संबंध में कोई मॉक ड्रिल नहीं की गई थी।

सीआईटीसीओ के उत्तर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि की कि बोटिंग तथा अन्य गतिविधियाँ एनडीएमए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में बिना किसी एसओपी के संचालित की जा रही थी। इस उल्लंघन के परिणामस्वरुप किसी भी आपातकाल के मामले में भ्रम तथा विलंबित प्रतिक्रिया हो सकती है तथा यह जानलेवा भी हो सकता है।

(चित्र 3: विभिन्न शारीरिक आकारों के लिए आकार एवं वजन के स्पष्ट चिन्हों के बिना लाइफ जैकेट)

गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट जनवरी 2025 में जारी की गई थी, उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव (डीडी)

सरकारी अस्पताल दमन

2.5 परिहार्य व्यय

सरकारी अस्पताल, दमन ने बिलिंग मांग के अनुबंधित बिजली मांग से अधिक होने के कारण जुर्माना प्रभारों पर ₹95.24 लाख का परिहार्य भुगतान किया।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 21 के अनुसार, सार्वजनिक धन से व्यय करने अथवा प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए तथा वित्तीय व्यवस्था और सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यय प्रत्यक्षतः अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

सरकारी अस्पताल, मारवाड़, दमन के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि अस्पताल के पास विद्युत आपूर्ति के लिए 100 केवीए की एक संविदा

मांग के साथ एक हाई टेंशन (एचटी) कनेक्शन[51] था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2018 से मार्च 2024 तक, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 तथा जनवरी 2021 को छोडकर, बिजली के बिलों में बिलिंग मांग 100 केवीए की संविदा मांग से अधिक थी। परिणामस्वरूप, अस्पताल को 'मांग प्रभार तथा उर्जा प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत इन प्रभारों पर लागू सामान्य दर से दोगुना दर पर जुर्माना प्रभार अदा करना पड़ा।

इन जुर्माना प्रभारों के प्रति भुगतानों का परिणाम ₹95.24 लाख[52] (**अनुलग्नक 2.12**[53] में विवरण दिया गया है) के परिहार्य व्यय में हुआ जिससे मार्च 2018 से लगातार अधिक आवश्यकता को देखते हुए उच्च संविदा मांग का विकल्प चुनकर बचा जा सकता था।

अस्पताल ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि नए विशेषज्ञ की नियुक्ति, बेड की संख्या 120 से बढ़ाकर 185 करने, परिसर में प्रशासन, डीईआईसी, नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास के शुरु होने से संविदा मांग में वृद्धि हुई। इन्होंनें आगे बताया कि मौजूदा अस्पताल को गिराकर 300-बेड की नई सुविधा का निर्माण करने का कार्य जनवरी 2020 में प्रारंभ होने के कारण संविदा मांग में कमी होने की अपेक्षा थी, जिसमें सरकारी अस्पताल दमन के मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), मोती दमन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शामिल था और इसलिए संविदा मांग बढ़ाने का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के कारण अस्पताल में सेवाएं जारी रहीं एवं चूक से संविदा मांग बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अस्पताल का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अस्पताल ने बेड की संख्या 120 से 185 तक बढ़ाने के समय संविदात्मक मांग के उन्नयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। अस्पताल को तोड़ने और तत्पश्चात् दूसरे भवन में स्थानांतरित करने जो जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, के संबंध में मार्च 2018 से लगातार मांग में वृद्धि

---

51 ग्राहक सं. 743000043 वाला।

52 (₹14654258+₹4394180= ₹1,90,48,438/2): ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों पर जुर्माना।

53 जुलाई 2018, जुलाई 2019 के बिलों तथा 17 महिनों के बिलों के अनुलग्नकों जिन पर ऊर्जा प्रभारों पर जुर्माना निर्धारित करना अपेक्षित था, विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

देखी गई (संभवतः उससे पहले भी[54]) और यह दिसंबर 2023 तक जारी रही *अर्थात्* जनवरी 2020 के बाद भी, जिसमें कोविड के बाद की अवधि भी शामिल थी। हालांकि, अस्पताल ने उस अवधि के दौरान जुर्माना प्रभारों के कारण अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए आवधिक रूप से वास्तविक मांग का निर्धारण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।

जैसा कि स्वीकृत किया गया है, वास्तविक मांग का निर्धारण करने में चूक हुई है जिसके परिणामस्वरूप बिजली प्रभारों के प्रति ₹95.24 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

यह मामला गृह मंत्रालय (एमएचए) सहित यूटी दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (जुलाई 2024) के प्रशासन को प्रेषित प्रतिलिपि के साथ सूचित किया गया था। उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

---

[54] मार्च 2018 से पूर्व मांग में वृद्धि को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि अस्पताल द्वारा मार्च 2018 से पूर्व अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अध्याय - III : विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश (राजस्व क्षेत्र)

इस अध्याय में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़

3.1 'उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, यूटी, चण्डीगढ़ के संबंध में मूल्य वर्धित कर (वैट) में विरासती मुद्दे' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)।

यूटी चण्डीगढ़ के उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के संबंध में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 (जुलाई 2017 में जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले) तक के वैट के विरासती मुद्दों की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने बकाया राशि के लंबित होने और बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण न होने, अपना रिटर्न फाइल न करने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई न होने, अपील के मामले लंबे समय तक लंबित रहने, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं गहन संवीक्षा की कमी तथा अस्वीकार्य लाभ की अनुमति जैसे कई प्रणालीगत और अनुपालन से संबंधित मुद्दे प्रकट किए, जिससे राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जीएसटी लागू होने से पहले सभी लंबित विरासती मुद्दों का सक्रियता से समाधान करने का प्रयास करे।

3.1.1 प्रस्तावना

उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग एक राजस्व विभाग है, जिसका अध्यक्ष उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त होता है जो उद्ग्रहण का संग्रह करने के लिए विभिन्न कानूनों को लागू करता है। वित्त सचिव के पास उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, यूटी, चण्डीगढ़ के सचिव का प्रभार होता है। मूल्य वर्धित कर के संग्रहण और प्रशासन के लिए नौ वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें एक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी होता है और उसकी सहायता के लिए उत्पाद शुल्क एवं कराधान इंस्पेक्टर होते हैं जो उनकी कार्य पद्धति के लिए उत्तरदायी होते हैं।

जुलाई 2017 में माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के साथ ही, अधिकतर माल और सेवाओं को एकीकृत कर ढांचा के अंतर्गत लाया गया। केवल सीमित श्रेणी की वस्तुएँ मुख्य रूप से शराब और पेट्रोलियम उत्पाद पर ही मूल्य वर्धित कर (वैट) रह गया। परिणामस्वरूप, वैट एक अवशिष्ट उद्ग्रहण में बदल गया है। हालांकि, इसके प्रबंधन में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

निर्धारण वर्ष (एवाई) 2013-14 से 2017-18 (पहला क्वार्टर) से संबंधित 2022-2025 की अवधि के लिए 4,419 निर्धारण फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा 30 नवंबर 2024 तक की गई, जिसमें कई विरासती मुद्दे प्रकट हुए, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के संबंध में वैट में विरासती मुद्दों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:-

- निर्धारण, बकाया, कर चोरी, प्रतिदाय और अपील के मामलों से संबंधित विरासती मुद्दों को पंजाब वैट अधिनियम/नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया था, जो केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 पर भी लागू होते हैं।
- माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के दिन असमायोजित इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) को केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) एवं केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम (यूटीजीएसटी अधिनियम)/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जा रहा था।
- विभाग द्वारा अपनाए गए जांच मानदंड उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग आयुक्त (ईटीसी) द्वारा अनुमोदित थे।

3.1.3 लेखापरीक्षा के मानदंड, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, नमूनाकरण और लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा के लिए उपयोग किए गए मानदंड में पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम (पीवैट अधिनियम) और नियमावली, 2005 एवं उनके अंतर्गत किए गए संशोधन एवं यूटी चण्डीगढ़ तक लागू, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (सीएसटी अधिनियम), 1956, जीएसटी अधिनियम और नियमावली 2017 तथा माननीय कोर्ट/सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश/अधिसूचनाएं हैं।

एसएससीए को विभागीय डेटा/सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 (जीएसटी लागू होने से पूर्व पहली तिमाही तक) के लिए, साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान सभी नौ वार्डों द्वारा निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के अनुसार किया गया था।

निर्धारण मामलों के लिए प्रत्येक वार्ड हेतु अपनाए गए मानदंड निम्नवत हैं:-

(क) शीर्ष 100 डीलरों का 100 *प्रतिशत* और ₹5.00 करोड़ या उससे अधिक सकल कारोबार वाले सभी डीलर।

(ख) अगले शीर्ष पांच सौ डीलरों और संघटन चुनने वाले में से पांच *प्रतिशत*।

(ग) शेष डीलरों का एक *प्रतिशत*।

सभी वार्डों के लिए उपरोक्त नमूनाकरण के अनुसार संवीक्षा के लिए चयनित निर्धारण फ़ाइलें **तालिका 3.1** में दी गई हैं।

तालिका 3.1: संवीक्षा के लिए चयनित निर्धारण फ़ाइलें

वित्तीय वर्ष	उन डीलरों की सं. जिनकी संवीक्षा विभाग द्वारा की गई है	शीर्ष 100 के चयन के अनुसार या 5 करोड़ से अधिक जीटीओ वाले डीलरों की सं.	अगले 500 डीलरों में से 5% के चयन के अनुसार डीलरों की सं.	शेष डीलरों में से 1% के चयन के अनुसार चयनित डीलरों की सं.	सभी वार्डों के संबंध में जांची गई कुल फ़ाइलें (1-9)
2022-23	10995	1517	225	48	1790
2023-24	9538	1235	223	39	1497
2024-25	7087	909	201	22	1132
कुल	27620	3661	649	109	4419

लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के समय दिसंबर 2023 में सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया और जून 2024 में निर्गम सम्मेलन किया गया था।

3.1.4 राजस्व का विश्लेषण

वैट से संबंधित चण्डीगढ़ प्रशासन के संबंध में संग्रहित राजस्व को **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: राजस्व का चलन

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारण वर्ष	लक्ष्य	राजस्व	कमी/आधिक्य की राशि	*प्रतिशतता* में कमी/आधिक्य
2020-21	2013-14	1350.00	1324.09	25.91	-1.91
2021-22	2014-15	1350.00	1314.64	35.36	-2.62
2022-23	2015-16	1680.00	1424.90	255.10	-15.18
2023-24	2016-17	1500.00	1538.25	38.25	+2.55
2024-25	2017-18	910.00	845.14	64.86	-7.13

(स्रोत: उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग का डेटा)

लेखापरीक्षा ने विभागीय और राजकोष डेटा के बीच ₹35.44 करोड़ की प्राप्ति में अंतर पाया, जिसे विभाग को ठीक करने की आवश्यकता है।

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2025) विभाग ने राजकोष आंकड़ों के साथ केवल ₹2.42 करोड़ का अंतर दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत किया (मई 2025)। हालांकि, शेष राशि के समाधान के बारे में कोई विभागीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.1.5 बकाया और अपील के मामले

अपील के मामलों और बकाया राशि के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में सक्रिय वैट डीलरों की पहचान करने में स्पष्टता की कमी थी। कई मामले लंबे समय तक अनसुलझे रहे, और उनसे संबंधित अभिलेख प्रायः बहुत अधिक और अपूर्ण थे। इन डीलरों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए कोई समर्पित डेटा सेट नहीं बनाया गया था।

(i) बकाया की स्थिति

पीवैट अधिनियम, 2005 की धारा 36 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य किसी भी कर, जुर्माना, ब्याज या कोई अन्य धन-राशि जो देय तिथि के बाद भी अदत्त रहती है, उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

पीवैट अधिनियम, 2005 (यूटी, चण्डीगढ़ तक लागू) की धारा 25 (1) में प्रावधान है कि सभी डीलरों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए ₹50,000 की बैंक गारंटी (बीजी) जमा करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 7 (3बीबी) के अनुसार, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, यूटी, चण्डीगढ़ के ई-पंजीकरण पर हैंडबुक के अनुलग्नक-3 (व्यक्तिगत बॉन्ड और प्रतिभूति) के अनुसार प्रतिभूति भी लेना अपेक्षित था, जिसमें ₹50,000/- प्रत्येक के लिए दो शोधन-क्षम प्रतिभूति का प्रावधान है (प्रत्येक ₹25,000/-, दोनों वैट और सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत)। इसके अतिरिक्त, पीवैट अधिनियम की धारा 25 (4) और सीएसटी अधिनियम की धारा 7 (3डी) के अनुसार, नामित अधिकारी (डीओ) के पास किसी व्यक्ति द्वारा देय या बकाया कर या जुर्माना की किसी भी राशि की वसूली करने के लिए प्रतिभूति का पूरा या कोई भी भाग ज़ब्त करने या वसूल करने का अधिकार है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 30 नवंबर 2024 तक वैट और सीएसटी का बकाया ₹3,230.14 करोड़ था, जिसमें से विभाग ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान केवल ₹95.55 करोड़ ही वसूले, जबकि ₹473.03 करोड़ (14.64 *प्रतिशत*) कई अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों में फंसे हुए थे। 2011-12 से बकाया रकम संचित होने के बावजूद, विभाग ने न तो लंबित बकाया का डेटाबेस तैयार किया है और न ही वसूली की निगरानी करने के लिए कोई प्रक्रिया तैयार की है। इसमें पीवैट अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों का भी उपयोग नहीं किया गया, जो बकाया रकम को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का अधिकार देता है। दिसंबर 2024 तक ₹2,661.56 करोड़[55] की शेष राशि डीलरों से वसूलने

[55] ₹3230.14 करोड़- ₹95.55 करोड़- ₹473.03 करोड़।

योग्य थी। यह देखा गया कि यद्यपि पंजीकरण के समय बैंक गारंटी/प्रतिभूति ली गई थी फिर भी विभाग द्वारा उनके पुनर्वैधीकरण या आमंत्रण/नकदीकरण का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि बीजी का समय पर पुनर्वैधीकरण सुनिश्चित न करने की चूक के कारण, विभाग गारंटी ज़ब्त करने के माध्यम से 62,650 डीलरों से ₹245.05 करोड़ का देय बकाया वसूल नहीं कर सका, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: वसूली योग्य बकाया का विवरण

(₹ वास्तव में)

वार्ड सं.	डीलरों की सं.	वसूली योग्य बकाया राशि (एक लाख तक सीमित)
1	3818	134495433
2	7513	318320143
3	11669	459923173
4	4365	110009338
5	3549	103335311
6	13562	589442047
7	4278	164107592
8	8011	343519572
9	5885	227320043
कुल	**62650**	**2450472652**

(स्रोत: उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग का डेटा)

इस प्रकार, विभाग की बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण को लागू करने और वसूली प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹245.05 करोड़ के सरकारी राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी और दिसंबर 2024), विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि वह एक राजस्व-संग्रह अभिकरण के रूप में अपने उत्तरदायित्व के संबंध में पूर्णतः जागरूक था और बकाया राशि वसूलने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है कि ये बकाया राशि 2011-12 से लेकर आज तक (नवंबर 2024) की अवधि से जुड़ी है और इन्हें यथाशीघ्र वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) अपील मामलों की स्थिति

पीवैट अधिनियम (यूटी चण्डीगढ़ तक लागू) की धारा 62 (4) और (5) के अनुसार, कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे उस आदेश के मिलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर फाइल न किया जाए, जिसके विरुद्ध अपील की गई है एवं कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उस अपील के साथ कर, जुर्माना और ब्याज, यदि कोई है, की कुल राशि का 25 *प्रतिशत* पूर्व न्यूनतम भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण साथ न हो।

लंबित 234 अपील फाइलों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि-

- 66 अपील मामलों में, कर की कुल राशि के 25 *प्रतिशत* की पूर्व न्यूनतम भुगतान की प्राप्ति की प्रतियां अपील के साथ जमा नहीं पाई गईं।
- 191 अपील मामलों में से, 184 मामलों में, अपील दायर करने की तिथि से दो महीने से लेकर नौ वर्ष तक का समय बीत जाने के बाद विभाग ने सुनवाई की पहली तिथि दी।
- विभाग ने पांच अपील मामलों में छः से 23 महीने बीत जाने के बाद भी सुनवाई की कोई तिथि नहीं दी थी।
- 45 मामलों में, विभाग द्वारा दी गई दोनों तिथियों के बीच का अंतर पांच महीने से लेकर पांच वर्ष से अधिक था।
- 34 अपील मामले पांच से 10 वर्ष के लिए लंबित थे और छः अपील मामले 12 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

इन मामलों के लंबित होने के कारण ₹85.10 करोड़ की वैट/सीएसटी राशि अवरुद्ध हो गई।

इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024) विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 62 नोटिस जारी करने या अपील के अंतिम निपटान के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है। डीईटीसी (अपील) को मामलों पर निर्णय लेते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अर्ध-न्यायिक विवेक का प्रयोग अपेक्षित है। लेखापरीक्षा दल की अभ्युक्तियों को

विधिवत नोट कर लिया गया है तथा विभाग कानूनी और प्रक्रियात्मक रुकावटों को ध्यान में रखते हुए अपील का समय पर और उचित तरीके से निपटान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मामला प्रबंधन को सुधारने और जहां भी संभव हो सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं एवं अगले 3-4 महीनों में बकाया मामलों को समाप्त करने के सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे। अपने नवीनतम उत्तर (मार्च 2025) में विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया कि पिछले बकाया मामलों को कम समय में ही निपटा दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को अपील के मामलों को उचित समय-सीमा के भीतर सक्रिय रूप से निपटाना चाहिए।

जीएसटी लागू होने के बाद वैट के विरासती मुद्दों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष (जुलाई 2017)

3.1.6 रिटर्न का विश्लेषण

पीवैट अधिनियम (यूटी चण्डीगढ़ पर लागू) की धारा 24 में प्रावधान है कि नामित अधिकारी, रिटर्न फाइल न करने पर लिखित में आदेश देकर किसी डीलर का पंजीकरण रद्द कर सकता है, इसके अतिरिक्त, धारा 26 (8) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति या एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण धारा 24 के अंतर्गत रद्द कर दिया गया है, उसे आयुक्त या नामित अधिकारी द्वारा रद्द होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर यथानिर्धारित अंतिम रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अतिरिक्त, पीवैट अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक कोई रिटर्न या वार्षिक विवरणी जमा नहीं करता है, तो आयुक्त या नामित अधिकारी उसे इस अधिनियम के किसी भी दूसरे प्रावधान के अंतर्गत कर, ब्याज और जुर्माना के अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। साथ ही, रिटर्न फाइल न करने पर प्रति दिन की देरी के लिए सौ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जो अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम ₹10,000/- तक हो सकता है। डीलरों द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की स्थिति **तालिका 3.4** में दी गई है।

तालिका 3.4: रिटर्न की स्थिति

वित्तीय वर्ष	निर्धारण वर्ष	डीलरों की कुल सं.	रिटर्न फाइल न करने वाले डीलरों की सं.	कुल रिटर्न में से फाइल न किए गए रिटर्न की *प्रतिशतता* (कॉलम 4/3 * 100)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2020-21	2013-14	13875	505	3.64
2021-22	2014-15	14431	470	3.26
2022-23	2015-16	15361	987	6.43
2023-24	2016-17	16735	3630	21.69
2024-25	2017-18	14191	2049	14.44
कुल		**74593**	**7641**	**10.24**

(स्रोत: उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग का डेटा)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 7641 पंजीकृत डीलरों ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था। वार्षिक रिटर्न फाइल करने में चूक 3 से 22 *प्रतिशत* के बीच थी। डीलरों ने न तो धारा 26(8) के अंतर्गत निर्धारित अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा किए थे और न ही विभाग ने उनका पंजीकरण रद्द किया था। इस प्रकार, विभाग रिटर्न फाइल न करने पर अधिनियम के अंतर्गत लगाए जाने वाले ₹7.64 करोड़ (7641 x ₹10,000) का जुर्माना न लगा सका और न ही संग्रह कर सका।

इंगित किए जाने पर (जनवरी-अक्तूबर 2024), विभाग ने बताया (अक्तूबर 2024 और मार्च 2025) कि जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के बाद सभी डीलरों जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, उनका पंजीकरण स्वतः रद्द मान लिया गया था। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2025) कि पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 54 के अनुसार, जुर्माना लगाना अनिवार्य नहीं था और यह सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधिकार शक्तियाँ प्रदान करता था, जो जुर्माना लगा भी सकता था और नहीं भी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया कि सभी डीलर अपना रिटर्न फाइल करें ताकि वे निर्धारण और कर दायरे से बच न सकें। अधिनियम में फाइल न करने वालों से जुर्माना संग्रह करने का प्रावधान अधिदेशित था।

3.1.7 निर्धारण फ़ाइलों की नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पीवैट अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी/नामित अधिकारी व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वैट रिटर्न की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है। अधिकारी से घोषित टर्नओवर की सटीकता, इनपुट कर क्रेडिट, कटौती, छूट और दावा की गई रियायतों की स्वीकार्यता के साथ ही सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करना अपेक्षित है। इस निर्धारण को रिटर्न, सांविधिक फॉर्म, सहायक दस्तावेज और अन्य अभिलेखों के आधार पर यथोचित सावधानी से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके और अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2020-25 (निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18) के लिए पीवैट अधिनियम, सीएसटी अधिनियम, और उसके नियमों के अनुपालन के लिए नौ वार्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 119 मामलों में ₹19.92 करोड़ के कर का कम-निर्धारण और अन्य अनियमितताएं शामिल हैं जैसा कि **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: कर का कम-निर्धारण और अन्य अनियमितताएं

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि (₹ लाख में)
1.	बिक्री कर/वैट का गैर/कम उद्ग्रहण	33	1062.48
2.	बिक्री रिटर्न की अस्वीकार्य कटौती	42	460.16
3.	आईटीसी की अधिक/अस्वीकार्य अनुमति	34	316.71
4.	रियायती कर की अनियमित अनुमति	07	135.73
5.	कर की चोरी	03	17.18
कुल		**119**	**1992.26**

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रस्तुत किए और चार मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं ₹25.38 लाख की वसूली की।

₹19.92 करोड़ से जुड़े उल्लेखनीय मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.1.7.1 आउटपुट कर का गैर/कम उद्ग्रहण

(क) सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 6 की उप-धारा 2 के अनुसार, उप-धारा (1) या उप-धारा (1ए) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी माल की बिक्री से या तो ऐसे माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही हुई हो या ऐसे माल के शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण से एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके आवाजाही के दौरान यह बिक्री हुई हो तो ऐसी आवाजाही के दौरान किसी पंजीकृत डीलर को ऐसे माल के शीर्षक दस्तावेज के हस्तांतरण से की गई कोई भी अगली बिक्री, अगर माल धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण का है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कर से छूट होगी यदि: (क) जिस पंजीकृत डीलर से माल खरीदा गया था, उससे एक प्रमाणपत्र जो निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में निर्धारित ब्यौरा सहित विधिवत भरा और हस्ताक्षर किया हुआ हो; और (ख) यदि अगली बिक्री किसी पंजीकृत डीलर को की जाती है, तो धारा 8 की उप-धारा (4) में संदर्भित घोषणा में प्रावधान था कि माल की अगली बिक्री के संबंध में खंड (ख) में संदर्भित घोषणा को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था यदि (i) ऐसे माल की बिक्री या खरीद में संबंधित राज्य के बिक्री कर कानून के अंतर्गत आम तौर पर कर से छूट प्राप्त है या आम तौर पर तीन *प्रतिशत* से कम दर पर कर लगता है, या ऐसी कम दर जो केन्द्र सरकार द्वारा, धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जा सकती हो (चाहे कर या शुल्क कहा जाए या किसी अन्य नाम से जाना जाए); और (ii) ऐसी अगली बिक्री करने वाला डीलर पिछले प्रावधानों में संदर्भित प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित करता है कि ऐसी बिक्री इस उप-धारा में संदर्भित प्रकृति की है। इसके अतिरिक्त, सीएसटी (आरएंडटी) नियमावली 1957 के नियम 12 के उप-नियम 4 के अनुसार, धारा 6 की उप-धारा 2 में संदर्भित प्रमाणपत्र, मामले के अनुसार, फॉर्म ई1 या ई2 में होगा।

(i) निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2016-17 के लिए तीन मामलों की संवीक्षा, जो 2022-24 के दौरान की गई, से पता चला कि नामित अधिकारी ने निर्धारित सांविधिक घोषणाएं (ई1/सी/आई फॉर्म) प्राप्त किए बिना पारगमन/शून्य-रेटेड बिक्री

पर कर छूट की अनुमति दी थी। इस अनियमित छूट से सरकारी राजकोष को ₹50.41 लाख की हानि हुई **(अनुलग्नक-3.1 (ए))**।

इंगित किए जाने पर दो मामलों (मार्च 2025) में, विभाग अपनी बात को उचित ठहराते हुए अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर सका, और एक मामले में, अंतिम उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

(ii) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए एक निर्धारण की संवीक्षा, जिसे 2024-25 के दौरान अंतिम रूप दिया गया, से पता चला कि नामित अधिकारी ने पारगमन बिक्री पर कर छूट की अनुमति दी थी। आगे की जांच में पता चला कि ई1 फॉर्म के अनुसार खरीदी गयी वस्तु 'ग्रीज़' थी, जबकि संबंधित सी फॉर्म में उल्लिखित माल 'लुब्रिकेटिंग ऑयल' था। इसलिए, इस मामले में पारगमन बिक्री का लाभ स्वीकार्य नहीं था। इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप कुल ₹11.05 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 3.1(बी))**।

खरीदी गई मदों के अतिरिक्त दूसरी मदों की पारगमन बिक्री में कर छूट प्रदान करने के कारणों के बारे में पूछा गया (दिसंबर 2024)। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) चण्डीगढ़ वैट नियमावली के नियम 53 में एक कर योग्य व्यक्ति को मासिक वैट लेखा, विस्तृत खरीद और बिक्री अभिलेख (सहायक बीजक/फ़ॉर्म सहित कर-भुगतान, कर-मुक्त एवं अंतरराज्यीय लेनदेन), इनपुट कर गणना, स्टॉक अभिलेख, आदेश/आपूर्ति चालान, वार्षिक लेखे (व्यापार, पी एंड एल, तुलन पत्र), और बैंक अभिलेख रखना अपेक्षित है।

वर्ष 2022-24 के दौरान निर्धारण किए गए 10 मामलों की संवीक्षा से पता चला कि नामित अधिकारी ने अपेक्षित दस्तावेज़ी साक्ष्य, जैसे कि बीजक और लेजर प्राप्त किए बिना कर-मुक्त बिक्री के लाभ की अनुमति दी। इस चूक के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹634.37 लाख की हानि हुई **(अनुलग्नक 3.1 (सी))**।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जुलाई 2024 के बीच), चार मामलों में (मार्च 2025), विभाग स्वयं को उचित ठहराते हुए भी अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। दो मामलों में विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की, और चार मामलों में अंतिम उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

(ग) पीवैट अधिनियम की अनुसूची बी (जैसा कि यूटी चण्डीगढ़ पर लागू है) कर योग्य माल की सूची प्रदान करती है जो पांच *प्रतिशत*[56] की दर पर प्रभार्य है।

निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए दो निर्धारणों की संवीक्षा, जिसे 2023-24 के दौरान अंतिम रूप दिया गया, से पता चला कि करदाता अनुसूची-बी के अंतर्गत आने वाले माल का व्यापार कर रहा था जो पांच *प्रतिशत* की दर पर कर योग्य था। हालांकि, कर योग्य बिक्री पर आउटपुट कर लागू दर पांच *प्रतिशत* के बजाय चार *प्रतिशत* दर पर लगाया गया था (2015-16 में ₹7.18 करोड़ और 2016-17 में ₹7.94 करोड़ का जीटीओ)। इस अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹25.03 लाख के राजस्व की हानि हुई **(अनुलग्नक 3.1 (डी))**।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2024) विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि अनुसूची-बी के अंतर्गत, माल चार *प्रतिशत* वैट की दर पर कर योग्य है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि चण्डीगढ़ में वैट अधिनियम की अनुसूची-बी के अंतर्गत सूचीबद्ध माल पर लागू कर दर 2010 से पांच *प्रतिशत* की दर पर कर योग्य था।

(घ) पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 2 ज़ेडसी में प्रावधान है कि रिटर्न का तात्पर्य रिटर्न अवधि से जुड़े व्यापार का यथार्थ और सही लेखा, निर्धारित फ़ॉर्म में देना है। इसके अतिरिक्त, पीवैट नियमावली के नियम 48(1) में प्रावधान है कि नामित अधिकारी, व्यक्ति द्वारा दायर आपत्तियों और दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति की कर देयता निर्धारित करते हुए लिखित में निर्धारण आदेश पारित करेगा।

(i) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए एक निर्धारण की संवीक्षा से पता चला कि नामित अधिकारी ने चार *प्रतिशत* की दर पर आउटपुट कर की गणना की, जबकि ₹14.44 करोड़ की कुल खरीदारी के 70 *प्रतिशत* पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से इनपुट कर क्रेडिट दिया। इस असंगति के परिणामस्वरूप आईटीसी को अनुचित छूट मिली और सरकारी राजकोष को ₹27.34 लाख की परिणामी हानि हुई **(अनुलग्नक 3.1 (ई))**।

---

56 (शीर्षक को अधिसूचना सं. ईएंडटी-ईटीओ(रेफ.)-2010/2856 दिनांक 26 अक्तूबर 2010 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पहले, यह इस प्रकार था: "चार *प्रतिशत* की दर से कर योग्य माल की सूची")

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2024) विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता ने टीएमटी बार्स के चार *प्रतिशत* की दर पर स्थानीय बिक्री की और सी फॉर्म के सापेक्ष में पेंट और टाइल्स की अंतरराज्यीय बिक्री की। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि चार *प्रतिशत* कर दर के अंतर्गत खरीद और बिक्री में बहुत बड़ा अंतर था। संबंधित अभिलेखों के साथ अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

(ii) निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए दो मामलों की संवीक्षा, जिसका निर्धारण 2022-24 के दौरान किया गया, से पता चला कि नामित अधिकारी ने आउटपुट कर की गणना वैट रिटर्न में करदाता द्वारा घोषित ₹1.90 करोड़ की राशि से कम पर की थी। आउटपुट कर के इस अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप करदाता को ₹8.04 लाख का अनुचित लाभ हुआ **(अनुलग्नक 3.1 (एफ))**।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2024) विभाग ने बताया कि मूल निर्धारण तैयार करते समय, शाखा हस्तांतरण को सकल बिक्री में शामिल किया गया एवं पांच *प्रतिशत* की दर पर कर लगाया गया था। हालांकि, संशोधित निर्धारण तैयार करते समय, नामित अधिकारी ने आईटीसी के रूप में कर की राशि को कम कर दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

(iii) वर्ष 2022-24 के दौरान निर्धारित मामले की संवीक्षा से पता चला कि नामित अधिकारी ने अंतरराज्यीय बिक्री का निर्धारण ₹1.13 करोड़ पर किया था, जबकि करदाता द्वारा संलग्न 'सी' फॉर्म की राशि ₹1.37 करोड़ थी। इस विसंगति के कारण कर का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹0.42 लाख की हानि हुई **(अनुलग्नक 3.1 (जी))**।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023 और जनवरी 2025 के बीच), विभाग ने बताया कि अभिलेखों को सत्यापित करने के बाद विस्तृत उत्तर दिया जाएगा। की गई अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(iv) 2014-15 की अवधि के लिए एक निर्धारण मामले की संवीक्षा से पता चला कि डीलर द्वारा फाइल किए गए तिमाही रिटर्न के अनुसार जीटीओ ₹124.31 लाख था। हालांकि, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, डीओ ने सांविधिक घोषणाएं प्राप्त किए

बिना घोषित जीटीओ से ₹27.37 लाख की अंतर्विभागीय बिक्री को हटा दिया। इन घोषणाओं के अभाव में, माल की आवाजाही को अधिनियम के अंतर्गत बिक्री माना जाना चाहिए था और लागू दरों पर कर लगाया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप सांविधिक समर्थन के बिना कर छूट की अनियमित अनुमति दी गई।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), विभाग ने स्वीकार किया और मई 2022 में एक सुधार आदेश जारी किया एवं ₹10.09 लाख की मांग की। विभाग ने आगे बताया (नवंबर 2024) कि डीलर ने डीईटीसी (अपील) के सामने अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने जनवरी 2024 में उसे खारिज कर दिया था, जिससे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पास किया गया आदेश कायम रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि डीलर ने अगस्त 2024 में डीईटीसी (अपील) के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किया था।

3.1.7.2 बिक्री छिपाने के कारण कर का कम उद्ग्रहण

पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 2ज़ेडसी में प्रावधान है कि रिटर्न का तात्पर्य रिटर्न अवधि से जुड़े व्यापार का यथार्थ और सही लेखा, निर्धारित फ़ॉर्म में देना है।

इसके अतिरिक्त, पीवैट नियमावली के नियम 48(1) में प्रावधान है कि नामित अधिकारी, व्यक्ति द्वारा दायर, आपत्तियों और दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति की कर देयता निर्धारित करते हुए लिखित में निर्धारण आदेश पारित करेगा।

(क) निर्धारण वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही) के लिए दो मामलों की संवीक्षा, जिसका निर्धारण 2024-25 (30 नवम्बर 2024 तक) के दौरान किया गया था, ने अप्रैल-जून 2017 के वैट रिटर्न में बताए गए सकल टर्नओवर (जीटीओ) और उसी अवधि के लिए वार्षिक जीएसटी समाधान-विवरण (जीएसटीआर-9सी) में बताए गए टर्नओवर के बीच विसंगतियां प्रकट की, जिसके परिणामस्वरूप ₹82.35 लाख की कर राशि का कम उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक -3.2 (ए))**।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2025), विभाग अपने द्वारा लगाए गए कर को उचित ठहराते हुए भी, अपने उत्तर (मार्च 2025) के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

(ख) वर्ष 2022-25 के दौरान (30 नवंबर 2024 तक) निर्धारित छः मामलों की संवीक्षा से पता चला कि तुलन पत्र/ट्रेडिंग खाते में दर्शाया गया सकल टर्नओवर (जीटीओ) वैट रिटर्न में घोषित टर्नओवर से अधिक था। हालांकि, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, डीओ ने तुलन पत्र/ट्रेडिंग खाते में घोषित उच्च आंकड़ों के बजाय वैट रिटर्न में बताए गए जीटीओ को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप टर्नओवर छिपाने के कारण ₹71.97 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 3.2 (बी))**।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023 और जनवरी 2025 के बीच), पांच (छः में से) मामलों में विभाग (मार्च 2025) ने अपने कार्य को उचित ठहराते हुए भी अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और एक मामले में विभाग ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

3.1.7.3 निर्माण कार्य संविदा पर कर का कम उद्ग्रहण

पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 8(2-ए) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य अनुबंध निष्पादित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत माल पर लागू दरों पर निष्पादित निर्माण कार्य में ऐसे माल को शामिल करते समय माल की कीमत पर कर का भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त, पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 27 निर्माण कार्य ठेकेदार को देय राशि से कर कटौती (*अर्थात्* टीडीएस) का विवरण प्रदान करती है। निर्माण कार्य अनुबंध पर कर के कम उद्ग्रहण की चर्चा नीचे की गई है **(अनुलग्नक 3.3 में विवरण दिया गया है)**:

(क) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक निर्धारण (वार्ड-7) की संवीक्षा जिसका निर्धारण 2022-23 के दौरान किया गया था, से पता चला कि करदाता ने वार्षिक वैट रिटर्न में ₹15.53 करोड़ का सकल टर्नओवर (जीटीओ) घोषित किया था और प्रस्तुत प्रमाणपत्र के सापेक्ष में ₹1.22 करोड़ के टीडीएस का दावा किया था। हालांकि, डब्ल्यूसीटी/टीडीएस प्रमाणपत्र की जांच ने ₹26.29 करोड़ के वास्तविक जीटीओ को इंगित किया। डीओ ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹21.55 करोड़ का जीटीओ अपनाया। जीटीओ में ₹4.74 करोड़ (₹26.29 करोड़-₹21.55 करोड़) की

परिणामी विसंगति के कारण ₹133.06 लाख की कर राशि का कम उद्ग्रहण हुआ, जिससे सरकारी राजकोष को हानि हुई।

टीडीएस प्रमाणपत्रों के अनुसार जीटीओ को शामिल न करने के कारणों पर, विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (मार्च 2025) कि डीलर को ₹4.74 करोड़ की बिक्री राशि छिपाने के बारे में बताने के लिए पत्र जारी किया गया है। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था।

(ख) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए एक निर्धारण (वार्ड-4) की संवीक्षा, जिसे 2023-24 के दौरान अंतिम रूप दिया गया, से पता चला कि करदाता ने वैट रिटर्न में ₹19.16 करोड़ का सकल टर्नओवर (जीटीओ) घोषित किया था और टीडीएस प्रमाणपत्र के सापेक्ष में ₹9.65 लाख के टीडीएस का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, इन प्रमाणपत्रों की जांच से पता चला कि वे वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 से संबंधित थे; हालांकि, निर्धारण वर्ष 2016-17 में नियमित रूप से क्रेडिट दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹13.66 लाख की हानि हुई।

यह मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया (अक्तूबर 2024)। उत्तर में, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए अनुसार डीलर से ₹13.66 लाख की कर राशि की वसूली की।

(ग) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक निर्धारण (वार्ड-5) की संवीक्षा से पता चला कि डीओ ने 15 टीडीएस प्रमाणपत्रों के सापेक्ष में ₹26.22 लाख का टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी। हालांकि, इन प्रमाणपत्रों में से एक प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित था और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए मान्य नहीं था। इस क्रेडिट की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹1.39 लाख की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर, विभाग अपने कार्य को उचित ठहराते हुए भी, अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

(घ) चण्डीगढ़ वैट नियमावली के नियम 15(4) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में शामिल माल की कीमत पूरे निर्माण कार्य संविदा की कीमत में से श्रम और सेवाओं के प्रति किए गए भुगतान के घटकों को घटाकर निर्धारित की जाएगी। नियम 15(6)(1)(ए)(v) में आगे प्रावधान है कि यदि ठेकेदार ऐसे प्रभारों के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो ऐसे प्रभारों की राशि की गणना इस नियम के अंतर्गत वर्णित दरों के अनुसार की जाएगी।

निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए दो मामलों (वार्ड-4 और वार्ड-7) की संवीक्षा, जिसका निर्धारण 2024-25 के दौरान किया गया, से पता चला कि नामित अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर (जीटीओ) के 30 *प्रतिशत* पर श्रम कटौती की अनुमति दी। तथापि, चूंकि डीलर द्वारा निष्पादित कार्य इलेक्ट्रिकल संविदा से संबंधित था, इसलिए संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार श्रम कटौती केवल 25 *प्रतिशत* ही स्वीकार्य थी। इस अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹3.40 लाख की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर, एक मामले में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था, और दूसरे मामले में, विभाग अपने कार्य को उचित ठहराते हुए अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

3.1.7.4 सकल टर्नओवर से बिक्री रिटर्न की अस्वीकार्य कटौती के कारण कर का कम उद्ग्रहण

पीवैट अधिनियम 2005 की धारा 15, 16, 17 और 19 के साथ पठित पीवैट नियमावली 2005 के नियम 15 में, किसी व्यक्ति द्वारा कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने का प्रावधान है। बिक्री के कर योग्य टर्नओवर को निर्धारित करने के लिए, एक व्यक्ति अपने सकल बिक्री टर्नओवर में से छः महीने की अवधि के भीतर लौटाए गए माल की बिक्री कीमत घटाएगा, इसके लिए एक कर योग्य व्यक्ति लौटाए गए माल के लिए खरीदार द्वारा जारी किए गए डेबिट नोट के आधार पर ही कटौती का दावा करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2023 और जनवरी 2025 के बीच) कि वर्ष 2022-24 के दौरान निर्धारित 42 मामलों में नामित अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते

समय, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डेबिट नोट न होने पर भी अपने बिक्री के सकल टर्नओवर से बिक्री रिटर्न की कटौती की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹460.16 लाख के आउटपुट कर का कम उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 3.4)**।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023 और अक्तूबर 2024 के बीच), विभाग 36 मामलों के संबंध में कोई उत्तर या संबंधित दस्तावेज़ *अर्थात्* डेबिट नोट की सत्यापित प्रतियां और उसके साथ क्रेडिट नोट (मार्च 2025) प्रस्तुत नहीं कर सका एवं छः मामलों के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

3.1.7.5 इनपुट कर क्रेडिट का अधिक/अस्वीकार्य छूट

(क) पीवैट अधिनियम 2005 के नियम 24 (जैसा कि यूटी चण्डीगढ़ में लागू है) में प्रावधान है कि यदि कोई कर योग्य व्यक्ति खरीदे गए माल का उपयोग आंशिक रूप से कर योग्य बिक्री के लिए करता है, लेकिन नियम 23 के प्रावधानानुसार लेखे बनाए रखने में असमर्थ है, और उसकी बिक्री में कर-मुक्त माल और कर योग्य माल या प्रेषित माल या शाखा हस्तांतरण की बिक्री शामिल है, तो यह माना जाएगा कि कर अवधि के दौरान खरीदा गया ऐसा माल कर-मुक्त माल, कर योग्य माल और प्रेषित माल या शाखा हस्तांतरण की बिक्री के टर्नओवर के अनुपात में उपयोग किया गया है एवं तद्नुसार उसी अनुपात में इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट को शाखा हस्तांतरण और कर योग्य बिक्री के लिए बांटा जाएगा।

वर्ष 2022-25 (नवंबर 2024 तक) के दौरान निर्धारित किए गए 20 मामलों की संवीक्षा से पता चला कि नामित अधिकारी ने 'एफ' फॉर्म के सापेक्ष में शाखा हस्तांतरण की छूट दी, लेकिन लागू नियमों के उल्लंघन में ऐसे हस्तांतरण के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का बंटवारा नहीं किया। आईटीसी को वापस करने में विभाग की असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹124.18 लाख की राशि की अधिक छूट मिली **(अनुलग्नक 3.5 (ए))**।

मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया था (दिसंबर 2023 और जनवरी 2025 के बीच)। हालांकि, पांच मामलों में (मार्च 2025) विभाग अपने पक्ष को सही ठहराते हुए भी अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और शेष मामलों में अंतिम उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(ख) पीवैट अधिनियम की धारा 13 (1 से 15) में प्रावधान है कि एक कर योग्य व्यक्ति कर अवधि के दौरान राज्य में उसके द्वारा कर योग्य व्यक्ति से खरीदे गए पूंजीगत माल सहित कर योग्य माल पर इनपुट कर के संबंध में ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित हो, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, चण्डीगढ़ वैट नियमावली के नियम 18 में प्रावधान है कि 'अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट एक कर योग्य व्यक्ति के लिए तभी स्वीकार्य होगा, यदि ऐसे व्यक्ति के पास- (क) उस कर योग्य व्यक्ति द्वारा जारी किया गया मूल वैट इनवॉइस हो, जिससे उसने ऐसा माल खरीदा है, जिसमें प्रभारित कर अलग से दर्शाया गया है; और (ख) इनपुट कर क्रेडिट के लिए उपयुक्त सभी माल की खरीद और उसमें किए गए सभी समायोजन का उचित अभिलेख कालानुक्रमिक क्रम में रखा गया हो।'

वर्ष 2022-25 (नवंबर 2024 तक) के दौरान निर्धारित किए गए तीन मामलों की संवीक्षा से पता चला कि ₹120.28 लाख की अस्वीकार्य आईटीसी राशि की अनियमित अनुमति दी गयी थी। दो मामलों में, 5, 9.35 और 12.5 *प्रतिशत* की आउटपुट कर दरों के सापेक्ष में बिना किसी सहायक अभिलेख के 20 *प्रतिशत* पर आईटीसी की अनुमति प्रदान की गई थी; और एक अन्य मामले में, आवश्यक दस्तावेज के बिना 12.5 *प्रतिशत* पर आईटीसी की अनुमति प्रदान की गई थी **(अनुलग्नक 3.5 (बी))**।

इंगित किए जाने पर, विभाग अपने कार्य को उचित ठहराते हुए भी, अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका (मार्च 2025)। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(ग) 2022-25 (30 नवम्बर 2024 तक) के दौरान निर्धारित किए गए 10 मामलों की संवीक्षा से पता चला कि वार्षिक रिटर्न और त्रैमासिक रिटर्न (वैट-24, क्यू1-क्यू 4) में बताए गए खरीद के आंकड़ों में विसंगतियों के कारण अधिक

आईटीसी की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹56.52 लाख की कर और ब्याज राशि का कम उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 3.5 (सी))**।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग अपने उत्तर को उचित ठहराते हुए भी छः मामलों के संबंध में अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और चार मामलों में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(घ) 2022-25 (नवंबर 2024 तक) के दौरान निर्धारित दो मामलों की संवीक्षा से पता चला कि मूल्यांकन अधिकारी ने वैट-20 के आधार पर अधिक आईटीसी दे दिया, जबकि तुलन पत्र के अनुसार स्थानीय खरीददारी कम थी। इसके अतिरिक्त, बिना सहायक इनवॉइस के स्थानीय खरीददारी के रूप में दर्शाए गए वाहनों की खरीद पर भी आईटीसी दिया गया था। इन अस्वीकार्य छूटों के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹15.73 लाख की हानि हुई **(अनुलग्नक 3.5 (डी))**।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर को उचित ठहराते हुए भी अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका (मार्च 2025)।

3.1.7.6 फेरबदल/परिवर्तित सांविधिक घोषणाओं पर रियायती कर की अनियमित अनुमति

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 8(4) के साथ पठित सीएसटी (आरएंडटी) नियमावली 1957 के नियम 12(1) में यह प्रावधान है कि दो *प्रतिशत* की रियायती कर दर तब तक स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक माल बेचने वाला डीलर उस पंजीकृत डीलर द्वारा फॉर्म 'सी' में विधिवत भरी हुई एवं हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जिसको निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में माल बेचा गया है। इसके अतिरिक्त, सीएसटी अधिनियम/नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उस माल की अंतरराज्यीय बिक्री पर सीएसटी की रियायती दर प्रदान करता हो जिसमें फेरबदल किया गया हो।

वर्ष 2022-24 के दौरान निर्धारित छः मामलों की संवीक्षा से पता चला कि सफेद तरल स्याही से लिखे हुए को काटने/अधिलेखन का उपयोग करके मूल्य में किए गए फेरबदल/बदलाव के कारण फॉर्म सी अमान्य थे। इसके परिणामस्वरूप ₹91.83 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 3.6)**।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023 और अक्तूबर 2024 के बीच), चार मामलों में, विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र भेजे गए थे, लेकिन उनके उत्तर प्रतीक्षित थे। दो मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.1.7.7 रद्द सांविधिक घोषणा पर रियायती कर की अनियमित अनुमति

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 8(4) के साथ पठित सीएसटी (आर एंड टी) नियमावली 1957 के नियम 12(1) में यह प्रावधान है कि दो *प्रतिशत* की रियायती कर दर तब तक स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक माल बेचने वाला डीलर उस पंजीकृत डीलर द्वारा फॉर्म 'सी' में विधिवत भरी हुई एवं हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जिसको निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में माल बेचा गया है।

ईटीओ (वार्ड-1) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक मामले में नामित अधिकारी ने वर्ष 2022-23 के दौरान वर्ष 2015-16 के लिए ₹3.47 करोड़ की कीमत वाले तीन फॉर्म 'सी' पर दो *प्रतिशत* की रियायती सीएसटी दर की अनुमति दी। प्रति सत्यापन करने पर यह पाया गया कि एक फॉर्म 'सी' दिल्ली के डीलर को जारी किया गया था और उसे राज्य के निर्धारित प्राधिकारी ने रद्द कर दिया था। नामित अधिकारी ने फॉर्म 'सी' को सत्यापित किए बिना ही रियायती कर की अनुमति दे दी। रियायती कर की इस अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप 10.50 *प्रतिशत* (12.50 *प्रतिशत* ऋण से दो *प्रतिशत घटाकर*) की दर से ₹43.90 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया कि सी फॉर्म जारी होने की तिथि के बाद डीलर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कथित सी फॉर्म वेब पोर्टल पर सत्यापन योग्य था तथा सी फॉर्म की स्थिति रद्द दर्शा रहा था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

3.1.7.8 केन्द्रीय बिक्री कर की चोरी

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 8(4) के साथ पठित सीएसटी (आरएंडटी) नियमावली 1957 के नियम 12(1) में प्रावधान है कि रियायती कर दर तब तक स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक माल बेचने वाला डीलर उस पंजीकृत डीलर द्वारा फॉर्म

'सी' में विधिवत भरी हुई एवं हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जिसको निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में माल बेचा गया है।

धारा 6ए (1) में प्रावधान है कि डीलर माल भेजने के साक्ष्य के साथ फॉर्म एफ जमा करेगा। यदि डीलर ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए यह माना जाएगा कि माल की आवाजाही बिक्री के कारण हुई है। धारा 6ए (2) में प्रावधान है कि यदि निर्धारण अधिकारी जांच करने के बाद संतुष्ट है कि डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणा सत्य है, तो वह इस बारे में एक आदेश देगा और उसके बाद, जिस माल से संबंधित घोषणा है, उसकी आवाजाही सीएसटी अधिनियम के उद्देश्य के लिए बिक्री के अतिरिक्त किसी और कारण से हुई मानी जाएगी।

(क) नामित अधिकारी (वार्ड-7) ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, शाखा हस्तांतरण को सत्यापित किए बिना दो 'एफ' फॉर्म के सापेक्ष में ₹22.17 लाख के शाखा हस्तांतरण की अनुमति दी। इन 'एफ' फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन से पता चला कि फॉर्म में फेरबदल की गई थी, और शाखा हस्तांतरण की मूल कीमत केवल ₹0.27 लाख थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.64 लाख के कर की चोरी हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024 और सितंबर 2024 के बीच), विभाग ने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) नामित अधिकारी (वार्ड-9) ने वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अनिवार्य फॉर्म 'एफ' के सापेक्ष में ₹5.45 करोड़ के शाखा हस्तांतरण पर कर छूट की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, 'एफ' फॉर्म की संवीक्षा से पता चला कि ₹35.04 लाख के दो 'एफ' फॉर्म मार्च 2015 के लिए जारी किए गए थे जिनके इनवॉइस 2014-15 से संबंधित थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने 2015-16 के निर्धारण के मामले में 'एफ' फॉर्म का लाभ दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.53 लाख के कर की चोरी हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024 और सितंबर 2024 के बीच), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर डीलर से ₹5.53 लाख की कर राशि की वसूली की।

(ग) नामित अधिकारी (वार्ड-2) ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, इन सांविधिक घोषणाओं को सत्यापित किए बिना 12 'सी' फॉर्म के सापेक्ष में ₹6.59 करोड़ की अंतरराज्यीय बिक्री राशि की अनुमति दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 12 'सी' फॉर्म में से एक सी फॉर्म जिसकी कीमत ₹39.05 लाख थी, उसका उपयोग दो बार किया गया था और नामित अधिकारी ने इसकी अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.01 लाख की रियायती कर राशि की अस्वीकार्य अनुमति दी गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की और लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर डीलर से ब्याज सहित ₹5.01 लाख के कर की वसूली की।

3.1.8 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण और जांच एक विभाग के कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि पारदर्शिता, उत्तरदेही और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। पूर्ववर्ती पैराओं में इंगित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अतिरिक्त, नमूना जांच के दौरान एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी को उजागर करते हुए निम्नवत कमियां भी देखी गईं:

- आठ मामलों में, डीलरों ने ऐसे माल का व्यापार किया जो उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में शामिल नहीं थे, फिर भी नामित अधिकारी द्वारा उन्हें रियायती कर और इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ प्रदान किया गया।
- एक मामले में, एक ही निर्धारण दो बार किया गया था, पहली बार नवंबर 2020 में और दूसरी बार नवंबर 2023 में किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (जुलाई-अक्तूबर 2024) कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, आईटी लेखापरीक्षा या लेखापरीक्षा रिटर्न संचालित नहीं किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

मामला गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया (जनवरी 2025); उनका उत्तर अगस्त 2025 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव (डीडी)

3.2 'डीएनएच एवं डीडी में सड़क परिवहन विभाग का कार्यचालन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है, जिसके लिए यह वाहन और सारथी जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करता है।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम के गैर-अनुपालन और प्रवर्तन में अंतर के दृष्टांत प्रकट किए, जैसे:

- **वाहनों के पंजीकरण, परमिट जारी करने और फिटनेस प्रमाणपत्रों से संबंधित अनियमितताएं।**
- **पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी), परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्रों के गैर-नवीनीकरण के मामले।**
- **गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण, कुछ मामलों में एमवी कर की गैर-वसूली के मामले।**
- **प्राधिकृत नेशनल परमिट के बिना चलने वाले वाहन।**
- **ई-चालान के माध्यम से प्रवर्तन गतिविधियों में कमियां और बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के चलने वाले वाहन और**
- **सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में देरी।**

इन समस्याओं का परिवहन विभाग द्वारा वाहन और सारथी पर उपलब्ध डेटा का सक्रियता से विश्लेषण करके और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके समाधान किया जा सकता था।

वाहन और सारथी एप्लीकेशन के नियंत्रण में कमियां इंगित करने वाले मुद्दे भी देखे गए, जिनका यदि समाधान किया जाए तो कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन में भी मदद मिलेगी।

लेखापरीक्षा निम्नलिखित अनुशंसा करती है:

- **चूंकि वाहनों से संबंधित सभी डेटा सिस्टम में उपलब्ध है, इसलिए परिवहन विभाग द्वारा सक्रिय रूप से इसका उपयोग पंजीकरण, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्रों और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) आदि की समाप्ति के संबंध में उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ प्राधिकारियों को निगरानी करने और सतर्क करने के लिए कर सकता है, ताकि अधिनियम का अनुपालन करने में मदद मिल सके।**

- **नेशनल परमिट प्रदान करने से पहले यह जांच करने के लिए एक सिस्टम शुरू करना कि क्या व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) स्थापित किया गया है, जो बेहतर निगरानी और सुरक्षा विनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।**
- **पंजीकरण के दौरान चेसिस नंबर उचित ढंग से डाले गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक साधारण जांच को जोड़ा जा सकता है।**
- **एक ही व्यक्ति को एक ही तरह के कई लाइसेंस जारी करने से रोकने के लिए सारथी पोर्टल को बेहतर बनाया जा सकता है।**
- **ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।**
- **लागू शुल्क की दरों में परिवर्तन के साथ सिस्टम को समय पर अपडेट करने से उचित शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित होगा।**
- **जब तक सभी चालान का भुगतान अदा नहीं होता तब तक सिस्टम को परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण को ब्लॉक करने के लिए अपडेट किया जा सकता है।**
- **यह सुनिश्चित करना कि सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाले उपकरण और वैध पीयूसीसी हैं जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।**

इन क्षेत्रों में कार्य करके, परिवहन विभाग सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं की यथार्थता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार कर सकता है।

3.2.1 प्रस्तावना

केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) एवं दमन और दीव (डीडी) के परिवहन विभाग (डीओटी) को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवी अधिनियम) और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 के प्रावधानों का यूटी में अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, बॉम्बे मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 तथा गोवा, दमन और दीव मोटर वाहन नियमावली, 1974 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम/जारी की गई अधिसूचनाएँ क्रमशः दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव पर लागू हैं। गैर-परिवहन वाहनों और कुछ परिवहन वाहनों *जैसे हल्के* मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन, निर्माण उपकरण वाहन *आदि के* संबंध में मोटर वाहन कर को एक-बार का

कर (ओटीटी) के रूप में एकमुश्त के रूप में वसूला जाता है, जबकि अन्य परिवहन वाहनों से कर एमवी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों पर मासिक/अर्ध वार्षिक/वार्षिक आधार पर वसूला जाता है। बॉम्बे मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 तथा गोवा, दमन और दीव मोटर वाहन अधिनियम, 1974 की धारा 3 यूटी सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी करके कर की दर निर्धारित करने का अधिकार देती है। एमवी अधिनियम यूटी सरकार को एक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने, वाहन का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, सड़क परमिट, वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र और सड़क कर संग्रहित करने का उत्तरदायित्व देता है। विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के सुचारू निर्वहन हेतु उपयोग किए जा रहे आईटी एप्लीकेशन इस प्रकार हैं:

- **वाहन:** विभाग वाहनों का पंजीकरण/पंजीकरण नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, पता बदलने, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने/नवीनीकरण करने, सभी प्रकार के परमिट जारी करने/नवीनीकरण करने एवं कर और जुर्माना का संग्रहण करने हेतु वाहन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है।
- **सारथी:** विभाग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण करने तथा फीस और जुर्माना का संग्रहण करने हेतु सारथी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है।
- **ई-चालान:** ई-चालान ऐप एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है जो परिवहन प्रवर्तन विंग और ट्रैफ़िक पुलिस के उपयोग हेतु एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप और बैक-एंड वेब एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को प्रबंधित करता है। इस ऐप का उपयोग चालान जारी करने और समझौता शुल्क का निपटान करने के लिए किया जाता है।

3.2.1.1 परिवहन विभाग की संगठनात्मक संरचना

यूटी में परिवहन विभाग का प्रबंधन और कार्य पद्धति सबसे शीर्ष स्तर पर सचिव (परिवहन) द्वारा देखा जाता है। निदेशक-कम-संयुक्त सचिव (परिवहन) (डीओटी) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधिनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारी हैं एवं एक मोटर वाहन इंस्पेक्टर

(एमवीआई),दमन तथा सिलवासा और दीव में तैनात सहायक मोटर वाहन इंस्पेक्टर उनकी मदद करते हैं। यूटी डीएनएच एवं डीडी की सीमाओं पर कई चेक पोस्ट (सीपी) हैं, जहां उस क्षेत्र में आने वाले वाहनों के परमिट, प्राधिकार, ओवरलोडिंग आदि से संबंधित जांच की जाती है।

3.2.1.2 परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्ति

डीओटी ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान 90,607 वाहनों (परिवहन वाहन और गैर-परिवहन वाहन) पंजीकृत किए थे, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल*)* और लर्निंग लाइसेंस (एलएल*)* सहित 1,32,244 लाइसेंस जारी किए*,* और ₹414.55 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया। वर्ष-वार राजस्व प्राप्ति का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: डीओटी की राजस्व प्राप्ति की विवरणी

वर्ष	पंजीकृत कुल वाहन	जारी किए गए कुल लाइसेंस (डीएल, एलएल और अन्य सहित)	संग्रहित कुल राजस्व *(₹ करोड़ में)*
2019-20	18,065	12,699	59.70
2020-21	13,566	28,577	59.30
2021-22	16,135	30,975	71.55
2022-23	19,262	30,246	100.17
2023-24	23,579	29,747	123.83
कुल	**90,607**	**1,32,244**	**414.55**

स्रोत: परिवहन निदेशक, डीएनएच एवं डीडी द्वारा प्रदान किया गया डेटा

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य डीएनएच एवं डीडी के डीओटी के कार्यों और मानदंडों के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए), 1988 के अनुसार निम्नवत थे:

- क्या आरटीओ द्वारा अधिनियम/नियमों के अनुसार, पंजीकरण, परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण एवं उपयोग पर विनियम और नियंत्रण लागू किया गया था?

- क्या आरटीओ ने अधिनियम के अनुसार लाइसेंस जारी, नवीनीकरण और रद्द करने को प्रबंधित किया?
- क्या आरटीओ ने अधिनियम के अनुसार राजस्व (कर, जुर्माना, उपकर) का निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण और प्रेषित किया और बकाया पर कार्रवाई की?
- क्या आरटीओ द्वारा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त पालन करने सहित एमवीए का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन गतिविधियां संचालित की गई थीं?
- क्या वाहन और सारथी के लागू होने से सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता बढ़ी थी?

3.2.3 लेखापरीक्षा मानदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा मानदंड उन अधिनियमों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों[57] से लिए गए हैं, जो वाहनों के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, मोटर वाहन कर/यात्री कर आदि का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहित करने की प्रक्रिया को शासित करते हैं।

एसएससीए में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा शामिल थी। यूटी में तीन आरटीओ में से, आरटीओ दमन और आरटीओ सिलवासा को जिलों में सबसे अधिक कर संग्रहण के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था एवं अगस्त से नवंबर 2024 तक दो चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अभिलेखों की जांच की गई थी।

---

57 मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989, बॉम्बे मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 और गोवा, दमन और दीव (डीडी) मोटर वाहन नियम, 1974 जो क्रमशः यूटी डीएनएच एवं डीडी पर लागू होते हैं, दादरा और नगर हवेली मोटर वाहन नियम, 1994, दमन और दीव मोटर वाहन नियम, 1989, दमन और दीव मोटर वाहन कर (संशोधन विनियमन), 2010; केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन/केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देश/नियमावली/निर्देश/परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं/संशोधन।

28 मई 2024 को विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा दायरा, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई।

अगस्त से नवंबर 2024 के बीच, लेखापरीक्षा ने यूटी डीएनएच एंड डीडी में पंजीकृत वाहनों के लिए लेखापरीक्षा अवधि (2019-20 से 2023-24) से संबंधित वाहन डेटा निकाला। निकाले गए डेटा का चिन्हित जोखिम मानदंडों के अनुसार एमएस एक्सेस में विश्लेषण किया गया था। प्रत्येक जोखिम मानदंड के लिए, उस विशिष्ट जोखिम मानदंड के लिए कुल मामलों की संख्या जानने के लिए क्वेरी चलाई गई। आरटीओ (दमन और सिलवासा) में आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से चुने गए 20 नमूना अभिलेखों (वाहनों) की जांच/पुन: सत्यापन करके प्रत्येक जोखिम मानदंड की प्रतिपरीक्षण/पुनः पुष्टि की गई। वाहन पोर्टल, भौतिक फाइलों *आदि* पर क्रॉस-सत्यापित/मान्य नमूना अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

25 फरवरी 2025 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों और सचिव (परिवहन), यूटी डीडी एंड डीएनएच के साथ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई जिन्होंने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक सूचना और अभिलेख प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।

3.2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यूटी से संबंधित कुल वाहन डेटा के संबंध में जोखिम मानदंडों की लेखापरीक्षा विश्लेषण और उसके बाद नमूना डेटा के मान्यकरण से निम्नवत पता चला:

- वाहनों के पंजीकरण में, वाहनों को परमिट जारी करने एवं वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने में अनियमितताएं।
- वाहन और सारथी अनुप्रयोगों में प्रणाली संबंधित समस्याएं।
- प्रवर्तन गतिविधियों और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में कमियां।

- सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली और गति सीमित करने वाला उपकरण।
- परिवहन विभाग को अप्रदत्त देय या बकाया राशि जैसे कि रोड कर, अनुज्ञा शुल्क, जुर्माना, या दूसरे प्रभार जिनका नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया गया है। ये बकाया सरकारी राजस्व को दर्शाते हैं जो वैध रूप से वसूली योग्य हैं और यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो जुर्माना, ब्याज या नोटिस या वाहन ज़ब्त करने जैसी प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रत्येक मुद्दे पर डेटा विश्लेषण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के 40 मामलों (सिलवासा में 20 और दमन में 20) के नमूना आकार में मान्यकरण/पुष्टिकरण पर आधारित है। दो पैरा (2.7.1 -I और II) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मान्यकरण/पुष्टिकरण हेतु प्रत्येक ज़िले के लिए 50 मामलों के नमूना आकार का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने दीव ज़िले में कोई नमूना जांच नहीं की।

यह पाया गया कि नमूना जांचे गए मामलों में मौजूदा नियमों/प्रावधानों के गैर-अनुपालन की प्रतिशतता 77.5 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक थी, सिवाय एक मुद्दे (पैरा 2.2.2) के, जहां आगामी पैराओं में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं के संबंध में गैर-अनुपालन 35 *प्रतिशत* था।

जबकि लेखापरीक्षा ने आगामी पैराओं में बताए अपने निष्कर्षों में केवल नमूना मान्य मामलों पर आधारित धन की कीमत को निर्धारित किया है, फिर भी नमूना जांच किए गए मामलों में अनियमितताओं की उच्च प्रतिशतता मान्य थी जिसने प्रारंभिक डेटा विश्लेषण में बताई गईं अनियमितताओं के केवल एक छोटे नमूने को दर्शाया है जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित इन अनियमितताओं के होने की पुष्टि करता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि आरटीओ दीव में इसी प्रकार के मामले और दमन और सिलवासा में शेष मामले, जिनको डेटा विश्लेषण में चिन्हित किया गया, उन्हें विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांचा जाना अपेक्षित है कि पूरे यूटी में अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

3.2.5 वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताएं

3.2.5.1 गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का गैर-नवीनीकरण

एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) के साथ पठित सीएमवी नियमावली, 1989 का नियम 52 (2) और (3) के अंतर्गत परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी मोटर वाहन के संबंध में, आरसी जारी होने की तिथि से 15 वर्ष के लिए मान्य होगी और उसके बाद नवीनीकरण होगा। उपरोक्त सीएमवी नियमावली के नियम 81 के अंतर्गत, आरसी के नवीनीकरण हेतु शुल्क, फिटनेस जांच *आदि* के लिए, उसमें निर्दिष्ट दरों पर शुल्क वसूला जाएगा एवं *उक्त*[58] अधिनियम की धारा 41 की उप- धारा (10) के अंतर्गत आरसी को अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से लागू केन्द्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियमावली 2021 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 के अनुसार **तालिका 3.7** में गैर-परिवहन वाहन की आरसी के नवीनीकरण के लिए निम्नवत शुल्क देय होगा जैसा कि **तालिका 3.7** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.7: गैर-परिवहन वाहन के आरसी के नवीनीकरण के लिए देय शुल्क

वाहन का प्रकार	पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क (₹ में)
दोपहिया वाहन/मोटरसाइकिल	1,000
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल	2,500
हल्का मोटर वाहन	5,000
कोई अन्य वाहन	6,000

महामारी के कारण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने उन वाहनों की आरसी की वैधता को 31 अक्तूबर 2021 तक बढ़ा दिया, जिनकी आरसी की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी।

[58] अधिनियम की धारा 55(1) के अंतर्गत, अगर कोई मोटर गाड़ी नष्ट हो गई है या हमेशा के लिए उपयोग के लायक नहीं रही है, तो मालिक को 14 दिनों के भीतर या जितनी जल्दी हो सके, उस बात की रिपोर्ट उस पंजीकरण प्राधिकारी को देनी होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में गाड़ी सामान्य रूप से रखी जाती है।

यूटी के लिए वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 1,187 वाहनों की वैधता समाप्त हो चुकी थी जिसकी समाप्ति के बाद का समय एक महीने से लेकर 61 महीनों तक था जिसमें यूटी में दो चयनित आरटीओ के 1,001 वाहन भी शामिल थे।

प्रत्येक आरटीओ (दमन और सिलवासा) के 20 नमूना वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि इन 40 वाहनों में से 31 सक्रिय वाहनों (77.5 *प्रतिशत*) के आरसी का नवीनीकरण नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, ₹4.7 लाख **(अनुलग्नक 3.7)** का नवीनीकरण शुल्क और उस पर जुर्माना वसूल नहीं किया गया[59] था।

विभाग (आरटीओ दमन और आरटीओ सिलवासा) ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि आरसी का नवीनीकरण करवाने का उत्तरदायित्व संबंधित मोटर वाहन (एमवी) मालिक की है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि एमवी मालिक से सत्यापन अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया और जुर्माना वसूल करने के बाद आरसी का नवीनीकरण किया जा रहा था। तथापि, जिन वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है, उनके पंजीकरण के गैर-नवीनीकरण और उन्हें ज़ब्त करने के संबंध में विभाग द्वारा ट्रैफिक पुलिस को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखने की आवश्यकता है कि वाहन एप्लीकेशन से समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करके उन मामलों की समीक्षा करने के लिए स्वयं संज्ञान में लेकर कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा रही थी, जिनकी 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी एवं धारा 55 (1) के अंतर्गत आरसी समाप्त हो चुके वाहनों को ज़ब्त करने से संबंधित भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

---

[59] आरटीओ दमन में 529 मामले थे, लेखापरीक्षा में 20 मामलों का नमूना लिया गया और 15 मामलों (75%) में अभ्युक्तियां पाई गईं।

आरटीओ सिलवासा में 472 मामले थे, लेखापरीक्षा में 20 मामलों का नमूना लिया गया और 16 मामलों (80%) में अभ्युक्तियां पाई गईं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि वाहन एप्लीकेशन में एक स्वचालित प्रणाली होनी चाहिए जो 15 वर्ष से अधिक पुरानी आरसी वाले मामलों को चिन्हित कर सके और मालिकों/प्राधिकारियों को समय पर सतर्क कर सके। इस बीच, ऐसे मामलों की समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रणाली से आवधिक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

3.2.5.2 निर्माण उपकरण वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

निर्माण उपकरण वाहनों को सीएमवी नियमावली 1989 के नियम 2 (सीएबी) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दिनांक 29 दिसंबर 2016 की अपनी अधिसूचना में, सीएमवीआर के नियमं 81 के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नया पंजीकरण चिन्ह देने के लिए शुल्क निर्धारित किया है। निर्माण उपकरण वाहनों को 'अन्य' के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना और ₹3,000 का पंजीकरण शुल्क लगाना अपेक्षित है।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यूटी के दो नमूना आरटीओ[60] में 22 निर्माण उपकरण वाहनों को गलत तरीके से एलएमवी, एचएमवी या एमएमवी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था।

दो नमूना आरटीओ (दमन और सिलवासा) में 22 वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि सभी 22 वाहनों को गलत तरीके से एलएमवी, एचएमवी या एमएमवी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹39,300 के पंजीकरण शुल्क **(अनुलग्नक 3.8)** का कम उद्ग्रहण हुआ।

60 आरटीओ, दमन में नौ मामले थे, सभी नौ मामलों में अभ्युक्ति पाई गई और ₹16,900 का कम पंजीकरण शुल्क वसूला गया।
आरटीओ, सिलवासा में 13 मामले थे, सभी 13 मामलों में अभ्युक्ति पाई गई और ₹22,400 का कम पंजीकरण शुल्क वसूला गया।

आरटीओ, दमन ने बताया कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया था और पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण का निपटान पूरा होने तक वाहन को 'लेन-देन न करने' के लिए काली सूची में डाला दिया था, जबकि आरटीओ, सिलवासा ने उत्तर दिया कि संबंधित वाहन मालिक को मांग नोटिस जारी किया जाएगा (जनवरी 2025)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि निर्माण उपकरण वाहनों को पंजीकरण के समय 'कोई अन्य वाहन' के रूप में उचित ढ़ंग से वर्गीकृत किया जाए, ताकि पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण को रोका जा सके।

3.2.5.3 किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान बस

सीएमवीए, 1988 के 2 (11) के अनुसार, 'शैक्षणिक संस्थान बस' को एक 'ओमनी बस के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान की हो और जिसका उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या स्टाफ को उसकी किसी भी गतिविधि के संबंध में लाने-ले जाने के लिए किया जाता हो'। इसलिए, शैक्षणिक संस्थान की बस को किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, केन्द्र शासित प्रदेश में 'शैक्षणिक संस्थान बस' की श्रेणी के अंतर्गत कुल 23 वाहन पंजीकृत थे, और ये सभी वाहन दो नमूना आरटीओ में ही पंजीकृत थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन और सिलवासा) में सभी 23 वाहन के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 11 वाहन का पंजीकरण व्यक्तियों या निजी फर्मों[61] के नाम पर था।

---

61 आरटीओ, दमन - 10 वाहन शैक्षणिक बस के रूप में पंजीकृत थे - 2 व्यक्तिगत या प्राइवेट लिमिटेड/लॉजिस्टिक्स जिसकी पुष्टि वाहन डेटाबेस से की गई थी।

आरटीओ सिलवासा - 13 वाहन शैक्षणिक बस के रूप में पंजीकृत थे - 9 व्यक्तिगत या प्राइवेट लिमिटेड/लॉजिस्टिक्स जिसकी पुष्टि वाहन डेटाबेस से की गई थी।

आरटीओ दमन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि पुनः पंजीकरण में कोई गलती या चूक हुई थी और उन वाहनों का डेटा अद्यतित कर दिया गया था, जबकि आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर शैक्षणिक संस्थान बस के रूप में कोई बस पंजीकृत नहीं की गई है, तथापि, यदि ऐसे वाहन सड़क पर पाए जाते हैं, तो मामले को नियमित करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

आरटीओ दमन के उत्तर से अभ्युक्ति में बताए गए तथ्य की पुष्टि की, हालांकि, आरटीओ सिलवासा का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वाहन में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार तीन बसें व्यक्तिगत मालिकों के नाम पर थीं, और अन्य छः निजी फर्मों के नाम पर पंजीकृत थीं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग पंजीकरण के समय स्वामित्व विवरण सत्यापित करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शैक्षणिक संस्थान वाहन संस्थान/शैक्षणिक ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है।

3.2.6 वाहनों को परमिट जारी करने में अनियमितताएं

3.2.6.1 परमिट का गैर-नवीनीकरण

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 81(1) के अनुसार, धारा 87 के अंतर्गत जारी किए गए अस्थायी परमिट या धारा 88 की उप-धारा (8) के अंतर्गत विशेष परमिट को छोड़कर, परिवहन वाहनों के परमिट जारी होने या नवीनीकरण होने की तिथि से पांच वर्ष के लिए वैध होते हैं। धारा 81 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि परमिट समाप्त होने से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन प्रस्तुत करके परमिट का नवीनीकरण किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के कारण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो चुके वाहन परमिट की वैधता 31 अक्तूबर 2021 तक बढ़ा दी थी।

सं.एडीटीआर/डीएमएन/एफ.79/104/2002-03/83 दिनांक 26 नवंबर 2002 के नियम 77(2) के द्वारा, "पर्यटक वाहन के परमिट के लिए आवेदन के संबंध में शुल्क ₹200 होगा और ऐसे परमिट के नवीनीकरण के लिए शुल्क ₹125 होगा"।

इसके अतिरिक्त, यूटी अधिसूचना सं. एडीटीआर/डीएमएन /104/2003-04/27 दिनांक 18 दिसंबर 2003 के अनुसार "वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए परमिट के नवीनीकरण के लिए देरी से आवेदन पर अतिरिक्त शुल्क" का नियम लागू होगा।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 910 सक्रिय वाहनों के परमिट यूटी में समाप्त हो गए थे और उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था, जिसमें दो नमूना आरटीओ में 892 सक्रिय वाहन शामिल थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन और सिलवासा) में प्रत्येक 20 वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 40 वाहनों में से 35 वाहनों (87.5 *प्रतिशत*)[62] के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, कुल ₹3.01 लाख का नवीनीकरण शुल्क और उस पर लगने वाला जुर्माना **(अनुलग्नक 3.9)**, वसूला नहीं गया था।

विभाग ने अपने उत्तर (आरटीओ दमन और आरटीओ सिलवासा) (जनवरी 2025) में बताया कि परमिट का नवीनीकरण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित एमवी मालिक/परमिट धारक का है। तथापि, वैधता समाप्त हो चुके वाहनों को बिना परमिट चलते पाये जाने पर उनके मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे बकाया शुल्क वसूला जाएगा।

3.2.6.2 नेशनल परमिट का गैर-अनुमोदन

एमवी अधिनियम, 1988 के अंतर्गत, परिवहन वाहनों के लिए अस्थायी परमिट को छोड़कर, शेष परिवहन वाहनों के लिए परमिट पांच वर्ष के लिए वैध होंगे। सीएमवी नियमावली के अनुसार, परिवहन वाहनों के लिए नेशनल परमिट प्राप्त करते समय,

---

[62] आरटीओ दमन में 258 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों का नमूना लिया और 19 मामलों (95%) में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा में 634 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों का नमूना लिया और 16 मामलों (80%) में अभ्युक्ति पाई गई।

नेशनल परमिट के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ ₹1,000/- प्रति वर्ष का शुल्क देना होगा। प्राधिकार की वैधता एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभिक प्राधिकार समाप्त होने के बाद, परमिट की वैधता तक इसका प्रति वर्ष नवीनीकरण करना होगा। नेशनल परमिट के प्राधिकार के लिए सरकारी खाते में प्राधिकार के लिए प्रति वर्ष ₹16,500 के समग्र शुल्क के साथ ₹1,000 का "आवेदन शुल्क" जमा करना था।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 12,857 नेशनल परमिट में से 1267 परिवहन वाहन यूटी में वैध नेशनल परमिट के बिना चल रहे थे, जिसमें दो नमूना आरटीओ में 1214 परिवहन वाहन शामिल थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन और सिलवासा) में प्रत्येक 20 सक्रिय वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 40 सक्रिय वाहनों में से 14 सक्रिय वाहनों (35 *प्रतिशत*) के संबंध में नेशनल परमिट प्राधिकृत नहीं थे। परिणामस्वरूप, ₹3.15 लाख (**अनुलग्नक 3.10**) की राशि के लिए समेकित शुल्क और आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई[63] थी।

आरटीओ दमन ने अपने उत्तर में बताया कि बिना परमिट प्राधिकार के वाहनों से जुर्माना संग्रहित किया जाएगा और तब से उक्त वाहन को "लेन-देन नहीं करना" के रूप में काली सूची मे डाला जाएगा। आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया कि नेशनल परमिट पोर्टल (जनवरी 2025) से सत्यापित करने के बाद तथ्यों की सूचना दी जाएगी ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि वाहन एप्लीकेशन में समाप्त परमिट वाले वाहनों की पहचान करने एवं मालिकों/प्राधिकारियों को सतर्क करने के लिए एक स्वचालित सिस्टम होना चाहिए ताकि परमिट के नवीनीकरण एवं बकाया शुल्क और जुर्मानों की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके। इस बीच ऐसे मामलों की समीक्षा करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रणाली से आवधिक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

---

[63] आरटीओ दमन में 351 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों का नमूना लिया और 2 मामलों (10 प्रतिशत) में अभ्युक्ति पाई गई।
आरटीओ सिलवासा के पास 863 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों का नमूना लिया और 12 मामलों (60 प्रतिशत) में अभ्युक्ति पाई गई।

3.2.6.3 पंजीकरण के बाद परमिट मिलने में विलंब

एमवी अधिनियम1988 की धारा 66 के अनुसार, मोटर वाहन का मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग कर सकता है या उपयोग करने की अनुमति दे सकता है, चाहे वह वाहन वास्तव में किसी यात्री या माल को ले जा रहा हो या नहीं, सिवाय उस परमिट की शर्तों के जो किसी क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिए गए या प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों जो उसे उस स्थान पर वाहन का उपयोग उसी तरह करने के लिए प्राधिकृत करता है, जिस तरह वाहन का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में अधिनियम और नियम किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं करते हैं जिसके भीतर परमिट जारी किया जाना है।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के दौरान 7,459 वाहनों के संबंध में, यूटी में वाहनों के पंजीकरण तिथि और परमिट जारी होने की तिथि के बीच अत्यधिक समय का अंतर (32 दिन से लेकर 18,757 दिनों तक) था, जिसमें दो नमूना आरटीओ में 7,301 वाहन शामिल थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन और सिलवासा) में प्रत्येक 20 परिवहन वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 40 नमूना वाहनों के संबंध में पंजीकरण तिथि और परमिट जारी होने की तिथि के बीच 39 दिनों से लेकर 1,617 दिनों[64] का समय लगा। 13 मामलों में, 100 दिन का समय लिया गया था; 20 मामलों में इसकी सीमा 101 से लेकर 1,000 दिनों के बीच थी एवं सात मामलों में यह 1,000 दिन से अधिक थी।

---

[64] आरटीओ दमन में- डेटा विश्लेषण के अनुसार 1,166 वाहनों में अभ्युक्ति पाई गई, 20 नमूनों की जांच की गई और वाहन पोर्टल (100 *प्रतिशत*) पर सभी 20 मामलों में आपत्ति पाई गई। आरटीओ सिलवासा में, डेटा विश्लेषण के अनुसार 6,135 वाहनों में अभ्युक्ति पाई गई, 20 नमूनों की जांच की गई और वाहन पोर्टल (100 *प्रतिशत*) पर 20 वाहनों में आपत्ति पाई गई।

सत्यापित मामलों में, आरटीओ दमन में 40 से 1471 दिनों और आरटीओ सिलवासा में 39 से 1617 दिनों का विलंब था।

आरटीओ दमन ने उत्तर दिया कि परिवहन वाहन के पंजीकरण से पहले फिटनेस की जांच की गई थी तथा परमिट जारी होने से पहले वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद परमिट लेने में विलंब के संबंध में मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, जबकि आरटीओ सिलवासा ने बताया कि वाहन का पंजीकरण जारी होने के बाद मोटर वाहन का मालिक परमिट के लिए आवेदन करता है और शुल्क की प्राप्ति के बाद परमिट दिया जाता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमिट के बिना, परमिट जारी होने में विलंब के कारण किसी परिवहन वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तथा परमिट उचित समय सीमा के भीतर जारी किए गए हैं।

3.2.7 फिटनेस प्रमाणपत्रों का गैर-नवीनीकरण

एमवी अधिनियम, 1988 और सीएमवी नियमावली, 1989 में प्रावधान है कि परिवहन वाहन तब तक पंजीकृत नहीं माने जाएंगे, जब तक उनका फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होता है। नए पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध मे दिया गया फिटनेस प्रमाणपत्र दो वर्ष के लिए मान्य होता है और उसके बाद सीएमवी नियमावली के नियम 81 की धारा 10 के अनुसार शुल्क प्रभारों का भुगतान करने के बाद हर साल इसका नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 4,285 वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो गए थे और यूटी में उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था, जिसमें दो नमूना आरटीओ के 4,074 वाहन भी शामिल थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन और सिलवासा) में प्रत्येक 20 वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 40 वाहनों में से 38 वाहनों (95 प्रतिशत) का फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप,

₹21 लाख रकम **(अनुलग्नक-3.11)** की अनुमानित राशि के लिए नवीनीकरण शुल्क और उसके जुर्माने की वसूली नहीं की गई[65] थी।

विभाग (आरटीओ दमन) ने अपने उत्तर में बताया कि उन सभी संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा जिनके वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो गया और उन पर अधिसूचना के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। आरटीओ सिलवासा ने अपने उत्तर में बताया कि फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण का उत्तरदायित्व संबंधित एमवी मालिक का था। यदि एमवी मालिक ने अपने वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए समाप्ति के बाद आवेदन किया था, तो देय जुर्माना की वसूली फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से पहले की जा रही थी। साथ ही, फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त होने के मामले में कोई लेन-देन की अनुमति नहीं थी। फिर भी, सभी संबंधित परिवहन परिचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे यदि उनके वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो गए हैं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि वाहन एप्लीकेशन में समाप्त परमिट को चिन्हित करने एवं मालिकों/प्राधिकारियों को सतर्क करने के लिए एक स्वचालित सिस्टम होना चाहिए ताकि परमिट के नवीनीकरण एवं बकाया शुल्क और जुर्मानों की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके। इस बीच ऐसे मामलों की समीक्षा करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रणाली से आवधिक रिपोर्ट तैयार की जाए।

3.2.8 परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर की गैर-वसूली

परिवहन विभाग, केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की अधिसूचना सं.आरएलए/जीएनएल/45/2003–2/6836 दिनांक 26 अप्रैल 2011 के अनुसार तथा बॉम्बे मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे अधिनियम सं. 65) की धारा 3 की उप-धारा (i) जो यूटी दादरा और नगर हवेली तक विस्तारित है और

---

[65] आरटीओ दमन के पास 1314 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों का नमूना लिया और 19 मामलों (95 प्रतिशत) में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा के पास 2760 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों का नमूना लिया और 19 मामलों (95 प्रतिशत) में अभ्युक्ति पाई गई।

बॉम्बे मोटर वाहन कर (संशोधित) विनियम 2011 की धारा 9(7) एवं दमन और दीव मोटर वाहन कर (संशोधित) विनियम, 2010 की धारा 3बी अनुसूची ए तक विस्तारित और उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक दादरा और नगर हवेली को परिवहन वाहनों हेतु "अनुसूची ए" में विनिर्दिष्ट दरों पर मोटर वाहन कर लगाना तथा उसकी वसूली करनी है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दरों को अधिसूचना सं. एडीटीआर/डीएनएच/कर-विनि./2020-21/40 के द्वारा 01.07.2020 से संशोधित किया गया था।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 3,018 वाहनों सहित यूटी में 3,071 परिवहन वाहनों के संबंध में वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया था।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 20 ऐसे वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान, यह पाया गया था कि 40 वाहनों में से 37 वाहनों (92.50 प्रतिशत) के संबंध में मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, कुल ₹8.48 लाख **(अनुल्गनक-3.12)** के मोटर वाहन कर तथा उस पर जुर्माने की वसूली नहीं की गई[66] थी।

विभाग (आरटीओ दमन एवं आरटीओ सिलवासा) ने उत्तर दिया कि लंबित एमवी कर की वसूली हेतु संबंधित एमवी मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा तथा सभी वाहनों को "लेन-देन नहीं किया जाना है" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग मोटर वाहन कर की समय पर वसूली हेतु वाहन मालिकों को अग्रिम रूप से मोटर वाहन कर की वसूली हेतु नोटिस जारी कर सकता है।

---

66 आरटीओ दमन के पास 1147 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की नमूना जांच की तथा 19 मामलों (95%) में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा के पास 1871 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की नमूना जांच की तथा 18 मामलों (90%) में अभ्युक्ति पाई गई।

3.2.9 वाहन तथा सारथी पोर्टल में प्रणालीगत समस्याएं

लेखापरीक्षा ने वाहन तथा सारथी पोर्टल में कुछ प्रणालीगत समस्याएं पाईं जिनका प्रणाली में कुछ जाँच तथा इनपुट नियंत्रणों को स्थापित करके समाधान किया जा सकता है। इन कमियों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2.9.1 वाहन ट्रेकिंग सिस्टम उपकरणों के बिना वाहनों को जारी किया गया नेशनल परमिट-वाहन

एमवी अधिनियम 1988 की धारा 88(12) के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकरण, लंबी दूरी के अंतरराज्यीय सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में मालवाहक वाहनों के संबंध में नेशनल परमिट प्रदान कर सकता है। नियम 90(6) के अनुसार, धारा 88 की उप-धारा 12 के अंतर्गत जारी नेशनल परमिट वाहन को केवल एआईएस 40 के अनुसार व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाए जाने के बाद ही जारी किया जाएगा। वाहन पोर्टल में वाहन को परमिट जारी किए जाने के समय वीएलटीडी उपकरण लगाना अनिवार्य करना राज्य/यूटी का उत्तरदायित्व है।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सिस्टम दो नमूना आरटीओ में 13,115 वाहनों सहित, यूटी में नेशनल परमिट पर चल रहे 13,862 वाहनों के संबंध में वीएलटीडी से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं दर्शा रहा था।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 20 वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि सिस्टम सभी 40 वाहनों (100 *प्रतिशत*)[67] के संबंध में वीएलटीडी की कोई प्रविष्टि नहीं दर्शा रहा था।

---

[67] आरटीओ, दमन में वीएलटीडी के बिना 1269 मालवाहक वाहन हैं, सभी 20 नमूनों में वाहन डेटाबेस से 20 मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई थी।

आरटीओ सिलवासा में वीएलडीटी के बिना 11,846 मालवाहक वाहन हैं, सभी 20 नमूनों में वाहन डेटाबेस से 20 मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई थी।

विभाग (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) ने उत्तर दिया कि सिस्टम बिना ट्रेकिंग सिस्टम लगे किसी भी वाहन को आरटीओ में पंजीकृत करने की अनुमति नहीं देता है, तथापि, बिना वाहन ट्रेकिंग सिस्टम के नेशनल परमिट पर चल रहे वाहनों के मामले में आवश्यक प्रावधान करने हेतु एनआईसी को प्रेषित किया जाएगा। (फरवरी 2025)।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वाहन डेटाबेस से प्राप्त सभी वैध मामलों में नेशनल परमिट यह सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था कि वीएलटीडी लगाया गया था।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि नेशनल परमिट प्रदान करने से पहले व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के अनिवार्य रूप से लगाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु वाहन सिस्टम में एक जांच होनी चाहिए।

3.2.9.2 1 अक्तूबर 2015 के बाद निर्मित वाहन जिनमें गति नियंत्रक उपकरण नहीं लगाए गए थे

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 118(1) के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम में उल्लिखित अपवादों के अधीन प्रत्येक परिवहन वाहन को यहाँ दिए गए को छोड़कर तथा 1 अक्तूबर 2015 को या इसके बाद निर्मित प्रत्येक परिवहन वाहन को वाहन निर्माता द्वारा या तो निर्माण चरण में या फिर डिलरशीप चरण पर एआईएस 018/2001 मानकों, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की पहले से निर्धारित अधिकतम गति वाला एक गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) से सुसज्जित होगा या लगाया जाएगा। एमओआरटीएच अधिसूचना दिनांक 16 जून 2016 के अनुसार, संबंधित राज्य प्राधिकरण वाहन मालिक को फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने से पूर्व एसएलडी उचित प्रकार से लगाया जाना सुनिश्चित करेगा।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यूटी में 01 अक्तूबर 2015 के पश्चात निर्मित 15375 परिवहन वाहनों के संबंध में

सिस्टम में इन वाहनों में एसएलडी लगाए जाने के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं थी, ये सभी वाहन नमूना आरटीओं में थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 20 वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि इन 40 वाहनों (100 *प्रतिशत*)[68] के संबंध में एसएलडी से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

आरटीओ दमन ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि वाहन डेटाबेस से सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जबकि आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया कि एसएलडी की प्रविष्टियों हेतु वाहन पोर्टल पर अनिवार्य प्रावधान करने हेतु मामला एनआईसी के साथ उठाया जाएगा (फरवरी 2025)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग सुरक्षा विनियमों के अनुपालन तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु सभी वाहन में गति नियंत्रक उपकरण लगाना सुनिश्चित करे।

3.2.9.3 एक/दो वर्ष से अधिक समय के लिए जारी फिटनेस प्रमाणपत्र-वाहन

सीएमवी नियमावली, 1989 (जैसा नवंबर 2018 में संशोधित) के नियम 62 के अनुसार परिवहन वाहन के संबंध में एक फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तथा ऐसा प्रमाणपत्र एक नए परिवहन वाहन, जो आठ वर्षों तक पुराना है, के लिए दो वर्षों तक वैध होगा तथा आठ वर्षों से पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण केवल निरीक्षण अधिकारी या प्राधिकृत जांच स्टेशन द्वारा विनिर्दिष्ट जांच किए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यूटी में, दो नमूना आरटीओ सहित, 63 वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र को

---

68 आरटीओ दमन में एसएलडी के बिना 1,586 वाहन थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की नमूना जांच की तथा सभी मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा में एसएलडी के बिना 13,789 वाहन थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की नमूना जांच की तथा सभी मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई।

एक/दो वर्षों से अधिक समय के लिए नवीनीकृत किया गया था/जारी किया गया था।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 20 पुराने वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि सभी 40 वाहनों (100 *प्रतिशत*) के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक समय के लिए नवीनीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने एक ऐसा वाहन पाया जिसके मामले में फिटनेस प्रमाणपत्र दो वर्षों[69] से अधिक समय के लिए जारी किया गया था।

विभाग (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) ने अपने उत्तर में बताया कि वे वाहन जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया था, वे अन्य राज्यों के थे जो यूटी डीएनएच तथा डीडी में पंजीकृत थे तथा नए वाहन पंजीकरण का शुल्क तथा स्वामित्व हस्तातंरण शुल्क लिया गया था। इसलिए सिस्टम में वाहन को नए वाहन के रूप में गिना गया था तथा एक वर्ष से अधिक समय के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। दो वर्षों से अधिक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में, आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया कि सभी सूचित वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र सीधे सिस्टम द्वारा तैयार किए गए थे, इसलिए, भविष्य के लिए सिस्टम को अनिवार्य अद्यतन करने हेतु मामला एनआईसी को प्रेषित किया जाएगा। (जनवरी 2025)।

विभाग के उत्तर से यह पुष्टि हुई कि सिस्टम में कमियां थीं जिसने नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में एक/दो वर्षों से अधिक समय के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा एक या दो वर्षों की अनुमत अवधि से अधिक समय के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने को प्रतिबंधित करने हेतु वाहन सिस्टम को अद्यतित करने

69 आरटीओ दमन में 27 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की नमूना जांच की तथा सभी 20 मामलों में (100%) अभ्युक्ति पाई गई। आरटीओ सिलवासा में 35 मामले थे, लेखापरीक्षा ने 20 मामलों की नमूना जांच की तथा 20 मामलों में अभ्युक्ति पाई गई। एक नए वाहन के मामले में फिटनेस प्रमाणपत्र दो वर्षों से अधिक समय के लिए नवीनीकृत किया गया था (100%)।

की अनुशंसा करती है। ऐसी कमियों को दूर करने के लिए सिस्टम पर पैन-इंडिया लिंकेज होना चाहिए।

3.2.9.4 सिस्टम ने वाहन की फिटनेस सुनिश्चित किए बिना बीमा स्वीकार किया-वाहन

सीएमवी अधिनियम 1988 की धारा 56 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को वैध रूप से पंजीकृत तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका फिटनेस प्रमाणपत्र न हो। सीएमवी अधिनियम 1988 की धारा 146 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन का, यात्री के रूप में छोड़कर, इसका उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने देगा जब तक कि उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक बीमा पॉलिसी न हो।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 252 वाहनों सहित यूटी में 265 वाहनों को उनके फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त होने के बावजूद बीमा किया गया था।

दो नमूना आरटीओ (दमन तथा सिलवासा) प्रत्येक में 20 वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि सभी 40 वाहनों (100 *प्रतिशत*)[70] के संबंध में उनके फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त होने के बावजूद भी वाहनों का बीमा किया गया था। वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहन का बीमा प्राप्त करने की संभावना सिस्टम में अपर्याप्त जांच, सुरक्षा उपायों में कमी तथा दुर्घटना के मामले में कम्पनियों द्वारा बीमा दावे की अस्वीकृति की संभावना को दर्शाती है।

विभाग ने अपने उत्तर (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) में बताया कि वाहन के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करते समय फिटनेस प्रमाणपत्र के

---

70 आरटीओ दमन ने 98 अनुपयुक्त वाहनों का बीमा किया था, 20 की वाहन पोर्टल पर नमूना जांच की गई तथा 20 मामलों में अभ्युक्ति पाई गई (100%)।

आरटीओ सिलवासा ने 154 अनुपयुक्त वाहनों का बीमा किया था, 20 की वाहन पोर्टल पर नमूना जांच की गई तथा 20 में अभ्युक्ति पाई गई (100%)।

लेन-देन का आवेदन करने से पहले बीमा का नवीनीकरण कराना अपेक्षित था। तथापि, आरटीओ सिलवासा ने बताया कि 'बीमा के बिना फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता' की अभ्युक्ति सिस्टम में अनिवार्य रूप से प्रावधानित करने हेतु एनआईसी को प्रस्तुत/परिचालित किया जाएगा (जनवरी 2025)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जहाँ बीमा कम्पनियों के पास बीमा करने से पहले वाहन पोर्टल पर वाहन की फिटनेस स्थिति की पुष्टि करने का साधन हो। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा दुर्घटनाओं के मामले में बीमा दावा करने के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की आवश्यकता पर जोर डालते हुए इस संबंध में सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

3.2.9.5 चेसिस नंबर के गलत फॉर्मेट वाले वाहनों का सिस्टम द्वारा पंजीकरण-वाहन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली द्वारा अनुमोदित एआईएस-065 (ऑटोमोटिव उद्योग मानक), 2005- तात्कालिक पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) द्वारा गठित तकनीकी स्थायी समिति मानक वाहन पहचान प्रणाली की एक विशिष्ट पद्धति विनिर्दिष्ट करता है जो वर्तमान यूरोपीय पद्धति के लगभग अनुरूप है। यह नया वाहन पहचान प्रणाली सीएमवीआर, 1989 के नियम 122 के अनुसार वाहन निर्माताओं द्वारा वर्तमान में पालन किए जा रहे चेसिस नंबरिंग प्रणाली की आवश्यकता का भी ध्यान रखती है। एआईएस–065 के 5.0 के अनुसार वाहन का चेसिस नंबर/वाहन पहचान संख्या (वीआईएन) 17 अक्षरों की होनी चाहिए।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 499 वाहनों सहित यूटी में 524 वाहनों के संबंध में वाहन पहचान संख्या (वीआईएन) की लंबाई 7 से 22 अक्षरों के बीच थी।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 20 वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि सभी 40 वाहनों (100 *प्रतिशत*)[71] के संबंध में वाहन पहचान संख्या (वीआईएन) की लंबाई निर्धारित 17 अक्षरों के बजाए 9 से 21 अक्षरों के बीच थी। आरटीओ दमन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि वाहन डेटाबेस के सत्यापन के पश्चात मामले का समाधान किया जाएगा। तथापि, आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि संबंधित निर्माता तथा विक्रेता द्वारा प्रावधान का पालन किया जाना था।

आरटीओ सिलवासा के उत्तर को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि वाहन पोर्टल में अंतर्निहित जांच होनी चाहिए जो दिशानिर्देशों के अनुसार 17 अक्षरों की लंबाई से अधिक लंबे वाहन के चेसिस नंबर को स्वीकार न करती हो।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सिस्टम में ही एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे कि वह नियमावली द्वारा अधिदेशित लंबाई से अधिक लंबे चेसिस नंबर को स्वीकार न करे।

3.2.9.6 हरित कर हेतु कर चूककर्ता रिपोर्ट तैयार न करना-वाहन

दमन और दीव मोटर वाहन कर (संशोधन), विनियम 2010 की धारा 4 तथा बॉम्बे मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958, की धारा 3 के (i) के खंड 3(i) जिसका यूटी डीएनएच तक विस्तार किया गया है, तथा बॉम्बे मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 3 (1ए), 4(4) तथा 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंजीकरण के 15 वर्ष पूरे होने के पश्चात प्रत्येक पांच वर्षों में हरित कर उद्ग्राह्य है जबकि परिवहन वाहनों के मामले में हरित कर वाहन पंजीकरण के 15 वर्ष पूरे होने के पश्चात प्रति वर्ष उदग्राह्य है।

---

71 आरटीओ दमन में 17 अक्षर से अधिक लंबे अक्षर वाले चेसिस नंबर के 96 वाहन थे; वाहन पोर्टल पर 20 नमूना जांच किए गए, सभी मामलों में (100%) अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा में 17 अक्षर से अधिक लंबे अक्षर वाले चेसिस नंबर के 403 वाहन थे, वाहन पोर्टल पर 20 नमूना जांच किए गए, सभी मामलों में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा में वाहन सिस्टम के विश्लेषण पर पंजीकृत वाहनों के सभी विवरण एमओआरटीएच के वाहन पोर्टल में दर्ज किए गए हैं। उक्त पोर्टल में, रिपोर्ट उपयोगिता भाग में, यह दर्शाया गया है कि सभी प्रकार के कर के लिए कर चूककर्ता रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कर चूककर्ता रिपोर्ट उन वाहनों के संबंध में कोई डेटा तैयार नहीं कर सकी जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे तथा हरित कर के भुगतान में चूक की थी, हालांकि पोर्टल पर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पंजीकृत थे तथा उनके पंजीकरण का नवीनीकरण होना था। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार हरित कर निगरानी तथा कर की वसूली हेतु एक समेकित डेटा/रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।

विभाग (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) ने उत्तर दिया कि हरित कर के लिए कर चूककर्ता रिपोर्ट तैयार करने हेतु वाहन पोर्टल में आवश्यक प्रावधान उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को निर्देश परिचालित किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि हरित कर के लिए कर चूककर्ता सूची तैयार करने के लिए सक्षम बनाने के लिए वाहन सिस्टम को अद्यतित किया जाए।

3.2.9.7 एक ही समय में कई सक्रिय ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 6(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) है जो वैध है, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 26 की धारा खंड 18 के प्रावधानों, जो यह बताते हैं कि यदि किसी समय नियम 24 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदान किया गया लाइसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो लाइसेंस धारक लाइसेंस प्राधिकरण, जिसने लाइसेंस प्रदान किया है, को तुरंत सूचना देगा तथा उक्त प्राधिकरण को एक डुप्लिकेट लाइसेंस हेतु लिखित में आवेदन करेगा, के अनुसार जारी लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस के अतिरिक्त कोई अन्य लाइसेंस नहीं रखेगा। नियम 32 में विनिर्दिष्ट उपयुक्त शुल्क सहित आवदेन की प्राप्ति पर लाइसेंस प्राधिकरण एक डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करेगा जिस पर स्पष्ट रूप से "डुप्लिकेट" अंकित किया

जाएगा। यदि डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करने के पश्चात मूल लाइसेंस मिल जाता है तो उस लाइसेंस प्राधिकरण, जिसके द्वारा यह जारी किया गया था, को तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामान्य समय अंतराल के दौरान एक ही प्रकार के वाहन हेतु दो अलग-अलग लाइसेंस रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

सारथी एप्लीकेशन डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे पांच मामले थे जहाँ यूटी में एक ही व्यक्ति को सामान्य समय अंतराल के दौरान एक ही प्रकार के एक से अधिक डीएल जारी किए गए थे, सभी मामले नमूना आरटीओ के हैं **(अनुलग्नक-3.13)**।

सभी पांच मामलों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि यह सभी डीएल सक्रिय तथा एक ही अवधि के लिए वैध थे। एक से अधिक डीएल जारी करने की घटनाएं एक से अधिक डीएल रखने पर प्रतिबंध से संबंधित व्यवसाय नियम को दर्ज ने करने के कारण हुई जिसकी वजह से प्रासंगिक इनपुट नियंत्रणों का अभाव हुआ जो दो या उससे अधिक लाइसेंस जारी करने का कारण बना।

आरटीओ दमन ने अपने उत्तर में बताया कि दोनों लाइसेंसों (गियर वाली मोटरसाइकिल (एमसीडब्ल्यूजी) तथा हल्के मोटर वाहन (एलएमवी)) के विलय हेतु जल्द से जल्द व्यक्ति को बुलाया जाएगा जबकि आरटीओ सिलवासा ने बताया कि क्रम सं. 1 पर लाइसेंस धारक के संबंध में अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि एलएमवी श्रेणी के केवल एक लाइसेंस की सूचना दी गई थी जबकि अन्य तीन मामलों में संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस धारक को नोटिस जारी किया जाएगा (जनवरी 2025)।

विभाग के उत्तर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि की।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग एक ही प्रकार के वाहन हेतु कई ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से बचने तथा लाइसेंस नवीनीकरण के सामयिक संसाधन को सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियां स्थापित करे। डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करने से बचने हेतु सारथी एप्लीकेशन में एक जांच की आवश्यकता है।

3.2.9.8 डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करने के मामले में शुल्क की कम वसूली

केन्द्रीय मोटर वाहन (छठा संशोधन) नियमावली, 2021 की धारा 18ए के अनुसार, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन की प्राप्ति के मामले में लाइसेंस प्राधिकरण 01 अप्रैल 2021 से लागू ₹400 के शुल्क के भुगतान के पश्चात डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करेगा। (एमओआरटीएच की अधिसूचना दिनाँक 31 मार्च 2021 के अनुसार संशोधित दरें)।

सारथी डेटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 31 लाइसेंस सहित यूटी में 32 डुप्लिकेट लाइसेंस जारी किए गए थे जिन पर ₹400 के बजाए ₹200 का शुल्क लगाया गया था।

दो नमूना आरटीओ (दमन-11 एवं सिलवासा-20) में सभी 31 अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि ₹400 के बजाए ₹200 का शुल्क लगाया गया था जिसके कारण कुल ₹6200 की कम वसूली हुई। यह अधिसूचना के अनुसार वाहन डेटाबेस में डुप्लिकेट लाइसेंस हेतु प्रभारों का अद्यतन न करने के कारण हो रहा था।

विभाग (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) ने उत्तर दिया (2025) कि एनआईसी द्वारा नियंत्रित सॉफ्टवेयर में अद्यतित न करने के कारण डुप्लिकेट लाइसेंस हेतु शुल्क वास्तविक शुल्क से कम लगाया गया था। आरटीओ दमन ने उत्तर दिया कि एनआईसी को शुल्क संरचना को अद्यतित करने का निर्देश दिया जाएगा जब कि आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया कि वर्तमान में डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करने के लिए ₹400 का संशोधित शुल्क लिया जा रहा था तथा इसलिए अब शुल्क का कम उद्ग्रहण नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को एनआईसी के समन्वय से शुल्क विन्यास के सत्यापन हेतु एक नियमित समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके

अतिरिक्त, सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु कमी की पूर्वव्यापी प्रभाव से वसूली पर विचार करना चाहिए।

3.2.9.9 लंबित चालान के साथ कर का भुगतान या परमिट/फिटनेस का नवीनीकरण

ई-चालन डेटाबेस को वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया था परंतु लंबित चालान के बावजूद कई मामलों में वाहन मालिक अपने परमिट या फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने तथा उन्हें प्राप्त करने में अभी भी समर्थ थे। कई अवसरों पर, वाहन मालिकों ने भी कर का भुगतान किया जबकि चालान लंबित थे।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, दो नमूना आरटीओ में 11 वाहनों सहित, यूटी में 12 वाहनों के लंबित चालानों के बावजूद कर का भुगतान किया गया था या फिटनेस तथा परमिट का नवीनीकरण किया गया था।

आरटीओ सिलवासा में सभी 11 मामलों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि करों की वसूली की गई थी या परमिट/फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया गया था, जबकि वाहनों के प्रति चालान लंबित थे तथा मालिकों/चालकों द्वारा इनका निपटान नहीं किया गया था (वाहन डेटाबेस से सत्यापित)। विभाग ने चालान राशि की वसूली या वाहन एप्लीकेशन के अद्यतन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप, लंबित चालानों हेतु कुल ₹71,100 के संयोजित शुल्क की वसूली के बिना कर की वसूली की गई थी या वाहनों के परमिट/फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया गया था। **(अनुलग्नक-3.14)**

यदि विभाग परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण तथा कर भुगतानों के समय चालान राशि की वसूली करता तो इससे इन चालानों के लम्बे समय से लंबित होने को कम किए जाने में सहायता मिलती।

विभाग ने उत्तर दिया कि मामले को संबंधित एमवी मालिकों द्वारा चालान के भुगतान का निपटान करने तक लेन-देन को रोकने हेतु सिस्टम जांच विकसित करने के लिए मामला एनआईसी को परिचालित किया जाएगा। (जनवरी 2025)।

3.2.10 सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में कमियां

3.2.10.1 ड्राइविंग टेस्ट पास करने के पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में विलंब

गुजरात (नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार) अधिनियम, 2013 (2013 के गुजरात अधिनियम सं. 16) की धारा 3 जिसे केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में संशोधन दिनांक 22/03/2022 के साथ अनुकूलित किया गया है, के अनुसार प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध प्रकार से सेवाओं की प्राप्ति तथा शिकायतों के निवारण का अधिकार है। इस अधिनियम के नियम 22 की अनुसूची I के अनुसार परिवहन विभाग को ड्राइविंग योग्यता टेस्ट पास करने की तिथि से सात (7) दिनों तथा नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की तिथि से तीन (3) दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना होता है।

(i) सारथी डेटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 1801 लाइसेंस सहित, यूटी में 1947 लाइसेंस के संबंध में ड्राइविंग योग्यता टेस्ट पास करने के सात दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी किए गए थे।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 50 ड्राइविंग लाइसेंस के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि सभी 100 डीएल (100 *प्रतिशत*) ड्राइविंग योग्यता टेस्ट[72] पास करने के सात दिनों के बाद जारी

[72] आरटीओ दमन में 176 मामले हैं, लेखापरीक्षा ने 50 मामलों की नमूना जांच की और सभी 50 मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा में 1,625 मामले हैं, लेखापरीक्षा ने 50 मामलों की नमूना जांच की और सभी 50 मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई।

किए गए थे। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के पश्चात डीएल जारी करने में 1 दिन से 123 दिनों के बीच का विलंब *अधिनियम के प्रावधानों* का उल्लंघन करता है जो समय पर सार्वजनिक सेवाओं के नागरिक के अधिकार को कमजोर करता है।

विभाग (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) ने उत्तर दिया (2025) कि डीएल उम्मीदवार द्वारा टेस्ट पास करने के दिन या अगले दिन जारी किए जा रहे थे। आगे यह भी बताया गया था कि डीएल जारी करने में विलंब कुछ समस्या या रखरखाव के कारण वेबसाईट के सर्वर बंद होने या ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटर की खराबी के कारण हो सकता है।

विभाग का स्पष्टीकरण सारथी डेटा के साथ असंगत है जो सभी नमूना अभिलेखों में विलंब दर्शाता है तथा इसे सिस्टम में खराबी को आरोपित नहीं किया जा सकता।

(ii) सारथी डेटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 1077 लाइसेंस सहित यूटी में 1198 डीएल का लाइसेंस शुल्क के भुगतान के तीन दिनों के बाद नवीनीकरण किया गया था।

दो नमूना आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 50 मामलों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि सभी 100 मामलों (100 *प्रतिशत*) में नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के तीन दिनों बाद 1 से 42 दिनों[73] के विलंब से डीएल का नवीनीकरण किया गया था।

विभाग (आरटीओ दमन तथा आरटीओ सिलवासा) ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि डीएल जारी करने में विलंब वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण हो सकता है।

---

[73] आरटीओ दमन में 412 मामले हैं, लेखापरीक्षा ने 50 मामलों की नमूना जांच की और सभी मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई।

आरटीओ सिलवासा में 665 मामले हैं, लेखापरीक्षा ने 50 मामलों की नमूना जांच की और सभी मामलों (100%) में अभ्युक्ति पाई गई।

यह विलंब नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर सिस्टम जांच तथा निगरानी की आवश्यकता पर जोर डालता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग अधिदेशित समय सीमा के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना सुनिश्चित करे।

3.2.11 विविध मामले

3.2.11.1 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाण पत्र के बिना चल रहे वाहन

सीएमवी नियमावली 1989 का नियम 115 (7) प्रावधान करता है कि जिस तिथि से मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत किया गया था, उससे एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रत्येक वाहन के पास राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अभिकरण द्वारा जारी एक वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र होना चाहिए जो छः माह के लिए वैध होगा। बशर्ते भारत स्टेज IV या भारत स्टेज-VI मानदंडों {जीएसआर 103 (ई) दिनाँक 23 फरवरी 2012 द्वारा प्रतिस्थापित, (23 फरवरी 2012 से प्रभावी)} के रूप में निर्मित वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता 12 माह होगी।

वाहन डेटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दो नमूना आरटीओ में 40,065 सहित यूटी में 42800 वाहन बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के चल रहे थे।

दो आरटीओ (दमन एवं सिलवासा) प्रत्येक में 20 वाहनों के अभिलेखों के वैधीकरण के दौरान यह पाया गया था कि 35 वाहन (87.5 *प्रतिशत*) 2 से 1,622 दिनों[74] के बीच की अवधि के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना चल रहे थे।

---

74 आरटीओ दमन में बिना पीयूसी के 14,586 वाहन हैं, 20 की नमूना जांच की गई तथा वाहन पोर्टल पर 19 मामलों में अभ्युक्ति सत्यापित की गई।

आरटीओ सिलवासा में बिना पीयूसी 25,479 वाहन हैं, 20 नमूना जांच की गई तथा वाहन पोर्टल पर 16 मामलों में अभ्युक्ति सत्यापित की गई।

आरटीओ दमन ने उत्तर दिया कि विभाग वाहन पोर्टल की जांच करेगा तथा यदि वाहन बिना पीयूसी के चलता हुआ पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी जबकि आरटीओ सिलवासा ने उत्तर दिया कि उचित जुर्माने की वसूली हेतु सड़क पर प्रवर्तन के दौरान वैध पीयूसी न होने वाले वाहनों का पता लगाने हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे (जनवरी 2025)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सिस्टम में पीएयूसी प्रमाणपत्रों की वैधता का पता लगाने तथा सुधारात्मक उपाय करने हेतु मालिक/प्राधिकारियों को समय पर सचेत करने हेतु एक अंतर्निहित जांच होनी चाहिए। इसी बीच, ऐसे मामलों की समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रणाली से आवधिक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 जनवरी 2026

(सौरभ कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 02 फरवरी 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ सं. 1.6 में संदर्भित)

पत्राचाराधीन कार्रवाई टिप्पणी का विवरण

(31 अगस्त 2025 तक)

क्र. सं.	यूटी का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	देय	प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचाराधीन
1.	चण्डीगढ़	2022	6	-	6
2.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2017	1	-	1
3.	लक्षद्वीप	2014	1	-	1
कुल			**8**	**-**	**8**

अनुलग्नक

अनुलग्नक- 2.1

(पैराग्राफ संख्या 2.1 में संदर्भित)

द्वीप समूह विशेष आर्थिक भत्ता (आईएसडीए) का अधिक भुगतान

(₹ में राशि)

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
1.	डॉ. ए के दास, सीएमओ (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2017 से जून 2018	165400	33080	10%	19848	16540	3308	12	39696	279512
		जुलाई 2018 से जून 2019	170400	34080	10%	20448	17040	3408	12	40896	
		जुलाई 2019 से जून 2020	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई 2020 से अक्तूबर 2020	180800	36160	10%	21696	18080	3616	4	14464	
		नवम्बर 2020 से जून 2021	180800	36160	16%	34714	28928	5786	8	46285	
		जुलाई 2021 से जून 2022	186200	37240	16%	35750	29792	5958	12	71501	
		जुलाई 2022 से अक्तूबर 2022	191800	38360	16%	36826	30688	6138	4	24550	
2.	डॉ. अनवर मूसा, सीएमओ	जुलाई 2017 से जून 2018	142400	28480	10%	17088	14240	2848	12	34176	37110
		जुलाई 2018	146700	29340	10%	17604	14670	2934	1	2934	
3.	डॉ. पी मनोज, दन्त चिकित्सक	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	107500	21500	16%	20640	17200	3440	3	10320	10320
4.	डॉ. अभिजीत रॉय डीडी	जुलाई 2017 से जून 2018	147000	29400	10%	17640	14700	2940	12	35280	242208
		जुलाई 2018 से जून 2019	151400	30280	10%	18168	15140	3028	12	36336	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
	(स्वास्थ्य) (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2019 से जून 2020	155900	31180	10%	18708	15590	3118	12	37416	
		जुलाई 2020 से जून 2021	160600	32120	10%	19272	16060	3212	12	38544	
		जुलाई 2021 से जून 2022	165400	33080	10%	19848	16540	3308	12	39696	
		जुलाई 2022 से जून 2023	170400	34080	10%	20448	17040	3408	12	40896	
		जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	175500	35100	10%	21060	17550	3510	4	14040	
5.	डॉ. केपी कडथानी एमओ (आयुष)	जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 एवं जून 2018	75400	15080	10%	9048	7540	1508	11	16588	121210
		जुलाई 2018 से मई 2019	77700	15540	10%	9324	7770	1554	11	17094	
		जुलाई 2019 से जून 2020	80000	16000	10%	9600	8000	1600	12	19200	
		जुलाई 2020 से जून 2021	82400	16480	10%	9888	8240	1648	12	19776	
		जुलाई 2021 से जून 2022	84900	16980	10%	10188	8490	1698	12	20376	
		जुलाई 2022 से जून 2023	87400	17480	10%	10488	8740	1748	12	20976	
		जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	90000	18000	10%	10800	9000	1800	4	7200	
6.	डॉ. मोहम्मद सुलेमान, एमओ	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	77700	15540	16%	14918	12432	2486	3	7459	15683.2
		जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	102800	20560	10%	12336	10280	2056	4	8224	
7.	शाहेबा मुमताज़	मार्च 2018 से जून 2018	74000	14800	10%	8880	7400	1480	4	5920	104816
		जुलाई 2018 से जून 2019	76200	15240	10%	9144	7620	1524	12	18288	
		जुलाई 2019 से जून 2020	78500	15700	10%	9420	7850	1570	12	18840	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
		जुलाई 2020 से जून 2021	80900	16180	10%	9708	8090	1618	12	19416	
		जुलाई 2021 से जून 2022	83300	16660	10%	9996	8330	1666	12	19992	
		जुलाई 2022 से जून 2023	85800	17160	10%	10296	8580	1716	12	20592	
		जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	88400	17680	10%	10608	8840	1768	1	1768	
8.	डॉ. तुहनिक घोष, एमओ	जुलाई 2017 से जून 2018	74000	14800	16%	14208	11840	2368	12	28416	93645.6
		जुलाई 2018 से जून 2019	76200	15240	16%	14630	12192	2438	12	29261	
		जुलाई 2019 से जून 2020	78500	15700	16%	15072	12560	2512	12	30144	
		जुलाई 2020	80900	16180	16%	15533	12944	2589	1	2589	
		अगस्त 2020 एवं सितम्बर 2020	80900	16180	10%	9708	8090	1618	2	3236	
9.	डॉ. अनित चंद, एमओ	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	71100	14220	16%	13651	11376	2275	3	6826	15312
		अगस्त 2023 से अक्तूबर 2023	88400	17680	16%	16973	14144	2829	3	8486	
10.	डॉ. कुमार गौरव, एमओ	जुलाई 2017 से अप्रैल 2018	74000	14800	16%	14208	11840	2368	10	23680	23680
11.	डॉ. वरुण पारेख, एमओ	अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018	56100	11220	16%	10771	8976	1795	9	16157	69197.86
		जनवरी 2019 एवं फरवरी 2019	57800	11560	16%	11098	9248	1850	2	3699	
		मार्च 2019 से जून 2019	57800	11560	10%	6936	5780	1156	4	4624	
		जुलाई 2019 से सितम्बर 2019	57800	11560	10%	6936	5780	1156	3	3468	
		जनवरी 2020	49410	9882	10%	5929	4941	988	1	988	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
		फरवरी 2020 से मार्च 2020	59500	11900	10%	7140	5950	1190	2	2380	
		अप्रैल 2020	49583	9916.6	10%	5950	4958.3	992	1	992	
		मई 2020 से अक्तूबर 2020, मार्च 2021 से अगस्त 2021, अक्तूबर 2021 से अप्रैल 2022, जून 2022 से सितम्बर 2022, नवम्बर 2022 से जनवरी 2023, अप्रैल 2023 से जून 2023 एवं अगस्त 2023 से सितम्बर 2023	59500	11900	10%	7140	5950	1190	31	36890	
12.	डॉ. राहुल चंद्र लाल, एमओ	अप्रैल 2018 से जून 2018	56100	11220	10%	6732	5610	1122	3	3366	97028.4
		जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	56100	11220	10%	6732	5610	1122	6	6732	
		जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019	57800	11560	10%	6936	5780	1156	12	13872	
		जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020	59500	11900	10%	7140	5950	1190	12	14280	
		जनवरी 2021 एवं फरवरी 2021	61300	12260	10%	7356	6130	1226	2	2452	
		मार्च 2021 से दिसम्बर 2021	61300	12260	16%	11770	9808	1962	10	19616	
		जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022	63100	12620	16%	12115	10096	2019	12	24230	
		जनवरी 2023 एवं मार्च 2023 से जुलाई 2023	65000	13000	16%	12480	10400	2080	6	12480	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
13.	डॉ. सबीला बानो, एमओ	जुलाई 2017 से जून 2018	63100	12620	10%	7572	6310	1262	12	15144	135070.4
		जुलाई 2018 से जून 2019	65000	13000	10%	7800	6500	1300	12	15600	
		जुलाई 2019 से जून 2020	67000	13400	10%	8040	6700	1340	12	16080	
		जुलाई 2020 से अक्तूबर 2020	69000	13800	10%	8280	6900	1380	4	5520	
		नवम्बर 2020 से जून 2021	69000	13800	16%	13248	11040	2208	8	17664	
		जुलाई 2021 से जून 2022	71100	14220	16%	13651	11376	2275	12	27302	
		जुलाई 2022 से जून 2023	73200	14640	16%	14054	11712	2342	12	28109	
		जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	75400	15080	16%	14477	12064	2413	4	9651	
14.	डॉ. बीए एरन, एमओ	अप्रैल 2018	48620	9724	20%	11669	9724	1945	1	1945	76201
		मई 2018 से जून 2018	56100	11220	20%	13464	11220	2244	2	4488	
		जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018	56100	11220	20%	13464	11220	2244	6	13464	
		जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019	57800	11560	20%	13872	11560	2312	12	27744	
		जनवरी 2020 से जुलाई 2020	59500	11900	20%	14280	11900	2380	12	28560	
15.	डॉ. अंकिता बनर्जी, एमओ	अगस्त 2018	45242	9048.4	16%	10424	8976	1448	1	1448	47959.744
		सितम्बर 2018 से दिसम्बर 2018	56100	11220	16%	11043	9248	1795	4	7181	
		जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019	57800	11560	16%	11098	9248	1850	12	22195	
		जनवरी 2020 से सितम्बर 2020	59500	11900	16%	11424	9520	1904	9	17136	
16.	डॉ. अरविंद, एमओ	अक्तूबर 2018 से दिसम्बर 2018	56100	11220	16%	10771	8976	1795	3	5386	10934.4
		जनवरी 2019 से मार्च 2019	57800	11560	16%	11098	9248	1850	3	5549	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
17.	डॉ. कीर्ति बाबू, एमओ	सितम्बर 2019 से जून 2020	57800	11560	20%	13872	11560	2312	10	23120	56584
		जुलाई 2020 से जून 2021	59500	11900	20%	14280	11900	2380	12	28560	
		जुलाई 2021 एवं अगस्त 2021	61300	12260	20%	14712	12260	2452	2	4904	
18.	डॉ. रवींद्र पहाड़ी, एमओ	सितम्बर 2019 से जून 2020	57800	11560	16%	11098	9248	1850	10	18496	107464
		जुलाई 2020 से अक्तूबर 2020	59500	11900	16%	11424	9520	1904	4	7616	
		नवम्बर 2020 से जून 2021	59500	11900	20%	14280	11900	2380	8	19040	
		जुलाई 2021 से जून 2022	61300	12260	20%	14712	12260	2452	12	29424	
		जुलाई 2022 से जून 2023	63100	12620	20%	15144	12620	2524	12	30288	
		जुलाई 2023	65000	13000	20%	15600	13000	2600	1	2600	
19.	डॉ. शाइनी वर्गीस, सीएमओ	नवम्बर 2020 से जून 2021	180800	36160	20%	43392	36160	7232	8	57856	259056
		जुलाई 2021 से जून 2022	186200	37240	20%	44688	37240	7448	12	89376	
		जुलाई 2022 से जून 2023	191800	38360	20%	46032	38360	7672	12	92064	
		जुलाई 2023	197600	39520	20%	47424	39520	7904	1	7904	
		अगस्त 2023 से अक्तूबर 2023	197600	39520	10%	23712	19760	3952	3	11856	
20.	डॉ. नादिया रहमान, एमओ	नवम्बर 2022	85800	17160	16%	10983	13728	-2745	1	-2745	22298.2
		दिसम्बर 2022 एवं फरवरी 2023 से मई 2023	85800	17160	16%	16474	13728	2746	5	13728	
		जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	88400	17680	16%	16973	14144	2829	4	11315	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच))	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j))	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
21.	डॉ. मुन्नी सिंघानिया, एमओ	जुलाई 2023 से अक्तूबर 2023	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	2160
22.	डॉ. सहाना सलाम, एमओ	अगस्त 2023 से अक्तूबर 2023	65000	13000	10%	7800	6500	1300	3	3900	3900
23.	डॉ. रजनी तिवारी, एमओ	अगस्त 2023 से अक्तूबर 2023	75400	15080	20%	18096	15080	3016	3	9048	9048
24.	डॉ. शंकर साहा, एमओ	अगस्त 2023 से अक्तूबर 2023	77700	15540	20%	18648	15540	3108	3	9324	9324
25.	डॉ. अरुण पाल सिंह, एमओ	09.08. 2023 से 31.08.2023	62990	12598	10%	7559	6299	1260	1	1260	4656
		सितम्बर 2023 एवं अक्तूबर 2023	84900	16980	10%	10188	8490	1698	2	3396	
26.	डॉ. एम पी सुसम्मा, सीएमओ (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	165400	33080	16%	31757	26464	5293	3	15878	15878.4
27.	डॉ. पीके पालित, सीएमओ (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2017 से जून 2018	165400	33080	16%	31757	26464	5293	12	63514	140179.2
		जुलाई 2018 से जून 2019	170400	34080	16%	32717	27264	5453	12	65434	
		जुलाई 2019 से अगस्त 2019	175500	35100	16%	33696	28080	5616	2	11232	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
28.	डॉ. एस सुनील कुमार, एमओ (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2017 से जून 2018	165400	33080	20%	39696	33080	6616	12	79392	359780
		जुलाई 2018 से जून 2019	170400	34080	20%	40896	34080	6816	12	81792	
		जुलाई 2019 से अगस्त 2019	175500	35100	20%	42120	35100	7020	2	14040	
		सितम्बर 2019 से जून 2020	175500	35100	10%	21060	17550	3510	10	35100	
		जुलाई 2020 से जून 2021	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई 2021 से जून 2022	186200	37240	10%	22344	18620	3724	12	44688	
		जुलाई 2022 से अक्तूबर 2023	191800	38360	10%	23016	19180	3836	16	61376	
29.	डॉ. पी शैलजा, एमओ (संशोधित मूल वेतन)	अक्तूबर 2017	165400	33080	10%	19848	16540	3308	1	3308	189748
		जुलाई 2018 से जून 2019	170400	34080	10%	20448	17040	3408	12	40896	
		जुलाई 2019 से जून 2020	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई 2020 से जून 2021	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई 2021 से जून 2022	186200	37240	10%	22344	18620	3724	12	44688	
		जुलाई 2022 से अक्तूबर 2022	191800	38360	10%	23016	19180	3836	4	15344	
30.	डॉ. के.पी. फेलिसिटस, एम.ओ. (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2017 से फरवरी 2018	165400	33080	16%	31757	26464	5293	8	42342	63833.6
		मई 2018 से जून 2018	165400	33080	16%	31757	26464	5293	2	10586	
		जुलाई 2018 से अगस्त 2018	170400	34080	16%	32717	27264	5453	2	10906	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
31.	डॉ. एचएम सिद्धाराजू, सीएमओ (संशोधित मूल वेतन)	जुलाई 2017 से जून 2018	186200	37240	10%	22344	18620	3724	12	44688	98624
		जुलाई 2018 से जून 2019	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई 2019 से अगस्त 2019	197600	39520	10%	23712	19760	3952	2	7904	
32.	डॉ. तमन्ना सेनगुप्ता, एमओ	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	165400	33080	16%	31757	26464	5293	3	15878	15878
33.	डॉ. एमसी ज्योति, एमओ	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	165400	33080	16%	31757	26464	5293	3	15878	15878
34.	डॉ. रूबी थॉमस, एमओ	जुलाई 2017 से जून 2018	69000	13800	16%	13248	11040	2208	12	26496	118230.08
		जुलाई 2018 से जून 2019	71100	14220	16%	13651	11376	2275	12	27302	
		जुलाई 2019 से फरवरी 2020	73200	14640	16%	14054	11712	2342	8	18739	
		जुलाई 2020 से जून 2021	75400	15080	16%	14477	12064	2413	12	28954	
		जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021	77700	15540	16%	14918	12432	2486	6	14918	
		फरवरी 2022	56888	11378	16%	10923	9102.08	1820	1	1820	
35.	डॉ. अनीता शाह, नेत्र रोग विशेषज्ञ	फरवरी 2018 से जून 2018	142100	28420	10%	17052	14210	2842	5	14210	82522
		जुलाई 2018 से जून 2019	146400	29280	10%	17568	14640	2928	12	35136	
		जुलाई 2019 से मई 2020	150800	30160	10%	18096	15080	3016	11	33176	

क्र. सं.		अवधि	मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [(कॉ(डी)+कॉ(ई)x कॉ(एफ)]	अनुमेय आईएसडीए [(कॉ(डी)xकॉ (एफ)]	अंतर (कॉ(जी) - कॉ(एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अतिरिक्त आईएसडीए (कॉलम (i) x कॉलम (j)	कर्मचारी के लिए कुल
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
36.	डॉ. मीना नासिर, एमओ	जुलाई 2017 से फरवरी 2018 एवं अप्रैल 2018 से जून 2018	71100	14220	16%	13651	11376	2275	11	25027	43766
		जुलाई 2018 से फरवरी 2019	73200	14640	16%	14054	11712	2342	8	18739	
37.	डॉ. निर्मल कुमार बाजपेयी, एमओ	जुलाई 2017 से जून 2018	153100	30620	16%	29395	24496	4899	12	58790	402995.2
		जुलाई 2018 से जून 2019	157700	31540	16%	30278	25232	5046	12	60557	
		जुलाई 2019 से जून 2020	162400	32480	16%	31181	25984	5197	12	62362	
		जुलाई 2020 से जून 2021	167300	33460	16%	32122	26768	5354	12	64243	
		जुलाई 2021 से जून 2022	172300	34460	16%	33082	27568	5514	12	66163	
		जुलाई 2022 से अक्तूबर 2023	177500	35500	16%	34080	28400	5680	16	90880	
38.	डॉ. शिप्रा पॉल, डीएचएस	जुलाई 2017 से फरवरी 2018	207900	41580	10%	23750	20790	2960	8	23680	58350
		जनवरी 2020 से जुलाई 2020	207900	41580	10%	23750	20790	2960	7	20720	
		अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020	209600	41920	10%	23750	20960	2790	5	13950	
										कुल	**3460041**

अनुलग्नक-2.2

(पैराग्राफ संख्या 2.1 में संदर्भित)

आईएसडीए का अधिक भुगतान

(₹ में राशि)

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी))]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच))	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे))	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
1.	डॉ. शिव एस सिंह	मार्च-21	मार्च-21	211800	25700	10%	23750	21180	2570	1	2570	45030
		मार्च-22	दिसम्बर-23	218200	19300	10%	23750	21820	1930	22	42460	
2.	डॉ. नवीन गोविंद	मार्च-21	मार्च-21	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	49680
		मार्च-22	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	22	47520	
3.	डॉ. अशोक कुमार दुबे	मार्च-21	मार्च-21	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	49680
		मार्च-22	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	22	47520	
4.	डॉ. अमिताभा दे	मार्च-21	मार्च-21	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	
		मार्च-22	अक्तूबर-22	215900	21600	10%	23750	21590	2160	8	17280	
		दिसम्बर-22	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	12	25920	45360
5.	डॉ. ओमकार सिंह	मार्च-21	मार्च-21	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	49680
		मार्च-22	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	22	47520	
6.	डॉ. सुजा एंटनी	दिसम्बर-18	जून-19	191800	38360	10%	23016	19180	3836	7	26852	168516
		जुलाई-19	जून-20	197600	39520	10%	23712	19760	3952	12	47424	
		जुलाई-20	जुलाई-21	203500	40700	10%	23750	20350	3400	13	44200	
		मार्च-22	जून-22	209600	27900	10%	23750	20960	2790	4	11160	
		जुलाई-22	मार्च-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	9	19440	
		अप्रैल-23	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	9	19440	
7.	डॉ. आर.के. हलदर	नवम्बर-22	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	14	30240	30240

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी))]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
8.	डॉ. एम जॉय	मार्च-21	मार्च-21	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	56160
		मार्च-22	जुलाई-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	17	36720	
		अगस्त-23	दिसम्बर-23	215900	21600	16%	38000	34544	3456	5	17280	
9.	डॉ. मुन्नी सिंघानिया	मार्च-21	मार्च-21	215900	21600	10%	23750	21590	2160	1	2160	47520
		मार्च-22	जुलाई-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	17	36720	
		सितम्बर-23	दिसम्बर-23	215900	21600	10%	23750	21590	2160	4	8640	
10.	डॉ. निकोलस	जुलाई-17	जून-18	170400	34080	16%	32716.8	27264	5452.8	12	65433.6	327084.4
		जुलाई-18	जून-19	175500	35100	16%	33696	28080	5616	12	67392	
		जुलाई-19	जून-20	180800	36160	16%	34713.6	28928	5785.6	12	69427.2	
		जुलाई-20	अक्तूबर-20	186200	37240	16%	35750.4	29792	5958.4	4	23833.6	
		नवम्बर-20	फरवरी-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		मार्च-21	मार्च-21	146700	29340	10%	17604	14670	2934	1	2934	
		मार्च-22	जून-22	191800	38360	10%	23016	19180	3836	4	15344	
		जुलाई-22	जून-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	12	47424	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	203500	34000	10%	23750	20350	3400	6	20400	
11.	डॉ. सुजाता	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	10%	19848	16540	3308	12	39696	246564
		जुलाई-18	जून-19	170400	34080	10%	20448	17040	3408	12	40896	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई-23	जुलाई-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	1	3952	
		अक्तूबर-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	3	11856	

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी)]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
12.	डॉ. सुब्रत साहा	दिसम्बर-22	दिसम्बर-22	191800	38360	10%	18467	19180	-713	1	-713	10795
		जनवरी-23	मार्च-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	3	11508	
13.	डॉ. गणेश सम्मादेर	मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	84640
		जुलाई-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
14.	डॉ. इज़रा बेगम	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	10%	19848	16540	3308	12	39696	254468
		जुलाई-18	जून-19	170400	34080	10%	20448	17040	3408	12	40896	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
15.	डॉ. पी लाल	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	20%	39696	33080	6616	12	79392	297572
		जुलाई-18	जुलाई-18	170400	34080	20%	40896	34080	6816	1	6816	
		अगस्त-18	जून-19	170400	34080	10%	20448	17040	3408	11	37488	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
16.	डॉ. अर्पिता साहा	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	20%	39696	33080	6616	12	79392	298694
		जुलाई-18	जुलाई-18	170400	34080	20%	40896	34080	6816	1	6816	

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी)]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
		अगस्त-18	जून-19	170400	35100	10%	20550	17040	3510	11	38610	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
17.	डॉ. बी अजीत कुमार	नवम्बर-22	नवम्बर-22	191800	38360	10%	20408	19180	1228	1	1228	51792
		दिसम्बर-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	7	26852	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
18.	डॉ. सीजे बानो	नवम्बर-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	8	30688	54400
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
19.	डॉ. दमयंती सम्मादर	नवम्बर-22	नवम्बर-22	191800	38360	10%	22248	19180	3068	1	3068	53632
		दिसम्बर-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	7	26852	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	
20.	डॉ. तमन्ना एस गुप्ता	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	16%	31756.8	26464	5292.8	12	63513.6	334604
		जुलाई-18	जून-19	170400	34080	16%	32716.8	27264	5452.8	12	65433.6	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	16%	33696	28080	5616	12	67392	
		जुलाई-20	सितम्बर-20	180800	36160	16%	34713.6	28928	5785.6	3	17356.8	
		अक्तूबर-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	9	32544	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	जून-23	191800	38360	10%	23016	19180	3836	12	46032	
		जुलाई-23	दिसम्बर-23	197600	39520	10%	23712	19760	3952	6	23712	

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी)]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
21.	डॉ रेखा वर्मा	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	20%	39696	33080	6616	12	79392	239764
		जुलाई-18	जून-19	170400	34080	10%	20448	17040	3408	12	40896	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	अक्तूबर-22	191800	38360	10%	23016	19180	3836	4	15344	
22.	डॉ. एम सी ज्योति	जुलाई-17	जून-18	165400	33080	16%	31756.8	26464	5292.8	12	63513.6	225930.4
		जुलाई-18	जुलाई-18	170400	34080	16%	32716.8	27264	5452.8	1	5452.8	
		अगस्त-18	जून-19	170400	34080	10%	20448	17040	3408	11	37488	
		जुलाई-19	जून-20	175500	35100	10%	21060	17550	3510	12	42120	
		जुलाई-20	जून-21	180800	36160	10%	21696	18080	3616	12	43392	
		जुलाई-21	जुलाई-21	186200	37240	10%	22344	18620	3724	1	3724	
		मार्च-22	जून-22	186200	37240	10%	22344	18620	3724	4	14896	
		जुलाई-22	अक्तूबर-22	191800	38360	10%	23016	19180	3836	4	15344	
23.	डॉ. साजी वी	मार्च-21	मार्च-21	134500	26900	10%	16140	13450	2690	1	2690	39456
		मार्च-22	जून-22	138500	27700	10%	16620	13850	2770	4	11080	
		जुलाई-22	मार्च-23	142700	28540	10%	17124	14270	2854	9	25686	
24.	डॉ. शाहिना मुस्तकीम	दिसम्बर-20	दिसम्बर-20	111850	22370	10%	13422	11185	2237	1	2237	63341
		जनवरी-21	जून-21	123100	24620	10%	14772	12310	2462	6	14772	
		जुलाई-21	नवम्बर-21	126800	25360	10%	15216	12680	2536	5	12680	
		मार्च-22	जून-22	126800	25360	10%	15216	12680	2536	4	10144	
		जुलाई-22	मार्च-23	130600	26120	10%	15672	13060	2612	9	23508	

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी)]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
25.	डॉ. नारायणन राजाराम	मार्च-21	मार्च-21	88700	17740	10%	10644	8870	1774	1	1774	27986
		मार्च-22	जून-22	91400	18280	10%	10968	9140	1828	4	7312	
		जुलाई-22	दिसम्बर-22	94100	18820	10%	11292	9410	1882	6	11292	
		जनवरी-23	मार्च-23	126800	25360	10%	15216	12680	2536	3	7608	
26.	डॉ. टी.एम. शमीम	मार्च-21	मार्च-21	88700	17740	10%	10644	8870	1774	1	1774	26024
		मार्च-22	जून-22	91400	18280	10%	10968	9140	1828	4	7312	
		जुलाई-22	मार्च-23	94100	18820	10%	11292	9410	1882	9	16938	
27.	डॉ. सीमा यादव	मार्च-21	मार्च-21	74000	14800	10%	8880	7400	1480	1	1480	23366
		मार्च-22	दिसम्बर-22	83600	16720	10%	10032	8360	1672	10	16720	
		जनवरी-23	मार्च-23	86100	17220	10%	10332	8610	1722	3	5166	
28.	डॉ. रितु सिंह	मार्च-21	मार्च-21	69700	13940	10%	8364	6970	1394	1	1394	20602
		मार्च-22	जून-22	71800	14360	10%	8616	7180	1436	4	5744	
		जुलाई-22	फरवरी-23	74000	14800	10%	8880	7400	1480	8	11840	
		मार्च-23	मार्च-23	81200	16240	10%	9744	8120	1624	1	1624	
29.	डॉ. अनित चंद	मार्च-21	मार्च-21	80900	16180	10%	9708	8090	1618	1	1618	23726
		मार्च-22	जून-22	83300	16660	10%	9996	8330	1666	4	6664	
		जुलाई-22	मार्च-23	85800	17160	10%	10296	8580	1716	9	15444	
30.	डॉ. हेलेन सैमुअल	मार्च-21	मार्च-21	80900	16180	10%	9708	8090	1618	1	1618	23726
		मार्च-22	जून-22	83300	16660	10%	9996	8330	1666	4	6664	
		जुलाई-22	मार्च-23	85800	17160	10%	10296	8580	1716	9	15444	
31.	डॉ. शालिनी सिंह	मार्च-21	मार्च-21	80900	16180	10%	9708	8090	1618	1	1618	23726
		मार्च-22	जून-22	83300	16660	10%	9996	8330	1666	4	6664	
		जुलाई-22	मार्च-23	85800	17160	10%	10296	8580	1716	9	15444	

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी)]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
32.	सरताज जे बीबी	मार्च-21	मार्च-21	80900	16180	10%	9708	8090	1618	1	1618	4950
		मार्च-22	अप्रैल-22	83300	16660	10%	9996	8330	1666	2	3332	
33.	डॉ. सुनी लुकोसे	मार्च-21	मार्च-21	77700	15540	10%	9324	7770	1554	1	1554	22786
		मार्च-22	जून-22	80000	16000	10%	9600	8000	1600	4	6400	
		जुलाई-22	मार्च-23	82400	16480	10%	9888	8240	1648	9	14832	
34.	डॉ. मीना नासिर	मार्च-21	मार्च-21	77700	15540	10%	9324	7770	1554	1	1554	22786
		मार्च-22	जून-22	80000	16000	10%	9600	8000	1600	4	6400	
		जुलाई-22	मार्च-23	82400	16480	10%	9888	8240	1648	9	14832	
35.	डॉ. मिनी मेडोना	नवम्बर-22	नवम्बर-22	82400	16480	10%	7977	8240	-263	1	-263	6329
		दिसम्बर-22	मार्च-23	82400	16480	10%	9888	8240	1648	4	6592	
36.	डॉ. प्रीति बी चंद	मार्च-21	मार्च-21	77700	15540	10%	9324	7770	1554	1	1554	22786
		मार्च-22	जून-22	80000	16000	10%	9600	8000	1600	4	6400	
		जुलाई-22	मार्च-23	82400	16480	10%	9888	8240	1648	9	14832	
37.	डॉ. रजनी तिवारी	मार्च-21	मार्च-21	71100	14220	10%	8532	7110	1422	1	1422	20586
		मार्च-22	दिसम्बर-22	73200	14640	10%	8784	7320	1464	10	14640	
		जनवरी-23	मार्च-23	75400	15080	10%	9048	7540	1508	3	4524	
38.	डॉ. शंकर साहा	मार्च-21	मार्च-21	71100	14220	10%	8532	7110	1422	1	1422	20850
		मार्च-22	जून-22	73200	14640	10%	8784	7320	1464	4	5856	
		जुलाई-22	मार्च-23	75400	15080	10%	9048	7540	1508	9	13572	
39.	डॉ. सत्यजीत एच	नवम्बर-22	नवम्बर-22	75400	15080	10%	7057	7540	-483	1	-483	5549
		दिसम्बर-22	मार्च-23	75400	15080	10%	9048	7540	1508	4	6032	
40.	डॉ. कौसर प्रवीण	मार्च-21	मार्च-21	71100	14220	10%	8532	7110	1422	1	1422	19078
		मार्च-22	दिसम्बर-22	73200	14640	10%	8784	7320	1464	10	14640	
		जनवरी-23	जनवरी-23	75400	15080	10%	9048	7540	1508	1	1508	

क्र. सं.	नाम	अवधि		मूल वेतन	एनपीए	आईएसडीए की दर	आहरित आईएसडीए [कॉ (एफ)* (कॉ (डी) + कॉ (ई))]	अनुमेय आईएसडीए [कॉ (एफ) *(कॉ (डी)]	अंतर (कॉ (जी)-कॉ (एच)	अवधि के दौरान महीनों की संख्या	अवधि के दौरान अनुमत अधिक आईएसडीए (कॉ (आई) x कॉ (जे)	कर्मचारी के लिए कुल
		से	तक									
(ए)	(बी)	(सी)		(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)
		मार्च-23	मार्च-23	75400	15080	10%	9048	7540	1508	1	1508	
41.	डॉ. डी. अम्बेडकर	जनवरी-23	फरवरी-23	65000	13000	10%	7800	6500	1300	2	2600	4680
		मार्च-23	मार्च-23	65000	13000	16%	12480	10400	2080	1	2080	
											कुल	**3444138.8**

अनुलग्नक-2.3

(पैराग्राफ संख्या 2.2.3.1 में संदर्भित)

एएनआईआईएमएस से संबंधित कार्यों की स्थिति (सितंबर 2024 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुबंध राशि	संशोधित अनुमान लागत	आवंटित निधि	किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1.	लड़कों के लिए 2 तथा लड़कियों के लिए 2 छात्रावासों का निर्माण।	15.98	10.94		91.41	11.53	कार्य पूर्ण	30.11.2018 को पूर्ण तथा 10.01.2019 को अधिकृत
2.	नए मेडिकल परिसर में प्रशासनिक ब्लॉक, विज्ञान ब्लॉक, टाईप- IV, टाईप- V, टाईप- VI एवं प्रोफेसर छात्रावास के लिए साइट का विकास। उपशीर्ष: भूमि की कटाई।	8.99	7.99	10.33		9.05	कार्य पूर्ण	02/01/2019 को कार्य पूर्ण
3.	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के लिए डाइनिंग हॉल, रसोई ब्लॉक तथा छात्रावास का निर्माण।	5.42	3.20			5.47	कार्य पूर्ण	21.01.2019 को पूर्ण तथा 21.01.2019 को अधिकृत
4.	01 आरसीसी सरफेस टैंक, 2,45,000 लीटर क्षमता वाला 1 सम्प टैंक का निर्माण, सम्प से सरफेस टैंक तक पम्पिंग लाइन बिछाना आदि।	0.83	0.85			0.85	कार्य पूर्ण	15.02.2019 को पूर्ण
5.	पोर्ट ब्लेयर के दूध लाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए 02 प्रीफैब्रिकेटेड व्याख्यान कक्ष का निर्माण।	1.27	0.91	1.67		1.63	कार्य पूर्ण	31.08.2019 को पूर्ण तथा 19.12.2019 को अधिकृत
6.	पोर्ट ब्लेयर के दूध लाइन में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज साइट पर उप प्रभाग सह स्थल कार्यालय का निर्माण।	0.11					संस्वीकृति का इंतजार	संस्वीकृति का इंतजार
7.	12 टाईप III क्वार्टर, 12 टाईप IV क्वार्टर, 12 टाईप V क्वार्टर तथा 6 टाईप VI क्वार्टर का निर्माण।	17.27	13.58	19.4		17.27	कार्य प्रगति पर है	अभी तक केवल टाईप-III तथा टाईप-IV क्वार्टर ही पूरे हुए हैं। ग्राहक विभाग को ₹19.40 करोड़ का संशोधित अनुमान भेजा गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुबंध राशि	संशोधित अनुमान लागत	आवंटित निधि	किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
8.	मेडिकल कॉलेज के लिए प्रशासनिक ब्लॉक तथा पुस्तकालय ब्लॉक का निर्माण।	18.69	18.59	27.28		21.48	कार्य पूर्ण	कार्य मार्च 2019 में शुरू हुआ तथा अक्टूबर 2024 में पूर्ण हुआ।
9.	पोर्ट ब्लेयर के दूध लाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए छात्रों के लिए छात्रावास ब्लॉक-III का निर्माण।	8.10	5.30			3.08	कार्य प्रगति पर है	कार्य मार्च 2021 में शुरू हुआ तथा अभी भी चल रहा है।
10.	दूध लाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण।	0.57	0.56	0.69		0.54	कार्य पूर्ण	कार्य अगस्त 2020 में शुरू हुआ। ₹69,84,889/- का संशोधित अनुमान-एएनआई एमईआरएस को 18/06/2020 को प्रस्तुत किया गया।
11.	चार ब्लॉक के साथ आधारित विज्ञान ब्लॉक का निर्माण							
	i) आधारित विज्ञान ब्लॉक-ए (प्री-क्लिनिकल) का निर्माण	48.62					संस्वीकृति मिल गई।	सितंबर, 2024 में ₹48.62 करोड़ का एए/ईएस मिला।
	ii) आधारित विज्ञान ब्लॉक-बी तथा सी (पैरा-क्लिनिकल का निर्माण)	72.97					संस्वीकृति का इंतजार	निधि की कमी के कारण 02-02-2021 की बैठक में एफसी द्वारा स्थगित कर दिया गया।
	iii) आधारित विज्ञान ब्लॉक-डी का निर्माण (व्याख्यान कक्ष)	29.96					संस्वीकृति का इंतजार	निधि की कमी के कारण 02-02-2021 की मीटिंग में Fसी द्वारा स्थगित कर दिया गया।
12.	12 टाईप-VI क्वार्टरों का निर्माण।	9.69		16.38			संशोधित संस्वीकृति का इंतजार	निधि की कमी के कारण 02-02-2021 की बैठक में एफसी द्वारा स्थगित कर दिया गया।
13.	पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज दूध लाइन के नए परिसर की 24 इकाईयों के लिए 1 तीन मंजिला पारगमन आवास का निर्माण।	10.14					संस्वीकृति का इंतजार	निधि की कमी के कारण 02-02-2021 की बैठक में एफसी द्वारा स्थगित कर दिया गया।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुबंध राशि	संशोधित अनुमान लागत	आवंटित निधि	किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
14.	पोर्ट ब्लेयर के दूध लाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए सभागार का निर्माण।	16.20					संस्वीकृति का इंतजार	एफसी (14-05-2024) ने निधि की कमी का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया तथा एपीडब्ल्यूडी को अनुमान संशोधित करने का निर्देश दिया।
15.	12 टाईप-V क्वार्टरों का निर्माण।	7.21		12.18			संशोधित संस्वीकृति का इंतजार	
16.	24 टाईप-IV क्वार्टरों का निर्माण।	10.87		19.64			संशोधित संस्वीकृति का इंतजार	
17.	पोर्ट ब्लेयर के दूध लाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए अतिथि गृह बनाने का प्रस्ताव।	6.67		8.37			संशोधित संस्वीकृति का इंतजार	
18.	पोर्ट ब्लेयर के दूध लाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए निदेशक के आवास का निर्माण।	1.10		1.93			संशोधित संस्वीकृति का इंतजार	
19.	अटलांटा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर में एएनआईआईएमएस के प्रशिक्षु तथा जूनियर रेजिडेंट के लिए छात्रावास का निर्माण। (अनुमान का पुनः प्रस्तुतीकरण)	22.50					संस्वीकृति का इंतजार	
20.	जीबीपंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए 03 जल पंपों सहित 02 आरसीसी सम्प का निर्माण तथा यूपीवीसी वर्षा जल/पंपिंग पाइप लाइनें प्रदान करना तथा बिछाना।	0.61	0.46				कार्य प्रगति पर है	टैंक की नींव तथा दीवार बनाने का कार्य चल रहा है

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुबंध राशि	संशोधित अनुमान लागत	आवंटित निधि	किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
21.	कार्बिन कोव (हवा घर जंक्शन तथा शादीपुर के बीच राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शादीपुर के पास) में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 100 मिमी व्यास की नई डीआई पाइप लाइन उपलब्ध कराना तथा बिछाना।	0.16					संस्वीकृति का इंतजार	नए ब्लॉक (विज्ञान ब्लॉक) संस्वीकृत होने तक निर्माण कार्य रोक कर रखा गया है।
22.	आधारित विज्ञान ब्लॉक का निर्माण। उपशीर्ष:- संरचनात्मक डिज़ाइन तथा ड्राइंग प्रदान करना एवं आपूर्ति करना।		0.09			0.05	कार्य पूर्ण	अन्य चालू निर्माण कार्यों के अंतर्गत प्रभारित कार्य को चालू करना।
23.	मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स, दूध लाइन, पोर्ट ब्लेयर में वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट तथा क्रिकेट प्रैक्टिस पिच का विकास। (अनुमान का पुनः प्रस्तुतीकरण)	0.85					संस्वीकृति का इंतजार	
24.	प्रशासनिक ब्लॉक तथा पुस्तकालय ब्लॉक का प्रस्तावित निर्माण। एसएच: तृतीयक उपचारित जल के लिए पंप के साथ 10 केएलडी का सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण।	0.25					संस्वीकृति का इंतजार	
25.	प्रशासनिक ब्लॉक तथा पुस्तकालय ब्लॉक का प्रस्तावित निर्माण। उपशीर्ष:- ईमारत के पीछे .0 मीटर ऊंचाई की प्रतिभारण दीवार तथा 3.00 मीटर की बाहुधारण प्रतिधारण दीवार के लिए आरसीसी काउंटर का निर्माण। लंबाई 49.40 मीटर तथा ऊंचाई 30.00 मीटर ऊंचाई।	1.48					संस्वीकृति का इंतजार	
26.	मेडिकल कॉलेज के लिए अतिथि गृह का प्रस्तावित निर्माण। उपशीर्ष:- अतिथि गृह तक पहुँच सड़क का निर्माण तथा विकास का कार्य।	1.83					संस्वीकृति का इंतजार	

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुबंध राशि	संशोधित अनुमान लागत	आवंटित निधि	किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
27.	एएनआईआईएमएस के लिए प्रशिक्षु छात्रावास के रूप में इस्तेमाल किए जाने हेतु पुराने सीआरपीएफ भवन (जो पहले लड़कों के छात्रावास के रूप में उपयोग किया जाता था) का नवीकरण और बदलाव।	1.60					संस्वीकृति का इंतजार	
28.	मेडिकल कॉलेज दूध लाइन, पोर्ट ब्लेयर में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज का निर्माण।	14.30					संस्वीकृति का इंतजार	एफसी ने अपनी 12-03-2024 की बैठक में इसे टाल दिया।
29.	मेडिकल कॉलेज दूध लाइन, पोर्ट ब्लेयर में साइट के विकास सहित प्रस्तावित नर्सिंग हॉस्टल का निर्माण।	8.49					संस्वीकृति का इंतजार	एफसी ने अपनी 12-03-2024 की बैठक में इसे टाल दिया।
	कुल	**342.73**		**117.9**				

अनुलग्नक-2.4

(पैराग्राफ संख्या 2.2.4.1 में संदर्भित)

मेडिकल कॉलेज तथा शैक्षणिक अस्पताल में उपलब्ध निर्धारित उपकरणों का विवरण

क्र. सं.	विभागों का नाम	एनएमसी मानकों के अनुसार न्यूनतम प्रकार के अपेक्षित उपकरण	कुल प्रकार के उपलब्ध उपकरण	उपकरणों के प्रकार में कमी	कमी का प्रतिशत (-)
ए. गैर-नैदानिक विभाग (मेडिकल कॉलेज)					
1.	शरीर रचना विज्ञान	38	35	3	7.89
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	85	42	43	50.59
3.	जैव रसायन	32	27	5	15.63
4.	विकृति विज्ञान	82	51	31	37.80
5.	सूक्ष्मजैविकी	52	38	14	26.92
6	औषध विज्ञान	14	8	6	42.86
7.	न्याय-आयुर्विज्ञान	90	26	64	71.11
8.	सामुदायिक चिकित्सा	72	41	31	43.06
बी. अन्य विभाग					
9.	चिकित्सा शिक्षा इकाई	15	3	12	80.00
10.	दृश्य-श्रव्य सहायता विभाग	48	6	42	87.50
कुल (कॉलेज)		528	277	251	47.54
सी. नैदानिक विभाग (शिक्षण अस्पताल)					
11.	दवा	53	24	29	54.72
12.	बाल चिकित्सा	50	46	4	8.00
13.	तपेदिक एवं श्वसन सम्बन्धी रोग	13	8	5	38.46
14.	त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान तथा कुष्ठ रोग	8	1	7	87.50
15.	मनोरोग विज्ञान	13	2	11	84.62

क्र. सं.	विभागों का नाम	एनएमसी मानकों के अनुसार न्यूनतम प्रकार के अपेक्षित उपकरण	कुल प्रकार के उपलब्ध उपकरण	उपकरणों के प्रकार में कमी	कमी का प्रतिशत (-)
16.	शल्य चिकित्सा	42	22	20	47.62
17.	अस्थिरोग विज्ञान	25	20	5	20.00
18.	नेत्र विज्ञान	39	22	17	43.59
19.	कर्ण, नासा, कंठ विज्ञान	178	138	40	22.47
20.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	97	54	43	44.33
21.	ज्ञानेन्द्रिय विज्ञान	51	26	25	49.02
22.	रेडियो निदान	9	8	1	11.11
23.	केंद्रीय हताहत विभाग	69	51	18	26.09
कुल (अस्पताल)		**647**	**422**	**225**	**34.78**
कुल योग		**1175**	**699**	**476**	**40.51**

अनुलग्नक-2.5

(पैराग्राफ संख्या 2.2.4.1 (बी) में संदर्भित)

एनएमसी/एमसीआई मानकों के अनुसार उपकरणों की कमी

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
ए.	**गैर-नैदानिक विभाग**				
1. एनाटॉमी					
(ए)	सामान्य				
1.	स्क्रीन वाला मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	2	1	1	50.00
2.	ट्रॉली टेबल (स्टील)	2	1	1	50.00
(सी)	संग्रहालय				
3.	स्पेसीमेन वेट	110	80	30	27.27
4.	डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर के साथ	2	1	1	50.00
2. शरीर क्रिया विज्ञान					
1.	हीमोग्लोबिन-मीटर साहली या हेलिगे (स्पेस के साथ)	50	36	14	28.00
2.	रुधिर कोशिकामापी	50	36	14	28.00
3.	रक्तचापमापी (डिजिटल) (उपयुक्त विकल्पों से बदले जाने वाले पारा आधारित उपकरण)	50	13	37	74.00
4.	स्टेथोस्कोप	50	5	45	90.00
5.	मोसो का एर्गोग्राफ	8	4	4	50.00
6.	एल्गोमीटर	15	3	12	80.00
7.	नी हैमर	30	15	15	50.00
8.	स्टॉप वाच	15	4	11	73.33
3.	**जैव रसायन विज्ञान**				
1.	एनालिटिकल बैलेंस: 200 ग्रा/1ग्राम तक की बढ़ोतरी	2	1	1	50.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
2.	छात्र माइक्रोस्कोप	5	4	1	20.00
3.	सेमी ऑटोएनालाइजर	2	1	1	50.00
4.	वाइड रेंज डिजिटल पीएच मीटर	5	4	1	20.00
4.	**विकृति विज्ञान**				
(बी)	रुग्ण ऊतक विज्ञान तथा रुग्ण शरीर रचना विज्ञान				
1.	मैनुअल रोटरी माइक्रोटोम	2	1	1	50.00
2.	सेंट्रीफ्यूज मशीन	5	3	2	40.00
3.	सिंगल पैन डिजिटल बैलेंस, केमिकल	2	1	1	50.00
4.	बैलेंस, वजनीक रसायन	2	1	1	50.00
(सी)	रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला:				
5.	छात्रों के लिए 100 स्लाइड्स के लिए स्लाइड बॉक्स	200	105	95	47.50
6.	पीएच मीटर इलेक्ट्रिक	5	1	4	80.00
7.	एलईडी वायरलेस प्रोजेक्टर	3	1	2	66.67
8.	सर्जिकल उपकरण। (सेट)	5	1	4	80.00
(डी)	नैदानिक प्रयोगशाला:				
9.	इनक्यूबेटर	2	1	1	50.00
10.	लाल तथा सफेद पिपेट वाला हीमोसाइटोमीटर	90	55	35	38.89
(ई)	नमूने:				
11.	माउंटेड नमूने	250	60	190	76.00
5.	**सूक्ष्म जीव विज्ञान**				
(ए)	सामान्य				
1.	कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर/कैंडल जार	2	1	1	50.00
2.	माइक्रोस्कोप दूरबीन (छात्र)	75	65	10	13.33
3.	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	2	1	1	50.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
4.	परिवर्तनशील तापमान वाला वाटर बाथ	2	1	1	50.00
6.	**न्याय-आयुर्विज्ञान**				
(ए)	शिक्षण				
1.	टू इन वन एक्स-रे व्यू बॉक्स	4	3	1	25.00
2.	विराम घड़ी	4	1	3	75.00
3.	एंथ्रोपोमेट्रिक सेट जिसमें शामिल हैं: ए) 7 फीट तक मुड़ने योग्य धातु की छड़ बी) ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड सी) क्रेनियोमीटर डी) मैंडिबुलोमीटर ई) गोनियोमीटर एफ) वर्नियर कैलिपर्स जी) ऊंचाई रिपोर्ट करने के लिए उपकरण एच) वजन मशीन डायल टाईप मानव	2	1	1	50.00
4.	डिजिटल बीपी उपकरण	2	1	1	50.00
5.	स्टेथौस्कोप	2	1	1	50.00
(बी)	अनुसंधान				
6.	शव परीक्षण मेज	3	2	1	33.33
7.	अंगों के वजन के लिए मशीन	2	1	1	50.00
8.	भ्रूण के वजन के लिए मशीन	2	1	1	50.00
9.	ब्रेन नाइफ	4	3	1	25.00
10.	उपकरण ट्रॉली	आवश्यकतानुसार (न्यूनतम 2)	1	1	50.00
11.	शवों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर	आवश्यकतानुसार (न्यूनतम 2)	1	1	50.00
(ई)	यौन उत्पीड़न की जांच के लिए				

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
12.	दांतेदार चिमटी	4	3	1	25.00
7.	**सामुदायिक चिकित्सा**				
1.	हाइड्रोमीटर, स्पिरिट	2	1	1	50.00
2.	हाइड्रोमीटर, दूध	2	1	1	50.00
3.	बैलेंस एनालिटिकल 200 ग्राम.	2	1	1	50.00
4.	वजन मशीन वयस्क	6	5	1	16.67
5.	ऊंचाई मापने वाला स्टैंड	3	1	2	66.67
6.	रेफ्रिजरेटर 9 घन फीट	3 + 1 आरएचटीसी +1 यूएचटीसी	2	2	50.00
7.	प्रिंटर, स्कैनर तथा फोटोकॉपियर एवं इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर	3	2 कंप्यूटर 1 प्रिंटर 1 स्कैनर	1	33.33
8.	स्क्रीन वाला मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	2	1	1	50.00
9.	क्लोरोस्कोप	10	2	8	80.00
10.	हीमोग्लोबिनोमीटर	5	1	4	80.00
11.	बीपी उपकरण (डिजिटल)	10	5	5	50.00
12.	नीडल श्रेडर	3	1	2	66.67
13.	वैक्सीन कैरीअर	5	1	4	80.00
14.	व्यावसायिक सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपकरण (सेट)	3	1	2	66.67
15.	ग्लूकोमीटर	10	2	8	80.00
16.	कीट विज्ञान के लिए स्लाइड सेट	5	1	4	80.00
बी.	**अन्य विभाग**				
8.	**दृश्य-श्रव्य सहायता विभाग**				
(ए)	कलाकार अनुभाग				

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
1	ड्राइंग पेपर	12	7	5	41.67
सी.	**नैदानिक विभाग**				
9.	**दवा**				
1.	बीपी उपकरण (पारा वाले उपकरणों को डिजिटल अथवा अन्य उपयुक्त विकल्पों से बदला जाना चाहिए)	30	27	3	10.00
2.	एक्स-रे देखने का बॉक्स	16	2	14	87.50
3.	लैरींगोस्कोप	10	8	2	20.00
4.	स्क्रीन वाला मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	2	1	1	50.00
5.	रबड़ का हथौड़ा	10	4	6	60.00
6.	टॉर्च	14	7	7	50.00
7.	आपातकालीन लाइट	6	3	3	50.00
10.	**बाल चिकित्सा**				
(डी)	मापन उपकरण				
	डिजिटल वजन मशीन				
1.	इन्फैंटोमीटर	3	1	2	66.67
2.	स्टेडियोमीटर	4	3	1	25.00
(ई)	वर्क लैब एवं इन्वेस्टिगेशन:				
3.	ट्रू कट रीनल बायोप्सी सुई	2	1	1	50.00
11.	**शल्य चिकित्सा**				
(ए)	ओपीडी				
1.	क) डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक बीपी उपकरण (प्रति)	4	1	3	75.00
	ख) वजन मशीन (प्रति)	4	0	4	100.00
	सी) स्टेथोस्कोप (प्रति)	4	0	4	100.00
	d) ऊंचाई पैमाना (प्रति)	4	0	4	100.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
2.	4-इन-1 एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	4	1	3	75.00
3.	प्रोक्टोस्कोप	10	5	5	50.00
(सी)	वार्ड्स				
4.	डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक बीपी उपकरण, स्टेथोस्कोप (प्रति)	16	6	10	62.50
5.	प्रोक्टोस्कोप	8	1	7	87.50
(डी)	ऑपरेशन थियेटर				
6.	ऑपरेशन थिएटर मेज	7	4	3	42.86
7.	ऑपरेशन थिएटर सीलिंग लाइट	7	4	3	42.86
8.	पेडस्टल लाइट्स	7	3	4	57.14
9.	इलेक्ट्रो-सर्जिकल कॉटरी यूनिट	12	3	9	75.00
10.	सक्शन मशीन	7	2	5	71.43
11.	पल्स ऑक्सीमीटर	7	4	3	42.86
12.	एनेस्थीसिया इक्विपमेंट (विभाग की ज़रूरत के हिसाब से) (सेट)	7	4	3	42.86
13.	बाल चिकित्सा शल्य चिकित्सा उपकरण सेट	2	1	1	50.00
14.	संवहनी सेट	2	1	1	50.00
12.	**अस्थि रोग विज्ञान**				
1.	फ्रैक्चर कम करने के लिए सामान्य उपकरण सेट (सेट्स)	5	2	3	60.00
2.	बाहरी फिक्सेटर	6	1	5	83.33
	ओपीडी में होने चाहिए -				
3.	इलेक्ट्रिक प्लास्टर कटर	4	3	1	25.00
4.	प्रतिवर्त हथौड़ा	10	4	6	60.00
5.	मापन टेप	20	4	16	80.00
6.	गोनियोमीटर	10	4	6	60.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
13.	**नेत्र विज्ञान**				
(ए)	ओपीडी				
1.	स्लिट लैंप	3	2	1	33.33
2.	एप्लानेशन टोनोमीटर	2	1	1	50.00
(बी)	प्रमुख ऑपरेशन थियेटर				
3.	एन्यूक्लिएशन सेट	4	2	2	50.00
14.	**कर्णनासाकंठ विज्ञान**				
(ए)	ओपीडी				
1.	सिडेक्स इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज़ेशन ट्रे	2	1	1	50.00
2.	परिश्रावक	2	1	1	50.00
3.	बेयोनेट फोरसेप्स	2	1	1	50.00
(सी)	मुख्य ऑपरेशन थियेटर।				
	(सी) सेप्टोप्लास्टी सेट				
4.	फिश टेल (बेयोनेट आकार) गॉज	2	1	1	50.00
	(ई) डायरेक्ट लेरिन्जोस्कोपी सेट				
5.	वयस्क एवं बच्चों के आकार के लिए एंटीरियर कमिसर लैरींगोस्कोप	2	1	1	50.00
6.	नेगस लैरींगोस्कोप (वैकल्पिक)	2	1	1	50.00
	(जी)माइक्रोलैरिंगोस्कोपी सेट				
7.	क्लेन्सैसर का लैरींगोस्कोप	2	1	1	50.00
8.	फाइबरऑप्टिक प्रकाश व्यवस्था	2	1	1	50.00
9.	माइक्रोलेरिंजियल कप फोरसेप्स	2	1	1	50.00
10.	माइक्रोलेरिंजियल कैंची	2	1	1	50.00
	(एच) टिम्पेनोप्लास्टी सेट				

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
11.	थंब एडॉप्टर के साथ माइक्रो सक्शन कैनुला	4	3	1	25.00
	(आई) मास्टॉयडेक्टॉमी सेट				
12.	मैलेट (वैकल्पिक)	2	1	1	50.00
13.	मच्छर धमनी फोरसेप्स	4	3	1	25.00
	(के) ओसोफैगोस्कोपी सेट				
14.	अलग-अलग उम्र के ग्रुप के लिए ओसोफेगोस्कोप के साइज़	3	2 (माह का भुगतान)	1	33.33
15.	बायोप्सी फोरसेप्स	3	1	2	66.67
16.	विदेशी वस्तु हटाने वाले फोरसेप्स	3	1	2	66.67
17.	सक्शन कैनुला	3	2	1	33.33
	(एल) ब्रोंकोस्कोपी सेट				
18.	बायोप्सी फोरसेप्स	3	1	2	66.67
19.	विदेशी वस्तु हटाने वाले फोरसेप्स	3	1	2	66.67
20.	सक्शन कैनुला	3	2	1	33.33
	(एन) एक्सिशन बायोप्सी सेट				
21.	चाकू का हैंडल	2	1	1	50.00
22.	एडसन के टिश्यू को पकड़ने वाले फोरसेप्स दांतेदार	2	1	1	50.00
23.	एडसन टिश्यू होल्डिंग फोरसेप्स प्लेन	2	1	1	50.00
24.	मेयो कैंची अलग-अलग साइज़ की होती हैं	3	1	2	66.67
25.	मच्छर घुमावदार धमनी फोरसेप्स	6	2	4	66.67
26.	घुमावदार धमनी फोरसेप्स	6	2	4	66.67
27.	एलिस ऊतक फोरसेप्स	4	1	3	75.00
28.	बैबकॉक ऊतक फोरसेप्स	2	1	1	50.00
29.	त्वचा हुक डबल	2	1	1	50.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
30.	सुई धारक विभिन्न आकार	3	2	1	33.33
	माइनर ऑपरेशन थियेटर				
	(बी) माइक्रो कान परीक्षा सेट				
31.	सक्शन कैनुला	4	2	2	50.00
32.	कर्ण कप फोरसेप्स	2	1	1	50.00
	(सी) नाक पैकिंग सेट				
33.	नाक सक्शन कैनुला	4	2	2	50.00
15.	**प्रसूति एवं स्त्री रोग**				
(ए)	सामान्य				
1.	स्पेकुलम और रिट्रैक्टर	75	32	43	57.33
2.	एनएसटी मशीन	2	1	1	50.00
3.	सिलाई हटाने वाले सेट	5	4	1	20.00
4.	ड्रेसिंग सेट	7	4	3	42.86
5.	तोलनयंत्र	3	2	1	33.33
6.	ऊंचाई पैमाना	2	1	1	50.00
7.	डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन, मापने वाले टेप, दस्ताने, सिरिंज, सुई, टॉर्च	6	बीपी -2	4	66.67
(बी)	मुख्य ऑपरेशन थियेटर				
8.	एब्डॉमिनल हिस्टेरेक्टॉमी सेट (आर्टरी फोरसेप्स, कैंची, स्केलपेल, एलिस केली क्लैंप, बैबकॉक फोरसेप्स, थंब फोरसेप्स, हैरिंगटन एंड रिचर्डसन रिट्रैक्टर्स।)	3	1	2	66.67
9.	योनि हिस्टेरेक्टॉमी सेट	3	1	2	66.67
10.	इलेक्ट्रॉनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनसफ़्लेटर/इनसफ़्लेटर बेसिक यूनिट	2	1	1	50.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
(सी)	प्रसूति कक्ष				
11.	डिलीवरी सेट	15	13	2	13.33
12.	डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक बीपी उपकरण	3	2	1	33.33
13.	कार्डियोटोकोग्राम मशीन	2	1	1	50.00
(एफ)	माइनर ऑपरेशन थियेटर				
14.	एमटीपी सेट	3	1	2	66.67
15.	डी एंड सी सेट	3	2	1	33.33
16.	आईयूसीडी सम्मिलन/निष्कासन सेट	5	2	3	60.00
(जी)	प्रसूति ऑपरेशन थियेटर				
17.	डी एंड सी सेट	2	1	1	50.00
18.	एमटीपी सेट	2	1	1	50.00
19.	उच्च चूषण मशीन	2	1	1	50.00
20.	ग्रीवा अन्वेषण सेट	2	1	1	50.00
(एच)	वार्ड				
21.	रक्तचाप उपकरण (डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक)	3	2	1	33.33
22.	वीक्षक और प्रतिकर्षक	20	10	10	50.00
23.	टांके हटाने वाले सेट	5	1	4	80.00
24.	ड्रेसिंग सेट	5	1	4	80.00
25.	सक्शन मशीन	2	1	1	50.00
(आई)	विशेष उपकरण				
26.	हाई रिस्क वाली प्रेग्नेंट मरीज़ों (एक्लेम्पसिया, दिल की बीमारियाँ इत्यादि) के लिए ईसीजी, बीपी, एचआर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ मल्टीचैनल मॉनिटर।	2	1	1	50.00

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरण का नाम	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	कमी	कमी की प्रतिशतता (%)
16.	**एनेस्थिसियोलॉजी**				
(ए)	ओपीडी एनेस्थीसिया क्लिनिक				
1.	रक्तचाप उपकरण (गैर-आक्रामक)	2	1	1	50.00
2.	तोलनयंत्र	2	1	1	50.00
(बी)	ऑपरेशन थियेटर				
3.	प्रिंटर और स्कैनर वाला कंप्यूटर	2	1	1	50.00
(सी)	पोस्टऑपरेटिव रिकवरी रूम				
4.	ईसीजी मॉनिटर	5	1	4	80.00
17.	**रेडियो-निदान**				
(ए)	सामान्य				
1.	रूटीन एक्स-रे के लिए कन्वेंशनल एक्स-रे यूनिट 300 एमए, 500एमए, 800एमए (आईआईटीवी के साथ) - 1 प्रत्येक	2+2+1 कुल 5	500एमए 02 नग	3	60.00
18.	**केंद्रीय दुर्घटना विभाग**				
1.	वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, ईसीजी मशीन, नेबुलाइज़र। (प्रत्येक)	3	1	2	66.67
2.	सक्सन	2	1	1	50.00
3.	पल्स ऑक्सीमीटर	2	1	1	50.00
कुल विभाग			18		
कुल उपकरणों की संख्या में पाई गई कमी			160		
कमी की सीमा			10% से 100%		

अनुलग्नक-2.6

(पैराग्राफ संख्या 2.2.4.1 (सी) में संदर्भित)

गैर-कार्यात्मक स्थिति के कारण उपकरणों की कमी

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
ए.	**गैर-नैदानिक विभाग**					
1.	**एनाटॉमी**					
(ए)	**सामान्य**					
1.	कम से कम 6' x 2' x3' के आकार की मार्बल या स्टेनलेस स्टील टॉप वाली टेबल,	12	15	7	8	-
2.	एक्स-रे देखने की लॉबी	3	3	2	1	1 वर्ष से
(बी)	**ऊतक विज्ञान प्रयोगशाला**					
3.	माइक्रोस्कोप, मोनोकुलर	50	60	20	40	1 वर्ष से
4.	माइक्रोटोम, रोटरी (वैकल्पिक)	1	2	0	2	1 वर्ष से
2.	**फिजियोलॉजी**					
1.	माइक्रोस्कोप, ऑयल इमर्शन	50+8	63	28	35	-
2.	हीमोग्लोबिन-मीटर साहली या हेलिगे (स्पेस के साथ)	50	36	18	18	-
3.	स्फिग्मोमैनोमीटर (डिजिटल) (पारा आधारित उपकरणों को उपयुक्त विकल्पों से बदला जाएगा)	50	13	7	6	2017
4.	स्टेथोस्कोप	50	5	0	5	2016
(ई)	बेसल चयापचय तंत्र	1	1	0	1	2020

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
6.	मोसो का एर्गोग्राफ	8	4	0	4	2021
7.	घुटने का हथौड़ा	30	15	5	10	-
8.	स्कीमेटिक आँख	1	2	0	2	2017
9.	मैडॉक्स रॉड	1	1	0	1	2017
10.	स्टूडेंट फिजियोग्राफ, (सिंगल चैनल) एक्सेसरीज़ के साथ	6	6	0	6	2017
11.	इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजक	1	1	-	1	-
12.	डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर के साथ	2	3	1	2	2019
13.	फोटोकॉपियर तथा स्कैनर	1	1	-	1	-
3.	**जैव रसायन**					
1.	बॉयलिंग वाटर बाथ्स	2	6	1	5	-
2.	लैबोरेटरी रिएजेंट रेफ्रिजरेटर, क्षमता > 200 लीटर	2	2	0	2	-
3.	पेपर और टीएलसी के लिए कम्प्लीट क्रोमैटोग्राफिक यूनिट	2 प्रत्येक	2(केवल कागज क्रोमैटोग्राफी	1	1	2019 से
4.	≥ 8 ट्यूब के लिए क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज	2	6	0	6	2019 से
5.	वाइड रेंज डिजिटल पीएच मीटर	5	4	1	3	2019 से
6.	सभी ग्लास आसवन उपकरण	1	1	0	1	-
7.	फोटोकॉपियर तथा स्कैनर	1	1	0	1	2022 से
4.	**सूक्ष्म जीव विज्ञान**					
(ए)	**सामान्य**					
1.	सेंट्रीफ्यूज	3	4	-	4	जुलाई-22

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
2.	हॉट एयर ओवन	2	2	1	1	जून-22
3.	माइक्रोस्कोप दूरबीन (छात्र)	75	65	17	48	2022-23
4.	यूनिवर्सल कंडेंसर वाला माइक्रोस्कोप जिसमें ऑयल इमर्शन, ब्राइट फील्ड, फेज कंट्रास्ट और डार्क ग्राउंड है	1	1	-	1	2022
5.	पीएच निर्धारण उपकरण	2	2	-	2	-
5.	**न्याय-आयुर्विज्ञान**					
(ए)	**शिक्षण**					
1.	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, सी पीयू तथा प्रोजेक्शन स्क्रीन	1	1	-	1	अगस्त-23
2.	एक्स-रे व्यू बॉक्स टू इन वन	4	3	1	2	मार्च-22
(सी)	**चिकित्सा कानूनी कार्य**					
3.	शवों के लिए कोल्ड स्टोरेज	6	08 निकायों की क्षमता 2 इकाई		1	
(ई)	**यौन उत्पीड़न जांच हेतु [*]**					
4.	डेस्कटॉप कंप्यूटर	2	2	1	1	
5.	स्कैनर वाला प्रिंटर	2 प्रत्येक	2प्रत्येक	1	1	-
6.	**सामुदायिक चिकित्सा**					
1.	फ़िल्टर, पाश्चर चैंबरलैंड, पूरा सेट	1	1	-	1	पिछले 6 महीने
2.	फ़िल्टर, बर्क फ़ेड	1	1	-	1	पिछले 6 महीने
3.	इनक्यूबेटर, इलेक्ट्रिक (माइक्रोबायोलॉजी से खरीदा जा सकता है)	1	1	-	1	पिछले 3 महीने

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
4.	आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर (आईएलआर) (हेल्थ सेंटर में)	1	1	-	1	पिछले 3 महीने
5.	विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी	20	30	4	26	पिछले 6 महीने
सी.	**नैदानिक विभाग**					
7.	**चिकित्सा**					
1.	बीपी उपकरण (पारा वाले उपकरणों को डिजिटल या अन्य उपयुक्त विकल्पों से बदला जाना चाहिए)	30	27	10	17	-
2.	एक्स-रे देखने का बॉक्स	16	2	1	1	-
3.	पल्स ऑक्सीमीटर	20	43	17	26	-
4.	ईएमजी तथा तंत्रिका चालन वेग मशीन	1	1	-	1	-
5.	नेब्युलाइजर	12	19	11	8	-
6.	आपातकालीन लाइट	6	3	2	1	-
8.	**शल्य चिकित्सा**					
(ए)	**ओपीडी**					
1.	क) डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक बीपी उपकरण	4 प्रत्येक	01 नंबर	-	1	-
(सी)	**वार्ड**					
2.	डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक बीपी उपकरण, स्टेथोस्कोप	प्रत्येक 16	6	3	3	दो महीने से
3.	नॉन-इनवेसिव मल्टी पैरा मॉनिटर	4	4	2	2	19.04.2021
9. ऑर्थोपेडिक्स						
1.	एक्सटरनल फिक्सेटर	6	1	-	1	2021

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
2.	आर्थ्रोस्कोप	1	1	0	1	-
10.	**नेत्र विज्ञान**					
(ए)	**ओपीडी .**					
1	सिनोप्टोफोर	1	1	-	1	2019
(बी)	**प्रमुख ऑपरेशन थियेटर**					
2	कैमरे के साथ टीवी यूनिट के साथ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप	1	1	-	1	01.02.2023
11.	**ओटोरहिनोलारिंगोलॉजी**					
(ई)	**विविध उपकरण**				-	-
1	छोटे ऑपरेशन थियेटर के लिए ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप	1	1	0	1	2 साल
2	एएसएसआर वाली ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीटर	आवश्यकता अनुसार	1	0	1	3 वर्ष
(एफ)	**अतिरिक्त उपकरण**					
3	ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीटर	1	1	_	1	3 वर्ष
12.	**प्रसूति एवं स्त्री रोग**					
(ए)	**सामान्य**					
1	सरल भ्रूण डॉप्लर	2	2	1	1	1 वर्ष
2	एनएसटी मशीन	2	1	0	1	4 वर्ष
3	अल्ट्रासाउंड मशीन	1	1	0	1	5 वर्ष
(बी)	**मुख्य ऑपरेशन थियेटर**					
4	एचडी ऑपरेटिंग लैप्रोस्कोपी सहित सभी	1	1	0	1	2 साल से

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
	एक्सेसरीज तथा हैंड-इंस्ट्रूमेंट					
5	ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी सेट	1	1	-	1	10 वर्षों से
(सी)	**प्रसूति कक्ष**					
6	डिलीवरी सेट	15	13	11	2	-
7	डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक बीपी उपकरण	3	2	-	2	-
8	तोलनयंत्र	1	1	-	1	-
9	कार्डियोटोकोग्राम मशीन	2	1	-	1	-
(एच)	**वार्ड**					
10	स्पेक्युलम एण्ड रिट्रैक्टर	20	10	6	4	-
13. एनेस्थिसियोलॉजी						
(सी)	**पोस्टऑपरेटिव रिकवरी रूम**					
1	ब्लड प्रेशर मॉनिटर (डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक)	5	6	3	3 (एक्सेसरीज़ उपलब्ध नहीं हैं)	2 साल
2	पल्स ऑक्सीमीटर	5	6	1	5 (एक्सेसरीज़ उपलब्ध नहीं हैं)	2 साल
3	एबीजी मशीन (वैकल्पिक)	1	1	-	1	1 वर्ष
14. रेडियो-निदान						
(बी)	**मोबाइल एक्स-रे इकाइयाँ**					
1	अल्ट्रासोनोग्राफी इक्विपमेंट तथा कलर डॉप्लर (ओबीजीवाई के लिए अलग से एक्स्ट्रा यूनिट)।	3+1	4	3	1	पिछले 2 साल से काम नहीं कर रहा है तथा खराब है गया हूँ
2	सीटी (16 स्लाइस)।	1	1	डीकमीशनिंग के अधीन	1	

क्र. सं.	100 बिस्तरों के लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार मदों/उपकरणों का नाम	100 बिस्तरों के लिए लिए एमसीआई/एनएमसी मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरणों की संख्या	फिलहाल उपलब्ध उपकरणों की संख्या (मात्रा वार)	उपकरणों की वर्तमान स्थिति		
				कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की संख्या	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरण	
					मात्रा	गैर-कार्यात्मक स्थिति में होने की तिथि
	कुल विभाग			**14**		
	गैर-कार्यात्मक स्थिति में उपकरणों की कुल संख्या			**347**	342	
	गैर-कार्यात्मक रहने की अवधि			**2 महीने से 10 साल तक**	6 महीने से 10 साल तक	
	नोट: यहां दिखाए गए मामले संपूर्ण नहीं हैं बल्कि केवल उदाहरण के लिए हैं।					

अनुलग्नक-2.7
(पैराग्राफ संख्या 2.2.4.3 में संदर्भित)

जीबी पंत अस्पताल के आईसीयू में गैर-उपलब्ध सामान/उपकरण

क्र. सं.	आईपीएचएस के अनुसार निर्धारित उपकरण/यंत्र/सहायक उपकरण/फर्नीचर	टिप्पणी
सामान्य (चिकित्सा) आईसीयू		
1	**ईटीसी O2 माप** के साथ शिरे पर एनआईबीपी (नॉन-इनवेसिव बीपी तथा टेम्परेचर) , इन्फ्यूजन पंप, सेंट्रल सक्शन, मेडिकल एयर, पीईईपी वाल्व, पोर्टेबल इन्वर्टर बैटरी सेट (ट्रांसपोर्ट के लिए), ऑक्सीजन हुड	-
एनआईसीयू		
1	नियोनेटल रैप अप के साथ पल्स ऑक्सीमीटर **(नियोनेटल सेंसर प्रोब रैप टाइप),** नियोनेटल लीड्स के साथ मल्टी पैरा मॉनिटर **(माइंडरे के लिए नियोनेटल लीड्स),** पोर्टेबल एलईडी स्टैंडिंग लाइट, ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर कंप्रेसर के साथ बबल सीपीएपी, ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर	खरीदारी प्रक्रियाधीन है
2	इरेडिएंस मीटर, वेन फाइंडर, मैगिल्स फोरसेप्स, ट्रैकियोस्टॉमी सेट गुडल्स एयरवे, बेड साइड चेयर्स	-
पीआईसीयू		
1	**नियोनेटल रैप अप** के साथ पल्स ऑक्सीमीटर, नियोनेटल लीड्स के साथ मल्टी पैरा मॉनिटर**,** पोर्टेबल एलईडी स्टैंडिंग लाइट, ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर, बेड साइड चेयर्स	खरीदारी प्रक्रिया में है
2	ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर, इरेडिएंस मीटर, वेन फाइंडर, मैगिल्स फोरसेप्स, हर साइज़ में टीटी ट्यूब्स,	-
3	फोटोथेरेपी सिंगल सरफेस एलईडी, इन्फैंटोमीटर, ट्रेकियोस्टोमी सेट	एनआईसीयू, बाल चिकित्सा, ईएनटी विभाग में क्रमशः उपलब्ध

क्र. सं.	आईपीएचएस के अनुसार निर्धारित उपकरण/यंत्र/सहायक उपकरण/फर्नीचर	टिप्पणी
आपातकालीन 24x7 (कैजुअल्टी ओपीडी)		
1	ब्लेड वाले लैरिंजोस्कोप (**पीडियाट्रिक),** मैकेनिकल वेंटिलेटर (केवल लाल बिस्तरों के लिए), अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र, ट्रांसपोर्ट मॉनिटर, ऑप्थैल्मोस्कोप, ओटोस्कोप, ट्रेकियोस्टॉमी सेट विभिन्न आकारों के स्प्लिंट	-
ओबीजीवाईएन आईसीयू/एसआईसीयू		
1	**ईटीसी O2 माप के साथ** सिरे पर एनआईबीपी (नॉन-इनवेसिव बीपी तथा टेम्परेचर) तथा इनवेसिव मॉनिटरिंग के लिए अपग्रेडेबल इन्फ्यूजन पंप	(एनआईबीपी, ईटीसी O2 मापने के लिए एक्सेसरीज़ उपलब्ध नहीं हैं) खरीदारी प्रक्रिया में है
2	भ्रूण डॉप्लर, सीटीजी मशीन	प्रसूति वार्ड में उपलब्ध
3	कलर डॉप्लर और इको सुविधा वाली यूएसजी मशीन, एडजस्टेबल आर्म्स के साथ मूवेबल शैडोलेस स्पॉटलाइट्स, एलईडी व्यू बॉक्स- 4*2 फुट	ओटी में उपलब्ध
4	ब्लड वार्मर, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस के लिए इंटरमिटेंट कम्प्रेशन डिवाइस	प्रक्रियाधीन
5	ऑक्सीजन हुड बॉक्स	-
एसएनसीयू+एमएनसीयू		
1	पोर्टेबल एलईडी स्टैंडिंग लाइट, ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर, कंप्रेसर के साथ बबल सी पीएपी, ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर, मैगिल्स फोरसेप्स, गुडल्स एयरवे	खरीद प्रक्रियाधीन है
2	शिरा खोजक	-
3	ट्रेकियोस्टॉमी सेट	ईएनटी में उपलब्ध

अनुलग्नक-2.8

(पैराग्राफ संख्या 2.2.5.4 में संदर्भित)

एएनआईएमईआरएस द्वारा निगरानी का अभाव

प्राधिकार का नाम	आयोजित होने वाली बैठकों की न्यूनतम संख्या		आयोजित बैठकों की संख्या (*प्रतिशतता* में वर्ष-वार कमी)										10 वर्षों में बैठकों की कुल संख्या	कुल कमी
	प्रति वर्ष	दस वर्षों में कुल	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
सामान्य निकाय	1	10	शून्य (100)	शून्य (100)	शून्य (100)	शून्य (100)	शून्य (100)	1 (शून्य)	शून्य (100)	शून्य (100)	शून्य (100)	1 (शून्य)	2	8 (80%)
कार्यकारिणी परिषद	4	40	2 (50)	4 (शून्य)	4 (शून्य)	3 (25)	1 (75)	1 (75)	शून्य (100)	शून्य (100)	2 (50)	2 (50)	19	21 (52%)
कॉलेज/ शैक्षणिक परिषद*	4/2 **	30 #	2 (50)	शून्य (100)	2 (50)	2 ## (50)	1 (75)	1 (50)	3 (शून्य)	3 (शून्य)	4 (शून्य)	2 (शून्य)	20	10 (33%)
वित्त समिति	2	20	शून्य (100)	2 (शून्य)	शून्य (100)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	शून्य (100)	1 (50)	3 (शून्य)	10	10 (50%)

* कॉलेज परिषद् का आदेश संख्या FN 1-1/MC /ESTT/2014 के अंतर्गत 24 फरवरी 2015 को गठन किया गया था तथा मार्च 2019 तक शैक्षणिक परिषद् के तौर पर काम कर रही थी।

** कॉलेज परिषद के एसओपी के अनुसार, मीटिंग आवश्यकतानुसार होगी, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 4 बार होगी तथा एएनआईआईएमईआरएस के एमओए, नियम एवं विनियम के अनुसार शैक्षणिक परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

शैक्षणिक परिषद् आदेश संख्या 1479, दिनांक 14.09.2017 के अनुसार बनाई गई थी, लेकिन यह देखा गया कि कॉलेज परिषद् भी मार्च 2019 तक काम कर रही थी। इसलिए, 2018-19 तक होने वाली बैठकों की संख्या (4 x 05 साल) = 20 होनी चाहिए तथा 2019-20 एवं 2023-24 के बीच होने वाली बैठकों की संख्या (2 x 05 साल) = 10 होनी चाहिए। इस तरह, 10 वर्षों में होने वाली बैठकों की कुल संख्या (20 + 10) = 30 होनी चाहिए।

04 अगस्त 2017 एवं 15 सितंबर 2017 को हुई क्रमशः प्रत्येक कॉलेज परिषद् की बैठक तथा शैक्षणिक परिषद् की बैठक।

अनुलग्नक-2.9

(पैराग्राफ संख्या 2.4.3.1 में संदर्भित)

2021-2024 की अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क से राजस्व

(₹ में राशि)

क्र. सं.	जगह का प्रकार	व्यापार/व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2021-22 से 2023-24			कुल अर्जित राजस्व
			2021-22	2022-23	2023-24	
1.	काउंटर	एटीएम (एसबीआई)	1222380	1324249	1344624	3891253
2.	खुली जगह	स्टीम्ड कॉर्न्स आउटलेट	1271000	3568298	3795452	8634750
3.	खुली जगह	फ्रोजेन योगर्ट	608941	1764758	2652649	5026348
4.	खुली जगह	ताज़ा फलों का जूस	959843	1277347	357914	2595104
5.	खुली जगह	सोया चाप	509479	0	0	509479
6.	खुली जगह	स्वचालित पिज्जा मशीन (इमैट्रिक्स वर्ल्डवाइड)	568552	980677	1039437	2588666
7.	खुली जगह	नारियल पानी	313935	2587601	1471400	4372936
8.	खुली जगह	स्केच कलाकार	192400	280935	487333	960668
9.	खुली जगह	मनोरंजन पार्क तथा एडवेंचर कैसल	4203007	8410957	7543909	20157873
	कुल		**9849537**	**20194822**	**18692718**	**48737077**

अनुलग्नक-2.10

(पैराग्राफ संख्या 2.4.3.2 में संदर्भित)

सुखना झील के विक्रेता के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का विक्रेता वार विवरण

(₹ में राशि)

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय का प्रकार	आवंटन संख्या/तिथि	कब्जे की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम	शुरुआती लाइसेंस शुल्क	प्रतिभूति जमा	पट्टे की अवधि (सालों में)	वार्षिक वृद्धि की दर	कॉलम 10 में उल्लिखित वार्षिक वृद्धि के पश्चात वर्ष वार कुल लाइसेंस शुल्क					पट्टा अवधि के दौरान कुल पट्टा राशि	वार्षिक औसत किराया	औसत वार्षिक किराये पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क (10000 अधिकतम के अधीन औसत वार्षिक किराए पर 1% की दर से)	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का सकल योग
										प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1	दुकान सं.-4	मिठाई की दुकान	आईडब्ल्यू/एसए-I/ 14235-40 दिनांक 03.02.2021	दुकान सं.-4	श्री हरिवंश सिंह	222222	1333332	4	10	2666664	2933330	3226663	3549330	0	12375988	3093997	61880	10000	71880
2	दुकान सं.-5	उपहार वस्तु	आईडब्ल्यू/एसए-I/12366-71 दिनांक 24.12.2020	दुकान सं.-5	मेसर्स ललित जोशी	71,100	426,600	4	10	853200	938520	1032372	1135609	0	3959701	989925	19799	9900	29699

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय का प्रकार	आवंटन संख्या/तिथि	कब्जे की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम	शुरुआती लाइसेंस शुल्क	प्रतिभूति जमा	पट्टे की अवधि (सालों में)	वार्षिक वृद्धि की दर	कॉलम 10 में उल्लिखित वार्षिक वृद्धि के पश्चात वर्ष वार कुल लाइसेंस शुल्क					पट्टा अवधि के दौरान कुल पट्टा राशि	वार्षिक औसत किराया	औसत वार्षिक किराये पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क (10000 अधिकतम के अधीन औसत वार्षिक किराए पर 1% की दर से)	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का सकल योग
										प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष					
3	दुकान सं.-6	फोटोग्राफी	आईडब्ल्यू/एसए-I/11311-11314 दिनांक 25.10.2023	दुकान सं.-6	श्री गुरुदर्शन सिंह (मैसर्स पाल प्रिंटर एवं फोटोग्राफर)	91500	300600	4	10	1098000	1207800	1328580	1461438	0	5095818	1273955	25479	10000	35479
4	दुकान सं.- 7 एवं 8	चाट पपड़ी	आईडब्ल्यू/एसए-I/ 4557-60 दिनांक 12.09.2019	दुकान सं.-7 एवं 8	मैसर्स गणपति स्वीट्स एंड फास्ट फूड (श्री भानुप्रताप सिंह)	348000	1044000	4	10	4176000	4593600	5052960	5558256		19380816	4845204	96904	10000	106904
5	दुकान	एसबीआई एटीएम	आईडब्ल्यू/एसए-I/3613-18 दिनांक 17.06.2021	दुकान	एसबीआई, सेक्टर-7 सी, चंडीगढ़	101866	336153	3	10	1222392	1344631	1479094			4046118	1348706	26974	10000	36974

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय का प्रकार	आवंटन संख्या/तिथि	कब्जे की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम	शुरुआती लाइसेंस शुल्क	प्रतिभूति जमा	पट्टे की अवधि (सालों में)	वार्षिक वृद्धि की दर	कॉलम 10 में उल्लिखित वार्षिक वृद्धि के पश्चात वर्ष वार कुल लाइसेंस शुल्क					पट्टा अवधि के दौरान कुल पट्टा राशि	वार्षिक औसत किराया	औसत वार्षिक किराये पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क (10000 अधिकतम के अधीन औसत वार्षिक किराए पर 1% की दर से)	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का सकल योग
										प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष					
6	काउंटर	स्टीम्ड कॉर्न्स आउटलेट	आईडब्ल्यू/एसए-I/8214-21 दिनांक 13.09.2021	काउंटर	श्री विमल चौहान	254200	1525200	3	10	3050400	3355440	3690984			10096824	3365608	67312	10000	77312
7	काउंटर	फ्रोजेन योगर्ट	आईडब्ल्यू/एसए-I/2018/10363-67 दिनांक 26.10.2022	काउंटर	श्री चन्दर दीप सिंह (मैसर्स फ्रोयो फूड्स)	212212	1273272	3	10	2546544	2801198	3081318			8429061	2809687	56194	10000	66194
8	काउंटर	ताजा फलों का जूस	आईडब्ल्यू/एसए-I/4498 दिनांक 11.09.2019	काउंटर	श्री राजेश आर दया रमानी	70542	423252	3	10	846504	931154	1024270			2801928	933976	18680	9340	28020

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय का प्रकार	आवंटन संख्या/तिथि	कब्जे की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम	शुरुआती लाइसेंस शुल्क	प्रतिभूति जमा	पट्टे की अवधि (सालों में)	वार्षिक वृद्धि की दर	कॉलम 10 में उल्लिखित वार्षिक वृद्धि के पश्चात वर्ष वार कुल लाइसेंस शुल्क					पट्टा अवधि के दौरान कुल पट्टा राशि	वार्षिक औसत किराया	औसत वार्षिक किराये पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क (10000 अधिकतम के अधीन औसत वार्षिक किराए पर 1% की दर से)	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का सकल योग
										प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष					
9	काउंटर	स्वचालित पिज़्ज़ा मशीन शेफ लेकव्यू	आईडब्ल्यू/एसए-I/ 12068-72 दिनांक 17.12.2020	काउंटर	मैसर्स इमाट्रिक्स वर्ल्ड वाइड (श्री रोहित शर्मा)	35000	0	2	10	420000	462000				882000	441000	8820	4410	13230
10	काउंटर	नारियल पानी	आईडब्ल्यू/एसए-I/14596-99 दिनांक 12.01.2022	काउंटर	श्री गुरविंदर सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह	191091	1146545	3	10	2293092	2522401	2774641			7590135	2530045	50601	10000	60601
11	खुली जगह	मनोरंजन पार्क	आईडब्ल्यू/एसए-I/8012-18 दिनांक 09.09.2021	खुली जगह	बठिंडा एम्यूज़मेंट पार्क (पवन कुमार गर्ग)	531700	3190200	5	10	6380400	7018440	7720284	8492312	9341544	38952980	7790596	155812	10000	165812

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय का प्रकार	आवंटन संख्या/तिथि	कब्जे की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम	शुरुआती लाइसेंस शुल्क	प्रतिभूति जमा	पट्टे की अवधि (सालों में)	वार्षिक वृद्धि की दर	कॉलम 10 में उल्लिखित वार्षिक वृद्धि के पश्चात वर्ष वार कुल लाइसेंस शुल्क					पट्टा अवधि के दौरान कुल पट्टा राशि	वार्षिक औसत किराया	औसत वार्षिक किराये पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क (10000 अधिकतम के अधीन औसत वार्षिक किराए पर 1% की दर से)	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का सकल योग
										प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष					
12	सौर नाव	झील के किनारे	आईडब्ल्यू/एसए-I/14650-53 दिनांक 13.01.2022	सौर नाव	श्री अरुण कुमार यादव (सौर नाव)	100000	100000	3	0	1200000	1200000	1200000			3600000	1200000	24000	10000	34000
13	लक्ज़री नाव	झील के किनारे	आईडब्ल्यू/एसए-I/1638-41 दिनांक 28.04.2023	लक्ज़री नाव	मैसर्स दुआ इंटरप्राइजेज (श्री संजय दुआ) लक्ज़री नाव	200000	100000	3	5	2400000	2520000	2646000			7566000	2522000	50440	10000	60440
कुल							**11199154**								**124777368**	**33144698**	**662894**	**123650**	**786544**

अनुलग्नक-2.11

(पैराग्राफ संख्या 2.4.3.3 में संदर्भित)

लंबित पट्टा किराया

(₹ में राशि)

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय	ठेकेदार का नाम	मई, 2021	जून, 2021	जनवरी, 2022	कुल बकाया किराया	18 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज			कुल बकाया दंडात्मक ब्याज	सकल बकाया राशि
								मई 2021 से मार्च 2024 तक (35 महीने)	जून 2021 से मार्च 2024 तक (34 महीने)	जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक (27 महीने)		
1	दुकान संख्या-4	मिठाई की दुकान	श्री हरबंस सिंह	222222	222222	222222	666666	116667	113333	90000	320000	986666
2	दुकान संख्या-5	उपहार आइटम	मेसर्स ललित जोशी	71100	71100	78210	220410	37328	36261	31675	105264	325674
3	दुकान संख्या-6	फोटोग्राफी	मेसर्स गुरदर्शन सिंह	91500	91500	100650	283650	48038	46665	40763	135466	419116
4	दुकान संख्या- 7 एवं 8	चाट पापड़ी	मेसर्स गणपति स्वीट्स एंड फास्ट फूड (श्री भानु प्रताप सिंह)	382800	382800	421080	1186680	200970	195228	170537	566735	1753415
5	काउंटर	स्टीम्ड कॉर्न्स आउटलेट	श्री राजेश गोयल	96800	96800	0	193600	50820	49368	0	100188	293788

क्र. सं.	दुकान का प्रकार	व्यापार/ व्यवसाय	ठेकेदार का नाम	मई, 2021	जून, 2021	जनवरी, 2022	कुल बकाया किराया	18 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज			कुल बकाया दंडात्मक ब्याज	सकल बकाया राशि
								मई 2021 से मार्च 2024 तक (35 महीने)	जून 2021 से मार्च 2024 तक (34 महीने)	जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक (27 महीने)		
			श्री विमल चौहान	0	0	254200	254200	0	0	102951	102951	357151
6	काउंटर	फ्रोजेन योगर्ट	श्री चंदरदीप सिंह (मेसर्स फ्रोयो फूड्स)	64009	64009	70410	198428	33605	32645	28516	94765	293193
7	काउंटर	ताज़ा फलों का जूस	श्री राजेश आर दया रमानी	77596	77596	85356	240548	40738	39574	34569	114881	355429
8	काउंटर	स्वचालित पिज़्ज़ा मशीन शेफ लेकव्यू	मेसर्स इमैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड (श्री रोहित शर्मा)	35000	35000	0	70000	18375	17850	0	36225	106225
9	काउंटर	नारियल पानी	श्री राजेश आर दया रमानी	164006	164006	Vacant	328012	86103	83643	0	169746	497758
कुल				**1205033**	**1205033**	**2410066**	**3642194**	**632642**	**614567**	**499012**	**1746221**	**5388415**

अनुलग्नक-2.12

(पैराग्राफ संख्या 2.5 में संदर्भित)

जुर्माना प्रभार के भुगतान के कारण परिहार्य व्यय

सेवा प्रदाता का नाम	महीने/वर्ष	अनुबंध मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)	अनुबंध मांग से अधिक मांग (5-4)	सामान्य मांग प्रभार (₹ में)	मांग प्रभार पर जुर्माना (₹ में)	सामान्य ऊर्जा प्रभार (₹ में)	ऊर्जा प्रभार पर जुर्माना (₹ में)
1	2	4	5	6	8	10	11	12
ईडीडीडी	मार्च-18	100	198	98	10500	20580	97960	191981
ईडीडीडी	अप्रैल-18	100	232	132	24000	63360	79090	208803
ईडीडीडी	मई-18	100	274	174	24000	83520	84641	297657
ईडीडीडी	जून-18	100	256	156	24000	74880	86538	267225
ईडीडीडी	अगस्त-18	100	256	156	24000	74880	76218	237799
ईडीडीडी	सितम्बर-18	100	256	156	24000	74880	270135*	
ईडीडीडी	अक्तूबर-18	100	256	156	24000	74880	89386	276094
ईडीडीडी	नवम्बर-18	100	257	157	24000	75360	62490	196195
ईडीडीडी	दिसम्बर-18	100	258	158	24000	75840	46333	148092
ईडीडीडी	जनवरी-19	100	117	17	24000	8160	98337	33438
ईडीडीडी	फरवरी-19	100	151	51	24000	24480	77699	79256
ईडीडीडी	मार्च-19	100	199	99	24000	47520	81695	162449
ईडीडीडी	अप्रैल-19	100	231	131	24000	62880	84208	220626
ईडीडीडी	मई-19	100	251	151	24000	72480	330530*	
ईडीडीडी	जून-19	100	259	159	24000	76320	470350*	
ईडीडीडी	अगस्त-19	100	259	159	24000	76320	80695	249728

सेवा प्रदाता का नाम	महीने/वर्ष	अनुबंध मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)	अनुबंध मांग से अधिक मांग (5-4)	सामान्य मांग प्रभार (₹ में)	मांग प्रभार पर जुर्माना (₹ में)	सामान्य ऊर्जा प्रभार (₹ में)	ऊर्जा प्रभार पर जुर्माना (₹ में)
ईडीडीडी	सितम्बर-19	100	259	159	24000	76320	74734	230764
ईडीडीडी	अक्तूबर-19	100	259	159	24000	76320	288725*	
ईडीडीडी	नवम्बर-19	100	259	159	24000	76320	336791*	
ईडीडीडी	दिसम्बर-19	100	259	159	24000	76320	261538*	
ईडीडीडी	जनवरी-20	100	259	159	24000	76320	202538*	
ईडीडीडी	फरवरी-20	100	169	69	24000	33120	182889*	
ईडीडीडी	मार्च-20	100	169	69	24000	33120	196435*	
ईडीडीडी	अप्रैल-20	100	200	100	24000	48000	314778*	
ईडीडीडी	मई-20	100	212	112	24000	53760	355597*	
ईडीडीडी	जून-20	100	171	71	31500	44730	326044*	
ईडीडीडी	जुलाई-20	100	100	160	31500	37800	336728*	
ईडीडीडी	अगस्त-20	100	106	6	31500	3780	174266*	
ईडीडीडी	सितम्बर-20	100	112	12	31500	7560	209303*	
ईडीडीडी	अक्तूबर-20	100	109	9	31500	5670	185163*	
ईडीडीडी	नवम्बर-20	100	100	0	31500	0	110040	0
ईडीडीडी	दिसम्बर-20	100	100	0	31500	0	95256	0
ईडीडीडी	जनवरी-21	100	100	0	31500	0	97272	0
ईडीडीडी	फरवरी-21	100	142	42	31500	26460	147809*	
ईडीडीडी	मार्च-21	100	184	84	31500	52920	103238	173456
ईडीडीडी	अप्रैल-21	100	195	95	31500	59850	127095	241495

सेवा प्रदाता का नाम	महीने/वर्ष	अनुबंध मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)	अनुबंध मांग से अधिक मांग (5-4)	सामान्य मांग प्रभार (₹ में)	मांग प्रभार पर जुर्माना (₹ में)	सामान्य ऊर्जा प्रभार (₹ में)	ऊर्जा प्रभार पर जुर्माना (₹ में)
ईडीडीडी	मई-21	100	165	65	31500	40950	134526	174888
ईडीडीडी	जून-21	100	230	130	31500	81900	79800	207480
ईडीडीडी	जुलाई-21	100	280	180	31500	113400	94800	341280
ईडीडीडी	अगस्त-21	100	275	175	31500	110250	99734	349052
ईडीडीडी	सितम्बर-21	100	275	175	31500	110250	118441	414539
ईडीडीडी	अक्तूबर-21	100	235	135	31500	85050	167464	452153
ईडीडीडी	नवम्बर-21	100	235	135	31500	85050	155667	420306
ईडीडीडी	दिसम्बर-21	100	190	90	31500	56700	160591	289078
ईडीडीडी	जनवरी-22	100	182	82	31500	51660	160501	263218
ईडीडीडी	फरवरी-22	100	175	75	31500	47250	152282	228417
ईडीडीडी	मार्च-22	100	225	125	31500	78750	152412	381035
टोरेंट पावर	अप्रैल-22	100	229	129	35500	91590	152188.08	392641.04
टोरेंट पावर	मई-22	100	260	160	35500	113600	160590.76	513881.28
टोरेंट पावर	जून-22	100	215	115	35500	81650	181269.88	416911.44
टोरेंट पावर	जुलाई-22	100	190	90	35500	63900	190629.56	343148.08
टोरेंट पावर	अगस्त-22	100	202	102	35500	72420	185892.52	379206.96
टोरेंट पावर	सितम्बर-22	100	225	125	35500	88750	161608.04	404033.52
टोरेंट पावर	अक्तूबर-22	100	230	130	35500	92300	171248.88	445251.84
टोरेंट पावर	नवम्बर-22	100	177	77	35500	54670	199012.44	306489.92
टोरेंट पावर	दिसम्बर-22	100	203	103	35500	73130	171484.2	353261.04

सेवा प्रदाता का नाम	महीने/वर्ष	अनुबंध मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)	अनुबंध मांग से अधिक मांग (5-4)	सामान्य मांग प्रभार (₹ में)	मांग प्रभार पर जुर्माना (₹ में)	सामान्य ऊर्जा प्रभार (₹ में)	ऊर्जा प्रभार पर जुर्माना (₹ में)
टोरेंट पावर	जनवरी-23	100	139	39	35500	27690	114340.6	89183.6
टोरेंट पावर	फरवरी-23	100	143	43	35500	30530	78554.52	67559.36
टोरेंट पावर	मार्च-23	100	200	100	35500	71000	167323.64	334647.28
टोरेंट पावर	अप्रैल-23	100	230	130	35500	92300	153452.2	398970
टोरेंट पावर	मई-23	100	249	149	35500	105790	169605.92	505425.36
टोरेंट पावर	जून-23	100	270	170	35500	120700	147046.68	499961.44
टोरेंट पावर	जुलाई-23	100	244	144	35500	102240	165834.25	477588.32
टोरेंट पावर	अगस्त-23	100	230	130	40000	104000	175457.81	456190.07
टोरेंट पावर	सितम्बर-23	100	270	170	40000	136000	142662.82	485053.75
टोरेंट पावर	अक्तूबर-23	100	285	185	40000	148000	178829.43	661669.03
टोरेंट पावर	नवम्बर-23	100	175	75	40000	60000	229589.29	344383.92
टोरेंट पावर	दिसम्बर-23	100	135	35	40000	28000	60424.57	42297.14
टोरेंट पावर	जनवरी-24	100	100	0	40000	0	7490.60	0
टोरेंट पावर	फरवरी-24	100	100	0	40000	0	6727.35	0
टोरेंट पावर	मार्च-24	100	100	0	40000	0	4119.40	0
कुल						**4394180**		**14654258.39**

*** बिजली बिल के साथ संलग्नक न होने के कारण इन महीनों में ऊर्जा प्रभार शीर्ष के अंतर्गत जुर्माना प्रभार की गणना नहीं की जा सकी।**

अनुलग्नक-3.1 (ए)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.1 (ए) (i) में संदर्भित)

सरकारी खजाने को हानि

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	ईटीओ, वार्ड-1	2013-14	सुपर लिंक ट्रेडर्स लिमिटेड. 04290014815	34.39	नामित अधिकारी ने ई1 फ़ॉर्म के बदले पारगमन बिक्री की छूट दी, परन्तु 'सी' फ़ॉर्म नहीं दिए गए तथा बिक्री रिटर्न में दो बार कटौती की छूट दी, जिससे कम कर का उद्ग्रहण हुआ।	विभाग ने बताया कि : 1. डीलर इलेक्ट्रिक सामान का व्यापर करता है। दूसरी तिमाही में, डीलर ने ₹22,82,000/- के कुछ बिल रद्द किए हैं। तीसरी तिमाही में, डीलर ने ₹17,44,677/- के बिल रद्द किए। कुल रद्द किए गए बिल ₹40,26,677/- के हैं। लेखाबही के अनुसार कुल रद्द हुई बिक्री; ₹46,31,844/- थी। वार्षिक रिटर्न वैट-20 के अनुसार, कुल दावा की गयी कटौती; ₹64,30,834/- थी। 2. सी-फॉर्म का कुल ₹5,90,01,199/- लाभ डीलर को दिया गया तथा डीलर द्वारा रियायती दर का लाभ एवं ई-1 बिक्री ₹5,90,01,199/- के संबंध में सी फॉर्म जमा किया गया।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रद्द बिक्री, बिक्री रिटर्न, दोहरी प्रविष्टि, छूट तथा दर में अंतर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए हैं। 1. रद्द की गई बिक्री का मूल इनवॉइस, बिक्री रिटर्न के लिए डेबिट नोट, छूट तथा दर में अंतर के लिए क्रेडिट नोट सत्यापन के लिए दिए जा सकते हैं। 2. ₹5,90,01,199/- का कोई सी फ़ॉर्म संलग्न नहीं पाया गया। सत्यापन के लिए सी फ़ॉर्म भी दिए जा सकते हैं। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2	ईटीओ, वार्ड-4	2016-17	श्री कृष्ण एजेंसीज 04760013441	10.45	ई1 फॉर्म न होने पर सी एसटी की अनियमित छूट।	विभाग ने उत्तर दिया कि आवश्यकतानुसार ₹1,39,76,093 की कीमत वाले 04 ई-1 फॉर्म अवलोकनार्थ संलग्न हैं।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शून्य दर वाली बिक्री में ₹3,69,38,050/- बताए गए थे तथा विभाग ने ई1 फ़ॉर्म में ₹1,39,76,193/- जमा किए थे। चूँकि इसमें ₹2,29,61,857/- (₹3,69,38,050-₹1,39,76,193) का बहुत बड़ा अंतर है। सत्यापन के लिए उपयुक्त रिकॉर्ड दिखाए जाएं; अतः, पैरा शेष है।
3	ईटीओ, वार्ड-9	2015-16	सर्जी मार्ट 04710039901	5.57	नामित अधिकारी ने सांविधिक घोषणा फॉर्म I के बिना शून्य दर वाली बिक्री की छूट दी।	विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया।	
	कुल			**50.41**			

अनुलग्नक-3.1 (बी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.1 (ए) (ii) में संदर्भित)

कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	फील्ड कार्यालय की टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-4	2016-17	औद्योगिक अभिकरण 04760013441	11.05	नामित अधिकारी ने पारगमन बिक्री की छूट दी, लेकिन ई1 तथा सी फ़ॉर्म में उल्लिखित वस्तुएं अलग थीं।	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	-
कुल				**11.05**			

अनुलग्नक-3.1 (सी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.1 (बी) में संदर्भित)

सरकारी खजाने के कारण हुई हानि

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	ईटीओ, वार्ड-3	2016-17	भारती रिटेल लिमिटेड (04870041753)	623.54	नामित अधिकारी ने बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण (कर-मुक्त सामान की खरीद तथा बिक्री के लेजर और इनवॉइस) के कर-मुक्त बिक्री की छूट दी।	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने फॉर्म 23 तथा 24 जमा कर दिए हैं, जो संलग्न हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर-मुक्त सामान के मूल इनवॉइस सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अतः, पैरा शेष है।
2			नरेश दी हट्टी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (04850019939)			विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने फॉर्म 23 तथा 24 जमा कर दिए हैं, जो संलग्न हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर-मुक्त सामान के मूल इनवॉइस सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अतः, पैरा शेष है।
3			लक्ष्मण रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (04970008233)			विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने फॉर्म 23 तथा 24 जमा कर दिए हैं, जो संलग्न हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर-मुक्त सामान के मूल इनवॉइस सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अतः, पैरा शेष है।
4			वाटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (04050037742)			विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा मामले को ठीक कर अतिरिक्त मांग सृजित की।	चूँकि अतिरिक्त मांग की वसूली लंबित है, अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
5			राधा पलवी एक्सपोर्ट (04550032035)			विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा मामले को ठीक कर अतिरिक्त मांग सृजित की।	चूँकि अतिरिक्त मांग की वसूली लंबित है, अतः, पैरा शेष है।
6.	ईटीओ, वार्ड-4	2017-18	एपी सिंह एंड कंपनी (04170014299)	1.06		विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	-
7.	ईटीओ, वार्ड-7	2015-16	कँवल एजेंसीज (04510007710)	7.68		विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	-
8.			मेडिकोज (04780002178)			विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	-
9.	ईटीओ, वार्ड-9	2015-18	देसाई ब्रदर्स (04890022536)	2.09		विभाग ने बताया कि फर्म किराना सामान की पुनःबिक्री का काम करती है, उन्होंने अलग-अलग तरह के पापड़ की कर-मुक्त बिक्री की है। कर-मुक्त सामान के बिक्री इनवॉइस की नमूना प्रति आपूर्त की गई।	कर-मुक्त बिक्री का आंकड़ा नमूना बिक्री इनवॉइस से सत्यापित नहीं किया जा सका। कर-मुक्त बिक्री का लेजर वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के सभी जुड़े हुए बिक्री इनवॉइस के साथ दिया जाए, अतः, पैरा शेष है।
10.			यूनिकॉन इन्फो. सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (04300042503)			विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	-
कुल				**634.37**			

अनुलग्नक-3.1 (डी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.1 (सी) में संदर्भित)

कम निर्धारण के कारण राजस्व हानि

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-6	2015-16 तथा 2016-17	स्टेल्को इंडस्ट्रीज (04080037386)	25.03	करदाता अनुसूची-बी में आने वाले 5 *प्रतिशत* की दर से कर योग्य सामान का व्यापार करता था। हालांकि, कर योग्य बिक्री (2015-16 में ₹7.18 करोड़ का जीटीओ तथा 2016-17 में ₹7.94 करोड़) पर चार *प्रतिशत* आउटपुट कर लगाया गया था।	विभाग ने कहा कि अनुसूची-बी के अंतर्गत, सामान पर 4 *प्रतिशत* कर लगता है।	यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चण्डीगढ़ में वैट के अनुसूची-बी के अंतर्गत सूचीबद्ध सामान पर लागू कर दर चण्डीगढ़ वैट अनुसूची के अनुसार 5 *प्रतिशत* वैट है। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।

अनुलग्नक-3.1 (ई)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.1 (डी) (i) में संदर्भित)

आईटीसी की अनुचित छूट

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टिन	ब्याज सहित कर का अल्पकालिक अधिरोपण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	ईटीओ, वार्ड-9	2016-17	ठाकुर बिल्डटेक (04090042570)	27.34	डीओ ने 4 *प्रतिशत* की दर से आउटपुट कर की छूट दी लेकिन इनपुट कर पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से छूट दी (कुल खरीद के 70 *प्रतिशत* पर)	विभाग ने बताया कि करदाता ने टीएमटी बार की 4 *प्रतिशत* की दर से स्थानीय बिक्री की तथा 12.5 *प्रतिशत* की दर से कर योग्य सी फॉर्म के सापेक्ष में, पेंट एवं टाइल्स की कुल ₹1,07,74,423/- की अंतर्राज्यीय बिक्री की।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है, उत्तर के अनुसार 4 *प्रतिशत* की दर पर स्थानीय खरीद केवल ₹42,62,670/- की थी, जबकि बिक्री ₹3,21,42,675/- दिखाई गई थी। 4 *प्रतिशत* कर के अंतर्गत खरीद एवं बिक्री में बहुत बड़ा अंतर था। उपयुक्त रिकॉर्ड के साथ अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है, अतः, पैरा शेष है।

अनुलग्नक-3.1 (एफ)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.2 (डी) (ii) में संदर्भित)

आउटपुट कर का कम निर्धारण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-4	2015-16 तथा 2016-17	हॉट मिलियंस (04360006289)	8.04	आउटपुट कर में कमी के कारण अनुचित कर लाभ	विभाग ने बताया कि मूल निर्धारण के समय, बीटी को सकल बिक्री में शामिल किया गया था। अतः, उस पर 5 *प्रतिशत* कर लगाया गया था। लेकिन, संशोधित निर्धारण के समय, डीओ ने आईटीसी के रूप में कर की कीमत कम कर दी। (2015-16 तथा 2016-17)	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे। अतः, पैरा शेष है।

अनुलग्नक-3.1 (जी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.1 (डी) (iii) में संदर्भित)

कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-1	2015-16	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड. (04230017176)	0.42	निर्धारण आदेश में ₹1.13 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री ली गई, जबकि संलग्न 'सी' फॉर्म केवल ₹1.37 करोड़ के थे, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ।	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	-

अनुलग्नक-3.2 (ए)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.2 (ए) में संदर्भित)

कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-3	2017-18	कूलवेज़ एयर कंडीशनिंग (04090015022)	3.00	वैट 20 में जीटीओ ₹0.74 करोड़ था, जबकि 2017-18 की पहली तिमाही के लिए जीएसटीआर-9सी में यह ₹0.85 करोड़ था। ₹0.11 करोड़ की विसंगति पायी गई।	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर एयर कंडीशनर की बिक्री करता है तथा उसने वैट-20 में ₹73,94,921/- की कुल बिक्री दिखाई है। वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9सी के कॉलम नंबर 5जी में दर्शाई गई फाइनेंस, बीमा तथा कमीशन पर सेवा कर इत्यादि की कुल राशि ₹4,06,754+₹5,84,497+₹1,56,171=₹11,47, 422 सहित कुल बिक्री ₹85,42,343/- है। डीलर ने वैट-20 तथा सेवा कर में कुल बिक्री सही बताई है, जो जीएसटीआर-9सी पूर्णत: मेल खाती है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने सेवा कर की कीमत ₹11,47,422/- बताई है, लेकिन फॉर्म एसटी-3 में सेवा कर ₹4,06,754+₹5,84,497+₹3,64,399= ₹13,55,650 है। आंकड़ों में अंतर के कारणों के साथ संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, अतः, पैरा शेष है।
2.	ईटीओ, वार्ड-3	2017-18	सीएसजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (04830036246)	79.35	वैट 20 में जीटीओ ₹10.46 करोड़ था, जबकि 2017-18 की पहली तिमाही के लिए जीएसटीआर-9सी में यह	विभाग ने बताया कि डीलर ने भोजनालय सेवा, शराब इत्यादि पर वैट-20 में ₹10,45,97,891/- की कुल बिक्री सही दर्शाई है। साल 2017-18 के जीएसटीआर-9सी में कॉलम संख्या 5जी में दर्शाई गई कुल बिक्री ₹16,80,79,953/- है, जिसमें सेवा कर, विलासिता कर तथा वैट सहित कुल	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैट का टर्नओवर ₹6,27,51,265/- है, जबकि निर्धारण आदेश (फ़ॉर्म वैट-20) में यह ₹10,45,97,891/- है। ठीक इसी प्रकार, लागू सेवा कर ₹3,29,88,077/- है, जबकि फ़ॉर्म एसटी-3 में सेवा कर

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
					₹16.81 करोड़ था। ₹6.35 करोड़ की विसंगति पाई गई।	₹3,29,88,077+₹7,23,40,611+₹6,27,51,265 = ₹16,80,79,953/- की बिक्री शामिल है। सहायक दस्तावेज संलग्न हैं।	₹68,78,834/- है। इसी तरह, विलासिता कर ₹7,23,40,611 है, जबकि फ़ॉर्म एलटी-VII में यह ₹56,82,327/- है (अप्रैल, मई एवं जून के लिए)। आंकड़ों में अंतर के कारणों के साथ संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, अतः, पैरा शेष है।
कुल				**82.35**			

अनुलग्नक-3.2 (बी)

(पैराग्राफ सं. 3.1.7.2 (बी) में संदर्भित)

कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-2	2015-16	दुर्गा एंटरप्राइजेज 04280033978	4.71	निर्धारण आदेश में ₹8.98 करोड़ के बजाय ₹8.82 करोड़ का जीटीओ लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर छिपाने की वजह से कम कर का उद्ग्रहण हुआ।	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
2.	ईटीओ, वार्ड-3 (ओबीएस-1153759)	2015-16	भांबरी प्रिंटर 04470008023	9.26	तिमाही विवरण (अभ्युक्ति में हाइपरलिंक्ड) के अनुसार ₹10.86 करोड़ के बजाय निर्धारण आदेश में ₹9.01 करोड़ का जीटीओ लिया गया।	विभाग ने उत्तर दिया कि वैट-18 में, 2015-16 की पहली तिमाही में ₹3,24,80,124.90 की बिक्री में, लेखाबही और फाइल किए गए रिटर्न के अनुसार अंतर ₹1,62,40,062.45 है, जो उसी कीमत ₹1,62,40,062.45 का ठीक अंतर दर्शाता है, जिससे कंप्यूटर ने गलती से दोहरी/डुप्लिकेट प्रविष्टि पकड़ ली है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। वैट-23 में, रिटर्न तथा लेखा बही में दर्शाई गई बिक्री का ठीक दोगुना ₹41,29,538 में से	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वैट 18 और वैट 23 में की गई दोहरी प्रविष्टि का कुल योग ₹2,01,09,900/- (₹1,62,40,062 + ₹38,69,838) है, जबकि लेखापरीक्षा में ₹1,85,22,061/- का अंतर देखा गया। अभी भी ₹15,87,839/- का अंतर है जिसका लेखापरीक्षा को औचित्य बताना है। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						₹2,59,700/- घटाकर ₹38,69,838/- आता है तथा उसका ठीक दोगुना ₹77,39,676/- होता है। एक गणना पत्र संलग्न है, जिससे पता चलता है कि बिक्री में कोई अंतर नहीं है, इसलिए निर्धारण आदेश में उल्लिखित कर के अतिरिक्त करदाता पर कोई कर बकाया नहीं है। डीलर ने लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें स्पष्ट रूप से ₹9,01,07,732/- की बिक्री दर्शाई गई थी।	
3. एवं 4.	ईटीओ, वार्ड-6	2012-13 तथा 2013-14	आई. डी. स्टील इंडस्ट्रीज. 04170031468	43.60	निर्धारण आदेश में ₹7.01 करोड़ के बजाय ₹5.56 करोड़ जीटीओ लिया गया। (2012-13) निर्धारण आदेश में ₹4.61 करोड़ के बजाय ₹2.83 करोड़ का जीटीओ लिया गया। (2013-14)	विभाग ने बताया कि उस डीलर ने पंजाब, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली राज्य में (वैट) पंजीकरण कराया है। लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, सभी शाखाओं का कुल टर्नओवर साल 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः ₹7,01,27,769/- तथा ₹4,60,96,530/- है। बिक्री में कमी के तौर पर जो अंतर बताया	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रदान किए गए दस्तावेज अप्रमाणित अथवा अपठनीय हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के मासिक रिटर्न की सभी प्रतियाँ अपठनीय हैं। सत्यापन के लिए उनकी स्वच्छ एवं प्रमाणित प्रति प्रदान की जाएं। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						गया, वह पंजाब और दिल्ली शाखा का जीटीओ था।	
5.	ईटीओ, वार्ड-6	2016-17	टी. के. इंडिया 04730018550	13.49	निर्धारण आदेश में ₹18.74 करोड़ के बजाय ₹18.31 का जीटीओ लिया गया था।	विभाग ने बताया कि यह विसंगति बी/एस के नॉन-टर्न मदों को गलत तरीके से शामिल करने एवं उनकी तुलना करने की वजह से है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अतः, पैरा शेष है।
6.	ईटीओ, वार्ड-9	2016-17	श्री एडवरटाइजर्स 04170041653	0.91	निर्धारण आदेश में ₹9.91 करोड़ की बजाय ₹9.88 करोड़ जीटीओ लिया गया।	विभाग ने बताया कि फर्म मदों के विज्ञापन (फ्लेक्स बोर्ड) का काम करती है तथा फ्लेक्स बोर्ड लगाने की सेवा देती है। साल के दौरान फर्म ने ₹3,72,821/- की सेवा दी है तथा सेवा कर रिटर्न फाइल किया है। दी गई सेवा पर वैट लागू नहीं होता, इसलिए इसे वैट20 में जीटीओ का हिस्सा नहीं माना गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा सेवा कर रिटर्न/संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
			कुल	**71.97**			

अनुलग्नक-3.3

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.3 में संदर्भित)

कार्य ठेकेदारों को देय टीडीएस

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-7	2015-16	दीपक बिल्डर्स 04630036938	133.06	करदाता ने वैट रिटर्न में ₹15.53 करोड़ का जीटीओ बताया था तथा ₹1.22 करोड़ के टीडीएस का दावा किया था, लेकिन डब्ल्यूसीटी/टीडीएस प्रमाणपत्र ₹26.29 करोड़ के थे। डीओ ने ₹21.55 करोड़ का जीटीओ निर्धारित किया। जीटीओ में ₹4.74 करोड़ (₹26.29 करोड़ - ₹21.55 करोड़) की विसंगति की वजह से ₹133.06 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।	विभाग ने डीलर को ₹4,74,18,985/- की बिक्री छिपाने के बारे में बताने के लिए पत्र जारी किया है।	विभाग ने मामला स्वीकार कर लिया है। अंतिम कारवाई प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
2.	ईटीओ, वार्ड-4	2016-17	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड. 04150017802	13.66	करदाता ने वैट रिटर्न में ₹19.16 करोड़ का जीटीओ बताया था तथा ₹9.65 लाख टीडीएस का दावा किया था, लेकिन टीडीएस प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के थे तथा 2016-17 के लिए पात्र नहीं थे।	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।	
3.	ईटीओ, वार्ड-5	2015-16	केके एंड संस 04650040225	1.39	डीओ ने 15 टीडीएस प्रमाणपत्र के बदले ₹26.22 लाख टीडीएस	विभाग ने उत्तर दिया कि प्रभागीय इंजीनियर ने ज्ञापन संख्या 149	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹98,416/- के

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
					क्रेडिट की छूट दी। लेकिन, इनमें से एक प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए था तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पात्र नहीं था।	दिनांक 17.02.2025 के ज़रिए मेसर्स केके एंड संस के नाम पर जारी वैट कटौती प्रमाणपत्र (फॉर्म-28) के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। विभाग ने ज़रूरी अभिलेखों की समीक्षा की तथा स्पष्ट किया कि कर कटौती के विवरण में लिपिकीय त्रुटि थी। गलती से सही तारीख 31.03.2016 की जगह 31.07.2016 दर्ज हो गई थी।	टीडीएस के डीसीआर की प्रति तथा फॉर्म वैट-27 (ठेकेदार/उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से स्रोत पर वैट की कटौती का मासिक विवरण) संलग्न नहीं मिला। अतः, पैरा शेष है।
4.	ईटीओ, वार्ड-4	2016-17	सुरिंदर पाल सिंह 04640041734	2.0	डीओ ने जीटीओ के 30 प्रतिशत पर श्रम कटौती की छूट दी थी, लेकिन संबंधित नियमों के तहत श्रम कटौती केवल 25 प्रतिशत ही स्वीकार्य थी।	विभाग ने कहा कि कार्य ठेकेदार के मामले में, कर देयता मुख्य रूप से कार्य पूरा करने में संपत्ति के हस्तांतरण के आधार पर तय होती है, जिसमें सामान एवं उससे होने वाले लाभ तथा उसमें से श्रम एवं सेवा शुल्क काट लिए जाते हैं। विभाग ने कहा कि व्यापार खाते में श्रम एवं सेवा शुल्क ₹42,58,789/- थे, जबकि निर्धारण आदेश में डीओ ने इसके लिए ₹31,06,555/- की छूट दी थी।	पीवैट नियमों के अनुसार, श्रम कटौती ₹25,88,797/- (25 *प्रतिशत*) होना था। श्रम के कारण 25 *प्रतिशत* से ज़्यादा कटौती की छूट तय करने के लिए अपनाई गयी विधि को लेखापरीक्षा को प्रदान किया/उचित ठहराया जा सकता है, अतः, पैरा शेष है।
5.	”	2017-18	स्कोर इंफॉर्मेशन टेक लिमिटेड. 04780042239	1.4	”		

अनुलग्नक-3.4

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.4 में संदर्भित)

आउटपुट कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	वार्ड-1	2015-16	मेसर्स इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड. (04560036637)	928269	बिक्री रिटर्न के तौर पर गलत कटौती के कारण आउटपुट कर का कम उद्ग्रहण	विभाग ने उत्तर के साथ नमूना क्रेडिट नोट्स जमा किए।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डेबिट नोट्स नहीं दिए गए हैं। अंतिम अनुपालना प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
2.	वार्ड-1	2015-16	मेसर्स गोशीज़ अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड (04280009243)	992606	- वही -	विभाग ने ₹48,60,499/- के 26 डेबिट नोट्स जमा किए, जबकि लेखापरीक्षा में ₹56,86,921/- का बिक्री रिटर्न पाया गया।	डेबिट नोट स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वे प्रमाणित नहीं हैं। खरीदने वाले डीलर्स के डेबिट नोट, उनसे जुड़े क्रेडिट नोट तथा वैट 24 की प्रमाणित प्रति भी सत्यापन के लिए दी जाए।
3.	वार्ड-1	2015-16	मेसर्स नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड. (04230017176)	1608553	- वही -	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
		कुल		**3529428**			
4.	वार्ड-2	2016-17	मेसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (04940013924)	313173	- वही -	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
5.	वार्ड-2	2015-16	खुराना एजेंसीज़ (04460013218)	925638	- वही -	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने विभाग में लेजर व बिल के साथ	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						₹38,38,730/- के क्रेडिट नोट जमा कर दिए हैं। वार्षिक रिटर्न के अनुसार डीलर ने बिक्री रिटर्न में भी यह कीमत काट ली है। डीलर को डेबिट नोट भी विभाग में जमा करने का निर्देश दिया गया है तथा डेबिट नोट मिलते ही, अंतिम उत्तर जमा कर दिया जाएगा।	प्रमाणित नहीं थे। इसलिए, बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए सभी डेबिट नोट्स के साथ-साथ संबंधित क्रेडिट नोट्स, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर्स के) की प्रमाणित प्रति ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
6.	वार्ड-2	2014-15	मेसर्स रौज़ेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (04960036514)	238048	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने विभाग में लेजर व बिल के साथ ₹19,21,066.70/- के डेबिट तथा क्रेडिट नोट जमा कर दिए हैं। वार्षिक रिटर्न के अनुसार डीलर ने बिक्री रिटर्न में भी यह कीमत काट ली है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट प्रमाणित नहीं थे। इसलिए, बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए सभी डेबिट नोट्स की प्रमाणित प्रति तथा उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर्स के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
7.	वार्ड-2	2016-17	मेसर्स जयश्री ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (04390014954)	119968	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने वापस किए गए सामान के लिए खरीदार द्वारा जारी किए गए डेबिट नोट जमा कर दिए हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट प्रमाणित नहीं थे। इसलिए, बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए सभी डेबिट नोट्स की प्रमाणित प्रति एवं उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर्स के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
8.	वार्ड-2	2016-17	मेसर्स पी.के. एंटरप्राइजेज (04710038349)	70871	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि करदाताओं ने बिक्री रिटर्न के संबंध में खरीदार से ₹1,91,288/- के डेबिट नोट्स/पुष्टिकरण जमा किए हैं (अनुलग्नक-I), बिक्री रिटर्न की लंबित कीमत पर, जिसके लिए डीलर डेबिट नोट्स/ पुष्टिकरण नहीं दिखा सका, उसने ब्याज तथा जुर्माने के साथ ₹27,650/- का कर जमा किया है, जिसे 07 जनवरी 2025 को सरकारी खजाने में भुना लिया गया। (अनुलग्नक-II)।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट प्रमाणित नहीं थे। इसलिए, बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए सभी डेबिट नोट्स की प्रमाणित प्रति एवं उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर्स के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
9.	वार्ड-2	2015-16	मेसर्स पाल बिक्री एंड सर्विसेज (04300037556)	291667	-वही-	विभाग ने बताया कि डीलर ने मेसर्स जगदंबा सालेया निगम द्वारा दिनांक 07 जून 2015 को जारी किया गया ₹9,80,392.5/- का डेबिट नोट जमा कर दिया है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिया गया ₹9,80,392.50/- का डेबिट नोट प्रमाणित नहीं था। इसलिए, बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए डेबिट नोट की प्रमाणित प्रति एवं उससे जुड़े क्रेडिट नोट, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
		कुल		**1721317**			
10.	वार्ड-3	2015-16	मेसर्स अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (04960018569)	1678036	-वही-	विभाग ने बताया कि पंजीकृत डीलरों को की गई बिक्री तथा उसके बाद बिक्री रिटर्न के नाम पर डेबिट नोट जारी किए गए हैं। डीलर ने साल 2015-16 के लिए ₹1,47,48,115/- की कीमत के डेबिट नोट की प्रति, लेजर खाता तथा इनवॉइस जमा किए थे।	डेबिट नोट संलग्न हैं लेकिन कुछ डेबिट नोट अपठनीय हैं। साथ ही, सत्यापन के लिए खरीदने वाले डीलर के क्रेडिट नोट तथा वैट-24 की ज़रूरत है। अतः, पैरा शेष है।
11.	वार्ड-3	2015-16	मेसर्स पैकोकेम 3पी (04820031256)	319204	-वही-	विभाग ने बताया कि डीलर ने वैट-20 में बिक्री रिटर्न के आंकड़े सही दर्शाए थे, जो ₹28,90,091/- थे तथा डीलर ने बिक्री रिटर्न के संबंध में डेबिट नोट्स की प्रति, लेजर खाते एवं इनवॉइस जमा	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जो डेबिट नोट संलग्न किए गए थे, उनकी कीमत विभाग द्वारा दी गई सूची से मेल नहीं खा रही थी।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						किए थे।	साथ ही, सहायक दस्तावेज यानी खरीदने वाले डीलर के क्रेडिट नोट्स, वैट-24 तथा कुछ डेबिट नोट्स संलग्न नहीं पाए गए। अतः, पैरा शेष है।
12.	वार्ड-3	2015-16	मेसर्स इंडिटेक्स ट्रेंट रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (04430038309)	5155080	-वही-	विभाग ने बताया कि कंपनी ने गैर-पंजीकृत डीलर/ग्राहक को बिक्री की है तथा ग्राहक डेबिट नोट जारी नहीं कर सकता। बिक्रेता डीलर ने केवल ₹3,75,62,935/- के क्रेडिट नोट जारी किए हैं।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पीवैट नियमावली 2005 के नियम 15 के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति केवल खरीदार द्वारा लौटाए गए सामान के लिए जारी किए गए डेबिट नोट के आधार पर ही कटौती का दावा कर सकता है। खरीदने वाले डीलरों के सहायक दस्तावेज अर्थात डेबिट नोट्स एवं उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स तथा वैट-24 संलग्न नहीं पाए गए। अतः, पैरा शेष है।
13.	वार्ड-3	2015-16	मेसर्स ऑटोपेस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . (04410018047)	830724	-वही-	विभाग ने बताया कि डीलर ने वैट-20 में ₹28,90,091/- का बिक्री रिटर्न दर्शाया था, जो गैर-पंजीकृत डीलर/ग्राहक को की गई बिक्री थी, ऐसे मामलों में विक्रेता डीलर ने केवल क्रेडिट नोट जारी किए थे। ग्राहक डेबिट	क्र. सं. 03 को छोड़कर बाकी सभी डेबिट नोट संलग्न कर दिए गए, जिनकी कुल कीमत ₹2,55,542/- थी। खरीदने वाले डीलरों के क्रेडिट नोट तथा वैट-24 भी सत्यापन के

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						नोट जारी नहीं कर सकता। डीलर ने ₹28,90,091/- के इनवॉइस, डेबिट वाउचर तथा खरीद इनवॉइस के साथ बिक्री रिटर्न लेजर खाता जमा किया था।	लिए ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
14.	वार्ड-3	2016-17	कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड. (04610009304)	2125898	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने साल 2016-17 के लिए ₹1,45,01,629/- के डेबिट नोट्स की प्रति, लेजर खाता तथा इनवॉइस जमा कर दिए हैं।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जो डेबिट नोट संलग्न किए गए थे, उनकी कीमत विभाग द्वारा दी गई सूची से मेल नहीं खा रही थी। साथ ही, सहायक दस्तावेज अर्थात खरीदने वाले डीलर के क्रेडिट नोट्स, वैट-24 तथा कुछ डेबिट नोट्स संलग्न नहीं पाए गए। अतः, पैरा शेष है।
15.	वार्ड-3	2016-17	मेसर्स गुडइयर इंडिया लिमिटेड. (04650009864)	4301382	-वही-	विभाग ने बताया कि डीलर ने डेबिट नोट की प्रति जमा कर दी हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट प्रमाणित नहीं थे तथा उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए, सभी डेबिट नोटों की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ क्रेडिट नोट, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलरों के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
16.	वार्ड-3	2016-17	मेसर्स जॉनसन	3809392	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर ने	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड. (04090019678)			क्रेडिट नोट्स की वह सूची जमा की है जो प्राथमिक तौर पर बिक्री आदेश रद्द करने, सामान प्रेषित न करने, बिलिंग में सुधार करने इत्यादि के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए इन मामलों में डेबिट नोट्स स्वीकार्य नहीं होते हैं।	क्योंकि खरीदने वाले डीलर के सहायक दस्तावेज यानी डेबिट नोट्स तथा वैट-24 संलग्न नहीं पाए गए। बिक्री आदेश रद्द होने, सामान प्रेषित न करने, बिलिंग में सुधार करने इत्यादि के मूल इनवॉइस सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएं। अतः, पैरा शेष है।
		कुल		**18219716**			
17.	वार्ड-4	2017-18	मेसर्स सिंगला मेडिकोज (04320009609)	39836	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि फर्म औषध पदार्थों की थोक विक्रेता है। खरीदने वाली फर्म द्वारा बिक्री रिटर्न के सापेक्ष में जारी किए गए डेबिट नोट्स की प्रति संलग्न हैं। ₹1,12,000/- का बिक्री रिटर्न गैर-पंजीकृत अस्पताल से है तथा डेबिट नोट की कोई ज़रूरत नहीं है। करदाता ₹1,49,119/- के डेबिट नोट नहीं दिखा सका तथा उसने ₹16,914/- की अतिरिक्त मांग अदा की है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए दस्तावेज डेबिट नोट्स के बजाय वचन पत्र थे एवं इनकी कीमत ₹1,02,308/- थी। इसलिए, बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं हो सका। आवश्यक सत्यापन के लिए सभी डेबिट नोट्स की प्रमाणित प्रति एवं उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर्स के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
18.	वार्ड-4	2014-15	मेसर्स डव केमिकल्स लिमिटेड . (04860021825)	161141	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि खरीदने वाली फर्म द्वारा जारी किए गए ₹12,09,986/- के डेबिट नोट तथा पक्षों के लेजर संदर्भ के लिए संलग्न हैं। लेकिन, फर्म ₹11,287/- की कीमत के डेबिट नोट नहीं दिखा सकी, जिसके लिए करदाता को अतिरिक्त मांग देने का निर्देश दिया गया है। वसूली होने के उपरान्त लेखापरीक्षा को तद्नुसार इस सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए पाँच डेबिट नोट केवल ₹4,75,557/- के थे तथा प्रमाणित नहीं थे। इसलिए, उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सका। आवश्यक सत्यापन के लिए सभी डेबिट नोट्स की प्रमाणित प्रति तथा उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलर्स के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
19.	वार्ड-4	2016-17	मेसर्स अरविंद एंटरप्राइजेज (04770030847)	128406	-वही-	विभाग ने बताया कि फर्म दूध एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों को दोबारा बेचने का काम करती है। आगे बताया कि तिमाही रिटर्न भरते समय फर्म ने गलती से दूध की कर-मुक्त बिक्री को 5 *प्रतिशत* कर योग्य दर्शा दिया था। तुलन पत्र बनाते समय फर्म ने कर-मुक्त बिक्री लेजर में क्रेडिट प्रविष्ट कर अपनी गलती सुधारी, जिसे पहले कर-योग्य बिक्री के तौर पर प्रविष्ट किया गया था। चूंकि वैट 20 में गलती दर्शाने एवं ठीक करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए रिटर्न भरते समय इसे बिक्री रिटर्न के तौर पर	लेखापरीक्षा को डीओ से आदेश/प्रमाणपत्र दिया जा सकता है, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि ये बिक्री रिटर्न के बजाय कर-मुक्त बिक्रियां थीं। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						दर्शाया गया। इस साल कोई असली बिक्री रिटर्न नहीं है, इसलिए डेबिट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है।	
20.	वार्ड-4	2016-17	मेसर्स ऐस सर्जिकल्स (04260020603)	197047	-वही-	विभाग ने डेबिट नोट्स जमा किए, लेकिन उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। खरीदने वाले डीलरों के डेबिट नोट्स के साथ-साथ क्रेडिट नोट्स तथा वैट-24 की प्रमाणित प्रति भी सत्यापन के लिए दी जाए। अंतिम अनुपालना प्रतीक्षित है, अतः पैरा शेष है।
21.	वार्ड-4	2017-18	मेसर्स ऐस सर्जिकल्स (04260020603)	224679	-वही-	विभाग ने डेबिट नोट्स जमा किए, लेकिन उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया।	
22.	वार्ड-4	2017-18	मेसर्स इंटरनेशनल एयरकॉन (04700034426)	332528	-वही-	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने केवल क्रेडिट नोट्स जमा किए हैं।	खरीदार के सभी डेबिट नोट्स तथा वैट 24 की प्रमाणित प्रति भी सत्यापन के लिए दी जाए। अंतिम अनुपालना प्रतीक्षित है। अतः, पैरा शेष है।
		कुल		**1083637**			
23.	वार्ड-5	2015-16	मेसर्स पैरामाउंट फैशन प्राइवेट लिमिटेड . (04430038794)	849010	-वही-	विभाग ने बताया कि डीओ ने मामले का एकपक्षीय निर्धारण किया था, जिसे संशोधन प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया गया है	विभाग ने अभ्युक्तियाँ स्वीकार की तथा एओ को संशोधित किया। हालांकि, वसूली लंबित है।
		कुल		**849010**			
24.	वार्ड-6	2015-16	मेसर्स सर्विस	1062962	-वही-	विभाग ने केवल दो अप्रमाणित डेबिट	खरीदार द्वारा जारी किए गए

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			उपकरण कंपनी . (04610019780)			नोट जमा किए हैं, जिनकी कीमत ₹40,000/- और ₹1,30,000/- है।	बाकी डेबिट नोट, संबंधित क्रेडिट नोट, तथा खरीदने वाले डीलरों के वैट-24 सत्यापन के लिए दिए जाएं। अतः, पैरा शेष है।
25.	वार्ड-6	2015-16	टी.टी.के. प्रेस्टीज लिमिटेड. (04870035642)	79857	-वही-	विभाग ने डेबिट नोट के बजाय खरीदार से वचनपत्र जमा करवाया। इसके अतिरिक्त बताया गया कि इस सामान के सापेक्ष में आईटीबीपी को भेजा गया इनवॉइस सं. 5330004601, दिनांक 30.10.15, कुछ अपरिहार्य कारणों से प्रेषित नहीं किया जा सका।	बिक्री रिटर्न में अभी भी ₹10,545/- का अंतर है, जिसका मिलान किया जा सकता है, तथा सभी दस्तावेज लेखापरीक्षा को दिए जा सकते हैं। अंतिम अनुपालना प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
26.	वार्ड-6	2014-15	टेक्नो मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड . (04830018398)	153771	-वही-	विभाग ने बताया कि मेसर्स टेक्नो मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड औषधि एवं शल्यचिकित्सा सम्बन्धी सामान का काम करती है तथा दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर दी जाती हैं और मरीज़ दवा वापस करके डॉक्टर के पर्चे के हिसाब से दूसरी दवा ले सकता है। डीलर ने पहले ही बिक्री रिटर्न का विवरण तथा क्रेडिट नोट की प्रति जमा कर दी थी, जो ज़्यादातर गैर-पंजीकृत लोगों को जारी किए गए थे तथा वे डीलर को डेबिट नोट जारी करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खरीदने वाले डीलरों के बिक्री रिटर्न लेजर, संबंधित क्रेडिट नोट्स तथा वैट-24, जिनकी कीमत ₹12,44,741/- (2015-16) एवं ₹12,60,426/- (2014-15) है, संलग्न नहीं पाए गए हैं। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
27.	वार्ड-6	2015-16	टेक्नो मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (04830018398)	140756	-वही-	-वही-	-वही-
28.	वार्ड-6	2015-16	मेसर्स इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. (04390014760)	153996	-वही-	विभाग ने ₹16,83,144/- के क्रेडिट नोट्स तथा डेबिट नोट्स प्रस्तुत किए, जबकि बिक्री रिटर्न केवल ₹13,54,278/- के थे।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिक्री रिटर्न के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। सत्यापन के लिए खरीदने वाले डीलरों के सभी डेबिट नोट्स के साथ-साथ क्रेडिट नोट्स तथा वैट-24 की प्रति भी दी जाए। अतः, पैरा शेष है।
29.	वार्ड-6	2015-16	मेसर्स एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स (04250013285)	131290	-वही-	विभाग ने बताया कि डीलर ने आवश्यक दस्तावेज अर्थात डेबिट नोट की प्रति जमा कर दी हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट प्रमाणित नहीं हैं। आवश्यक सत्यापन के लिए खरीदने वाले डीलरों के डेबिट नोट्स के साथ-साथ क्रेडिट नोट्स तथा वैट-24 की प्रमाणित प्रति भी ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
30.	वार्ड-6	2016-17	मेसर्स यू टेलीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (04240042148)	524526	-वही-	विभाग ने ₹24,54,864/- कीमत के दो अपठनीय डेबिट नोट जमा किए हैं।	खरीदने वाले डीलरों के सभी डेबिट नोट्स, उनसे जुड़े क्रेडिट नोट्स तथा वैट 24 की स्पष्ट प्रति भी सत्यापन के लिए दी जाए। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
31.	वार्ड-6	2016-17	मेसर्स लाबत एशिया प्राइवेट लिमिटेड (04620035149)	119429	-वही-	विभाग ने ₹10,62,618/- के डेबिट नोट जमा किए, जबकि बिक्री रिटर्न केवल ₹10,85,713/- का पाया गया।	खरीदार द्वारा जारी किए गए बाकी डेबिट नोट, सभी संबंधित क्रेडिट नोट, तथा खरीदने वाले डीलरों के वैट-24 सत्यापन के लिए दिए जाए। अतः, पैरा शेष है।
32.	वार्ड-6	2016-17	के.के. गारमेंट्स (04340034527)	375069	-वही-	विभाग ने ₹28,44,406/- के डेबिट नोट जमा किए हैं, जिन पर जारी करने वाले डीलर के हस्ताक्षर अथवा मुहर नहीं थे, जबकि बिक्री रिटर्न ₹34,09,729/- का था।	खरीदने वाले डीलरों के सभी डेबिट नोट्स, उनसे जुड़े क्रेडिट नोट्स तथा वैट 24 की प्रमाणित प्रति भी सत्यापन के लिए दी जाएं। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
		कुल		**2741656**			
33.	वार्ड-7	2015-16	मेसर्स पैरामैट्रिक्स इन्फोसोल्यूशंस लिमिटेड (04910022331)	27021	-वही-	विभाग ने अभ्युक्तियाँ स्वीकार की, तथा डीलर को ज्ञापन संख्या 173, दिनांक 09.01.25 के ज़रिए स्थिति बताने का निर्देश दिया गया है।	अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है, अतः, पैरा शेष है।
34.	वार्ड-7	2016-17	मेसर्स संतोष एंटरप्राइजेज (04740031882)	120556	-वही-	विभाग ने अभ्युक्तियाँ स्वीकार की, तथा डीलर को इस कटौती/माल रिटर्न के लिए ₹9,15,356/- के डेबिट नोट जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।	अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है, अतः, पैरा शेष है।
35.	वार्ड-7	2015-16	मेसर्स रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड . (04260017984)	6356545	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
36.	वार्ड-7	2015-16	मेसर्स मैट्रिक्स सॉल्यूशंस (04460023694)	574942	-वही-	विभाग ने बताया कि फर्म मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान की पुनः बिक्री करती है। वर्ष के दौरान, फर्म ने एमेजोन तथा फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए खुदरा ग्राहकों को सामान बेचा। इन खुदरा ग्राहकों ने उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया। जब भी कोई ऑनलाइन ग्राहक सामान वापस करता है, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ईमेल भेजता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्राप्त ईमेल की नमूना प्रतियां भी दी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना ईमेल से बिक्री रिटर्न सत्यापित नहीं किया जा सका। बिक्री रिटर्न के समर्थन में सभी ईमेल के साथ 'बिक्री रिटर्न लेजर' की प्रति लेखापरीक्षा को बिक्री रिटर्न के मिलान हेतु दी जाए, अतः, पैरा शेष है।
37.	वार्ड-7	2015-16 और 2016-17	मेसर्स एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (04290020344)	7845380	-वही-	विभाग ने बताया कि ये बिक्री रिटर्न नहीं बल्कि रद्द की गई बिक्री थीं, क्योंकि करदाता सॉफ्टवेयर में बिक्री रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है; इन्हें स्टॉक में वापस लेने के लिए बिक्री रिटर्न के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	रद्द किया गया मूल इनवॉइस तथा उससे जुड़े क्रेडिट नोट्स सत्यापन के लिए ज़रूरी हैं। अंतिम अनुपालना प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
38.	वार्ड-7	2014-15	मेसर्स वेंट्री बायोलॉजिकल डिवीजन (04430012216)	768322	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
39.	वार्ड-7	2015-16	मेसर्स वेंट्री बायोलॉजिकल डिवीजन (04430012216)	175505	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
		कुल		**15868271**			
40.	वार्ड-8	2015-16	मेसर्स सज्जन गारमेंट्स (04040019075)	679743	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
		कुल		**679743**			
41.	वार्ड-9	2015-16	पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड. (04910015250)	464226	-वही-	विभाग ने केवल ₹42165/- के डेबिट नोट जमा किए।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिक्री रिटर्न ₹40,90,850/- के थे, लेकिन विभाग ने केवल ₹42,165/- के डेबिट नोट जमा किए। आवश्यक सत्यापन हेतु, सभी डेबिट नोट की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ क्रेडिट नोट, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलरों के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
42.	वार्ड-9	2016-17	मेसर्स उषा इंटरनेशनल लिमिटेड. (04720015403)	859329	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि संदर्भ हेतु यथा आवश्यक डेबिट नोट्स संलग्न हैं।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिए गए डेबिट नोट केवल ₹3,61,288/- के थे जबकि बिक्री रिटर्न ₹35,89,055/- का था। आवश्यक सत्यापन के लिए,

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/ टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (राशि ₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
							सभी डेबिट नोटों की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ क्रेडिट नोट, वैट 23 तथा वैट-24 (खरीदने वाले डीलरों के) ज़रूरी हैं। अतः, पैरा शेष है।
		कुल		**1323555**			
		सकल कुल		**4,60,16,333**			

अनुलग्नक-3.5 (ए)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.5 (ए) में संदर्भित)

आईटीसी को वापस करने में विफलता के कारण अतिरिक्त छूट

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-1	2016-17	अमृत इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड	0.75	इनपुट कर क्रेडिट के गैर-आबंटन के कारण आईटीसी की अतिरिक्त छूट	विभाग ने बताया कि डीलर एक व्यापार कंपनी है तथा किसी अन्य प्रकार की निर्माण गतिविधि में सामान का इस्तेमाल नहीं करती है। इस मामले में, डीलर ने वैट-20 के हिसाब से ₹39,03,629/- का सामान अंतर्राज्यीय खरीदारी के रूप में खरीदा था। अंतर्राज्यीय खरीदारी से खरीदे गए कुल सामान में से ₹11,52,151/- स्टॉक स्थानांतरण के रूप में माल आधार पर बेचने के लिए भेजे गए थे। क्योंकि डीलर के पास अंतर्राज्यीय खरीदारी का ज़्यादा स्टॉक है, इसलिए स्टॉक स्थानांतरण के लिए यह ज़रूरी है। क्योंकि स्थानांतरित किया गया सामान अंतर्राज्यीय खरीदारी से खरीदे गए सामान में से शाखा को स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर कोई कर नहीं लगता, जिसका फायदा डीलर उठा सकता है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल समझौते की प्रति, ₹39,03,629/- की अंतरराज्यीय खरीद का इनवॉइस, ₹11,52,151/- के शाखा स्थानांतरण के चालान की प्रति संलग्न नहीं मिली। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
2.	ईटीओ, वार्ड-2	2017-18	एसएस नाथ की कंपनी	1.41	-वही-	विभाग ने बताया कि चण्डीगढ़ से मोहाली स्थानांतरित किया गया माल पहचान योग्य है तथा पूर्ण रूप से अंतरराज्यीय खरीदारी से जुड़ा है। चूंकि ये खरीदारी चण्डीगढ़ के बाहर से की गई तथा उसी हिसाब से स्थानांतरित की गई, इसलिए कर विनियमों के संबंधित नियमों के तहत इन पर आईटीसी का कोई रिवर्सल नहीं होगा।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹1,15,00,697/- के शाखा स्थानांतरण के प्रमाणित इनवॉइस/चालान संलग्न नहीं पाये गए। अतः, पैरा शेष है।
3.	ईटीओ, वार्ड-3	2015-16	ऑटोपेयर नेटवर्क	4.23	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
4.	ईटीओ, वार्ड-3	2014-15 से 2017-18 तक	1.ईएमएम पीईई मोटर 2. वेस्टसाइड 3.शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड 4. शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड	9.31	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
5.	ईटीओ, वार्ड-4	2015-16	जेटेज कंप्यूटर ट्रेडर्स	3.87	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
6.	ईटीओ, वार्ड-4	2015-16	फैशनर्स	0.47	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
7.	ईटीओ, वार्ड-4	2015-16 2016-17	1. एमके एजेंसियां 2. एमके एजेंसियां 3.जेटेज कंप्यूटर्स	6.02	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
8.	ईटीओ, वार्ड-5	2015-16	चरणजीत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	1.34	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने कुल ₹9,15,34,825/- की खरीदारी की, जिसमें से ₹3,75,38,418/- की अंतर्राज्यीय खरीदारी थी। चंडीगढ़ वैट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, इन खरीदारियों पर किसी आईटीसी का दावा नहीं किया गया क्योंकि वे आईटीसी के लिए पात्र नहीं थे। इसके अतिरिक्त, करदाताओं ने बैटरी एवं यूपीएस समेत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का ₹25.09 लाख का हरियाणा शाखा में शाखा स्थानांतरण किया है। ये सामान अंतर्राज्यीय खरीदारी के ज़रिए खरीदा गया था, जिस पर किसी आईटीसी का दावा नहीं किया गया।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एफ फॉर्म के सापेक्ष में कुल ₹25,09,908/- के इनवॉइस संलग्न नहीं पाए गए। विभाग द्वारा दिए गए इनवॉइस की राशि मेल नहीं खा रही है। साथ ही, 30.04.2015 का इनवॉइस अपठनीय है। अतः पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
9.	ईटीओ, वार्ड-6	2015-16	सुपरटन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड	2.18	-वही-	विभाग उत्तर के साथ दस्तावेज जमा नहीं कर सका।	आवश्यक सत्यापन के लिए, वैट 18, वैट 19, खरीदारी इनवॉइस, शाखा हस्तांतरित चालान/ इनवॉइस तथा लेजर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अतः, पैरा शेष है।
10.	ईटीओ, वार्ड-7	2015-16	रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड	14.51	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
11.	ईटीओ, वार्ड-7	2015-16	सचदेवा एंड कंपनी		-वही-	विभाग ने बताया कि डीडी संख्या 026171, दिनांक 03.05.2024 के ज़रिए डीलर से ₹1,17,512/- का आईटीसी वसूल कर ट्रेजरी में जमा कर दिया गया।	विभाग ने स्वीकार किया तथा अतिरिक्त आईटीसी की वसूली की जिसकी निर्धारण के समय नामित अधिकारी द्वारा गैर-वापसी की वजह से छूट दी गयी थी।
12.	ईटीओ, वार्ड-7	2016-17	शाम ज्वैलर्स	77.59	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
13.	ईटीओ, वार्ड-9	2015-16 और 2017-18	1.इंटरनेशनल एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड 2. एक्साइड इंडिया 3.अरिहंत रिसर्च	2.50	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
				124.18			

अनुलग्नक-3.5 (बी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.5 (बी) में संदर्भित)

आवश्यक दस्तावेज़ों के बिना आईटीसी

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-2	2015-16	रॉयल ब्रदर्स (04150039821)	41.17	आईटीसी की अस्वीकार्य छूट	विभाग ने उत्तर दिया कि कर योग्य व्यक्ति ने मेसर्स जगदंबा एजेंसीज़ से 20 *प्रतिशत* पर स्थानीय सिगरेट खरीदी थी, जो वैट-23 में दिखाई देती है। चूंकि वैट अधिनियम के शुरूआत के समय, इस बात के सत्यापन का कोई तरीका नहीं था कि खरीदारी की गई है अथवा नहीं, इसलिए निर्धारण के दौरान वैट इनवॉइस की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब, जब तंत्र में ही बिक्री तथा खरीद का डेटा है, तो उसे एक्साइज़ सूचना प्रबंधन तंत्र (ईआईएमएस) चण्डीगढ़ से जांचा गया और पाया गया कि बिक्री डीलर ने बकाया बिक्री दर्शायी है, जिस पर कर योग्य व्यक्ति ने 20 *प्रतिशत* पर पात्र आईटीसी का दावा किया है।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में बिना किसी दस्तावेजी सबूत के खरीदारी पर 20 *प्रतिशत* आईटीसी की छूट दी गई थी। सत्यापन के लिए दोनों डीलरों के मूल इनवॉइस दिखाए जाएं। अतः, पैरा शेष है।
2.	ईटीओ, वार्ड-2	2015-16	कोमल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (04370039021)	34.16			
3.	ईटीओ, वार्ड-3	2016-17	लाइफ़स्टाइल अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड (04610037919)	44.95	-वही-	विभाग ने बताया कि स्थानीय डीलरों से खरीदे गए सामान पर केवल 12.5 *प्रतिशत* कर लगता है। सामान एवं कर की दर दर्शाने वाली खरीदारी सूची प्रति पहले ही जमा कर दी गई है। वर्ष के दौरान कुल ₹79,75,07,112/- की खरीदारी थी, जिसमें से स्थानीय खरीदारी केवल ₹4,29,73,360/- की हुई। बाकी सामान दूसरे राज्यों से ₹75,45,33,752/- में खरीदा गया तथा वर्ष के दौरान शाखा स्थानांतरण	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग उत्तर के समर्थन में पुनः सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज अर्थात् स्थानीय खरीद की इनवॉइस की प्रति तथा वैट - 24 नहीं दे सका। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						के कारण ₹2,05,290/- की आईटीसी की भी वापसी हुई। वर्ष के दौरान 12.5 *प्रतिशत* पर कुल ₹25,09,31,139/- की बिक्री हुई।	
कुल				120.28			

अनुलग्नक-3.5 (सी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.5 (सी) में संदर्भित)

कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-1	2015-16	खन्ना ब्रदर्स (04870003923)	0.52	वार्षिक रिटर्न तथा त्रैमासिक रिटर्न के बीच खरीदारी में अंतर के कारण आईटीसी की अधिक छूट।	विभाग ने बताया कि वार्षिक रिटर्न (वैट 20) के अनुसार आईटीसी की छूट दी गयी।	उप-पैरा 2 के संबंध में, उत्तर तर्कसंगत नहीं है; तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न के बीच आईटीसी में अंतर के कारण बताए जाएं। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
2.	ईटीओ, वार्ड-1	2016-17	शिव शंकर एंड कंपनी (04020006961)	2.42	-वही-	विभाग ने बताया कि डीओ ने वैट20 के आधार पर आईटीसी की छूट दी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग से वैट-20 तथा त्रैमासिक रिटर्न (वैट 15, 24) में अंतर के कारण नहीं मिले हैं/उचित ठहराए गए हैं। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
3.	ईटीओ, वार्ड-2	2017-18	अरिहंत बिक्री कॉर्प. (04560010835)	2.33	-वही-	विभाग ने बताया कि स्थानीय खरीदारी एक ही फर्म से हुई थी तथा खरीदारी को वैट 23 से सत्यापित किया जा सकता है।	विभाग आईटीसी को सत्यापित करने के लिए दस्तावेज नहीं देता है। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
4.	ईटीओ, वार्ड-4	2016-17	जोहर कंप्यूटर्स (04790019487)	17.51	-वही-	विभाग ने बताया कि यह अंतर केवल दूसरी एवं चौथी तिमाही में वैट24 के अनुसार उपलब्ध आईटीसी तथा वैट 15 के अनुसार दावे से सम्बंधित है। हालांकि, करदाता के पास खरीदारी के इनवॉइस हैं, जो वैट-24 में नहीं हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दस्तावेज अर्थात् खरीदारी लेजर एवं इनवॉइस के बिना तथ्यों तथा आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सका, वैट-23 तथा त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न में इस अंतर के कारणों को भी लेखापरीक्षा के समक्ष सही ठहराया जाए। अंतिम अनुपालना प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
5.	ईटीओ, वार्ड-4	2015-16	बत्रा मेडिकोज (04820030868)	0.53	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
6.	ईटीओ, वार्ड-5	2016-17	मानक टेलीट्रॉनिक्स (04920007242)	18.44	-वही-	विभाग ने उत्तर दिया कि एसवैट तंत्र में तकनीकी खराबी की वजह से, दूसरे तिमाही का खरीद सारांश सही से अपलोड नहीं हुआ था तथा दूसरी तिमाही की वास्तविक कुल खरीद ₹12,02,425/- थी।	विभाग द्वारा दूसरी तिमाही के तिमाही वार वैट-24 विवरण की आपूर्ति की गई है, लेकिन विवरण हाथ से लिखे हुए हैं, तथा उनमें उल्लिखित राशि, विभाग द्वारा तालिका में दी गयी राशि से मेल नहीं खा रही है। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तिमाही वार फॉर्म वैट-24 के ऑनलाइन विवरण संलग्न नहीं मिले। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
7.			डी पी एवं कॉम. (04620005855)		-वही-	विभाग ने बताया कि उक्त समय के लिए निर्धारण शुरू में 16.11.2020 को पूरा हुआ था, जिसमें डीओ ने ₹43,12,538/- के आईटीसी की छूट दी थी। वार्षिक एवं तिमाही रिटर्न के बीच ₹49,500/- की विसंगति के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर दाता ने छूट देने के बाद बिक्री दर्ज की, जबकि इनवॉइस में छूट से पहले की राशि पर वैट प्रभारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण मामला निपटान संख्या 638 दिनांक 21.11.23 की प्रविष्टि के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को ईटीओ ने फिर से प्रविष्ट किया था।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जिस पैरा पर आपत्ति जताई गई है, वह निपटान के निर्धारण आदेश संख्या 713, दिनांक 16.11.2020 की बजाय 638, दिनांक 21.11.2023 पर आधारित है। पुनः निर्धारण/निपटान रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि के कारणों को टैक्स-इनवॉइस की प्रतियों के साथ लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए। अतः, पैरा शेष है।
8.	ईटीओ, वार्ड-6	2016-17	1.सिंगला ट्रेडर्स (04540021128) 2.प्रकाश इलेक्ट्रिक हाउस (04360020354)	3.87	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
9.	ईटीओ, वार्ड-8	2017-18	स्मार्टकूल सिस्टम (04160038118)	10.90	-वही-	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
	कुल			**56.52**			

अनुलग्नक-3.5 (डी)

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.5 (डी) में संदर्भित)

आईटीसी का अस्वीकार्य भत्ता

क्र. सं.	इकाई का नाम	एवाई	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-3	2016-17	जोशी ऑटोव्हील्स प्राइवेट लिमिटेड (04810041107)	9.10	वैट 20 के अनुसार आईटीसी की अधिक छूट जबकि बी/एस के अनुसार स्थानीय खरीदारी कम थी	विभाग ने बताया कि स्थानीय खरीद के सापेक्ष में डीलर द्वारा दावा किया गया आईटीसी सही था तथा उसने वैट 24 जमा किया था। हालांकि, जैसा कि पैरा में बताया गया है, तुलन पत्र के अनुसार बिक्री रिटर्न ₹ चार लाख था, जबकि वैट 20 एवं 24 के अनुसार यह 40 लाख था।	लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आवश्यक समाधान किया जा सकता है, साथ ही आवश्यक अभिलेख भी दिए जा सकते हैं। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।
2.	ईटीओ, वार्ड-3	2016-17	पीएमजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (04830036246)	6.63	वाहनों की स्थानीय खरीद पर आईटीसी के अस्वीकार्य भते।	विभाग ने बताया कि दिनांक 15.02.25 की लेखापरीक्षा आपत्ति के सापेक्ष में डीलर को नोटिस जारी किया गया है। डीलर ने कर योग्य डीलर मेसर्स पीएमजी ऑटोमोबाइल्स से लोकल खरीद के संबंध में ₹22,99,068/- की कीमत के लिए फॉर्म वैट-24 जमा किया था तथा ₹3,03,477/- के आईटीसी दावा किया था।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्थानीय खरीदे गए वाहनों के इनवॉइस संलग्न नहीं पाए गए। अतः, पैरा शेष है।
	कुल			**15.73**			

अनुलग्नक-3.6

(पैराग्राफ संख्या 3.1.7.6 में संदर्भित)

कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	ईटीओ, वार्ड-1	2015-16	टाटा स्टील लिमिटेड. (0494007328)	6.85	'सी' फॉर्म के आंकड़े जानबूझकर बदले गए थे, जिनको डीओ द्वारा नज़रअंदाज़ किया गया।	विभाग ने बताया कि सी फॉर्म की प्रमाणिकता जांचने के लिए एसटीओ जम्मू को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद, 07.03.25 को संबंधित प्राधिकारी को एक अनुस्मारक भेजा गया है। अतः, सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अंतिम उत्तर दिया जाएगा।	अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है।
2.	ईटीओ, वार्ड-1	2015-16	सुपरलिंक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड (04290014815)	3.97	₹80,79,697/- कीमत के 'ई1' फॉर्म के साथ छेड़छाड़ की गई।	विभाग ने बताया कि ₹80,79,697/- कीमत वाले ई1 फॉर्म की प्रामाणिकता जांचने के लिए करदाता प्राधिकारी राजस्थान को एक पत्र भेजा गया था। संबंधित प्राधिकारी ने बताया है कि ई1 फॉर्म मेसर्स मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म को जारी किया गया था।	विभाग के उत्तर के आलोक में, कोई सहायक दस्तावेज अर्थात जारी करने वाले प्राधिकारी से ई1 फ़ॉर्म का सत्यापन संलग्न नहीं पाया गया। अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
3.	ईटीओ, वार्ड-2	2016-17	टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (04940013924)	22.29	₹2.11 करोड़ की कीमत वाले 06 'सी' फॉर्म छेड़छाड़/बदलाव के कारण अमान्य थे। [1056472+1172684 (74 महीनों के लिए 1.5 *प्रतिशत* की दर से ब्याज)]	विभाग ने कहा कि आवश्यक सत्यापन की विधि तथा आधिकारिक पत्र संख्या 3359 दिनांक 21.03.24 (प्रति संलग्न) के माध्यम से विवादित सी फ़ॉर्म की प्रामाणिकता के लिए मामला जारी करने वाले प्राधिकारी जालंधर-I, पंजाब को भेज दिया गया है। जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट मिलने पर, नियमों एवं विनियमों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर फर्म को अग्रिम कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।	जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट के पत्र की प्रति लंबित है। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है। अतः, पैरा शेष है।
4.	ईटीओ, वार्ड-6	2015-16	कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (04660011653)	44.41	अमान्य 'सी' फ़ॉर्म_चूँकि बेचने वाले डीलर का नाम सफ़ेद तरल स्याही का उपयोग करके बदला गया था तथा इसे जारी करने वाले प्राधिकारी ने सत्यापित नहीं किया था। [12.5 *प्रतिशत* ब्याज की दर से 1965222 + 1.5 *प्रतिशत* ब्याज की दर से 2476180 (84 महीनों के लिए)]	विभाग ने बताया कि इन लेंन-देनों की प्रामाणिकता के लिए सत्यापन पत्र संबंधित विभाग को जारी कर दिए गए हैं, तथा संबंधित राज्य से भी प्रतीक्षा है।	अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है; अतः, पैरा शेष है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष	डीलर का नाम/टीआईएन	ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)	अनियमितताओं की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
5.	ईटीओ, वार्ड-7	2015-16	गर्ग ब्रदर एजेंसी (04770009798)	12.84	छेड़छाड़ एवं कीमत की वजह से अमान्य सी फार्म बदले गए तथा जारी करने वाले प्राधिकारी ने इसका सत्यापन नहीं किया।	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
6.	ईटीओ, वार्ड-7	2016-17	टार्गस प्रौद्योगिकी (04260021088)	1.47	₹7,88,558/- कीमत वाले दो "सी " फॉर्म के साथ छेड़छाड़ की गई। सफेद तरल स्याही का उपयोग कर कीमत बदली गई।	विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	
कुल				**91.83**			

अनुलग्नक-3.7

(पैराग्राफ संख्या 3.2.5.1 में संदर्भित)

गैर-नवीकृत गैर-यातायात वाहन का पंजीकरण दर्शाने वाला विवरण

आरटीओ का नाम	डेटा एनालिसिस से पता चले कुल वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मान्य वाहनों की संख्या	ऐसे वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति सही पाई गई	दोपहिया/ मोटरसाइकिल की संख्या	दुपहिया /मोटरसाइकिल में शामिल कीमत (नवीकरण शुल्क= 1000/प्रति वाहन) (₹ में)	हल्के मोटर वाहनों की संख्या	हल्के मोटर वाहन में शामिल कीमत (नवीकरण शुल्क = 5000/प्रति वाहन) (₹ में)	सभी गाड़ियों में लगने वाली कीमत (नवीकरण शुल्क) (₹ में)	पंजीकरण के नवीकरण में देरी करने पर अतिरिक्त शुल्क मोटर साइकिल के लिए - ₹300 तथा मोटर कार के लिए ₹500 प्रति महीने तथा महीनों के हिस्से (₹ में)	कुल राशि (नवीकरण शुल्क+अतिरिक्त शुल्क) (₹ में)
आरटीओ, दमन	529	20	15	6	6,000	9	45,000	51,000	2,01,300	2,52,300
आरटीओ, सिलवासा	472	20	16	5	5,000	11	55,000	60,000	1,56,400	2,16,400
कुल	1001	40	31	11	11,000	20	1,00,000	1,11,000	3,57,700	4,68,700

अनुलग्नक-3.8

(पैराग्राफ संख्या 3.2.5.2 में संदर्भित)

सीईवी के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण का विवरण

आरटीओ का नाम	डेटा विश्लेषण से पता चले कुल वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मान्य वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति सही पाई गई	उद्ग्रहण की जाने वाली राशि एलएमवी -₹3000 एमएमवी-₹3000 एचएमवी-₹3000 एलएमवी इम्पोर्टेड-₹5000 (₹ में)	वास्तव में उद्ग्रहण की गई राशि एलएमवी-₹600 एमएमवी-₹1000 एचएमवी-₹1500 (₹ में)	कुल राशि (नवीकरण शुल्क+अतिरिक्त शुल्क) (₹ में)
आरटीओ, दमन	9	9	9	27,000	10,100	16,900
आरटीओ, सिलवासा	13	13	13	41,000	18,600	22,400
कुल	**22**	**22**	**22**	**68,000**	**28,700**	**39,300**

अनुलग्नक-3.9

(पैराग्राफ संख्या 3.2.6.1 में संदर्भित)

बिना परमिट चलने वाले यातायात वाहनों पर आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क तथा उद्ग्रहण न किए गए जुर्माने का विवरण

आरटीओ का नाम	डेटा विश्लेषण से पता चले कुल वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मान्य वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति सही पाई गई	परमिट नवीकरण शुल्क (₹125) (₹ में)	परमिट आवेदन शुल्क (₹200) (₹ में)	आपत्ति की गई गाड़ियों के लिए कुल फीस (₹ में)	₹50 प्रति दिन की दर से जुर्माना (अधिकतम ₹10,000 तक) (₹ में)	आपत्ति की गई गाड़ियों की कुल कीमत (₹ में)
आरटीओ, दमन	258	20	19	2,375	3,800	6,175	1,83,400	1,89,575
आरटीओ, सिलवासा	634	20	16	2,000	3,200	5,200	1,05,840	1,11,040
कुल	**892**	**40**	**35**	**4,375**	**7,000**	**11,375**	**2,89,240**	**3,00,615**

अनुलग्नक-3.10

(पैराग्राफ संख्या 3.2.6.2 में संदर्भित)

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार के गैर-नवीकरण के कारण राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाने वाला विवरण

आरटीओ का नाम	राष्ट्रीय परमिट के तहत आने वाले वाहनों की कुल संख्या	डेटा विश्लेषण से प्राप्त अभ्युक्तियों वाले वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मान्य वाहनों की संख्या	लंबित प्राधिकार वाले वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक) के दौरान आवश्यक प्राधिकार की संख्या	प्रति वाहन समेकित शुल्क (₹ में)	प्रति वाहन नवीकरण आवेदन शुल्क (₹ में)	प्रति वाहन कुल शुल्क (₹ में)	कुल शामिल राजस्व (₹ में)
आरटीओ, दमन	1,263	351	20	2	5	16,500	1000	17,500	87,500
आरटीओ, सिलवासा	11,594	863	20	12	13	16,500	1000	17,500	227500
कुल	**12,857**	**1,214**	**40**	**14**	**18**				**3,15,000**

अनुलग्नक-3.11

(पैराग्राफ संख्या 3.2.7 में संदर्भित)

वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्रों के गैर-नवीकरण का विवरण

आरटीओ का नाम	डेटा विश्लेषण से प्राप्त अभ्युक्तियों वाले कुल वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मान्य वाहनों की संख्या	ऐसे वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति सही पाई गई	तिपहिया वाहनों की संख्या (400+200 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने न हों तथा 800+3500 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हों)	तिपहिया में शामिल राशि	हल्के मोटर वाहनों की संख्या (400+200 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने न हों तथा 800+7500 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हों)	हल्के मोटर वाहन में शामिल राशि	मध्यम माल या यात्री वाहनों की संख्या (600+200 गाड़ी जो 15 साल से ज़्यादा पुराने न हो तथा 800+10000 जब गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुराने हो)	मध्यम माल/यात्री वाहनों में शामिल राशि	भारी माल या यात्री वाहनों की संख्या (600+200 वाहन जो 15 साल से ज़्यादा पुराने न हों तथा 800+12000 जब वाहन 15 साल से ज़्यादा पुराने हों)	भारी माल/यात्री वाहन में शामिल राशि (₹ में)	सभी वाहनों में शामिल राशि (नवीकरण शुल्क) (₹ में)	अतिरिक्त शुल्क (जुर्माना)(₹ में)	शामिल कुल कीमत (नवीकरण शुल्क + अतिरिक्त शुल्क) (₹ में)
आरटीओ, दमन	1,314	20 (10+ 10)	19	3(2+1)	5,500	10(7+3)	29,100	0	0	6(5+1)	16,800	51,400	10,59,000	11,10,400
आरटीओ, सिलवासा	2,760	20 (10+ 10)	19	0	0	10(9+1)	13,700	2(2+0)	1,600	7(6+1)	17,600	32,900	9,54,300	9,87,200
कुल	4,074	**40**	**38**	**3**	**5,500**	**20**	**42,800**	**2**	**1,600**	**13**	**34,400**	**84,300**	**20,13,300**	**20,97,600**

अनुलग्नक-3.12

(पैराग्राफ संख्या 3.2.8 में संदर्भित)

यातायात वाहनों पर मोटर वाहन कर की गैर-वसूली दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	आरटीओ का नाम	डेटा विश्लेषण से प्राप्त अभ्युक्तियों वाले वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मान्य वाहनों की संख्या	ऐसे वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति सही पायी गयी	कुल कर बकाया राशि (₹ में)	कुल कर बकाया जुर्माना (₹ में)	जुर्माना सहित कुल कर बकाया (₹ में)
1.	आरटीओ, दमन	1,147	20	19	4,25,201	56,108	4,81,309
2.	आरटीओ, सिलवासा	1,871	20	18	3,38,114	28,405	3,66,519
	कुल	**3,018**	**40**	**37**	**7,63,315**	**84,513**	**8,47,828**

अनुलग्नक-3.13

(पैराग्राफ संख्या 3.2.9.7 में संदर्भित)

एक साथ कई ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति का विवरण

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	लाइसेंस संख्या 1			लाइसेंस संख्या 2		
		लाइसेंस सं.	वाहन का प्रकार-लाइसेंस	अवधि	लाइसेंस सं.	प्रकार	अवधि
1.	भार्गव अमृत हलपति	DD03 20190000402	गियर वाली मोटर साइकिल-एनटी	22.05.2019 से 21.05.2039 तक	DD03 20190001429	गियर वाली मोटर साइकिल-एनटी, एलएमवी-एनटी	09.12.2019 से 10.12.2039 तक
2.	अबनभाई कुरकुटिया	DD01 20200002929	एलएमवी-एनटी	25.11.2020 से 09.07.2026 तक	DN09 19990004327	एलएमवी-3डब्ल्यू एनटी, एलएमवी-3डब्ल्यू कैब- एनटी, टी	01.12.2026 से 30.11.2021, 22.12.2019 से 21.12.2024
3.	अनिल द्विवेदी	DD01 20210006731	गियर वाली मोटरसाइकिल, एलएमवी	20.11.2021 से 19.11.2031 तक	DD01 20210005290	गियर वाली मोटरसाइकिल, एलएमवी	04.09.2021 से 31.12.2035 तक
4.	शिवम तंबोली	DN-0920180040517	बिना गियर वाली मोटरसाइकिल - एनटी, एलएमवी-एनटी	16.04.2018 से 15.04.2038 तक	DD01 20210006646	गियर वाली मोटरसाइकिल - एनटी, एलएमवी-एनटी	19.11.2021 से 01.04.2040 तक
5.	सृष्टि पटेल	DN09 20190003128	गियर वाली मोटरसाइकिल-एनटी, एलएमवी-एनटी	22.11.2019 से 06.08.2041	DD01 20220001812	गियर वाली मोटरसाइकिल-एनटी, एलएमवी-एनटी	14.04.2022 से 06.08.2041 तक

अनुलग्नक-3.14

(पैराग्राफ संख्या-3.2.9.9 में संदर्भित)

संगृहित कर अथवा लंबित चालान के साथ नवीकृत परमिट/फिटनेस का विवरण

क्र.सं.	आरटीओ का नाम	पंजीकरण संख्या	लंबित चालान संख्या	लंबित चालान तिथि	लंबित चालान राशि (₹ में)	फिटनेस नवीकरण तिथि	परमिट नवीकरण तिथि	कर संग्रहण की तिथि
1.	आरटीओ, सिलवासा	DN09S9473	DD562327201104054931	04-नवम्बर-20	800	15-मार्च-24		15-मार्च-24, 01-अप्रैल-22, 22-मार्च-21
2.		DN09G9728	DD562327201129045085	29-नवम्बर-20	1,800	08-दिसम्बर-21		03-अप्रैल-21, 20-अप्रैल-22
3.		DN099087	DD562327210213110684	13-फरवरी-21	5,000	12-मार्च-24		09-नवम्बर-21, 14-मार्च-23
4.		DN09N9901	DD562327210309064963	09-मार्च-21	20,000	04-अक्तूबर-23		03-अप्रैल-21, 08-अप्रैल-22, 06-अप्रैल-23
5.		DD01A9980	DD562327210803051721	03-अगस्त-21	500	05-मार्च-24		05-मार्च-24, 27-सितम्बर-21, 22-अप्रैल-22
6.		DD03J9997	DD562327210807030772	07-अगस्त-21	3,000	25-जुलाई-23		30-मार्च-22, 31-मार्च-23
7.		DN09P9634	DD562327210825053914	25-अगस्त-21	5,000	03-जनवरी-24	05-जनवरी-24	11-अप्रैल-23, 18-अप्रैल-22
8.		DN09S9630	DD562327220104073656	04-जनवरी-22	5,000	05-मार्च-22		01-अप्रैल-21
9.		DD01C9878	DD562327220110063404	10-जनवरी-22	20,000	10-मार्च-23	28-मार्च-23	01-अप्रैल-23, 01-अप्रैल-22
10.		DN09H9259	DD562327211201035228	01-दिसम्बर-21	5,000			01-अप्रैल-22
11.		DD01A9753	DD562327220711014650	11-जुलाई-22	5,000			01-अप्रैल-23
कुल					**71,100**			

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-37-of-25